राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक : 6] दसवीं विधान सभा के छठे सत्र का ग्राठवां दिवस [संख्या : 5

गुरुवार,

14 मार्च, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री ग्रध्यक्ष : श्री जितेन्द्रजी नीनामा। (व्यवधान) मैं तो हमेशा हंसता ही रहता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं कि ग्रापको स्वयं को ग्राठ घण्टे के लिये समय बढ़ाने का ग्रधिकार है। यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो यकायक उसको भाषण समाप्त करने को कहना एक तरह से उसकी बेइज्जती है। यह समझ लीजिये कि गांव वालों की कोई सभा हो ग्रौर कोई ग्रादमी बोल रहा हो ग्रौर सब उठकर रवाना हो जायें, इसका क्या मतलब होता है यह भी पंचायत ही है गांव वाली। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ग्रापका ग्रपमान नहीं है, यदि ग्रपन उठकर रवाना हो जायं ? तीन दफा तो मैंने देखा है। मैंने एतराज भी किया लेकिन तब तक रवाना हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : ग्रध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक छोटा-सा वाक्य ग्रौर जोड़ दें कि सदन की अनुमति से इतना समय बढ़ाया जाता है। यह हमेशा होता रहा है। इस हाउस की हमेशा यह परम्परा रही है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ग्राप ग्रपने स्वविवेक से बढ़ा सकते हैं। कम से कम ग्राप इतना तो कर सकते हैं कि आपका समय हो गया, मैं ग्रापके भाषण की समाप्ति तक समय बढ़ाता हूं, अपना काम पूरा कर दो। ऐसा न हो कि ग्रादमी दौड़ रहा है ग्रौर ग्रागे दीवार ग्रा गयी।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय नीनामा जी।

गनोड़ा (बांसवाड़ा) राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में रिक्त पद

95. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्याताओं व द्वितीय श्रेणी वेतन शृंखला के कितने पद रिक्त हैं ? सरकार इनको कब तक भरने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : बांसवाड़ा जिले में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में गनोड़ा में वर्तमान में व्याख्याताओं के दो पद तथा द्वितीय वेतन शृंखला का एक पद रिक्त है। रिक्त पदों की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग और विभागीय पदोन्नति समिति के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर हो सकेगी।

श्री जितेन्द्र मीनामा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। आदिवासी इलाके के बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप समय-समय पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते रहते हैं और आदिवासियों के विकास की बात करते हैं लेकिन बिना शिक्षा के आदिवासियों का विकास कैसे हो सकता है? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये पद कब से खाली हैं? हमारे जिले के गनोडा ही की बात नहीं है, संस्कृत महाविद्यालय में भी पद रिक्त हैं। पूरे जिले में व्याख्याताओं के और सैकण्ड ग्रेड अध्यापकों के पद रिक्त हैं। हमने बार-बार रिक्वेस्ट की, कई बार हड़तालें हुईं लेकिन आज तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इससे आदिवासी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आपने सम्पूर्ण बजट शिक्षा को समर्पित कर वाहवाही तो लूट ली लेकिन हुआ क्या? एक पद नरवाली में खाली है। बांसवाड़ा जिले में 100 मास्टर्स ट्रेंडशुदा आज भी हड़ताल कर रहे हैं लेकिन आप उन पदों को भरने की इच्छा नहीं रखते हैं। सत्र चला गया लेकिन आपने आज तक इन रिक्त पदों को नहीं भरा। आप पर आरोप है कि आपने बजट तो शिक्षा को सम्पूर्ण समर्पित कर दिया, केवल स्कूल खोलने, महाविद्यालय, खोलने, मुफ्त पाठ्यक्रम बांटने से ये आदिवासी बच्चे नहीं पढ़ सकते जब तक कि इन स्कूलों में आप अध्यापक नहीं भेजेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, गनोड़ा संस्कृत महाविद्यालय में कुल 37 पद हैं। इनमें दो पद व्याख्याताओं और एक पद सैकण्ड ग्रेड अध्यापक का खाली है। व्याख्याता का पद अंग्रेजी का है और 2 -7-94 से खाली है। संस्कृत विभाग का शिक्षा विभाग से एकदम अलग तरीका है। आर. पी. एस. सी. से सलेक्शन के बिना हमारी डी. पी. सी. से हम उन रिक्त पदों को नहीं भर सकते। इसलिए जब तक वे नहीं मिलेंगे तब तक पद रिक्त रहेंगे। दूसरा रिक्त पद हिन्दी व्याख्याता का है जो दिनांक 7-9-95 से पूर्व व्याख्याता द्वारा त्यागपत्र देकर चले जाने से रिक्त है। ये पद आर. पी. एस. सी. से चयन होकर आने की प्रक्रिया में हैं।

सैकण्ड ग्रेड के व्यक्ति को हमने रिक्त पद पर नियुक्ति दी थी लेकिन उस व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया इसलिए आज भी रिक्त है। कुल 37 पदों में से 3 पद रिक्त हैं। माननीय सदस्य, मैं आपकी चिन्ता से सहमत हूं लेकिन हमने प्रयास करके संस्कृत के जितने भी पद रिक्त थे उन सबको भरा है। व्याख्याताओं के 101 रिक्त पद थे, आज केवल 8 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के पिछले साल 113 पद रिक्त थे, आज केवल 43 पद रिक्त हैं। थर्ड ग्रेड के 658 पद रिक्त थे, आज की तारीख में केवल 54 पद रिक्त हैं।

मैं सोचता हूं कि हमने रिक्त पदों को भरने की कोशिश की है लेकिन कुछ लोगों के जोइन नहीं करने से पद रिक्त हो सकते हैं। यद्यपि आपका प्रश्न संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित था लेकिन आपने बाकी सारों को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भी इसके साथ मिला दिया कि बाकी के कितने पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो सामान्य शिक्षा में हमने जो रिक्त पद भरे हैं, वह मैं बता सकता हूं। आज की तारीख में हमने 98.5 प्रतिशत रिक्त पदों को भरा है। कुछ रिक्त पद भरने की प्रक्रिया में हैं। आप चाहें तो मैं एक-एक ग्रेडवाइज रिक्त पदों की सूची आपके सामने रख सकता हूं।

पदोन्नति देकर शत प्रतिशत पदों को भरा गया था, लेकिन जोइन न करने के कारण तीन अटेम्प्ट के बाद भी कुछ पद खाली हैं क्योंकि 9–18–27 के लाभ के कारण जिनको पदोन्नति देता हूं वह फोरगो कर जाते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि सामान्य शिक्षा में प्रिंसिपल के 8 पद पूरे 13 सौ प्रिंसिपल के पदों में से खाली हैं। हैडमास्टर का कागज में आज की तारीख में एक भी पद रिक्त नहीं है। रिक्त पदों पर अभी मैंने 298 हैडमास्टर लगाये थे, उनकी जोइनिंग आने के बाद ही रिक्त पदों का पता लगेगा।

सैकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के केवल उन दो जिलों में पद रिक्त हैं जहां हम कोर्ट का स्टे वैकेट नहीं करा सके हैं बाकी सभी जिलों में सैकण्ड ग्रेड और थर्ड के अध्यापकों के जितने भी पद थे वे सारे के सारे भरे हैं। जोइनिंग न करने के कारण कुछ पद रिक्त हो सकते हैं।

श्री जितेन्द्र नोनामा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से दूसरा सवाल यह पूछना चाहूंगा कि आदिवासी बहुल जनजाति क्षेत्र में अगर कोई अध्यापक नहीं जाता है तो उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह पहला साल है जिसमें हमने जिस जिले का एम्प्लायमेंट कार्ड जिस बालक के पास था, उसी में उसको नियुक्ति दी है। इस कारण से 80 प्रतिशत से ज्यादा जिलों के स्थानीय निवासी ही चयनित हुए हैं। बांसवाड़ा जिले की थर्ड और सैकण्ड ग्रेड अध्यापकों की पूरी की पूरी सूचियां समाप्त हो गयीं, हमें सैकण्ड अटेम्प्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास जितने फार्म थे, उन सबको नियुक्ति देने के बाद भी हमारे पास पद रिक्त रहे। मैं सोचता हूं कि यह पहला साल है जिसमें हमने स्थानीय लोगों को जितनी नियुक्ति दी जा सकती थी, दी है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या यह सही है कि आपने नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया था इसलिए भर्ती नहीं हो सकी और स्थान खाली रहे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : शिक्षकों की भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। भर्ती हमेशा खुली हैं और आगे भी खुली रहेगी। कुछ पद जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एल.डी.सी. आदि पर पाबन्दी थी, अध्यापकों के पदों पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं थी। कुछ लोग जिलों का एम्प्लायमेंट कार्ड अनिवार्य करने के कारण कोर्ट में चले गये इसलिए उसको निपटाने में हमें 3–4 महीने लगे लेकिन हमने उन सारे केसेज को निपटा दिया और उसके कारण से वापस भर्ती हुई और हमने सारे लोगों को ले लिया।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने भर्ती के मामले में बताया कि कई जगह ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि पंचायत समित पीपलखूंट में उच्च प्राथमिक विद्यालय, कटूम्बी, जो आज 5 साल पहले क्रमोन्नत हुआ है, में तीन अध्यापक, एक हैडमास्टर, एक पी. टी. आई. और एक अध्यापक हैं, तीन ही ड्यूटी पर हैं जबकि वहां 7 पोस्टें वैकेण्ट हैं। इसी के तहत होरी तेजपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो आज से 10–12 साल पहले क्रमोन्नत हुआ है लेकिन आज की तारीख में चार अध्यापक हैं बाकी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह से ग्राम पंचायत बारी के उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेडी में एक हैडमास्टर, एक अध्यापक और एक पी. टी. आई. तीन अध्यापक आज मौजूद हैं बाकी वहां पर तीन पोस्टें खाली हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत नादिया में एक हैडमास्टर ही वहां पर अभी दिया है, बाकी कोई मास्टर वहां पर पहुंचा नहीं है। आज की तारीख में वह स्कूल एक हैडमास्टर ही चला रहा है। खजूरी ग्राम पंचायत के उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी यही स्थिति है, एक अध्यापक और हैडमास्टर के अलावा वहां 2-3 साल से कोई नहीं आया है।

अब मंत्रीजी कर रहे हैं कि मैंने सारी पोस्टें भर लीं। इस हिसाब से आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो आदिवासी बालक आज पढ़ते हैं वहां अध्यापकों की इतनी कमी है। यहां तक कि मैं बताऊं, पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालय में कमी है। पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों में 18 स्कूलें खाली पड़ी हैं जहां आज तक अध्यापक नहीं हैं। मंत्रीजी, इन स्कूलों में कब तक यह पद भर देंगे, यह बता दें ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें हम पहले साल केवल एक प्रधानाध्यापक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही देते हैं। दूसरे साल में 2 थर्ड ग्रेड देते हैं और तीसरे साल में फिर दो थर्ड ग्रेड देते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 4 + 1 होता है। अगर बालकों की संख्या उसके हिसाब से अधिक होती है तो हम अधिक पद देते हैं। हमारे हिसाब से जो पंचायत समिति के नव क्रमोन्नत हुए वह अपने स्टाफ को समय-समय पर हटा लेते हैं उसके कारण से वह पद आपको रिक्त दिखते हैं। फिर भी आपने जो नाम बताये हैं, मेरे पास अभी सूचना नहीं है, मैं नहीं बता सकूंगा कि उनके बारे में क्या स्थिति है, लेकिन आपने जो बताये हैं वह हमें लिखकर दें। जो मेरा रिकार्ड बता रहा है उसके अनुसार वहां कोई कमी है तो मैं निश्चित रूप से उत्तर पुनः भेज दूंगा। वैसे आपने स्कूल के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी है, मैं वह सूचना आपको मंगाकर आश्वस्त करूंगा कि अगर पद स्वीकृत हैं उस स्कूल में तो निश्चित रूप से वहां अध्यापक हों।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बताया कि हम छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापक देते हैं। कटूम्बी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 369 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 39 लड़के तो आज की तारीख में मिडल स्कूल में पढ़ रहे हैं और जहां मंत्री महोदय कह रहे हैं कि छात्रों की संख्या को देखकर हम पोस्टों को क्रिएट करते हैं। यह मंत्रीजी बतायें।

श्री अध्यक्ष : आप जांच करवा लेंगे ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उसका उत्तर नहीं है । अगर आप व्यक्तिगत कहेंगे तो मैं आपको डिटेल भिजवा दूंगा ।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं, आप सितम्बर में छोटी सादड़ी पधारे थे तब आपने घोषणा की थी कि वहां के आर्ट्स संकाय के व्याख्याता को एक महीने में लगा देंगे, आज दिन तक वह पद रिक्त चल रहा है और वह आपका अध्यापक नहीं आया है उसके लिये आप क्या विचार रखते हैं ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप ।

श्री उदयलाल आंजना : मैं जवाब चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से ।...

श्री अध्यक्ष : अभी बांसवाड़ा की ज्यादातर बात हो रही है ।

श्री उदयलाल आंजना : बांसवाड़ा की क्या बात है ? पूरे राजस्थान के मंत्री हैं और इनका छोटी सादड़ी से ज्यादा लगाव है । छोटी सादड़ी में तो हमेशा आते रहते हैं और सम्भालते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप मिल लें ।

श्री उदयलाल आंजना : मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों का जिला एक ही है, आप मिलकर बात कर लें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपने व्याख्याताओं के रिक्त पदों के बारे में जो चिन्ता जाहिर की, वास्तव में पिछले साल 2900 पद रिक्त थे और हमने इस साल 3632 व्याख्याताओं को प्रमोशन और आर. पी. एस. सी. से सलेक्ट करके लगाया । उसके बाद भी 955 पद जोइनिंग नहीं होने के कारण से खाली रह गये थे । हमने अभी कुछ दिन पहले ही 576 व्याख्याताओं को एडहॉक प्रमोशन दिया है । हमारी सारी डी. पी. सी. समाप्त हुई....

श्री उदयलाल आंजना : साहब, यह तो आप सारे राजस्थान का ही चिट्ठा दे रहे हैं लेकिन छोटी सादड़ी से तो आप व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं और आपने घोषणा की थी कि महीने भर में लगा दूंगा, उसका क्या हुआ ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक-एक स्कूल के बारे में तो नहीं बता सकता ।

श्री उदयलाल आंजना : छोटी सादड़ी से आपको ज्यादा लगाव है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आपका जिला है, थोड़ा ध्यान रखें आप । विराजें आप ।

श्री उदयलाल आंजना : कब तक वह चालू हो जायेगा, कम से कम यह तो बतायें ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि गर्ल्स स्कूल के अन्दर........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी खाली बांसवाड़ा जिले की बात हो रही है और वह भी संस्कृत विद्यालय की। सारे राजस्थान की सूचना तो आपके पास होगी नहीं। अभी संस्कृत विद्यालय की बात हो रही है और वह भी बांसवाड़ा से सम्बन्धित है। अभी आप विराजें। आप मंत्रीजी से बात कर लें। विराजें आप।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाह रही हूं कि राजस्थान संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना के लिए पिछले सत्र में जो घोषणा की गयी थी, इस सत्र में आप कोई बिल उसकी स्थापना के लिए नहीं ला रहे हैं तो क्या आपने इरादा बदल दिया है या उसकी स्थापना के लिए कोई अन्य प्रकार से कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो स्थानान्तरण की नीति है उसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक रेगिस्तानी क्षेत्र के स्कूल खाली रहेंगे। मेरे यहां खारड़ा बारासिंह मिडिल स्कूल में एक साल से पद खाली है। गोदावास....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी बांसवाड़ा की बात हो रही है। विराजें आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उसमें अभी दो ही मास्टर हैं। आपने तीन साल में जो स्थानान्तरण की नीति बनाई, जिस अध्यापक का प्रमोशन हो गया उसको उसी जगह, खाली जगह पर नहीं लगाया जा....

श्री अध्यक्ष : यह बांसवाड़ा की बात हो रही है। आप बैठें। श्री दयाराम जी परमार (व्यवधान)...

जनजाति परामर्शदात्री परिषद्

96. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की संवैधानिक स्थिति एवं उसके अधिकारों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्दलाल मीणा) : भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के बी के अनुच्छेद खण्ड-4 में जनजाति परामर्शदात्री परिषद् के गठन का प्रावधान है। संविधान में जनजाति परामर्शदात्री परिषद् को अधिकार नहीं दिये गये हैं।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रश्न का जवाब चार लाइन में दे दिया लेकिन मैं तीन सप्लीमेंट्री प्रश्न करना चाहता हूं। सबसे पहला मेरा सप्लीमेन्ट्री प्रश्न यह है कि परामर्शदात्री कमेटी को कोई अधिकार नहीं होना, इस प्रकार का जवाब देना अच्छी बात नहीं है। नहीं है तो ठीक है लेकिन इस प्रश्न का नकारात्मक जवाब ट्राइबल एरिया से आने वाले सभी माननीय सदस्यों का और ट्राइबल एरिया में रहने वाली 35 लाख जनता की बेइज्जती का जवाब है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि संविधान में कमेटी गठित करने का प्रावधान किस उद्देश्य से रखा गया है ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट होता है, परामर्शदात्री

(श्री नन्दलाल मीणा)

समिति है। इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए तीन चौथाई विधायक और जो मनोनयन होता है, इस तरह से सदस्यों का मनोनयन होकर के कम से कम साल में दो बार उनकी बैठकें हों, उप योजना क्षेत्र के विकास के कार्यों में, आदिवासियों के कल्याण के कार्यों में जो–जो योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जाती हैं उनकी समीक्षा करें और परामर्श दें। परामर्श देना भी अपने आपमें एक अधिकार है और माननीय सदस्य उस समिति के सदस्य हैं। अब तक दो बैठकें वर्ष 1995–96 में हो चुकी हैं और जो-जो भी परामर्श माननीय सदस्यों ने दिये हैं राज्य सरकार ने उसको अमलीजामा पहनाने की कार्यवाही की है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है। आपकी यह प्रगति रिपोर्ट आयी है उसका जो सबसे पहला पैरा शुरू हुआ है उसमें लिखा है, प्रशासकीय संगठन। जनजाति कल्याण एवं विकास के प्रभारी मंत्री जनजाति विकास राज्य मन्त्री हैं और उनके पास में स्वतन्त्र विभाग है। वह देखते हैं। राज्य स्तर पर एक अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् है। इस परिषद् के गठन का उद्देश्य जनजाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करना तथा नयी योजनाओं के लिये परामर्श देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपके विभाग को जो भी बजट का एलोकेशन होता है उसमें भारत सरकार की विशेष सहायता होती है उसके केवल तीन प्रतिशत बजट पर ही आपका अधिकार है जिसको आप जनता के विकास के लिए उपयोग करते हैं बाकी का 97 प्रतिशत बजट राज्य सरकार के पास होता है, उस तीन प्रतिशत बजट के लिये एम. एल. एज. की कमेटी बनाकर इसको परामर्श करने के लिए कहते हो और उसकी समीक्षा करने के लिए कहते हो, तो इस तीन प्रतिशत बजट से हम क्या विकास और क्या इस समिति से परामर्श करवाना चाहते हो, समीक्षा कराना चाहते हो इससे बड़ी हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है। मैं चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस स्थिति में है कि महाराष्ट्र में जो पैटर्न है कि जितने प्रतिशत ट्राइबल की पापूलेशन उस एरिया में है उतने प्रतिशत ही इस विभाग को पैसा दे दिया जाता है और वह विभाग आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता तय करके ट्राइबल एरिया के विकास के कार्यक्रम चलाता है, इस तरह का प्रावधान राज्य सरकार करने जा रही है कि उस विभाग को पूरा पैसा मिल जाय ? यदि नहीं, तो क्यों और देना चाहती है तो कब से ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए प्रत्येक विभाग की मांग संख्या–30 सुनिश्चित की हुई है। राज्य सरकार के वार्षिक बजट का इस उपयोजना क्षेत्र के लिए आबादी के आधार पर 12.44 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया हुआ है। परामर्शदात्री समिति समय-समय पर कौनसी योजनाएं हाथ में ली जायें इसका मूल्यांकन करती है और सरकार को राय देती है कि यह योजना लागू की जाय। मेरा मत है कि परामर्शदात्री

(श्री नन्दलाल मीणा)

समिति में जो-जो भी सुझाव दिये गये उन सुझावों के आधार पर सारी योजनायें विभाग द्वारा लागू की गयी हैं।

जहां तक महाराष्ट्र पैटर्न का सवाल है, पिछले महीने दिल्ली में केन्द्रीय कल्याण मंत्रीजी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें मैंने भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, वहां पर राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष के बाद महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर राजस्थान में जनजाति विकास विभाग का कार्य प्रारम्भ करने का आश्वासन हमने दिया है और इस मामले में शीघ्र ही मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपना नोट बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं समझता हूं, यह नीतिगत प्रश्न है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस पर निर्णय लेंगे।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया, मैं उनके विभाग की जो रिपोर्ट है उसकी दो लाइनें कोट करना चाहूंगा। कुल 428.25 करोड़ रुपये में से मात्र 14.88 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता पर ही विभाग का नियन्त्रण है जो कि कुल प्रावधान का 3.47 प्रतिशत है। इस कुल राशि पर सैद्धान्तिक रूप से इस विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है और राज्य योजना मद के अन्तर्गत प्रस्तावित 323.78 करोड़ रुपये की राशि के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता है। यह विभाग मात्र आबंटन एवं व्यय के आंकड़ों का संकलन करता है। हमारे ट्राइबल एरिया की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह बजट हमको नहीं मिलता है? मंत्रीजी को विभाग बनाकर उनके सुपुर्द कर दिया है, बैठा दिया वहां पर और हमारी कमेटी बनाकर हमको कह दिया कि आप एडवाइज करो। आज तक इस ट्राइबल एरिया का विकास इस कारण से नहीं हुआ है। सरकार दोहरी नीति चलाती रही, पैसा रखा अपने पास में, विभाग बना करके मंत्रीजी को दे दिया और उसका विकास हुआ नहीं तो नहीं हुआ। आज हमारा आदमी बिना सड़क के, आज हमारा आदमी बिना बिजली के बैठा है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को तुरन्त बदला जावे और यह सम्पूर्ण बजट ट्राइबल डवलपमेन्ट डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया जाय ताकि हमारे अनुसार इसमें एस्टीमेट बनाकर विकास किया जा सके। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : वह तो मंत्री रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : मैं भी आदिवासी क्षेत्र का हूं। मुझे भी बोलने का अधिकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि एडवाइजरी कमेटी का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। मुझे भी बड़ी तकलीफ है कि वास्तव में 1947 से, देश आजाद होने के बाद से आज तक आदिवासियों का जितना उत्थान होना चाहिए था, नहीं हुआ। अगर समय के अन्तराल को देखा जाय तो पिछली सरकार के इतने लम्बे समय में आदिवासी विकास के नाम से वास्तव में जितनी गति मिलनी

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

चाहिए थी, नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वहां एक गुणात्मक बदलाव हुआ है।

एक माननीय सदस्य : यह भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है.... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मुझे बोलने दें। एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 1993 में और उसके बाद भी बराबर होती रही है। मुझे पता है, 1980 से आप थे, एक भी मीटिंग नहीं हुई।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार कांग्रेस ने कुछ नहीं किया लेकिन यह मंत्री और एम. एल. ए. बनाये हैं वह सारे कांग्रेस ने बनाये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री के रूप में जवाब दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस और बी. जे. पी. का सवाल नहीं है। यह सवाल ट्राइबल एरिया के विकास....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, गति इसमें आयी है कि कांग्रेस वाले अगर जीप से जाते थे तो हमारे मुख्य मंत्री जी हैलीकाप्टर से जाते हैं बाकि आदिवासियों को कोई गति नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : वह बी. जे. पी. का है इसलिए उसके पक्ष में बोलो और यह कांग्रेस का है, हम आदिवासियों के नाम पर, आदिवासी नेता होकर वोट लेकर आ गये, हमारी जिन्दगी गुजार दी और वह लोग विकास के लिए इन्तजार करते रहे। मैं आदिवासी माननीय सदस्य से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह आप पार्टी का नाम लेकर के इसको डाइल्यूट मत करो। हमको वास्तव में समाज का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास मंत्रीजी ने जो जवाब दिया कि परामर्शदात्री समिति है, मैं माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कितनी तो आपकी मीटिंग हुई, उसमें कितने परामर्श आपको दिये गये और उन परामर्शों में आपके अधिकारियों ने, आपके विभाग ने कितने प्रतिशत लागू किये ? अध्यक्ष महोदय, इनका जो वहां पर माडा का अधिकारी बैठता है, क्या यह सही है कि परामर्शदात्री समिति को कभी भी बजट बनाते समय किस विकास पर कितना पैसा खर्च करो, यह पूछा नहीं जाता है और वहां से बजट बनाकर भेज दिया जाता है। होना यह चाहिए मन्त्रीजी, कि आप जो बजट बनायें उससे पहले परामर्शदात्री समिति से पूछें कि किस मद में, किस-किस योजना में आपको आदिवासियों का विकास करना है। आप बिलकुल नहीं पूछते हैं। आपके जो अधिकारी हैं वे बजट बनाकर भेज देते हैं।

दूसरा, माननीय मन्त्रीजी, जो माडा का संचालन भी आप करते हैं, आपके अधिकारी

(श्री परसादीलाल मीणा)

बैठते हैं, जिले से जो योजना बनाकर भेजते हैं, आप कभी भी उन योजनाओं को लागू नहीं करते हैं। सारा आपके अधिकारियों पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष : आप पाईन्टेड प्रश्न पूछें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या आदिवासी विकास परिषद् बनाने का सरकार विचार रखती है जिसमें बजट बनाने से पहले, योजनाओं को लागू करने से पहले उन बातों को रखा जाय? या क्या सरकार आदिवासियों के विकास के लिए इसी तरह काम करेगी?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लें। आप विराजें, आपने पूरी बात कह दी।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, 1975-76 में इस विभाग का गठन हुआ है। यह विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। माननीय शेखावत साहब के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, इस जनजाति क्षेत्रीय शब्द के बजाय जनजाति विकास विभाग की दृष्टि से काम करने की हमने योजनाएं बनायी हैं।

जहां तक खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जो पैसा आवंटित किया जाता है वह खर्च नहीं होता है। भारत सरकार से मिलने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता 31 दिसम्बर तक हमको प्राप्त होती है और 31 दिसम्बर को ही वित्तीय वर्ष समाप्त होता है।

श्री अमराराम (धोद) : 31 मार्च को खतम होता है, 31 दिसम्बर को नहीं।

श्री नन्दलाल मीणा : हां, 31 मार्च को। 31 मार्च तक भी पैसा मिलता रहे तो ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं है कि वह पैसा खर्च किया जाय। पी. डी. अकाउण्ट में वह पैसा होता है। लैप्स नहीं होता है। दूसरे साल काम में आ जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कितने परामर्श मानें?

श्री नन्दलाल मीणा : एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं कि जो माननीय सदस्य ने परामर्श दिया हो और उसकी अवहेलना की गयी हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी-छोटी मद में, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन आदि योजनाओं में यह लोग पैसा खर्च करते थे हमने प्राथमिकता तय की है कि जब तक आदिवासी शिक्षित नहीं होगा, लघु सिंचाई के जरिये उसकी जमीन पर सिंचाई नहीं होगी और बिजली वहां नहीं पहुंचायी जायेगी तब तक इस इलाके और इस समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए इस प्राथमिकता के आधार पर हम काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामपालजी उपाध्याय। श्री महावीर जी भगोरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी में यह होगा अगर आप सारे प्लान के आंकड़े देखें तो आदिवासी क्षेत्र में पिछले सालों के मुकाबले में कितना खर्चा हुआ है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी है और यदि आप चाहें तो मैं भी जानकारी दे सकता हूं। यह सही है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में ग्रादिवासी क्षेत्र पिछड़े रह गये ग्रौर इसके लिए जब तक विशेष व्यवस्थाएं नहीं की जायेंगी उस समय तक ग्रादिवासी क्षेत्रों में यह प्रभाव बना रहेगा कि हम पिछड़े हैं। इस दृष्टि से राजस्थान सरकार ने जब ग्रपनी स्कूल की नीति बनायी कि स्कूल कहां-कहां खोले जायें तो यह व्यवस्था की है कि ग्रादिवासियों में 150 की संख्या के आधार पर यदि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हों तो खोल दिये जायें। बाकी तो 250 और उसके ऊपर है लेकिन ग्रादिवासियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। यही सड़क नीति के अन्दर हमने निर्णय लिया है कि 150 की ग्राबादी आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में हो तो उन गावों को सड़क से जोड़ा जाय। ग्राप लोगों को यह भी मालूम होगा कि पिछले सत्र में मांग की गयी थी कि ग्रादिवासियों पर बहुत मुकदमे चल रहे हैं, मुर्गी के, बन्दूक के, शराब के, ये लगभग 5-6 हजार मुकदमे हमने वापस लिये हैं। ऐसी स्थिति में यह मत कहिये कि ग्रादिवासियों के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था वह नहीं हुग्रा ग्रौर माननीय दयाराम जी देखना चाहेंगे तो मेरे पास सारे ग्रांकड़े हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में हमने पिछले पांच वर्षों में क्या किया है, वे सारे ग्रांकड़े मैं आपको बता दूंगा। ग्रापको इससे सन्तोष होगा।

जहां तक परामर्शदात्री समिति का सम्बन्ध है, मैं भी जब भी आदिवासी इलाके में जाता था तो यह ग्रावश्यकता महसूस की कि जब तक ग्रादिवासियों से इनकी समस्याओं को सुनकर कोई उसका समाधान करने की कोशिश नहीं की गयी तथा सरकार ग्रपने स्तर पर यह काम करती रही तो कई ऐसी छोटी–मोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं होगा, इस आधार पर कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत यह परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। ग्राप कांस्टीट्यूशन देख लें, उसमें उससे ज्यादा किसी प्रकार का कोई ग्रधिकार नहीं है। अगर परामर्शदात्री ने कोई सुझाव दिया हो ग्रौर नहीं माना हो, वे सुझाव नहीं मानने के कारण होंगे तब तो बात दूसरी है वरना मैं समझता हूं कि अधिकांश सुझावों पर सरकार ने विचार किया है और निर्णय उनके पक्ष में लिया है। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : श्री महावीरजी भगोरा।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि हम 150 की ग्राबादी पर स्कूल खोलेंगे। हम यह ग्राश्वासन चाहते हैं ग्रापसे, हम प्रस्ताव देंगे 150 की ग्राबादी पर, 200 की ग्राबादी पर, 250 की ग्राबादी पर तो क्या ग्राप सब जगह स्कूल खोल देंगे जनजाति क्षेत्र में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खोल रहे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान) दूसरा प्रश्न ग्राने दें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को याद दिलाना चाहूंगा, क्या यह सही है कि यह जो परामर्शदात्री समिति की आपने मीटिंग ली थी तब यह सलाह दी गयी थी कि इसका बजट जिला ग्रामीण विकास ग्रभिकरण या जिला लेवल पर बनाया जाय ?

श्री अध्यक्ष : यह आगे का सवाल है। विराजिये आप। यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ...

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, परामर्श कोई लागू नहीं किया गया। एक भी परामर्श इन आदिवासियों का परामर्शदात्री समिति ने लागू नहीं किया। यह सलाह दी गयी थी कि इसका बजट जिला लेवल पर किया जाय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय रामपाल जी उपाध्याय का नाम पुकारा गया था।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिये एक बार।

श्री अध्यक्ष : बीच-बीच में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आपकी बात स्पष्ट की है। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यय महोदय, माननीय परसादी लाल जी को मालूम होगा कि इनके शासनकाल में मात्र अधिकारियों की मीटिंग होती थी....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : पंचायत समिति पर किया जाय, इसके बजट को बनाने के लिए जिला लेवल पर...(व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1975 से लेकर 1990 तक सिर्फ अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के शासन में जन–प्रतिनिधियों की बैठक हुई है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपसे परामर्श ले लेंगे।

श्री महावीर भगोरा : जनजाति विकास विभाग के आंकड़े उठाकर देखिये।

श्री किशनाराम नाई : इन्होंने 40 वर्षों में क्या किया है, इनके 40 सालों का हिसाब लो। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्षों में राजस्थान की पूरी जनता आधे में, आधे में जनजाति था। आयुर्वेद विभाग में 20 औषधालय मंजूर हुए। 10 इनको दिये और 10 पूरे राजस्थान में दिये। हर विभाग में अलग–अलग ध्यान रखकर जनजाति का हम उत्थान करने में लगे हुए हैं। यह ऐसी बात नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक टैक्नीकल डिफिकल्टी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप इनका ख्याल रखोगे कि नहीं। आप भंवरसिंह चौधरी का ख्याल रखोगे कि नहीं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये, मेरे ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता है कि भंवरसिंहजी मेरा ध्यान रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : रख रहे हैं वे तो।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अभी चर्चा हुई इसमें कोई लम्बी–चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि

(श्री नरपतसिंह राजवी)

कुछ डिपार्टमेंट्स में को-आर्डिनेशन की कमी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ध्यान रखते-रखते अब ध्यान चूकने में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सब उम्र के हिसाब से होता है।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : ऐसा कोई नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : कुछ डिपार्टमेन्ट्स में इसकी पूरी जानकारी शायद नहीं हो, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के साथ में माडा पाकेट्स डवलपमेंट यहां पर की है और उन माडा पाकेट्स में ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में सम्मिलित रूप से उसको नहीं किया गया है। उसको कई विभाग ट्राइबल एरिया नहीं मानते हैं। इस सम्बन्ध में जरूर थोड़ा सा मंत्री महोदय आपस में कोआर्डिनेट करें, उससे ज्यादा लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील, राजसमन्द का इलाका, छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी, बाली का इलाका, इनके लिए सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं। वहां से स्वीकृति आने पर यह उप योजना क्षेत्र में स्वीकृत कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरजी भगोरा।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एरिया बहुत बड़ा माडा एरिया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माडा एरिया की बात नहीं चल रही है।

श्री रतनलाल ताम्बी : वह मैं जोड़ना चाहता हूं। 125 गांव हैं मेरे यहां। मेरे यहां अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप लिखकर भेज दें। माननीय मंत्रीजी को।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक मिनट सुन लें। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारा इलाका ऐसा है, जहां कि माडा क्षेत्र में 90 प्रतिशत, 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत की पापूलेशन के गांव हैं। उनको उन सब योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र जिसको माना जाता है, वैसे ही भारत सरकार के मापदण्ड से माडा क्षेत्र घोषित किया जाता है। 150 की जनसख्या पर आज वहां स्कूल नहीं खोले जाते हैं, वहां औषधालय नही खोले जाते हैं। तो बहुत बड़ा इसमें भेदभाव हो रहा है। मैं समझता हूं, आदिवासियों के लिए पूरे प्रदेश में एक प्रकार की नीति हो और उसका लाभ सब जगह मिले, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल उपाध्याय।

प्रश्न संख्या-97

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री महावीरजी भगोरा।

उदयपुर में जनजाति उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत नर्स/कम्पाउण्डर्स को प्रशिक्षण

98. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जनजाति उप योजना क्षेत्र के कितने जनजाति शिक्षित बेरोजगारों को गत पांच वर्षों में आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर का प्रशिक्षण दिया गया ? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उन प्रशिक्षित नर्स/कम्पाउण्डरों को नियोजित कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितनों को एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने एवं 1995 की जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान मानदण्डों में शिथिलता बरतते हुए नये केन्द्र खोलने या पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) उदयपुर जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 152 जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को गत पांच वर्षों में आयुर्वेद नर्स/ कम्पाउण्डर का प्रशिक्षण दिया गया। वर्षवार व जिलेवार विवरण (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) गत वर्षों में प्रशिक्षित नर्स/कम्पाउण्डरों की नियुक्ति का विवरण परिशिष्ट "क" के कालम (4) में अंकित है।

(3) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में नये केन्द्र खोलने या पद सृजित करने, मानदण्डों में शिथिलता देने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं रखती हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री महावीर भगोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है, मेरा इसमें यह निवेदन है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्तमान में जो आयुर्वेद विभाग की संस्थाएं चल रही हैं, चाहे चिकित्सालय हो या डिस्पेंसरीज हों, उनमें डाक्टर्स और उप वैद्य के पद नहीं भरने की बात कही है, न ही केन्द्र नये खोलने की बात की है। मैं जानना चाहता हूं कि जो पद वर्तमान में स्वीकृत हैं उनमें कितने पद अभी रिक्त चल रहे हैं ? क्या विभाग ने दिनांक 12-03-80 को आयुर्वेद मंत्री महोदय के कक्ष में डाक्टर्स और उप वैद्य के प्रतिनिधियों के बीच 12 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में कोई वार्ता व समझौता किया था ? यदि हां, तो वह समझौता क्या था और उसमें वैद्य और आयुर्वेद कम्पाउण्डर्स के बारे में क्या निर्णय लिया गया था ?

नम्बर दो, क्या दिनांक 22-9-95 द्वारा जो 146 कनिष्ठ कम्पाउण्डर व नर्स के पद को भरने की द्विभागीय विज्ञप्ति जारी की गयी है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कोई रोक लगायी है ?

नम्बर तीन, क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 18-9-90 से डाक्टर और कम्पाउण्डर की योग्यता में संशोधन के लिए, आयुर्वेद निदेशक महोदय ने राज्य सरकार को कोई संशोधन करने के लिए लिखा है ? कृपया बताने की कृपा करें।

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जैसा कि ट्राइबल कैंडीडेट्स के रिक्त पदों का प्रश्न है, वे अभी कोई रिक्त नहीं हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि वर्ष 1994 में 1993 का बैकलॉग 15 सहित 29 स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था उसके विरुद्ध में 30 कम्पाउण्डर को नियुक्ति दी गयी। वर्ष 1995 में 20 नियुक्ति दी गयी जिसमें से वे तो आरक्षित थे, किन्तु उसमें भी जो ब्रिलिएंट बालक थे अनुसूचित जनजाति के, उन 10 बालकों को और नियुक्ति दी गयी। यानि कहने का तात्पर्य यह है कि आज की तारीख में बैकलाग से अधिक 10 कैंडीडेट्स को हमने ज्यादा भर्ती किया है।

अब आपने कहा कि 22-9-95 की जो विज्ञप्ति निकाली गयी थी उसका क्या हुआ ? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विज्ञप्ति को आदरणीय उच्च न्यायालय ने 13-9-95 को कुछ आशार्थियों के कोर्ट में जाने के कारण और उस विज्ञप्ति में कुछ नियमों की लेकूना रहने के कारण क्वेश कर दिया है। आपने यह पूछा कि 18-9-95 को जो विज्ञप्ति दी उसमें क्या–क्या संशोधन के लिए हैं ? तो संशोधन की जो कार्यवाही है वह प्रोसेस में है।

श्री महावीर भगोरा : माननीय मन्त्री महोदय, मेरा प्रश्न पहला यह था कि 22 अगस्त, 1980 को कोई समझौता हुआ था उसमें क्या निर्णय लिया है, यह बताने की कृपा करें ताकि स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। आपने यह जो टेलेन्ट की बात कही है, प्रशिक्षण के अन्दर टेलेन्ट की क्या बात है ? मैरिट होगी या तो। टेलेन्ट शब्द से क्या मतलब है ?

श्री अचलाराम मेघवाल : गोगुन्दा से आने वाले मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, 22–8–1980 को तत्कालीन आयुर्वेद मन्त्री की अध्यक्षता में जो समझौता हुआ है उस पर गत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, सिर्फ एक सरकारी आदेश निकालकर उसकी जो कार्यवाही कर दी थी वह संशोधन हमारे अब प्रोसेस में है और शीघ्र ही संशोधन करके नयी नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंहजी।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के उदयपुर आयुर्वेद महाविद्यालय में जनजातियों के लिए नर्स, कम्पाउण्डर की स्पेशल ट्रेनिंग हेतु कोई व्यवस्था है, बैच चलता है ? यदि हां, तो उनसे फीस कितनी ली जाती है और क्या एकमुश्त ली जाती है या टुकड़ों-टुकड़ों में ली जाती है और सरकार की तरफ से उनको स्टाइपेण्ड के रूप में क्या दिया जाता है ? यह जानना चाहूंगा मैं।

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न करें। माननीय सदस्य को मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अन्तर्गत ट्राइबल बैल्ट के प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग से प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है। अन्य कोई सूचना अगर चाहेंगे तो माननीय अध्यक्ष को मांगने पर मैं दे दूंगा।

श्री रघुवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी की जानकारी में नहीं है

(श्री रघुवीर सिंह)

कि उदयपुर महाविद्यालय में 40 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग के लिए वह स्पेशल बैच चलता है। मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है सदन में कि सरकार की तरफ से 150 रुपया माहवार के हिसाब से उनको स्टाइपेण्ड दिया जाता है। साल भर का उनको डेढ़ हजार, 1,800 रुपये के आस-पास मिलता होगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप पाइन्टेड कोई बात पूछना चाहें तो पूछें।

श्री रघुवीर सिंह : पाइण्टेड ही है। मन्त्रीजी के ध्यान में नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी के ध्यान लाता हूं। लड़कों से एडमिशन के टाइम एकमुश्त 2100 रुपये फीस ली जाती है जबकि सरकार की तरफ से 1800 रुपये उनको सालान दिया जाता है। हिन्दुस्तान का कोई भी इन्स्टीट्यूट ऐसा नहीं होगा जिसमें 2100 रुपये एकमुश्त ट्राइबल्स से फीस ली जाती होगी। अगर 2,100 रुपये एक साथ फीस ली जाती है तो कौन गरीब लड़का आपके यहां एडमिशन लेगा? इसलिए आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी इसके बारे में क्या व्यवस्था करना चाह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री अहारीजी।

श्री अचलाराम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य की जानकारी में अगर कोई बात है तो बता दें, उसको हम ठीक करने की और राहत देने की व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। शंकरलालजी।

श्री रघुवीर सिंह : माननीय मंत्रीजी को मुझे बताये हुए एक साल हो गया और... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय सदस्य ने जो बताया है वह जानकारी है या नहीं मन्त्रीजी को? बात तो यह है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, मोदी साहब।

श्री रघुवीर सिंह : माननीय मन्त्रीजी को मैंने पहले भी कहा है और मन्त्रीजी ने यह कहा था कि इस बाबत आप विशेष सूचना दे दें। एक साल से मैं सूचना दे रहा हूं बराबर और मन्त्रीजी यह कह रहे हैं सदन में कि सूचना दें आप। किस तरह से सूचना दें, यह समझ में नहीं आ रहा है, हमारे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न है कि नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार आसन को है। मन्त्री को यह अधिकार नहीं है कि यह कहे, अलग से प्रश्न है। अगर आप कह रहे हैं तो सदन में व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें अहारीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : और अलग से प्रश्न नहीं है तो आप उत्तर दिलवायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अहारीजी कोई बात पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बाद में हो जायेगी, पहले माननीय सदस्य की जो चिन्ता फीस लेने की है....

श्री रामनारायण चौधरी : यदि अलग से नहीं है तो उत्तर दिलवायें और अलग से प्रश्न है तो आप व्यवस्था दीजिये कि अलग से प्रश्न है।

श्री विष्णु मोदी : उसकी जानकारी मन्त्रीजी को तो हो गयी सदन के माध्यम से। अब क्या जानकारी वह पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य से ?

श्री अध्यक्ष : वह उन्होंने नोट कर लिया है। अहारीजी।

श्री विष्णु मोदी : आप मन्त्री हैं या अध्यक्ष का काम कर रहे हैं या राज चलाने का काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अहारीजी बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं। वह जो बात पूछी है, पिन पाइन्टेड सवाल है....

श्री अध्यक्ष : वह जनजाति उपयोजना के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आप विराजें।

श्री विष्णु मोदी : कि 2100 रुपये फीस एकमुश्त ली जाती है, 1800 रुपये का स्टाइपेण्ड दिया जाता है और इसकी जानकारी सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मन्त्रीजी से चाही है तो इसमें क्या जानकारी वह और चाहेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या सही है यह ?

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आपसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। पाइण्टेडली प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछे हैं........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने नोट की है आपकी सारी बात। अहारी साहब, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं उनको पूछने दें आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : वह तो पूछ लेंगे। पहले जो मैं बात कह रहा हूं, आपसे माननीय सदस्यों को प्रोटेक्शन चाहिए कि सरकार जवाब नहीं दे तो जवाब दिलवायें। आपको सरकार का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए।

एक माननीय सदस्य : मूल प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न है कि क्या इसको इन्स्टालमेंट में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दिया है न जवाब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य आपसे प्रोटेक्शन चाह रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनजातियों को आपसे प्रोटेक्शन कैसे मिले इसकी भी व्यवस्था कर दें।

श्री विष्णु मोदी : मेरी चिन्ता नहीं करें आप ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये आप ।

श्री रघुवीर सिंह : हमने जो क्वेश्चन रखा है उसमें कोई दो शब्द फरमा दें, साहब । आप तो मजाक में बात टाल गये ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मालूम है कि इनका परिवार तो हमेशा जनजाति के पक्ष में रहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या रहा है ?

श्री अध्यक्ष : हां, अहारी साहब ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने अभी यह फरमाया कि मैं शीघ्र ही कानून में संशोधन करने जा रहा हूं ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : रामनारायणजी ठीक कह रहे हैं, साहब । यह कह रहे हैं, इनका परिवार तो हमेशा ही जनजाति क्षेत्र के लोगों के पक्ष में रहा है । हां, आपका तो बहुत गहरा सम्बन्ध है उनसे ।

श्री शंकरलाल अहारी : तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी उस कानून में कब तक संशोधन करेंगे ?

श्री विष्णु मोदी : यह तो मुख्य मंत्रीजी को पता है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये ।

श्री शंकरलाल अहारी : और नर्स और कम्पाउण्डर को कब तक नियुक्तियां दे देंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, आगे के प्रश्न इस कारण से रुक रहे हैं कि प्रश्न से हटकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं । यह सूचना कहां से होगी जब मूल प्रश्न ही नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । माननीय मंत्रीजी को जवाब देने दें । आप विराजें ।

श्री अचलाराम मेघवाल : संशोधन की कार्यवाही काफी हद तक पूरी हो चुकी है । ज्योंही यह सब-कमेटी अथवा मन्त्रिमण्डल में से आ जायेगा उसके बाद में अमेण्डमेंट की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 31 प्रश्न हैं उनमें से तीन आये हैं । 15 मिनट बाकी रहे हैं । मेहरबानी करके जल्दी कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं यह कह रहा हूं । अमरारामजी । मैं यही अर्ज कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सिर्फ तीन प्रश्न आये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी ।

प्रस्तावित परिवहन नीति

99. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रस्तावित नयी परिवहन नीति के तहत राष्ट्रीय मार्गों पर निजी वाहन के संचालन की दूरी 10 कि. मी. से बढ़ाकर 40 कि. मी. कर रही है ?

(2) क्या अवैध वाहन संचालन को वैध बनाने से लाभ कमाने वाले परिवहन निगम को घाटा होगा ?

(3) प्रस्तावित नीति को लागू करते समय रोडवेज उद्योग एवं यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(4) अवैध वाहन संचालन से रोडवेज एवं सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है ? सरकार इसे रोकने में क्यों सफल नहीं हो पा रही है ?

(5) निजी वाहन स्वामी टूरिस्ट परमिट लेने वाली रोडवेज से तुलनात्मक दृष्टि में कितना टैक्स जमा कराते हैं ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व) : (1 से 3) परिवहन नीति सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं। प्रस्तावित परिवहन नीति का लक्ष्य सभी सम्बन्धित वर्गों को लाभान्वित करने का है।

(4) राज्य के सभी जिलों में अवैध रूप से चलने वाली वाहनों (बिना अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने वाली वाहनों) का कोई निश्चित मार्ग अथवा समय नहीं होता। अतः ऐसे वाहनों से होने वाले घाटे का आकलन किया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

(5) टूरिस्ट परमिट के लिए निजी वाहन स्वामी एवं निगम द्वारा एक ही दर से टैक्स देय है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूगा। आपने कहा है कि सभी वर्गों को लाभ देने का नयी परिवहन नीति का मकसद है। तो क्या जो निजी वाहन स्वामी हैं उनको लाभ देने का मकसद है ? उनको लाभ देने से हिन्दुस्तान का एकमात्र परिवहन निगम जो लाभ में चल रहा है क्या वह घाटे में नहीं जायेगा ?

दूसरा, जयपुर से अवैध वाहन एक साल पहले केवल रात्रि को संचालित होते थे और इस एक वर्ष में इस विभाग और मंत्रालय की मिलीभगत से दिन में भी काफी संख्या में राजस्थान के हर जिला हैडक्वार्टर पर जयपुर से चलते हैं जिससे परिवहन निगम को करोड़ों रुपये का घाटा होता है और राज्य सरकार को भी यात्री कर में करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। क्या इसकी विभाग को जानकारी है ?

तीसरा, टूरिस्ट परमिट के बारे में मैंने प्रश्न विशेष रूप से यह पूछा था कि टूरिस्ट परमिट प्राप्त करने

(श्री अमराराम)

वाले निजी वाहन और रोडवेज के चलने वाले वाहनों के यात्री कर में कितना फर्क है ? उन्होंने असत्य उत्तर दिया है कि बराबर देय है । इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दें ।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने नयी परिवहन नीति की घोषणा की थी और दुर्भाग्य की बात है कि यह नीति आयी नहीं और उससे पहले ही तरह-तरह की भ्रांतियां इस सम्बन्ध में फैला दी गयीं । मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नयी परिवहन नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है । हमने अपने स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर राजस्थान के सभी सम्भागों में इस विभाग से जुड़े हुए सब व्यवसायियों, समाज के सभी वर्गों, अधिकारी और सब लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद व जन प्रतिनिधियों की भी एक राज्य स्तर पर जिसमें माननीय विष्णुजी मोदी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : मैं एक जानकारी दे दूं आपको । यह जो अभी स्वराज्य से सुराज्य यात्रा आ रही है उसमें कई अवैध वाहन राजस्थान में घुसने वाले हैं उसको रोकने का कोई प्रबन्ध किया है क्या आपने ? कई अवैध वाहन घुस रहे हैं । मैं आज सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध वाहन नहीं आने चाहिए ।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : स्वागत करना चाहिए, घबरा गये आप उसके कारण ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य बता दें सुराज्य यात्रा कहां चल रही है ? इस समय कहां चल रही है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजस्थान में आने वाली है इसकी चेतावनी दी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आने की ही चिन्ता है ?

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद, जो विचार-विमर्श में विषय रहा वह इस बात का रहा कि परिवहन विभाग की आय किस प्रकार बढ़े, परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ जो व्यवसायी वर्ग है, जनता है उसको परिवहन विभाग के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ें, नियमों में सरलीकरण किया जा सके, दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं इसकी किस प्रकार रोकथाम की जा सके, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में भी किस प्रकार से अमेण्डमेंट किया जा सके, इसके लिए हमने एक प्रारूप तैयार किया था । माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमने एक प्रारूप तैयार किया और मोटर व्हीकल एक्ट चूंकि सैण्ट्रल गवर्नमेंट से सम्बन्धित है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से हमने भारत सरकार के परिवहन विभाग को भी चिट्ठी लिखी है और उसकी अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं । दूसरा, जो इस नीति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को इससे घाटा नहीं होगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी नयी नीति

(श्री रोहिताश्व)

में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि परिवहन निगम को किसी प्रकार से घाटा नहीं पहुंचे। 28 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत रूट्स हैं जो मोस्टली ट्रंक्स रूट्स हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें केवल ट्रंक्स रूट्स पर चलती हैं। जो 72 प्रतिशत रूट बचता है वह ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। उसके कारण हमने स्टेट कैरिज परमिट जारी किये हैं। करीब 8 हजार स्टेट कैरिज परमिट जारी किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की वृद्धि....

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब पूरा आ गया है।

श्री रोहिताश्व : हां, मैं दे रहा हूं। आप सुनिये।

श्री किशनाराम नाई : पूरे राजस्थान का इतिहास बता रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर सके।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहती हूं। आपने जो नीति निर्धारण का प्रारूप तैयार किया है, क्या आपने इस बात को सोचा है कि आपकी परिवहन निगम की जो बसें हैं वे तमाम यात्रियों को उठाने में अक्षम क्यों हैं और इतने निजी वाहन संचालन की मजबूरी क्या हो रही है? आपकी परिवहन निगम की बसें या तो कुशलता से नहीं चलायी जा रहीं या उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है या जो निजी परिवहन है और जो आपका परिवहन है उसमें इस दृष्टि से कि जितने यात्रियों का लोड है वह आप उठा नहीं पा रहे हैं। जगह-जगह आपने कुछ-कुछ रोड्स के ऊपर अपनी परिवहन निगम की इजाजत दी हुई है लेकिन वह पूरे यात्रियों को नहीं उठा पातीं। निजी वाहनों में भी ओवर-लोडेड यात्री जाते हैं और आज इतनी परेशानी है जनता को कि इन वाहनों के होते हुए भी समय पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती।

श्री अध्यक्ष : ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब तो देने दो पूरा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के जवाब से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : आपकी परिवहन नीति के अन्दर, जो रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी आपने कुछ रखा है क्या? आप जानते हो कि रोज एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके लिए भी कुछ आपने व्यवस्था रखी है क्या? प्रेशर इतना बढ़ गया है और रोज एक्सी-डेंट्स होते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप अगला सवाल पूछवायें, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है। पूछा जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यहां पर दुर्घटनाओं के बारे में कहा। आज के अखबार में आया है कि 40 हजार व्यक्ति दुर्घटनाओं से मरे हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि रोडवेज की बसेज से कितने लोग मरे, कितने घायल हुए और उनके लिए....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, नहीं। बोलने दीजिये। उसको रोकने के लिए जो भी कार्यवाही संवेदनशील सरकार ने की है, क्योंकि वहां शराब पीकर चलाते हैं, वहां कण्डक्टर चलाते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीया, आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : और उसके बावजूद भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती इसलिए मैं सबसे बड़ा जो प्रश्न है, निजी बसों को देने में जो लाभ हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उसमें तो व्यक्तियों को लाभ देने के लिए कर रहे हैं लेकिन आम जनता की जो बसें टकराती हैं जिनसे लोग मरते हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है ? यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो कि दुर्घटनाओं के लिए क्या कर रहे हैं और कितने आदमी मरे हैं इन बसों से ? यह बहुत संवेदनशील बात है, इसका जवाब दो।

श्री अध्यक्ष : आप विराजने का कष्ट तो करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : बोलने तो दीजिये आप। माननीय मंत्री जी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : साहब, एक साथ जवाब दिलाओ, दो एक प्रश्न और हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। जवाब तो आने दें।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध वाहन संचालन के सम्बन्ध में जो चिन्ता माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस कारगर ढंग से मैंने चैकिंग करायी है, पिछले एक साल में 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों की चैकिंग कराकर 32 करोड़ रुपये एक साल में जुर्माना जो मैंने वसूल किया है, आज तक के इतिहास में एक साल में कोई नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम जी बुरडक।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह जवाब दे दें, अगर उनको नहीं दिखता है तो मेरे साथ चलें, सिंधी कैम्प रोडवेज का जो मुख्य स्टैण्ड है उसके चारों ओर रात के 8 बजे से 12 बजे तक एक इंच जगह खाली नहीं रहती। मंत्री महोदय और इनके विभाग को इसलिए नहीं दिखाई देता कि इनका विभाग और मंत्री इन निजी बस मालिकों से मिले हुए हैं और बम्बई अधिवेशन में ले जाने के लिए हजारों बसें काम में लेते हैं इसलिए वहां कोई एक्शन नहीं होता। छोटे–छोटे निजी वाहनों पर होता है, बड़े जो टूरिस्ट परमिट वाले हैं, सिंधी कैम्प के चारों ओर चार घण्टे तक बस एक भी नहीं मिलती उनके लिए....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस टैक्स की ये बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोई सरकारी निगम नहीं बल्कि एक आपरेटर है, उसको पार्टी मान लिया इसलिए निजी वाहन और रोडवेज के वाहनों में कोई फर्क नहीं, टैक्स भी एकदम समान है।

श्री अध्यक्ष : बुरडक साहब। कृपया शांति बनायें।

कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान

100. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषि उपकरणों की खरीद पर काश्तकारों को अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस उपकरण पर किस प्रकार से कितना-कितना अनुदान दिया जाता है तथा अनुदान पाने के लिए किस-किस श्रेणी के काश्तकार पात्र हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिजली की कमी के कारण काश्तकार जनरेटर से भी कुआं चलाते हैं ? यदि हां, तो इसके लिए अनुदान नहीं दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनरेटर खरीदने पर अनुदान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) जी हां, सरकार द्वारा कृषि उपकरणों की खरीद पर काश्तकारों को अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान केन्द्र प्रवर्तित योजना—तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, समन्वित अनाज उत्पादन कार्यक्रम तथा गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराया जाता है जिनकी योजनावार उपकरणों की सूची, देय अनुदान तथा पात्रता का विवरण अनुसूची 1, 2, 3 व 4 पर उपलब्ध है। इन योजनाओं की केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक आदेशों की प्रति अनुसूची 5 पर प्रदर्शित है।

(2) बिजली की कमी के कारण कुछ काश्तकार जनरेटर अथवा ट्रैक्टर से भी कुआं चलाते हैं। चूंकि कृषि उपकरणों पर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत ही

(राज्य मंत्री, कृषि)

अनुदान देय है और इन योजनाओं में जनरेटर से कुआं चलाने के लिए अनुदान देने का प्रावधान नहीं है अतः कृषि विभाग से जनरेटर पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

(3) जनरेटर पर अनुदान देने का प्रस्ताव कृषि विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने भाग एक में कहा है कि भारत सरकार जो अनुदान देती है वही अनुदान है, उनके पास कुछ है नहीं। आपने भाग तीन में कहा है कि जनरेटर पर अनुदान देने का मामला कोई विचाराधीन नहीं है। पिछले बजट सत्र में मेरे सवाल के जवाब में आपने कहा था कि यह विचाराधीन है। दूसरा, इसमें फव्वारा-सैट का आपने सम्मिलित नहीं किया क्या फव्वारा-सैटों पर अनुदान दिया जा रहा है ? आपने जो सूची दी है उसमें नहीं दिया। तीसरी बात यह है कि फव्वारा-सैटों पर जो अनुदान आप दे रहे थे वह भारत सरकार का था, आपका कुछ नहीं था फिर भी आपने सहकारी बैंकों के अ. जो अनुदान देना शुरू किया, उन बैंकों ने आज की तारीख में अनुदान बन्द कर रखा है और यह कह रखा है कि कृषि विभाग ने मना कर रखा है इसलिये अनुदान बन्द है और जब तक अनुदान नहीं आयेगा तब तक हम लोन भी नहीं देंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री सुखलाल सैणवा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है....

श्री अध्यक्ष : पहले इनका जवाब दे दें।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो बात कही है कि बैंकों द्वारा जो ऋण की व्यवस्था है, वह अनुदान की कमी की वजह से ऋण नहीं मिल पा रहा है। मेरी राय में तो हमने इसको रिव्यू भी किया है एक महीने पहले और जहां-जहां पर भी यह डिमाण्ड आयी है, प्रार्थना-पत्र के आधार पर, अनुदान की जहां आवश्यकता है वहां हमने और भी अधिक, अतिरिक्त अनुदान लोगों को दिया है। मैं सदस्य महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हों तो हम उनके लिये भी अनुदान की राशि शीघ्रातिशीघ्र जारी कर देंगे जिससे कि जिनके प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं उनको अनुदान दिया जा सके।

श्री हरजीराम बुरडक : यह जनरेटर के लिये क्या कहा आपने ? जनरेटर के अनुदान के लिये आपने पिछले बजट सत्र में भी मेरे को यह आश्वासन दिया था कि यह विचाराधीन है और आप अब इस उत्तर में कह रहे हैं कि विचाराधीन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ ? और जब आपको कुछ लेना नहीं है, आपको सिर्फ स्कीम बनाकर ही भेजनी है तो आप भारत सरकार को स्कीम बनाकर भेजिये जनरेटर के लिये। दूसरा आपने कहा कि फव्वारा-सैट के लिये अनुदान बन्द नहीं कर रखा है। स्टेट-को-आपरेटिव बैंक ने यह आदेश निकाल रखा है कि अनुदान हमारे पास नहीं है इसलिये जब तक अनुदान नहीं आयेगा तब तक ऋण नहीं दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जहां कहीं अनुदान की कमी थी, हमने अनुदान जारी कर दिया।

श्री हरजीराम बुरडक : 3–3 महीनों से जिन लोगों की फाइलें पास हुई पड़ी हैं, फव्वारा-सैट जिन्होंने खरीद लिया उनका भुगतान नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अनुदान की कमी नहीं है। यह आदेश रहा। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, ऋण की बाबत ही मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या प्रश्न है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे इजाजत दें। मेरा तो कभी सप्लीमेंट्री में भी नम्बर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पूछें आप। शीघ्रातिशीघ्र करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप ही के बारे में है, मेरा उससे रिलेटेड है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं और आपका जवाब भी चाहता हूं नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन ने राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रैक्टर-ट्राली देने के लिए 12 लाख रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस भेजी। उस फाइनेंशियल असिस्टेंस को काम में लाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनायी जिसमें जिला कलेक्टर, समाज कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पी. डी मतलब डी. आर. डी. ए. का है उसके बाद में कण्डीशन्स रखी गयीं। इन कण्डीशन्स में यह था, "RSCDC will ensure that the beneficiaries are genuinely ST& SC candidates and their families income is not more than twice of the below poverty line limit."

अब जो लोन दिया गया वह 10 ट्रैक्टर ट्रालियों के लिये पूरे राजस्थान में दिया गया। 12 जिलों में लाखों की संख्या में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी रहते हैं लेकिन वहां किस व्यक्ति को लोन दिया गया ? जो पी. डब्ल्यू. डी. का सी क्लास का काण्ट्रेक्टर था और मंत्री महोदय का सगा भाई, मदन दिलावरजी का सगा भाई कृष्ण मुरारी था।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसको 2 लाख रुपये का लोन दिया गया जिसमें सोलवेंसी सर्टिफिकेट बनवा करके पी डब्ल्यू. डी. के महकमे से जारी किया। यह ऋणों का ...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह शिड्यूल्ड–कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति आपकी सरकार की नीति है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे सवाल का उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्री महोदय, कई किस्से आ चुके लेकिन आपकी संवेदनशीलता की हद होती है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। घारीवाल साहब, विराजिये आप।

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय सदस्य को बोलने दें। एग्रीकल्चर से सम्बन्धित बात कर रहे हैं आप।

श्री हरजीराम बुरडक : उत्तर तो दिलवाओ, साहब।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है। (व्यवधान) शांति बनाये रखें।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मेरे को थोड़ा स्पष्टीकरण देने दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय धारीवालजी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। (व्यवधान) कृपया सुनिये, शांति से सुनिये। (व्यवधान)

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या कृषि को उद्योग घोषित किया जायेगा ? नम्बर-एक। क्या कृषि को उद्योग घोषित करने की सरकार की नीति है ? भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा सारा खाद्य का मामला.... (व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि.... (व्यवधान) कोई बीच में न बोले। ये सब गपागप कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछें।

श्री सुखलाल सैणचा : मेरा यह निवेदन है कि जो जनरेटर का मामला है, किसान अपनी फसल को पकाता है और अगर एक फसल में भी उसकी सिंचाई में कमी रह जाती है तो सारा गड़बड़ हो जाता है किसान का। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि .. (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछें। अब आप विराजिये।

श्री सुखलाल सैणचा : क्या सरकार गम्भीरता से जनरेटर पर सब्सिडी देने पर विचार रखती है ?

श्री हरजीराम बुरडक : बीच में कहां गड़बड़ हो गयी। (व्यवधान) आप मेरे सवाल का जवाब दिलवाओ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धारीवालजी ने मेरे भाई का नाम लेते हुए सदन में मेरे ऊपर आरोप लगाया है (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लें। मेरे पर आरोप लगाया है कि बारां जिले में जो अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से लोन दिया गया है....

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, पहले उत्तर दिया जाए, उसके बाद में स्पष्टीकरण देते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड विराजिये आप।

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, यह जनरेटर का मामला फाइनल होना चाहिये।

श्री हरजीराम बुरडक : वे बाद में कह देंगे ...(व्यवधान) ...पर उत्तर दिलवायेंगे कि नहीं....(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा : कृषि मंत्रीजी खुद किसान हैं और अच्छे काम करने वाले हैं। कृषि मंत्रीजी आप जनरेटर के मामले में हमको....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे भाई का नाम लिया है कि वह "सी" क्लास कान्ट्रेक्टर है। मेरे जिस भाई की एप्लीकेशन है, मैं मंत्री नहीं था, मैं विधायक चुनकर आया था उससे पहले से एप्लीकेशन अनुसूचित जाति निगम में पेंडिंग थी और लगातार प्रोसेस हो रही थी। वह मेरे से अलग रहता है। (व्यवधान) मेरी पूरी बात सुन लें। (व्यवधान) मेरा भाई पहले से आई. आर. डी. पी. में चयनित सदस्य है। मेरा परिवार बहुत गरीब है, आई. आर. डी. पी. में चयनित सदस्य है। इनकी सरकार में चयन हुआ, उस सूची में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक तो वह मेरे से अलग रहता है, एक वह आई. आर. डी. पी. में चयनित है, वह अलग है। मैं एक निवेदन करना यह चाह रहा हूं कि इस प्रकार का आरोप मेरे ऊपर लगाया, इनका + + + तो देखें, इन्होंने मकान के आगे 400 वर्ग फीट जमीन पर अतिक्रमण करके पूरे कोटा शहर को सड़ाया हुआ है। (व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरा स्पष्टीकरण आ जाने दो। ये उस जमीन का नक्शा मुझे दे दें मैं आठ-आने में बेचान कर दूंगा, आठ आने में।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। माननीय मन्त्रीजी, आप जवाब दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कृष्ण मुरारी को जो लोन मिला है, वह इनके मंत्रित्वकाल में मिला 9-3-94 को। वह इनकम-टैक्स-पेयी अलग है। अगर मेरे पर एक इंच के अतिक्रमण का आरोप भी हो तो मुख्य मंत्रीजी को अधिकार है कि वे जांच कर लें। वे जो सजा मुझे सुनायेंगे मैं वह मानने को तैयार हूं। (व्यवधान) ...

श्री मदन दिलावर : अभी तो भूत-बंगले की करोड़ों की जमीन हड़प रहे हैं बेनामी। आप लोग भूत-बंगले की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति हड़प रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मदन दिलावर, कच्चा नहीं हूं (व्यवधान) अभी तो सिर्फ 5 मामले हैं, मेरे पास पूरा बस्ता भरा हुआ है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भूत बंगले की .... (व्यवधान) मैं विधान सभा में रखता हूं .. (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज अखबार में आ गया कि लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ मन्त्री हटाये जाएंगे। सबसे पहला नाम आपका होगा। (व्यवधान) + + +

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। माननीय मन्त्रीजी, कृपया शांति बनायें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मदन दिलावर, अगर + + + हो तो चम्बल के पानी में....

श्री अध्यक्ष : कृपया अंकित न करें। अंकित न करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री हरजीराम बुरड़क : × × ×

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी जवाब दें। आप जवाब दे रहे थे उसका। कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जनरेटर सेट पर जो अनुदान देने की बात कही गयी है, यह सारी की सारी सूची केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा तय की जाती है और उसी केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत ही अनुदान राज्य सरकार देती है। केन्द्र प्रवर्तित योजना की सूची में यह नहीं है इसलिये राज्य सरकार उस पर अनुदान देने की स्थिति में नहीं है लेकिन फिर भी....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम सिर्फ आपसे यह पूछ रहे हैं कि आपने यह कहा था कि...

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनरेटर पर हम सब्सिडी देने के लिये विचार कर रहे हैं क्या ? अब आपने जनरेटर पर सब्सिडी देने का तय किया या नहीं किया, यह बात बता दो, खतम हुई बात।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्युत दरों में वृद्धि

97. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों में ऊर्जा दरों में संशोधन/वृद्धि की है ? यदि हां, तो कितनी बार ? इन संशोधित दरों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऊर्जा उत्पादन व खपत में अन्तर है ? यदि हां, तो कितना ? अन्तर की पूर्ति हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

(3) क्या राज्य विद्युत मण्डल का आय व्यय सन्तुलित है ? यदि नहीं, तो दर संशोधनों से क्या लाभ है ? विगत तीन वर्षों का आय–व्यय का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऊर्जा उत्पादन के व्यय तथा प्रशासनिक व्यय में अन्तर है ? यदि हां,

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

तो उसका प्रतिशत कितना है ? विगत तीन वर्षों का लेखा जोखा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने विद्युत दरों में दो बार वृद्धि की है। पहली वृद्धि बिलिंग माह जून, 1994 में एवं दूसरी बार अक्टूबर, 1995 में की थी। जून, 1994 में औसतन वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत एवं अक्टूबर, 1995 में औसतन वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत थी। विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद भी राजस्थान की दरें अधिकांश राज्यों से बहुत कम हैं जैसा कि संलग्न तुलनात्मक चार्ट परिशिष्ट "ब" से स्पष्ट है।

(2) जी हां। केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा किये गये 14वें पावर सर्वे के अनुसार वर्ष 1995-96 में राजस्थान में विद्युत की कमी 40.1 प्रतिशत आंकी गई है। राजस्थान के स्वयं के व केन्द्र सरकार के श्रोतों से कुल मिलाकर 500 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध है जबकि आवश्यकता लगभग 620 लाख यूनिट प्रतिदिन की है। इसके बारे में राजस्थान सरकार/मण्डल द्वारा निम्न प्रयास किये गये :—

1. वर्तमान विद्युत गृहों से अधिक से अधिक उत्पादन।
2. विद्युत मण्डल की निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्विति।
3. केन्द्रीय विद्युत गृहों से विशेष आवंटन
4. महंगी दरों पर भी विद्युत क्रय।
5. निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली इत्यादि द्वारा लगभग 1730 मेगावाट विद्युत गृहों के लिये आशय पत्र जारी करना व 2480 मेगावाट की निविदायें विचाराधीन व 2 × 385 मेगावाट धौलपुर विद्युत गृह के लिये एम ओ.यू।
6. पार्वती जल विद्युत परियोजना में भागीदार।
7 निजी क्षेत्र की कम्पनी मै. सीमा के हिरमा विद्युत गृह से 1200 मेगावाट विद्युत खरीद का निर्णय।
8. नई विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण आदि।

(3) जी नहीं। विद्युत मण्डल का आय व्यय सन्तुलित नहीं है। विद्युत दरों में समय–समय पर हुए संशोधनों से प्राप्त राजस्व व्यय की तुलना में सदैव कम रहा है क्योंकि दरों में बढ़ोतरी कभी भी व्यय को मध्यनजर रखते हुये नहीं हो पाई है। मण्डल के तीन वर्षों का आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

	1992-93	1993-94	1994-95
अर्जित किया (राजस्व)	1262.69	1466.78	1924.76
राजस्व व्यय	1484.12	1821.60	2336.57

(रु. करोड़ों में)

(ऊर्जा मंत्री)

कुल लगभग 45 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 387 लाख उपभोक्ताओं को अनुदानित दरों पर सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाती है अतः जब तक यह अनुदान की परिपाटी रहती है, तब तक आय-व्यय का सन्तुलन असम्भव है।

(4) उत्पादन व्यय तथा प्रशासनिक व्यय के दो भिन्न-भिन्न मद हैं, जिनमें अन्तर स्वाभाविक है। क्योंकि ऊर्जा उत्पादन व्यय में ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्धित खर्चे ही शामिल होते हैं जबकि प्रशासनिक व्यय में पूरे मण्डल के प्रशासनिक कार्यालयों एवं गतिविधियों के खर्चे शामिल होते हैं। विगत तीन वर्षों में हुये विभिन्न मदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

	1992-93	1993-94	1994-95
ऊर्जा व्यय	334.66	378.48	430.81
प्रशासनिक व्यय	25.33	31.48	37.23

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम डबुओं का खेड़ा/धनेतकलां (चित्तौड़गढ़) में चिप्स फैक्ट्री को भूमि का आबंटन

128. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ तहसील के राजस्व ग्राम डबुओं का खेड़ा/धनेतकलां क्षेत्र में सड़क के किनारे चिप्स फैक्ट्री संचालित है ?

(2) यदि हां, तो उक्त उद्योग हेतु भूमि आबंटन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं भूमि अधिगृहीत करने के क्या स्रोत रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त उद्योग के संचालन हेतु स्वीकृति जारी की है ? यदि हां, तो स्वीकृति के समय उजागर तथ्यों की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ तहसील के राजस्व गांव डबुओं का खेड़ा/धनेतकलां क्षेत्र में सड़क के किनारे मैसर्स चित्तौड़गढ़ ग्रामीण चिप्स उद्योग के नाम से चिप्स, पाउडर बनाने की एक इकाई स्थापित है।

(2) उक्त उद्योग ग्राम पंचायत धनेतकलां के सरपंच द्वारा जारी किये गये आबादी भूमि विक्रय विलेख पर स्थापित है। यह विक्रय विलेख श्री नारायण सिंह पिता श्री भैरूसिंह निवासी धनेतकलां के नाम से है जो वर्ष 1977 में जारी किया गया है। उद्योग स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रशासक ग्राम पंचायत, धनेतकलां द्वारा दिनांक 21-2-83 को दी गई है। उक्त उद्योग हेतु कोई भूमि अधिगृहित नहीं की गई है।

(3) उक्त उद्योग का उद्योग विभाग में स्थायी पंजीयन क्रमांक 17/09/02877

(उद्योग मंत्री)

दिनांक 24-8-83 द्वारा किया गया है। इकाई ने अपने स्थायी पंजीयन के आवेदन पत्र के साथ आबादी भूमि का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत घनेतकलां का निरापत्ती प्रमाण-पत्र एवं सहायक अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल चित्तौड़गढ़ का 15 एच. पी. पावर कनेक्शन जारी करने के प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की थी। इकाई ने अपने उद्योग में एक स्टोन क्रेशर एवं बिजली की मोटर आदि पर 40,000/- रुपये व्यय होना सूचित किया है।

घोईन्दा (कांकरोली) में उद्योगों हेतु भूमि का आवंटन

129. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक क्षेत्र घोईन्दा (कांकरोली) में कितने प्लाट्स उपलब्ध हैं एवं कब-कब किन-किन उद्योगों हेतु पिछले दो वर्षों में इनका आबंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले 2 वर्षों की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र धोईन्दा में अतिरिक्त उद्योगों हेतु भूमि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो किस-किस उद्योग हेतु कितनी-कितनी भूमि कब-कब आवंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको औद्योगिक क्षेत्र घोईन्दा (कांकरोली) में 228 प्लाट्स उपलब्ध है। आबंटित भू-खण्डों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रश्न के भाग एक में दर्शाये गये उद्योगों के अलावा उक्त औद्योगिक क्षेत्र में और किसी अतिरिक्त उद्योग को भूखण्ड आबंटित नहीं किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

रामगंज बालाजी (बून्दी) की भूमि का औद्योगिक भूमि में रूपान्तरण

130. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उद्योग मंत्री जी ने मार्च, 1995 में विधान सभा क्षेत्र बून्दी, तहसील की रामगंज बालाजी के पास की भूमि उद्योग विभाग द्वारा लेने की घोषणा की थी और यह भी घोषणा की थी कि पूर्व में इस भूमि को उद्योगों हेतु लेने सम्बन्धी कार्यवाही जो राष्ट्रपति शासन के दौरान ठण्डे बस्ते में डाल दी गई है, उसकी जांच करा दी जावेगी ? यदि हां, तो उक्त दोनों मामलों में विगत 10 माह में क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या यह सही है कि रीको ने रामगंज बालाजी की भूमि जिसकी कार्यवाही पूर्व में की गई थी तथा जहां पानी भी है,

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

के स्थान पर सिलोर की भूमि को उद्योग विभाग में लेने के लिये बिना जिलाधीश कार्यालय की अनुमति के ऊपर सक्षम अधिकारी के पास अधिग्रहण के लिये भेज दी है ? यदि हां, तो क्या सिलोर में ऐसी जमीन है जहां पानी पर्याप्त मात्रा में है ?

(3) क्या सरकार बूंदी में उद्योग लगवाना चाहती है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में रीको या उद्योग विभाग के पास ऐसी भूमि है जहां उद्यमी उद्योग लगा सकें तथा पानी वगैरह की परेशानी भी न हों ? यदि हां तो सम्बन्धित भूमि के गांव व खसरा नम्बर की सूचना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) घोषणा के अनुसार ग्राम रामगंज बालाजी, तहसील एवं जिला बूंदी में औद्योक्षेत्र के विकास हेतु रीको द्वारा प्रस्तावित 525 बीघा 16 बिस्वा निजी खातेदारी भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, कोटा से जांच करवाई गई। संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्थानीय कृषकों में उक्त भूमि के अधिग्रहण से भारी असन्तोष व्याप्त होना और कृषि की सिंचित भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ नहीं लेने सम्बन्धी नीति के अनुसार अवाप्त नहीं करने की राय व्यक्त की गई है। रीको को संभागीय आयुक्त की राय एवं सभी पक्षों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार को वस्तुस्थिति के अनुसार प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया गया है।

(2) यह सही नहीं है कि सिलोर की भूमि रामगंज बालाजी की भूमि के स्थान पर प्रस्तावित की गई है। सिलोर की भूमि राजकीय चरागाह तथा सिवाय चक होने से सरलता से एवं शीघ्रता से प्राप्त योग्य होने तथा एक ही स्थान पर पक्की सड़क के किनारे आबादी से दूर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से 6 कि.मी. दूर स्थित होने से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त पाये जाने के कारण ही रीको द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी की जानकारी में लाये जाने के पश्चात् प्रस्तावित की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस भूमि से लगे हुए बहुत बड़े नाले में पानी की भरपूर उपलब्धि तथा जमीन के अनुपयोगी रूप से पड़ते पड़े रहने के कारण इसकी उपादेयता औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिक अनुकूल प्रतीत होती हैं।

(3) वर्तमान में रीको द्वारा बून्दी चित्तौड़गढ़ रोड पर हट्टीपुरा नाम से औद्योगिक क्षेत्र में ग्राम हट्टीपुरा के खसरा नम्बर 162 की 76 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 181 की 108 बीघा 10 बिस्वा कुल 185 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर कुल 64 भूखण्ड नियोजित कर दिये गये हैं। पानी की उपलब्धता के बारे में रीको द्वारा सीनियर हाइड्रोलोजिस्ट की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवाप्त भूमि

131. **श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हेतु रीको द्वारा जिन गांवों की भूमि अवाप्त की जाती है उन गांवों के विकास के लिये कार्य भी करती है ?

(2) यदि हां, तो गांव नगलिया, भिवाड़ी, सहजपुर, मिलकपुर, सायलका व आदमपुर की अवाप्त भूमि का रीको द्वारा पुनः बेचान में कितना धन प्राप्त किया गया ?

(3) उपरोक्त गांवों में रीको द्वारा क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये एवं उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) रीको द्वारा जिन गांवों की भूमि अवाप्त की गई है उन गांवों में विकास कार्य करने के लिए पूर्व में कोई प्रावधान नहीं रखा जाता था, परन्तु दिनांक 16-2-96 को यह निर्णय लिया गया है कि जिन गांवों की राजकीय/निजी भूमि अवाप्त की जायेगी उस भूमि के कुल मुआवजे/प्रीमियम राशि का एक प्रतिशत सम्बन्धित गांवों के विकास पर व्यय किया जायेगा ।

(2) रीको द्वारा अवाप्त की गई भूमि पर आबंटित भूमि के लिए वसूल की गई राशि का ग्रामवार विवरण नहीं रखा जाता अपितु सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित भूखण्डों के लिए भूखण्ड-वार प्राप्त राशि का विवरण रखा जाता है । रीको द्वारा मार्च, 1995 तक सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से 43.11 करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं ।

(3) ग्राम नगलिया, भिवाड़ी, सहजपुर, मिलकपुर, सायलका व आदमपुर में कोई विकास कार्य इसलिए नहीं किया गया है कि इन गांवों में भूमि अवाप्ति दिनांक 16-2-96 के पूर्व की गई थी ।

जिला नागौर की नमक इकाइयां

132. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नमक क्षेत्र तहसील नावां जिला नागौर व तालछापर, जिला चूरू में कार्यरत नमक इकाइयों ने नाम परिवर्तन के जो मामले सरकार के पास पेश किये थे, उन सबमें नाम परिवर्तन की स्वीकृति सरकार ने नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों तथा कौन-कौन से मामले कब-कब से विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो मामले अभी विचाराधीन हैं, उसी तरह के अन्य मामले जो बाद में पेश हुए थे, उनमें सरकार द्वारा मन्जूरी दे दी गई और पहले के प्राप्त मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा ऐसे कौन-कौन से मामले हैं ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस प्रकार के विचाराधीन मामलों में कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(4) क्या इस सम्बन्ध में किसी स्तर पर कोई गलती हुई है ? यदि हां, तो किस स्तर पर तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित सूचना के साथ सूची संलग्न है (परिशिष्ट "क")

(2) हस्तान्तरण के प्रकरणों में पूर्ण जांच के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तथा अपूर्ण प्रकरण यदि कोई हों तो जैसे-जैसे वे पूर्ण होते जाते हैं, उनका परीक्षण कर अन्तिम आदेश जारी किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में निर्णय पहले अथवा बाद में भी हो सकते हैं। लम्बित मामलों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना उपर्युक्त सूची में अंकित है।

(3) सूची के कालम 6 में अंकित कार्यवाही पूर्ण होने के शीघ्र पश्चात् लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में स्वीकृति बाबत यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण

133. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं और भैंसरोडगढ़ पंचायत समितियों में वर्ष 1995-96 में प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत कितने-कितने लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य था ?

(2) कितने-कितने लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया ?

(3) किस-किस बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कितने-कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया और कितने व्यक्ति ऋण प्राप्त नहीं कर सके ?

(4) ऋण प्राप्त नहीं करने के क्या कारण रहे जबकि उनका चयन हो गया था ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में बेगूं और भैंसरोडगढ़ पंचायत समितियों में वर्ष 1995-96 में प्रधानमन्त्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने का लक्ष्य निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	लक्ष्य
1.	पंचायत समिति बेगूं	21
2.	पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़	27

(2) पंचायत समिति क्षेत्र बेगूं एवं भैंसरोडगढ़ में योजनान्तर्गत स्वरोजगार/उद्यम लगाने हेतु क्रमशः 10 एवं 10 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया।

(उद्योग मन्त्री)

(3) सूची (परिशिष्ट "अ") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत शुदा युवाओं को ऋण वितरण नहीं किये जाने का विवरण (परिशिष्ट "आ") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

जिला बून्दी के शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

134. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले में वर्ष 1993–94, 1994-95 एवं 1995–96 में शिक्षित बेरोजगार योजना एवं प्रधानमन्त्री रोजगार योजना मदों में कितना व क्या–क्या लक्ष्य रखा गया एवं उपलब्धि कितनी–कितनी रही? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त जिले में इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये व्यक्तियों (लाभान्वितों) की सूची मय पिता का नाम, जाति, स्थान, लाभान्वित योजना राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में शिक्षित बेरोजगार योजनान्तर्गत (वर्ष 1993–94) एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94, 94–95 एवं 95–96 में निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि की सूचना निम्नानुसार है :–

वर्ष	योजना	लक्ष्य	उपलब्धि विवरण	
			बैंक द्वारा स्वीकृत संख्या	ऋण वितरण संख्या
1993-94	शिक्षित बेरोजगार योजना	150	152	81
1993-94	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	17	17	15
1994-95	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	145	142	95
1995-96	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	181	182	10

वर्ष 1994-95 से शिक्षित बेरोजगार योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना में समाहित कर दी गई है।

(2) बून्दी जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की सूची मय वांछित विवरण। (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले के निजी विद्यालयों को अनुदान

135. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994–95 में भरतपुर जिले के किन–किन बालिका प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये अनुदान राशि स्वीकृत की गई ?

(2) क्या उक्त अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 में भरतपुर जिले में निम्नांकित बालिका प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई है :—

क्र. सं.	अनुदानित विद्यालय का नाम
1.	महिला विद्यापीठ बालिका प्राथमिक विद्यालय, मुसावर (भरतपुर)।
2.	सुरजीत प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर।
3.	जैन कन्या प्राथमिक विद्यालय, जुरहरा।
4.	मानव भारती उच्च प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर।
5.	भारतीय बाल मन्दिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर।
6.	आर्य कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर।
7.	सुरजीत उच्च प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर।
8.	कला मन्दिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर।

(2) जी हां। उपरोक्त विद्यालयों को स्वीकृत राशि का भुगतान कर दिया गया है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगाड, डीडवाना का छात्रावास

136. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगाड, डीडवाना में छात्रावास की स्वीकृति किस वित्तीय वर्ष में हुई तथा भवन कब बन कर तैयार हुआ ? इससे वर्ष 1995–96 तक कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुये ?

(2) इस छात्रावास में प्रवेश के क्या नियम हैं ? नियम/उपनियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इन छात्रावासों में आज तक प्रवेश नहीं देने में कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) इस छात्रावास के लिये कितना वार्षिक बजट है ?

(श्री अमराराम)

(5) इस छात्रावास में कितनी सीटें हैं तथा इसमें अब कब तक प्रवेश दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बांगड़ (बगाड) डीडवाना हेतु वर्ष 1981-82 में 6 लाख रुपये छात्रावास हेतु स्वीकृत किये गये। भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कर जुलाई, 1989 में सुपुर्द किया गया।

(2) विभाग के द्वारा जारी प्रवेश नियम परिपत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1989 में लाडनूं (नागौर) में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा उक्त छात्रावास भवन अपने अधीनस्थ आर. ए. सी. के जवानों के निवास हेतु ले लिया गया तथा जिला प्रशासन ने विभाग को काफी प्रयास के पश्चात् जुलाई, 94 में सुपुर्द किया गया। वर्ष 94-95 में छात्रावास क्षतिग्रस्त होने तथा बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। आपातकाल में जिला प्रशासन किसी भी विभाग के भवन को अधिग्रहण कर सकता है। अतः किसी भी अधिकारी की गलती के कारण छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रहे हैं, अतः कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है।

(4) छात्रावास प्रारम्भ नहीं किया जा सकने के कारण छात्रावास हेतु राशि (बजट) का आबंटन नहीं किया गया।

(5) छात्रावास में 11 कमरे आवास हेतु हैं जिसमें प्रत्येक कमरे में 4 छात्र आवास कर सकते हैं। उपलब्ध वित्तीय साधनों के तहत मरम्मत तथा पानी बिजली की सुविधा तथा भवन की मरम्मत होने के पश्चात् ही छात्रावास प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जिला सवाई माधोपुर का साक्षरता अभियान

137. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर को पूर्ण साक्षर करने के लिए सरकार द्वारा कितना बजट इस वर्ष दिया गया और अब तक कितना खर्च किस मद में हुआ एवं उससे कितनी प्रगति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता के लिए प्रयास सवाई माधोपुर में हुए हैं ? यदि हां, तो प्रयास करने वालों को क्या सरकार अतिरिक्त सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की परियोजना अनुमोदन समिति की सितम्बर, 95 को बैठक में सवाई माधोपुर जिले की सम्पूर्ण जिला साक्षरता परियोजना को स्वीकृति दी गई है। परियोजना स्वीकृति की कुल राशि 341.88 लाख रु. है जिसमें

(शिक्षा मंत्री)

से 2/3 हिस्सा भारत सरकार का अर्थात् 228.00 लाख रु. एवं 1/3 हिस्सा राज्य सरकार का अर्थात् 113.88 लाख रु है। भारत सरकार द्वारा दि. 5-10-95 को 171.00 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गई है एवं राज्य सरकार द्वारा 5.00 लाख रु. दि. 6-10-94 भिजवाये गये थे तथा 85.50 लाख रु. ड्राफ्ट द्वारा भिजवाये जा रहे हैं। इसमें से दिनांक 29-2-96 तक 13.38 लाख रु. वातावरण निर्माण मद पर खर्च किये गये हैं।

अब तक की प्रगति—

1. 300 गांवों में चेतनारी गाड़ी द्वारा साक्षरता प्रचार कार्यक्रम
2. 30000 नारे लिखवाये
3. 27000 स्त्री/पुरुषों से सम्पर्क
4. 10 पंचायत समितियों में ब्लॉक सम्मेलन
5. सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण
6. ग्रामुखीकरण कार्यशाला
7. कला जत्थों की पहचान/प्रदर्शन
8. प्रथम प्रवेशिका का निर्माण
9. सर्वे कार्य पूर्ण किया गया

(2) जी नहीं।

चिकित्सा अवकाश के बदले नकद भुगतान

138. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षकों के सेवा निवृत्त होने पर चिकित्सा अवकाश जितने समय का शेष रहता है उसके एवज में आर्थिक लाभ की राशि नहीं मिलती ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन अर्जित छुट्टियों के कम से कम आधे समय का लाभ देने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, नियमों में मेडिकल अवकाश का नाम का कोई अवकाश नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला अलवर में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन

139. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अलवर में अतिवृष्टि के दौरान जो विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए उनका सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्षतिग्रस्त भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अलवर में देवजी की गली गर्ल्स स्कूल भवन को जीर्ण-शीर्ण घोषित करने के बावजूद भी दूसरी बिल्डिंग में स्थानान्तरित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से निम्नांकित विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं :—

1. रा. बा. सी. मा. वि. देवजी की गली, अलवर।

2. रा. बा. उ. प्रा. वि. नवाबपुरा, अलवर।

3. रा. बा. उ. प्रा. वि. स्कीम नं. 2, अलवर।

4. रा. बा. उ. प्रा. वि. नयाबास, अलवर।

5 रा. बा. प्रा. वि. मीणापाड़ी, अलवर।

(2) जुलाई, 1995 में बरसात के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर द्वारा इस भवन को अनुरक्षित घोषित किया गया। जिसके कारण मुख्य भवन में कक्षाएं लगाना रोककर विद्यालय के दूसरे छोटे भवन में स्थानान्तरित किया गया। विद्यालय भवन का पुनः जनवरी, 1996 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निरीक्षण करवाया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुछ भाग को छोड़कर शेष कक्षा कक्षों को विद्यालय के उपयोग में लेना योग्य बताया गया है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में प्राथमिक विद्यालयों का सृजन

140. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1995–96 के दौरान नागौर जिले में कुल कितनी प्राथमिक पाठशालाएं खोली गयीं ? इनमें से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कितनी शालाएं खोली गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि 250 से अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों या ढाणियों में सरकार द्वारा आवश्यक रूप से प्राथमिक पाठशाला खोली जाती है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कितने ऐसे ग्रामों एवं ढाणियों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 250 से अधिक की जनसंख्या वाले कुल कितने ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली जा सकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विद्यालय रहित उक्त ग्रामों में प्राथमिक पाठशाला खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 में नागौर जिले में 32 प्राथमिक शालाएं खोली गई। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में शालाएं खोली गई जिनके नाम निम्न हैं :—

1. सिरासना (कन्या)

2. रैगरों की बस्ती

3. गूजरों की ढाणी

4. पालियास की ढाणी

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। प्रश्न के भाग संख्या 1 में अंकित गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

(3) विभाग द्वारा विद्यालय विहीन ग्रामों में ही प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 250 से अधिक की जनसंख्या वाले कुल 5 ऐसे गांव हैं जहां विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये। इन गांवों में पूर्व से ही विद्यालय हैं, जिनका विवरण निम्न है :—

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	शाला का नाम
1.	झांसी	2540	बा.उ.प्रा.वि. है।
2.	हरसीर	5387	रा.सी.उ.मा. वि. एवं बालक/बालिका उ. प्रा.वि. है एवं शिक्षा केन्द्र भी है।
3.	कागदा की ढाणी	400	शिक्षा केन्द्र है।
4.	जनी बच्छबारी	415	शिक्षा केन्द्र है।
5.	बाजियों की ढाणी	261	शिक्षा केन्द्र है।

(4) जी नहीं। विद्यालय विहीन ग्रामों में ही नीति अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, नैनवां (बूंदी) में सामान की खरीद

141. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नैनवां (बूंदी) में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिये सामान तथा अन्य खरीद के लिये सामान तथा अन्य खरीद के सम्बन्ध में जांच की गई ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां; पंचायत समिति नैनवां (बूंदी) में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए सामान तथा अन्य खरीद में की गई तथाकथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के लेखाधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच की गई है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है तत्पश्चात समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(2) दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई प्राथमिक जांच की रिपोर्ट पर परीक्षण के बाद समुचित कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल, पीसांगन (अजमेर) में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

142. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, पीसांगन (अजमेर) के स्कूल भवन के परिसर में छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाओं यथा, पेयजल, बिजली और बैठने के लिए फर्नीचर आदि का अभाव बना हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार उक्त विद्यालय में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कब तक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, पीसांगन (अजमेर) के स्कूल भवन में छात्रों के लिए चार शौचालय, चार मूत्रालय उपलब्ध हैं। पेयजल की समुचित व्यवस्था है। पेयजल हेतु बोरिंग तथा बिजली के कनेक्शन हैं तथा पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर उपलब्ध है।

(2) विद्यालय में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की हुई है। राज्य सरकार सीमित वित्तीय साधनों से या जन सहयोग से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस विद्यालय में जन सहयोग से वर्ष 1995-96 में 50 सैट फर्नीचर प्राप्त किया गया है।

जिला उदयपुर के वैष्णव सम्प्रदाय के मन्दिर

143. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्प्रदाय के मन्दिर कहां-कहां स्थित हैं और विभाग ने इन मन्दिरों के सुधार के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में क्या कार्य किया ?

(2) क्या यह सही है कि इन मन्दिरों के पास कोई धर्मशाला या आम नागरिकों के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार धर्मशाला के निर्माण के सम्बन्ध में विचार रखती है ?

(3) क्या उदयपुर स्थित मन्दिरों में सेवा के साथ भोग नहीं लग रहा है ? यदि हां, तो ऐसे मन्दिरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में भोग के लिए जो कच्चा सामान दिया जाता है वह प्रतिदिन कितना दिया जा रहा है और क्या यह पर्याप्त है ? यदि नहीं तो क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) इन पुष्टिमार्गीय मन्दिरों की वार्षिक आय जो अनुमानित 2½ लाख रुपये है, का क्या उपयोग किया जाता है ? इस राशि में से मन्दिरों पर कितनी राशि खर्च की जाती है तथा क्या इन मन्दिरों के ठाकुरजी के आभूषण का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में देवस्थान विभाग प्रबन्धित एवं नियन्त्रित पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्प्रदाय के निम्न मन्दिर हैं :—

1. मं. श्री जगतशिरोमणीजी, बड़ीपोल के बाहर जगदीश चौक, उदयपुर आत्मनिर्भर
2. मं. श्री श्यामसुन्दरजी, बड़ीपोल के बाहर जगदीश चौक, उदयपुर आत्मनिर्भर
3. मं. श्री वृन्दावन चन्द्रमाजी, बड़ीपोल के बाहर जगदीश चौक, उदयपुर आत्म निर्भर
4. मं. श्री गोकुलचन्द्रमाजी, बड़ीपोल के बाहर जगदीश चौक, उदयपुर आत्मनिर्भर
5. मं. श्री मदन मोहनजी घाणेराव की घाटी, उदयपुर
6. मं. श्री मदन मोहनजी घाणेराव की घाटी, उदयपुर (मथुरा मन्दिर)

देवस्थान विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में इन मन्दिरों के सुधार के सम्बन्ध में निम्न कार्य किये गये हैं।

नाम मन्दिर	मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 1994-95
1. मं. श्री श्यामसुन्दरजी मं. श्री जगतशिरोमणीजी मं. श्री वृन्दावन चंद्रमाजी	रु. 44,700

2. दर्शनार्थियों के सुविधा हेतु सूचना-पट्ट लगाये गये हैं।

3. मन्दिर में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प खुदवाया गया है।

(2) जी, हां। धर्मशाला निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। सभी मन्दिरों में सेवा के साथ भोग लग रहा है तथा प्रतिदिन नियमित सेवा–पूजा परम्परानुसार हो रही है।

(4) मन्दिरों में वर्तमान में भोगराज हेतु जो सामान दिया जाता है उसकी सूची (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दी गई है। जो कच्चा सामान वर्तमान में दिया जा रहा है, वह पर्याप्त है।

(5) जी हां। आय से प्राप्त राशि का उपयोग मन्दिरों में नैवेध्य आरोगण, उत्सव, पोशाक कर्मचारियों के वेतन मरम्मत आदि पर किया जाता है, होने वाला अनुमानित व्यय मदवार निम्न प्रकार है :—

1. नैवेध्य आरोगण	—	2,90,552
2. उत्सव	—	40,000
3. पोशाक	—	8,000
4. बिजली	—	24,000
5. कर्मचारियों के वेतन	—	1,80,344
6. मन्दिरों की मरम्मत	—	60,000
7. विविध	—	15,400
कुल व्यय =		6,18,296

बहुमूल्य आभूषणों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में संचालित विश्रान्तिगृह

144. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के कितने विश्रान्तिगृह कहां-कहां स्थित है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्रान्तिगृह कितने लाभ व हानि में चल रहे हैं तथा उनके और अधिक लाभ में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये जाने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नुकसान में चल रहे विश्रान्तिगृह के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित धर्मशाला/सराय/विश्रान्ति गृह एवं उनके स्थानों के विवरण की सूची (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त धर्मशाला/सराय व विश्राम-स्थलों के आय-व्यय व हानि में रहने के कारणों के विवरण की सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है। होटल देवदर्शन (विश्रान्ति गृह) एवं सराह फतेह मेमोरियल, उदयपुर हानि में चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा होटल देवदर्शन को पर्यटन विभाग को दिये जाने का मामला विचाराधीन है।

(3) विश्रान्ति गृह के नुकसान में चलने का मुख्य कारण कमरों का शतप्रतिशत किराये पर नहीं उठना एवं केन्टीन हॉल का ठेका नहीं होना है जिसके लिये किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बनती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

ग्राम खंगार (नागौर) का विद्युतीकरण

145. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खंगार पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर को विद्युतीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव के लोगों ने घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे और मांग पत्र के अनुसार राशि भी जमा करा दी गई थी ? यदि हां, तो कितने मांग पत्र कब जारी हुये और कब उनकी राशि जमा हुई ? जमा राशि कुल कितनी है और कितने कनेक्शनों की ?

(3) क्या यह भी सही है कि मांग-पत्र जमा होने के बाद भी लम्बे समय तक कनेक्शन नहीं हुये ? यदि हां, तो क्यों ? मांग पत्र राशि जमा होने के बाद इस उपखण्ड में क्या कोई कनेक्शन हुये ?

(4) क्या यह सही है कि मांग-पत्र जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितायें

(श्री हरजीराम बुरडक)

हुई हैं ? यदि हां, तो किसके द्वारा क्या अनियमितताएं हुई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम खंगार, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर को दिनांक 12-3-1993 को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(2) जी हां। ग्राम खंगार में 119 आवेदकों को मांग पत्र दि. 21-4-93 को जारी किये गये। इन सभी आवेदकों के मांग पत्रों की राशि रुपये 10472.00 दिनांक 11-5-1993 को जमा की गई थी।

(3) जी हां। ग्राम खंगार में कोई भी घरेलू कनेक्शन नहीं हुआ है। तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता (ग्रा. वि. नि.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, लाडनूं द्वारा इन कनेक्शनों के निष्पादन हेतु 35 पोल एल. टी. लाइन खींचने का तखमीना बनाया गया था। लेकिन वास्तव में साइट चैक करने पर 51 पोल एल. टी. की आवश्यकता पाई गई। अतः संशोधित तखमीना बना कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। समुचित कार्यवाही पश्चात् कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

(4) जी नहीं। मांग पत्र जारी करने में कोई अनियमितताएं नहीं हुई है। लेकिन तखमीना बनाने में उपरोक्तानुसार अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

भरतपुर शहर की विद्युत आपूर्ति

146. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में स्ट्रीट लाइट्स एवं घरेलू लाइट आपूर्ति डिम वोल्टेज पर की जा रही है ?

(2) सरकार इस अव्यवस्था के सुधार हेतु क्या उपाय करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भरतपुर शहर में स्ट्रीट लाइट्स एवं घरेलू लाइट की आपूर्ति सामान्य रूप से निर्धारित वोल्टेज पर की जा रही है।

(2) भरतपुर शहर में घरेलू लाइट की व्यवस्था सुचारु रूप से निर्धारित वोल्टेज पर की जा रही है तथापि स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था नगर परिषद् द्वारा की जाती है। विद्युत आपूर्ति में अव्यस्था की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही कर निवारण के प्रयास किये जाते हैं।

कृषि आधारित विद्युत कनेक्शन

147. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट), **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1995-96 में कृषि कनेक्शन का लक्ष्य 25 हजार का रखा गया है एवं 780 गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है ?

(श्री परसादीलाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि नवीन विद्युतीकृत ग्रामों में प्राथमिकता से दो–दो कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन विद्युतीकृत ग्रामों में एक भी कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया उनमें कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है ?

(3) सरकार ने वर्ष 1995–96 में प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने के लिए अब तक कितने मांग–पत्र जारी किये ? जिलेवार मांग–पत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1995–96 में कितने कृषि कनेक्शन विभिन्न श्रेणियों में अब तक दिये गये हैं ? श्रेणीवार दिये गये कृषि कनेक्शन की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नवीन विद्युतीकृत गांवों के लिये कम से कम एक कनेक्शन किसी भी श्रेणी का देने की नीति है। जो भी गांव इस वर्ष विद्युतीकृत किये जायेंगे उनमें प्रत्येक में कम से कम एक कनेक्शन देने का प्रयास किया जायेगा।

(3) वर्ष 1995–96 में कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु प्राथमिकता के अनुसार 37325 मांग पत्र जारी किये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(4) वर्ष 1995–96 में माह जनवरी, 96 के अन्त तक एक पोल/दो पोल योजना में 8651, नर्सरी श्रेणी में 8495 तथा सामान्य श्रेणी में 6054 कृषि कनेक्शन जारी किये गये। जिलेवार विवरण प्रपत्र "ब" संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

सोनड (लालसोट) में 33 के. वी. ए. सबग्रिड स्टेशन की स्थापना

148. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तूंगा फीडर से लालसोट तहसील के किसानों को विद्युत् आपूर्ति ठीक नहीं होने के कारण सोनड में 33 के. वी. ए. सब ग्रिड स्टेशन की स्वीकृति विद्युत् मण्डल द्वारा देने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त सोनड 33 के. वी. ए सबग्रिड स्टेशन का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि तूंगा फीडर से माह दिसम्बर 1995, जनवरी, 1996 में विद्युत् की आपूर्ति अनियमित रही है ? यदि हां, तो उक्त दो माह में किसानों को औसतन कितने घण्टे प्रतिदिन बिजली दी गई ? उक्त दो माह का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। लालसोट तहसील के तूंगा फीडर पर आने वाले ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। लेकिन तूंगा सब ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले 11 के. वी. फीडरों से वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित क्षमता से अधिक होने के कारण विद्युत तन्त्र में अधिक क्षति होती थी जिसको कम करने के लिये सोनड ग्राम में एक 33 के.वी. सब ग्रिड स्टेशन बनाने हेतु तकनीकी स्वीकृति माह अक्टूबर, 1995 में जारी की गई है। लेकिन वर्ष 1995–96 में कार्य हेतु फेज प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सका। मण्डल की आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में सभी कार्य एक साथ प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है। अतः शनैः शनैः ही कार्य हाथ में लिये जा सकेंगे।

(2) उक्त सब ग्रिड स्टेशन का कार्य फेज प्रोग्राम में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। तूंगा फीडर पर माह दिसम्बर, 1995 एवं जनवरी, 1996 में विद्युत आपूर्ति उपलब्धता के अनुरूप सामान्य रही है लेकिन कभी-कभी सिस्टम में विद्युत उपलब्धता में कमी से लोड शेडिंग अथवा तकनीकी व्यवधानों से हुये कारणों से विद्युत आपूर्ति में कमी हो सकती है। उक्त दो माह में तूंगा फीडर में आने वाले ग्रामों में की गई विद्युत आपूर्ति का प्रतिदिन का विवरण (लाख यूनिट में) परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। जैसा कि इस विवरण से स्पष्ट होगा, तूंगा फीडर पर माह दिसम्बर, 1995 में माह दिसम्बर, 1994 के मुकाबले तथा माह जनवरी, 96 में माह जनवरी, 1995 के मुकाबले अधिक बिजली उपलब्ध कराई गई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता

149. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में कितनी विद्युत पैदा होती है तथा कितनी विद्युत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल खरीदता है एवं विद्युत की आवश्यकता कुल कितनी है ?

(2) क्या विद्युत की आवश्यकता उपलब्धता से अधिक है ? यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(3) सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु राज्य में किन–किन से समझौता किया है ? किये गये समझौतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में स्वयं के व भागीदारी के स्रोतों से लगभग 270 लाख यूनिट प्रति दिन की विद्युत उपलब्धि है। विद्युत मण्डल उत्तरी ग्रिड के स्रोतों से करीब 210 से 350 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली खरीदता है। बिजली की कुल आवश्यकता प्रतिदिन 480 लाख यूनिट से 620 लाख यूनिट तक होती है जो कि मौसम के अनुसार घटती बढ़ती है।

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) ऊर्जा उत्पादन (यानि राज्य विद्युत मण्डल के स्वयं के उत्पादन, भागीदारी योजनाओं में हिस्से व केन्द्रीय विद्युत गृहों से आवंटन) व अन रेस्ट्रिक्टेड खपत में अन्तर है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 14वें सर्वे के अनुसार 1995–96 में बिजली की 40.1% कमी आंकी गई है। केन्द्रीय विद्युत गृहों से विशेष आवंटन व इसके बावजूद राज्य द्वारा पंजाब से विद्युत क्रय, उत्तर क्षेत्र से ओवर ड्राइल, विद्युत कटौती व पीक आवर्स रेस्ट्रिक्शंस इस कमी को स्पष्ट दर्शाते हैं। इस बारे में राजस्थान सरकार/राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किये गये विभिन्न प्रयास निम्न हैं :—

1. वर्तमान विद्युत गृहों से अधिक से अधिक उत्पादन।
2. विद्युत मण्डल की निर्माणधीन उत्पादन परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति।
3. केन्द्रीय विद्युत गृहों से विशेष आवंटन।
4. महंगी दरों पर भी विद्युत क्रय।
5. निजी क्षेत्र से विद्युत उत्पादन के लिये अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली इत्यादि द्वारा लगभग 1730 मेगावाट विद्युत गृहों के लिये आशय पत्र जारी करना व शेष 2480 मेगावाट की निविदाएं विचाराधीन व 2 × 385 मेगावाट धौलपुर विद्युत गृह के एम. ओ. यू.।
6. पार्वती जल विद्युत परियोजना में भागीदारी।
7. निजी क्षेत्र की कम्पनी मै. सीपा के हिरमा विद्युत गृह से 1200 मेगावाट विद्युत खरीद का निर्णय।
8. नई विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण आदि।

(3) सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु राज्य ने निम्न तीन कम्पनियों को आशय पत्र जारी किये हैं :—

1. मै. इनरजन इंटरनेशनल लि. 200 मे.वा.
2. मै. एमको एनरोन सोलर पावर कम्पनी 50 मे.वा.
3. मै. सन सोर्स (इ) लिमिटेड 50 मे.वा.

सन सोर्स इण्डिया लि. व एमको एनरोन सोलर पावर कम्पनी से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने विद्युत क्रय समझौता भी कर लिया है। दोनों समझौतों का प्रारूप समान ही है। मै. एमको एनरोन सोलर पावर कम्पनी से किये गये समझौते की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पोगरा (खैरवाड़ा) में विद्युतीकरण

150. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र का गांव पोगरा कलां विद्युतीकृत है? यदि हां, तो इसे कब विद्युतीकृत किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में अभी तक एक भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री दयाराम परमार)

(3) क्या यह भी सही है कि पोगरा कलां के लोगों ने कनेक्शन लेने के लिए ग्रावेदन-पत्र विभाग में जमा करा रखे हैं ? यदि हां, तो ग्रब तक उक्त आवेदन-पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि पोगरा कलां की डी. पी. गांव के बाहर जोसावाड़ा गांव में लगी हुयी है ? यदि नहीं, तो पोगरा कलां के किस व्यक्ति के घर के पास डी. पी. लगी है ? गांव का नक्शा एवं ग्राराजी नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील का गांव पोगरा कलां विद्युतीकृत घोषित किया हुग्रा है। खैरवाड़ा पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत यह गांव जोसावाड़ा से एल. टी. लाइन द्वारा विद्युतीकृत किया जाना था। ग्रतः गांव जोसावाड़ा के साथ गांव पोगरा कलां को भी दिनांक 31-3-1978 को विद्युतीकृत घोषित किया गया था।

(2) 15 वर्षों में कनेक्शन हेतु कोई भी ग्रावेदन पत्र प्राप्त नहीं हुग्रा था। वर्ष 1994-95 में पोगरा कलां में घरेलू कनेक्शन हेतु 38 ग्रावेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ये कनेक्शन स्कीम ग्रनुसार गांव जोसावाड़ा से एल. टी. लाइन खींचकर दिये जाने हैं जो तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है। इन कनेक्शनों हेतु 17 पोल 11 के. वी. लाइन के एवं 26 पोल एल. टी. लाइन के लगाना आवश्यक है साथ ही एक ट्रांसफार्मर की ग्रावश्यकता है। जिस स्कीम के तहत इसे विद्युतीकृत घोषित किया उसमें 11 के. वी. लाइन एवं ट्रांसफार्मर का प्रावधान नहीं था एवं स्कीम भी बन्द हो चुकी है।

(3) जी हां। पोगरा कलां के 38 लोगों ने घरेलू कनेक्शन हेतु ग्रावेदन पत्र जमा करा रखे हैं। वर्तमान में इन ग्रावेदन पत्रों के निस्तारण हेतु 43 पोल के कार्य की ग्रावश्यकता है। यह गांव वर्तमान में किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है। ग्रतः प्रति व्यक्ति मांग पत्र की लगभग 11,000/- की राशि ग्राती है जो उनके द्वारा जमा कराना सम्भव नहीं लगता है। ग्रतः इस कार्य हेतु पूर्व में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को लिखा गया था एवं फिर ग्रतिरिक्त ग्रायुक्त जनजाति को इस गांव के 43 पोल के कार्य एवं ट्रान्सफार्मर के लिये राशि आबंटन हेतु लिखा जा रहा है।

(4) गांव पोगरा कलां के लिये स्कीम के तहत डी. पी. का प्रावधान नहीं होने से डी. पी. नहीं लगाई गई। गांव जोसावाड़ा में उसी गांव के लिये प्रस्तावित डी. पी. लगाई गई है।

डियर पार्क, सज्जनगढ़ (उदयपुर)

151. श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सज्जनगढ़ डियर पार्क (उदयपुर) हेतु कितना क्षेत्रफल ग्रारक्षित किया गया है ? उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं यह कार्य कब स्वीकृत किया गया ?

(श्री रघुवीरसिंह)

अब तक इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई तथा किस-किस स्तर के कार्य किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सज्जनगढ़ (डियर) पार्क उदयपुर के नाम से कोई क्षेत्र नहीं लिया गया है, एवं न ही इस नाम से कोई राशि स्वीकृत हुई है। परन्तु राज्य सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1 (5) (7) टी ए डी/लेखा/94–95/ स्वीकृत संख्या 76 दिनांक 21-3-95 द्वारा जनजाति उपयोजना अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के विकास हेतु सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी, उदयपुर के लिए 62.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई हैं। जिसके तहत सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के चारों ओर 8.2 कि.मी. डियर प्रूफ फेन्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं लगभग 5.5 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूरा हो चुका है तथा अभ्यारण्य में एक एकीकट का निर्माण भी इस योजना के अन्तर्गत करवाया गया है। उक्त दोनों कार्यों पर फरवरी, 96 तक 29.90 लाख रुपये व्यय हुआ है।

कुम्हेर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

152. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती अशरफी देवी बेवा स्वरूपसिंह जाति जाट, निवासी घोरमुई, तहसील कुम्हेर की खातेदारी का करीब 53 एकड़ रकबा भरतपुर स्थित घना बर्ड सैन्चुरी की चारदीवारी में आ गया है और उसका मुआवजे का निर्धारण भी हो चुका है, किन्तु उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ?

(2) यदि हां, तो मुआवजे की कितनी राशि है और वह उसे कब तक दे दी जायेगी ? मुआवजा राशि के भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) श्रीमती अशरफी देवी बेवा स्वरूपसिंह की 0.53 हैक्टेयर (53 एअर न कि 53 एकड़) जमीन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की चार दीवारी के अन्दर आ गई है। जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

(2) मुआवजे की राशि रुपये 1,11,303/– है, जिसके शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

उपवन संरक्षक दौसा के अधीन संचालित कार्य

153. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपवन-संरक्षक दौसा के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय वन अधिकारियों के क्षेत्रों में वर्ष 1995–96 में कितनी–कितनी लागत

(श्री परसादीलाल मीणा)

के क्या-क्या कार्य करवाये जा रहे हैं ? कार्यों की सूची मय लागत राशि के सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उप-वन संरक्षक दौसा द्वारा निर्माण एवं अन्य कार्य बिना निविदाए आमन्त्रित किए ही करवाए जा रहे हैं ?

(3) सरकार द्वारा उप-वन संरक्षक, दौसा को विभिन्न कार्यों के लिए वर्ष 1995-96 में कितना बजट दिया गया ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उप-वन संरक्षक दौसा के विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों के अधीन कितने-कितने पौधे किस-किस किस्म के चालू वित्तीय वर्ष में पैदा किये जा रहे हैं ?

(5) उक्त पौधे पैदा करने पर चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धन राशि अब तक खर्च कर दी गयी है, एवं अब कितनी होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) उप-वन संरक्षक दौसा को विभिन्न कार्यों के लिए वर्ष 1995-96 में अब तक कुल राशि रुपये 206.829 लाख आवंटित की गई है । मदवार विवरण परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(4) उप-वन संरक्षक, दौसा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 में कृषि वानिकी एवं विभागीय वृक्षारोपण हेतु क्रमशः 18.00 लाख एवं 13.50 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं । रेंजवार व किस्मवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ग" व "घ" के अनुसार है ।

(5) प्रश्न के भाग संख्या (4) के अनुसार पौध तैयारी पर जनवरी, 1996 तक 9.05 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा मार्च, 1996 तक 6.70 लाख रुपये और व्यय होने की सम्भावना है ।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर पंचायत समिति द्वारा जारी पट्टे

154. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों की आबादी भूमि के पट्टे जारी करने में सड़कों की सीमा निर्धारित करने के नियम हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति जहाजपुर में इन नियमों के विरुद्ध पट्टे देने अथवा निर्माण की स्वीकृति देने में क्या अनियमितताएं हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इससे सड़कों के आसपास की सुन्दरता बिगड़ती है एवं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दुर्घटनाएं बढ़ती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के समाधान के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस नियम के अनुसार अनुमोदन के पूर्व पटवारी, गिरदावर तथा राजस्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की अवाप्ति एवं रिपोर्ट के बिना अब आवंटन नहीं किया जा सकता है और न ही पट्टा और निर्माण की स्वीकृति जारी की जा सकती है ?

(4) क्या सरकार जहाजपुर पंचायत समिति में भूमि विक्रय के बारे में प्रचलित नियमों, परिपत्रों तथा प्लान बनाकर देने आदि के निर्देशों की अवमानना की विस्तृत जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार नियम विरुद्ध भूमि विक्रय, निर्माण करने तथा मनमाने अतिक्रमण करने के मामलों में वर्तमान नियमों के स्थान पर प्रभावी और सुदृढ़ नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1951 के नियम 269 (2) के अन्तर्गत आबादी भूमि विक्रय हेतु सड़कों से सीमाएं विनिर्दिष्ट की हुई हैं। पंचायत समिति जहाजपुर क्षेत्र में इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई हैं।

(2) चूंकि पंचायत समिति क्षेत्र में सड़क के किनारे अनियमित रूप से भूखण्ड विक्रय नहीं हुआ है अतः सड़कों की सुन्दरता बिगड़ने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) ग्राम पंचायतों द्वारा सिर्फ ऐसी आबादी भूमि जो विवादित अथवा अन्य किसी कानून से वांछित नहीं हों, उसी का आवंटन/विक्रय किया जाता है।

(4) जहाजपुर पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः जांच कराने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(5) भूमि विक्रय से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित नियमों को और प्रभावी बनाने बाबत नवीन नियम बनाते समय ध्यान रखा जायेगा।

पेटकाश्त भूमि का स्वामित्व

155. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 50 एकड़ तक के तालाबों की पान पापड़ी वृक्ष सिंगाड़े, कमल आदि का स्वामित्व पंचायतों का है ? यदि हां, तो क्या पेटाकाश्त आदि की दोहरी व्यवस्था पंचायतों एवं पंचायत समितियों के बीच होने से पेटाकाश्त पिलाई, घास आदि की आय पर्याप्त नहीं है ?

(2) क्या सरकार सिंचाई पान पापड़ी वृक्ष सिंगाड़ा, कमल आदि तथा पेटाकाश्त

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की राशि इन संस्थाओं द्वारा वसूलने की वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो इस हेतु क्या नीति निर्देश बनाये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार 50 एकड़ से कम के तालाबों की पेटे काश्त की भूमि का स्वामित्व राजस्व रेकार्ड में पंचायतों के खाते में इन्द्राज कराकर भूमि का ठेका अथवा नीलामी हेतु निम्नानुसार कमेटी बनाकर तथा नियम बना कर आय में वृद्धि करने का विचार रखती है : —

(i) तहसीलदार/नायब तहसीलदार/गिरदावर में से कोई एक (ii) पंचायत समिति का एक प्रतिनिधि (iii) क्षेत्रीय पटवारी (iv) क्षेत्रीय सरपंच (v) विधायक अथवा उसका नामजद एक प्रतिनिधि (vi) ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर के प्रत्येक तालाब की विगत तीन वर्ष की आय का रोकड़ बही में इन्द्राज किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि 50 एकड़ के तालाब पंचायत समितियों को हस्तान्तरित है तथा इन तालाबों के पेटे एवं पाल पर प्राकृतिक उपज लेने का अधिकार सम्बन्धित पंचायतों को है । अतः पंचायत समितियों के मध्य पेटाकाश्त को लेकर कोई दोहरी व्यवस्था नहीं है ।

(2) पेटाकाश्त के सम्बन्ध में फिलहाल वर्तमान व्यवस्था में फेरबदल का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 3 में अंकित सुझाव के अनुसार राज्य सरकार फिलहाल वर्तमान व्यवस्था में कोई फेरबदल करने का विचार नहीं रखती है ।

(4) यह सही है कि पंचायत समिति, जहाजपुर के तालाबों को पिछले तीन वर्षों की आय के विवरण की सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

ग्राम पंचायत बलाड (ब्यावर) में बूचड़खानों का अवैध संचालन

156. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा के ग्राम पंचायत बलाड में काफी समय से अवैध पशु वध एवं बूचड़-खाना चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो इस अवैध बूचड़खाने को बन्द करवाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है तथा कब तक इस बूचड़-खाने को बन्द कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा के ग्राम बलाड में पशु वध शाला (बूचड़खाना) चल रहा है।

(2) नगर परिषद, ब्यावर द्वारा अध्यक्ष कुरेशी पाडा मीट मरचेन्ट एसोशिएशन ब्यावर को पशु वध (पाडा) गृह निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। अतः वैकल्पिक व्यवस्था होने तक बूचड़खाना को वर्तमान में बन्द करने की कोई योजना नहीं है।

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी द्वारा विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों पर व्यय

157. **श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी (विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर) में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों के लिये कितनी कितनी राशि कब-कब किस मद एवं योजनान्तर्गत प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि कब और किस कार्य पर व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यह राशि पंचायत समितियों को प्राप्त होने के बाद भी समय पर पंचायतों को देकर निर्माण एवं विकास कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या यह सही है कि जिन कार्यों तथा योजनाओं पर राशि स्वीकृत हैं वे कार्य एवं योजनाएं गुणवत्ता के साथ सम्पन्न होकर राशि का उपयोग कर यू. सी. एवं सी. सी. जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक जारी कर दिये जायेंगे।

(5) क्या यह सही है कि राशि स्वीकृत होने के बाद भी कार्य आरम्भ नहीं होने का कारण पंचायत समिति से राशि प्राप्त नहीं होना है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और इसमें कौन दोषी है ? क्या सरकार इसकी विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में वर्ष 94-95 तथा वर्ष 95-96 में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु राशि प्राप्त हुई थी जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विवरण की सूची सलग्न है।

(3) राशि समय पर पंचायतों को वितरित की गई है।

(4) पंचायत समिति द्वारा कार्यकारी एजेन्सी के मार्फत गुणवत्ता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं। कार्य पूर्ण होने पर यू. सी. एवं सी. सी. जारी किये जाते हैं। अभी कार्य प्रगति पर होने से यू. सी. एवं सी. सी. जारी नहीं किये गये हैं।

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

(5) जी, नहीं। पंचायत समिति को राशि प्राप्त होने के साथ ही कार्य करने वाली एजेन्सियों को राशि उपलब्ध करवा दी गई है। राशि के अभाव में कोई कार्य विलम्ब से प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डाबर कलां (लालसोट) में प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण

158. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के प्राथमिक विद्यालय डाबर कलां के लिये भवन बनाने की स्वीकृति आने के बाद भी भवन निर्माण कार्य नहीं करवाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत निजामपुरा द्वारा उक्त विद्यालय का भवन बनाने के लिए भूमि का पट्टा बनाकर देने के बाद भी विकास अधिकारी लालसोट स्वीकृत मद से कार्य करवाने के लिए कार्यवाही नहीं कर रहा है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत निजामपुरा द्वारा बनाए गये पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये पट्टे के स्थान पर भवन निर्माण करवाने की कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति, लालसोट की प्राथमिक विद्यालय डाबर कलां के लिये भवन बनाने की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् भी भवन निर्माण नहीं कराया गया चूंकि गांव में भवन बनाने के स्थान पर विवाद चल रहा है व जांच अतिरिक्त कलक्टर (विकास) दौसा द्वारा की जा रही है। जांच के पश्चात् विद्यालय भवन बना दिया जायेगा।

(2) जी, नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् नियमानुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

जावदा (नीमड़ी) में प्राथमिक विद्यालय

159. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जावदा (नीमड़ी) की जनसंख्या डेढ़ हजार से ऊपर है फिर भी वहां एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जावदा (नीमड़ी) की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार

(राज्य मन्त्री, पंचायती राज)

1427 है। ग्राम में शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। सैकण्डरी शाला है।

(2) विद्यालय विहीन ग्राम में ही शाला खोली जाती है।

बून्दी जिले को प्राथमिक शाला भवन

160. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक पाठशाला खड़ी बारां, खुरी, शोदानपुरा (सहण), हीरापुरा (मेणी), बुढ़-करवर तथा केदार की झौंपड़ियां, मजरा आंतरदा जिला बूंदी के भवन निर्धारित मानदंण्ड के मुताबिक निर्मित नहीं है? यदि हां, तो ये भवन अब कब तक पूर्णरूप से निर्मित हो जायेंगे?

(2) क्या उक्त पाठशाला भवनों के लिए राशि स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या तथा राशि कब तक प्राप्त कर ली जायेगी?

(3) क्या उक्त प्राथमिक पाठशाला को खेल मैदान के लिये भूमि आबंटित करवाने बाबत विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं? यदि हां, तो भूमि का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा?

(4) क्या उक्त विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड अभियान के अन्तर्गत निर्धारित शिक्षक (कम से कम दो, जिनमें से यथासम्भव एक महिला) लगा रखे हैं, जो उक्त पाठशाला में नियमित पहुंचते हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब इस सम्बन्ध में सही एवं सुचारू व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। विद्यालयवार स्थिति की सूचना परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बूंदी से राशि प्राप्त होते ही भवन पूर्ण रूप से निर्मित करा दिये जायेंगे।

(3) जी, हां। सम्बन्धित तहसीलदार से आबंटन हेतु निवेदन किया जा चुका है।

(4) प्राथमिक विद्यालयवार सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में लोक जुम्बिश व शिक्षा कर्मी योजनाएं

161. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में लोक जुम्बिश व शिक्षा कर्मी योजना चालू की गई है? यदि हां,

(श्री हीरालाल)

तो लोक जुम्बिश योजना किस-किस ग्राम व ढाणियों में कार्यरत हैं ?

(2) शिक्षा कर्मी योजना में किन-किन ग्रामों को लिया गया है ? यदि नहीं, तो इन योजनाओं को कब चालू करने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या शिक्षाकर्मी योजना के तहत भवन निर्माण का भी प्रावधान है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में लोक जुम्बिश योजना लागू नहीं की गई है। शिक्षा कर्मी योजना 12 विद्यालयों में चालू की गयी है ।

(2) शिक्षा कर्मी योजना निम्न 12 ग्रामों में चालू की गई है :—

1. बास परसा
2. कोटड़ा
3. कुम्हारों की झपिडया जटलाव
4. जैतपुरा
5. गोलपुर
6. घनेरा
7. पखाला
8. मुकन्दपुरा
9. नीमोद
10. थनेरा
11. कुआं गांव
12. गुडला नदी

(3). शिक्षा कर्मी योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण में केवल शौचालय निर्माण हेतु 2000 की राशि स्वीकृत की गई है ।

देलवाड़ा (बांसवाड़ा) के सरपंच द्वारा कराये गये कार्य

162. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति घाटोल के ग्राम पंचायत देलवाड़ा में वर्ष 1995–96 में सरपंच द्वारा क्या-क्या कार्य करवाये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां की जनता, पंच, उप सरपंच द्वारा वहां के जिलाधीश को दिनांक 4 जनवरी, 1996 को शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शिकायत की जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति, घाटोल ग्राम पंचायत देलवाड़ा में वर्ष 1995–96 में निम्न कार्य करवाये गये :–

1. देवाड़ा रावणा से पांचमहुडी सड़क कार्य रुपये 30 हजार।
2. मांदली बड़ी से मांदली छोटी तक सड़क कार्य रुपये 5 हजार ।
3. मावादड पुलिया मरम्मत सड़क कार्य रुपये 40 हजार ।

(राज्य मन्त्री, पंचायती राज)

(2) हां। दिनांक 5-1-96 को विधायक विधान सभा क्षेत्र घाटोल, उप सरपंच दलवाड़ा एवं ग्रामीणों द्वारा सरपंच देलवाड़ा के विरुद्ध मनमानी ढंग से विकास कार्यों को कराने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच करवाई जा रही है।

पंचायत समितियों के वर्कचार्ज हैण्डपम्प कर्मचारियों का नियमितीकरण

163. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत 2500 वर्क चार्ज हैण्ड पम्प कर्मचारियों को नियमित किया गया है ?

(2) यदि हां, तो नियमित किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं होने से आरक्षण नीति का उल्लंघन हुआ है ? क्या इस उल्लघन से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की कमी की पूर्ति करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत लगभग 2500 संविदा हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को नियमित वेतन शृंखला का लाभ दिया गया है।

(2) कर्मचारी घोषित संविदा हैण्ड पम्प मिस्त्रियों में 427 अनुसूचित जाति तथा 600 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कर्मचारी की श्रेणी में घोषित किया गया है।

(3) जी, नहीं। संविदा हैण्ड पम्प मिस्त्री वर्ष 1983 या इसके बाद से संविदा पर कार्यरत रहे हैं, उन्हें ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में नियमित किया गया है। प्रश्न के भाग (2) की सूचना से यह भी विदित होता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी उपलब्ध है।

पंचायत समिति मकराना एवं कुचामन के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

164. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना विधान सभा क्षेत्र की मकराना तथा कुचामन सिटी पंचायत समिति में कुल कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) छात्रों व अध्यापकों के अनुपात को देखते हुए कितने अध्यापकों के पद

(श्री रूपाराम)

इन पंचायत समितियों में स्वीकृत होना उचित है तथा यह कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) मकराना विधान सभा क्षेत्र की मकराना/कुचामन सिटी पंचायत समिति में निम्न प्रकार अध्यापकों के पद स्वीकृत एवं कार्यरत हैं :—

नाम पंचायत समिति	स्वीकृत पद	कार्यरत
मकराना	286	206
कुचामन सिटी	70	70

(2) छात्रों के अनुपात के अनुसार पंचायत समिति, मकराना में 304 व कुचामन सिटी में 96 अध्यापकों के पद स्वीकृत होने चाहिए। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है व शीघ्र ही डिग्रीयों की जांच कर नियमानुसार नियुक्ति कर रिक्त पद भर दिये जायेंगे।

सरपंच ग्राम पंचायत सारड़ी (नागौर) द्वारा वित्तीय अनियमितताएं

165. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को श्री पूर्णाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत सारड़ी पंचायत समिति, लाडनूं जिला-नागौर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग आदि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की कब-कब, क्या जांच की गयी और जांच के क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या सरकार दोषी सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायत का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जांच का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जांच जारी है।

(3) जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायत समिति रोहट (पाली) के प्राथमिक विद्यालय

166. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमराज भाटी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पंचायत समिति रोहट, जिला–पाली के ग्राम मोडी भाकरी, बांडाई, नई आबादी केशवनगर, कुलथाना, डूंगरपुर में प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त समस्त ग्राम, पंचायत समिति रोहट में स्थित हैं, किन्तु विभाग की गलती से स्वीकृति आदेश में उपरोक्त ग्रामों की पंचायत समिति पाली दर्ज कर दी गई हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उपरोक्त भूल सुधार बाबत क्या कार्यवाही की गई है एवं कब तक उपरोक्त भूल सुधार कर दिया जायेगा ?

(3) उपरोक्त प्राथमिक पाठशालाओं में कब तक अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी एवं कब से अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम मोडी भाकरी, बांडाई, नई आबादी, केशवनगर, कुलथाना, डूंगरपुर में पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, किन्तु पंचायत समिति रोहट के स्थान पर पंचायत समिति पाली अंकित कर दिया गया है ।

(2) जी, हां । संशोधन आदेश जारी कर दिये गये है ।

(3) विभाग से संशोधित आदेश जारी किये जा चुके हैं । शीघ्र ही उपरोक्त पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति कर अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया जायेगा ।

जनजाति बाहुल्य ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

167. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु 41 करोड रुपये स्वीकृत किये हैं ? यदि हां, तो उसमें से अब तक कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि 250 की जनसंख्या के राजस्व ग्रामों तथा 1991 की जनगणना के बाद घोषित राजस्व ग्रामों में भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो इनमें प्राथमिक विद्यालय खोलने के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति योजना के ग्रामों में 150 की जनसंख्या में भी प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं ? यदि हां, तो जनजाति बाहुल्यता के मांडा ग्रामों में भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्राथमिक शिक्षा हेतु भारत सरकार से वर्ष 1995–96 में केन्द्रीय योजनान्तर्गत विभिन्न स्कीमों हेतु कुल 41–57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । जनवरी, 1996 तक 37–06 करोड़ रुपये का व्यय किया गया ।

(2) जी, हां । वर्ष 1991 की जनगणना में घोषित निर्धारित मापदण्ड में आने वाले

(राज्य मन्त्री, पंचायती राज)

विद्यालय विहीन समस्त राजस्व ग्रामों में प्राथमिक शालाएं खोलने के बाद ही विचार किया जायगा।

(3) जी, हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में 150 से अधिक की जनसंख्या पर विद्यालय विहीन ग्रामों में प्राथमिक शालाएं खोली जाती है। शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत है। इनमें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही प्राथमिक शालाएं खोली जाती है।

टाटगढ़-दूधालेश्वर (अजमेर) सड़क का डामरीकरण

168. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टाटगढ़-दूधालेश्वर सड़क के डामरीकरण का कार्य एक वर्ष पूर्व स्वीकृति जारी होने के उपरान्त भी ठेकेदार की लापरवाही के कारण अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के मध्य पूर्व निर्मित पुलिया के तोड़ देने एवं उसे नई निर्मित किये जाने में उत्पन्न विलम्ब से मवेशियों एवं वाहनों के आने जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) टाटगढ़ से दूधालेश्वर नाम की कोई सम्पर्क सड़क स्वीकृत नहीं है। बल्कि बरखान से दूधालेश्वर नाम से 3.00 कि. मी. की सम्पर्क सड़क स्वीकृत है। सड़क पर निर्माण अपूर्ण रहने के लिये ठेकेदार ही जिम्मेदार है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(2) बरखान से दूधालेश्वर सड़क की कुल लम्बाई 14.00 कि. मी. है इसमें से 0/0 कि. मी. से 5/0 कि. मी. तक की सड़क का निर्माण मण्डी समिति द्वारा पूर्व में किया गया है तथा इस 5/0 कि. मी. में कोई पुलिया निर्मित नहीं है। 5/0 से 9/0 कि. मी. तक में डामरीकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है। 9/0 कि. मी. से 14/0 तक मिटटी बिछाने, कूटने का कार्य (डब्ल्यू. बी. एम.) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर द्वारा 11/0 कि. मी. से 14/0 तक निर्माण कार्य मय सी डी कार्य करवाया जा रहा है एवं कार्य प्रगति पर है।

इससे स्पष्ट है कि पूर्व में मण्डी समिति ब्यावर द्वारा कोई पुलिया नहीं बनाई गई है। अतः पुलिया तोड़े जाने एवं निर्माण कराये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर द्वारा सड़क निर्माण

169. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर द्वारा वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक

(श्री आर. पी. शर्मा)

सड़कों के निर्माण के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त सड़कों के निर्माण में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) इन सड़कों पर हुए व्यय एवम् निर्माण कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 5 एवम् 6 में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर द्वारा पारित प्रस्ताव

170. **श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :** क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 3 मई, 1994 के द्वारा सात सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार को प्रेषित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसमें से तीन सड़कों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर के प्रस्ताव संख्या 40 दिनांक 14 जुलाई, 1995 के द्वारा प्रेषित पांच सम्पर्क सड़कें तथा प्रस्ताव संख्या 46 दिनांक 25 अगस्त, 1995 के द्वारा प्रेषित एक नवीन सम्पर्क सड़क कार्य की स्वीकृति सरकार द्वारा जारी तो कर दी गयी परन्तु निविदाएं आमन्त्रित कर कार्य करवाने की प्रक्रिया अब तक प्रारम्भ नहीं की गई ? यदि हां, तो इन कार्यों को करवाने की विभागीय प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ कर कार्य प्रारम्भ करवाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। तीन सड़कों की स्वीकृति के लिए कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-3-95 के अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु दिनांक 15-7-95 को लिखा गया था। मण्डी समिति से सड़क नीति के अनुरूप नवीन प्रस्ताव प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा छः नवीन सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है तथा अब इन सड़कों के विस्तृत तखमीने कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तैयार किये जा रहे हैं तथा निविदाएं मार्च, 96 तक आमंत्रित किया जाना सम्भावित है, तत्पश्चात् ही निर्माण कार्य कराये जाने सम्भव हो पायेंगे।

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, भरतपुर का भवन

171. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, का कार्यालय भरतपुर में किराये के भवन में चल रहा है ?

(2) क्या सरकार इस कार्यालय हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो भवन निर्माण हेतु कार्यवाही कब तक प्रारम्भ की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। विपणन बोर्ड के खण्ड कार्यालय, क्षेत्र की मण्डियों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के अनुसार ही कार्यरत है। निर्माण कार्यों की सीमा घटती-बढ़ती रहती है। अतः ऐसी स्थिति में स्थाई भवन बनाने हेतु कोई विचार नहीं है।

कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुर द्वारा सड़क निर्माण

172. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी उदयपुर की पिछले तीन वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कें बनाने के सरकार को प्रस्तावित प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं, शेष कितने बकाया हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों का माल मण्डी तक लाने हेतु सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो मण्डी समिति की आय का कितना प्रतिशत धन सड़कों पर खर्च किया जायेगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर की पिछले तीन वर्ष की आय व व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट–1 के साथ संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर ने अपने प्रस्ताव संख्या 232 दिनांक 12-7-93 से निम्न छह सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे थे :—

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई कि.मी.	लागत (लाखों में)
	1	2	3
1.	अप्रोच सड़क सराडा से पाडला	1.5	4.88
2.	सिरोही कोटड़ा से मुख्य सड़क से संपर्क सड़क नया गांव	5.00	19.25
3.	कोटड़ा खेड ब्रम्हा से माहड़ी	1.00	3.25

(राज्य मन्त्री, कृषि)

1	2	3
4. उदयपुर रतनपुर रोड से कानूवाड़ा	5.00	16.25
5. उदयपुर से रतनपुर हाईवे नं. 8 से सोमवती का फलां	4.00	12.00
6. खान्दू लसाड़िया रोड से जगड़	2.5	8.13

उपरोक्त सड़कें मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने के कारण पूर्व में ही राज्य सरकार के पत्र क्रमांक दिनांक 26-5-93 द्वारा स्वीकृत हो चुकी थी। मण्डी समिति से सड़क निर्माण हेतु अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जी, हां। सामान्यत: मण्डी समिति की कुल आय से प्रशासनिक व्यय एवं अन्य अपरिहार्य व्यय को निकालने के पश्चात शेष बची धन राशि का 60 प्रतिशत सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर व्यय किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी द्वारा सड़क निर्माण

173. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी की पिछले दो वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़क बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं एवं स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से कृषि मण्डी द्वारा सम्पर्क सड़क बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो मण्डी समिति की कुल आय में से कितनी प्रतिशत राशि उक्त सड़कों पर खर्च करने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामन सिटी की गत दो वर्षों की आय व्यय का मदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामन सिटी के सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। सामान्यत: मण्डी समिति की कुल आय से प्रशासनिक व्यय एवम् अन्य अपरिहार्य व्यय को निकालने के पश्चात् शेष बची धन राशि का 60 प्रतिशत सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर व्यय किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

पंचायत टाटगढ़ अजमेर को यातायात व्यवस्था

174. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री उगमराज मेहता)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत मुख्यालय टाटगढ़ में परिवहन व्यवस्था काफी समय से सुचारू रूप से नहीं चल रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है ? क्या सरकार टाटगढ़ की इस परिवहन व्यवस्था को सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या विभिन्न स्थलों की तरफ जाने वाली द्रुतगामी सेवा को वाया टाटगढ़ चलाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उदयपुर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निजी मार्ग देवगढ़ से भीम वाया बरार टाटगढ़ निर्धारित है। यह 51 कि. मी लम्बा मार्ग है और इस पर 10 निजी वाहनों को 10 वापसी सेवा संचालन के स्थायी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए गए हैं। पंचायत मुख्यालय टाटगढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग भीम–टाटगढ़-देवगढ़ पर स्थित है और उक्त मार्ग पर निगम द्वारा निम्न सेवाएं दी जा रही है :—

क्रमांक मार्ग का नाम	प्रतिदिन संचालित एकल सेवाओं की सूची
1	2
1. ब्यावर–भीम–टाटगढ़	10
2. ब्यावर-भीम-टाटगढ़-देवगढ़	4
3. भीम-टाटगढ़-देवगढ़	7
4. टाटगढ़-देवगढ़ वाया ताल भीम	2
5. टाटगढ़-देवगढ़ वाया लाखागुहा	3
6. भीम-टाटगढ़	3
7. बामनहेड़ा-टाटगढ़	1
8. टाटगढ़ कूकड़ा वाया भीम	1

(2) जी, नहीं। द्रुतगामी/लम्बी दूरी की वाहन सेवाओं को रास्ते में इस प्रकार से डाइवर्ट किया जाना इन बसों पर यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए असुविधाजनक रहेगा।

बेगूं से गांधीसागर तक बस संचालन

175. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र बेगूं से गांधीसागर तक कितनी और कौन-कौन सी बसें संचालित हैं ? तथा कौन-कौन सी बसें वर्तमान में गांधीसागर तक चल रही हैं ?

(2) जो बसें गांधीसागर तक नहीं जाती उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या उनके स्थान पर नई बसें चलाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगूं से गांधीसागर के नाम से कोई मार्ग निर्धारित नहीं किया हुआ है, किन्तु बेगूं से चम्बल बांध मार्ग क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है। इस मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को जारी किये गये अनुज्ञापत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

(राज्य मन्त्री, यातायात)

क्रमांक	वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट जारी होने का दि०	वैद्यता
1	2	3	4	5
1.	आर. जे. 06 पी 0553	2157	18-12-95	17-12-2000
2.	आर. जे. एच. 7435	2200	6-2-84	5-2-97
3.	आर. जे. एच. 3149	2042	1-9-79	31-8-97
4.	आर. जे. 01 पी 1183	5051	15-11-95	26-9-97
5.	आर. आर. आर. 5271	3803	18-3-93	17-3-98
6.	आर. जे 09 पी 0097	3804	18-3-93	17-3-98
7.	आर. जे. 09 पी 0265	3808	20-3-93	19-3-98
8.	आर. जे. 09 पी 0212	3818	8-4-93	7-4-98

उक्त वाहनों में से वाहन संख्या आर. जे. 09 पी 0265 सम्पूर्ण मार्ग बेगूं से चम्बल बांध (गांधीसागर पर संचालित हो रही है। शेष वाहन मार्ग के भाग बेगूं से गोपालपुरा तक संचालित हो रही है।

(2) जो वाहनें अपने निर्धारित गन्तव्य तक नहीं जा रही हैं, उनके स्वामियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 7-3-96 को देकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इन प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक 26-3-96 को नियत की गई है। उक्त मार्ग मध्यप्रदेश एवं राजस्थान राज्यों से पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत निर्धारित मार्ग है, जिस पर चार वाहनों को 7 सिंगल सेवाओं का स्कोप निर्धारित किया हुआ है। तदनुसार अनुज्ञापत्र एवं समय सारिणी जारी कर रखी है। इसके अलावा चार वापसी सेवा हेतु द्वि-बिन्दु-कर के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से प्रतिहस्ताक्षर कराये जाने की शर्त के साथ जारी किए हुए है। इस प्रकार 8 अनुज्ञापत्र उक्त मार्ग पर है। नये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर द्वि-बिन्दु-कर के आधार पर नियमानुसार परमिट स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है।

अनधिकृत वाहनों का संचालन

176. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993 से 95 की अवधि में अधिकृत मार्गों पर अनधिकृत वाहनों के संचालन के कितने मामले प्रकाश में आये, उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में अधिकृत मार्गों पर अनाधिकृत

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

वाहन न चलें, इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि परिवहन निगम की बसों की संख्या अपर्याप्त होने तथा उनकी हालत ठीक नहीं होने से भी यात्रीगण निजी बसों से यात्रा करना निरापद समझते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से 1995 तक की अवधि में अधिकृत मार्गों पर अनधिकृत वाहनों के सचालन के 50,945 मामले प्रकाश में आये। उक्त वाहनों के विरुद्ध चालान बनाये जाकर 1129.20 लाख रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई। अनाधिकृत वाहनों के सचालन को रोकने के लिए विभाग ने सघन जांच अभियान अगस्त, 95 से प्रारम्भ किया। इसके तहत प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस परिवहन व जिला प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित होते हैं।

(2) निजी बसों में यात्रा करने के कई विभिन्न कारण हैं, तथापि परिवहन निगम सुलभ सेवा उपलब्ध करवाने हेतु प्रयासरत है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आय

177. श्री बनवारीलाल मिण्डा (फहतेपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1990 से 1995 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हुई आय का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

परिवहन निगम की वित्तीय वर्ष 1990-91 से वर्ष 1994-95 तक का तुलनात्मक आय का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	कुल आय (लाखों में)	लाभ/हानि
1990-91	14,178.82	— 1010.51
1991-92	22,058.47	+ 1208.59
1992-93	27,008.13	+ 588.52
1993-94	33,618.04	+ 2293 08
1994-95	38,746.91	+ 2658.30
1995-96 (जनवरी, 1996 तक)		+ 198.03

केन्द्रीय बस स्टेण्ड, जयपुर

178. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सिंधी कैम्प स्थित केन्द्रीय बस स्टेण्ड पर विकलांग व्यक्तियों को रियायती यात्रा परिचय-पत्र बनाने तथा उनका नवीनीकरण हेतु आने

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

वाले विकलांगों को कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी अधिकांशतः कार्यालय समय से नदारद रहने तथा उपलब्ध होने पर टालमटोलपूर्ण रवैया अपनाये जाने के संबंध में कोई प्रकरण सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय समय में अपने कर्तव्य स्थल पर उपलब्ध रहें तथा विकलांग व्यक्तियों के साथ संवेदनशील तथा सहयोगी रवैया अपनाये, इस सम्बन्ध में निगम द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सिंधी कैम्प परिसर स्थित कार्यालय दूसरी मन्जिल पर स्थित होने के कारण भी विकलांगों को ऊपर चढ़ने तथा उतरने में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो इस हेतु क्या निगम भू-तल पर कोई कक्ष आबंटन करने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । माह दिसम्बर, 1995 में एक दैनिक "नवज्योति" समाचार पत्र में कर्मचारी के नदारद रहने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट अवश्य प्रकाशित हुई थी किन्तु किसी विकलांग को कोई परेशानी हुई हो ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जी, हां । विकलांगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए पास शाखा दिनांक 1-3-96 से भू-तल पर स्थानान्तारित कर दी गयी है ।

आदिवासियों को आर्थिक सहायता

179. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी व्यक्तियों को प्राकृतिक, आकस्मिक आपदा दुर्घटना में मृत्यु एवं कई बीमारी विशेष से पीड़ित होने पर कुछ आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रारम्भ की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत किसी को लाभान्वित नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक जिन लोगों को लाभान्वित किया गया है उनकी सूची मय पूर्ण पता सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । यह योजना वर्ष 1986-87 से प्रारम्भ की गयी है ।

(2) जी, नहीं । जनजाति उपयोजना क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-1 से 5 पर संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

180. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माणिक्यलाल वर्मा आदिमजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के प्रशासनिक, सभाकक्ष, छात्रावास एवं परिसर को संस्थान के प्रयोजन के अतिरिक्त किराये पर देने के प्रावधान हैं ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में उक्त भवनों व परिसरों को किन–किन प्रयोजनार्थ किराये पर या निःशुल्क दिया गया ? विवरण वर्षवार एवं प्रयोजन-वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास परिसर मैदान आदि को प्रशिक्षणार्थी छात्रों के होते हुए भी शादियों में किराये पर दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो किराये पर देने के लिए कौन सक्षम है एवं क्या सभी मामलों में सक्षम अधिकारियों से स्वीकृति ली गई है ? यदि नहीं, तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के प्रशासनिक, सभाकक्ष, छात्रावास एवं परिसर को संस्थान के प्रयोजन के अतिरिक्त किराये अथवा निःशुल्क दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों में उक्त भवनों एवं परिसरों को जिन-जिन प्रयोजनार्थ किराये पर या निःशुल्क दिया गया उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का वार्षिक बजट

181. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति समुदाय के व्यक्तियों एवं जनजाति क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एक स्वतन्त्र विभाग हैं ? यदि हां, तो कैसे ?

(3) क्या यह भी सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का उसको आवंटित बजट का केवल 3 प्रतिशत राशि पर ही अधिकार है और शेष 97 प्रतिशत बजट का केवल आंकड़े एकत्र करता है ? यदि हां, तो केवल मात्र आंकड़े एकत्र करने से ही क्षेत्र का विकास किस तरह से हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(राज्य मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

ग्राम पंचायत राजपुरा, महेसरां एवं लुहारिया (चित्तौड़गढ़) में आश्रम छात्रावास

182. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत मुख्यालय राजपुरा, महेसरा एवं लुहारिया की जनसंख्या क्रमशः 90 प्रतिशत, 64 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत जनजाति की है ?

(2) क्या उक्त तीनों पंचायतों के मध्य कोई आश्रम छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त पंचायतों में आश्रम छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत मुख्यालय राजपुरा, मंडेसरा एवं लुहारिया की जनसंख्या क्रमशः 55.07 प्रतिशत, 58.69 प्रतिशत एवं 33.21 प्रतिशत जनजाति की है।

(2) जी नहीं। उक्त तीनों पंचायतों के मध्य वर्तमान में आश्रम छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। आश्रम छात्रावास क्षेत्र की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालय द्वारा स्वीकृत राशि

183. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति आयुक्त कार्यालय से पिछले दो वर्षों में कोर बजट से किन-किन संस्थाओं, व्यक्तियों एवं विभागों को राशि स्वीकृत की गयी है ?

(2) स्वीकृत राशि किन-किन प्रयोजनार्थ दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दी गयी राशि के उपभोग का मूल्यांकन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा किया गया ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों में कोर बजट से स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत राशि परिशिष्ट "क" में उल्लेखित प्रयोजन के लिये स्वीकृत की गयी है।

(राज्य मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(3) जी नहीं। किन्तु मूल्यांकन/प्रेक्षण हेतु अब दिनांक 12-2-96 को आदेश प्रसारित कर दलों का गठन कर दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर में पर्यटन विकास कार्य

184. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन की दृष्टि से भरतपुर का महत्वपूर्ण स्थान है ?

(2) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकार ने भरतपुर में पर्यटन विकास हेतु क्या-क्या कार्यवाही की है और अब क्या नई योजना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत तीन वर्षों में पर्यटन विभाग के द्वारा भरतपुर जिले में डीग महल की मरम्मत का कार्य एवं पर्यटकों को सुविधा हेतु डीग में ही मार्गस्थ सुविधा का निर्माण कराया है। वर्ष 1995-96 में भरतपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण हेतु रुपये 15.00 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। डीग में फव्वारों को पुनः चलाने हेतु भी जिलाधीश के प्रस्तावानुसार रुपये 3.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

जिला उदयपुर के आयुर्वेद चिकित्सालय

185. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

(2) उदयपुर शहर में सन् 1990 के बाद आयुर्वेद, होमियोपैथिक व यूनानी चिकित्सालय कहां-कहां खोले गये और उनका बजट प्रावधान कितना किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि होमियोपैथिक चिकित्सालय, हिरणमगरी में मात्र एक चिकित्सक नियुक्त है ? यदि हां, तो एक चिकित्सक के अवकाश पर रहने अथवा बाहर प्रतिनियुक्ति पर चले जाने पर उस चिकित्सालय का उपयोग कैसे लिया जाता है ?

(4) उदयपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सालय वर्तमान में कहां-कहां हैं तथा इन आयुर्वेद चिकित्सालयों के स्थापित किये जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? इन औषधालयों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ?

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर की अध्यक्षता में आयुर्वेद विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों के स्टाफ पैटर्न आदि के लिए आदेश दिनांक 6 फरवरी, 1995 से समिति गठित की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) उदयपुर शहर में वर्ष 1990 के बाद कोई भी आयुर्वेद, होमियोपैथिक व यूनानी चिकित्सा पद्धति का नवीन औषधालय/चिकित्सालय न तो स्वीकृत किया गया है और न ही खोला गया है ।

(3) जी नहीं । राजकीय होमियोपैथिक औषधालय, हिरणमगरी उदयपुर में चिकित्सक के अतिरिक्त एक कम्पाउण्डर एवं एक परिचारक भी पदस्थापित व कार्यरत है । अन्य विभागीय औषधालयों में भी प्राय: चिकित्सक का एक ही पद स्वीकृत है । चिकित्सक के अवकाश काल में कम्पाउण्डर नर्स द्वारा, रोगी को दिये गये व्यवस्था पत्र में अंकित औषधि देने का कार्य किया जाता है ।

(4) उदयपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 3 चिकित्सालय निम्न स्थानों पर संचालित हैं :—

1. मोती चोहट्टा—उदयपुर
2. मावली
3. फलासिया

वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के कोई नोर्म्स निर्धारित किये हुये नहीं हैं ।

इन चिकित्सालयों में रोगियों को बहिरंग विभाग के साथ-साथ भर्ती करके चिकित्सा उपलब्ध कराने की भी सुविधा उपलब्ध करायी हुई है ।

इसके अतिरिक्त उदयपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 176 औषधालय भी संचालित है, जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' में सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

औषधालय खोलते समय निम्न मापदण्ड ध्यान में रखा जाता है :—

1. भवन व्यवस्था उपलब्ध होना ।
2. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना ।
3. नवीन औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या लगभग 2000 होना ।
4. बजट प्रावधान उपलब्ध होना ।

औषधालयों में, रोगियों को बहिरंग विभाग में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

(5) जी, हां । रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनुपस्थिति अनुमति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य को दिनांक 11 मार्च, 1996 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा के पिताजी का आकस्मिक निधन होने के कारण दिनांक 11 मार्च, 1996 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की उन्होंने अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री सुखलाल सेंणचा : किसानों का जनरेटर का मामला है। किसानों के जनरेटर का मामला बड़ा महत्वपूर्ण था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्टाक एक्सचेंज के पास स्थित इन्दिरा पैलेस की जमीन की नीलामी से राज्य कोष को हुई हानि के सम्बन्ध में।

(2) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर शुगर मिल में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में की जा रही भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के ग्राम जावरां, मीमगंज, हरीपुरा, गुलखेड़ी एवं गुढामकटुका में सम्पर्क सड़कों तथा आवागमन के साधनों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले में विद्युत आपूर्ति में कटौती किये जाने से ग्रामीण क्षेत्र व विद्यार्थियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर एक-एक मिनट बोलने की अनुमति होगी।

एक माननीय सदस्य : नहीं, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप मेरा कहना मानोगे थोड़े ही। आप तो करोगे वैसा ही।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष)

के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में शिक्षकों द्वारा किये जा रहे प्रायोगिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा बहिष्कार आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि दिनांक 13-3-1996 को संघर्ष समिति के साथ शिक्षा मन्त्रीजी की हुई वार्ता में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को विश्वास दिलाया है कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी नहीं की जायेगी और शिक्षकों की मांग पर विचार हेतु एक समिति गठित की जायेगी। इस प्रकार संघर्ष समिति का आन्दोलन आज से समाप्त हो गया है और 14 मार्च, 1996 से प्रारम्भ होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में किसी व्यवधान की आशंका नहीं है। बोर्ड की परीक्षाओं की पूर्णतः तैयारी कर ली गई है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है :—

(1) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की अकाल की स्थिति, राहत कार्यों का अभाव तथा सामग्री मद में पंचायतों को राशि नहीं देने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई विधान सभा क्षेत्र के चालीस गांवों में अत्यधिक ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर, जयपुर एवं दौसा जिले में पिछले दिनों भयंकर ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। दिनांक 16 मार्च, 1996 को राज्य में अकाल, ओलावृष्टि तथा शीतलहर के प्रकोप से फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सदन में विचार किया जायेगा उस दिन माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित आमेर के महलों में पर्यटकों को अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका,

(श्री अध्यक्ष)

मकराना की अध्यक्षा द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(3) श्री शंकर मानूदा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान जल विकास निगम, जयपुर के अधिशासी निदेशक द्वारा राज्य कोष का अत्यधिक मात्रा में कथित दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोतीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विकास अधिकारी रूपावास द्वारा उप सरपंच की कथित मिलीभगत से की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नव-घोषित न्यायालय ए. सी. एम., बारां का मुख्यालय बारां से मांगरोल बदलने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से मथुरा जाने हेतु भरतपुर शहर में प्रस्तावित बाईपास रोड हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर, जयपुर में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमराराम चौधरी, (पचपदरा), सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य परिवहन निगम की बसें बालोतरा से जोधपुर वाया ग्राम-माड़ियावास, कूडी, पटाऊ, सरवड, चारलाई, कल्याणपुर, अराबा और डोर्ली दो-घण्टे के अन्तराल में चलाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर डिविजन में प्रशिक्षित अध्यापक, आयुर्वेद कम्पाउण्डर पुस्तकालय अध्यक्षों आदि को रोजगार उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले में माही प्रशासन की अनदेखी व ढिलाई से सिंचित हेतु पानी उपलब्ध नहीं होने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(11) श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां नगर में पैट्रोल पम्प मालिकों द्वारा पैट्रोल और डीजल में कैरोसिन तथा अन्य पदार्थ मिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री अमराराम, (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से उच्च प्राथमिक शाला माढ़ाढर, सीकर के भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, जिसका इस लिस्ट में नहीं आया, उनका क्या किया जायेगा ?

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, होली हिन्दुओं का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एम. ओ. यू. साइन करवाया, ऊर्जा विभाग का, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं ।....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सर, एक पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : जवाब नहीं आ रहा है .. (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं जानकारी देना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : विद्युत उत्पादन के जितने भी कांट्रैक्ट थे उसके बारे में मैंने 131 दिया हुआ है और 16 तारीख को उस पर बहस होगी, आप मुझे इजाजत भी देंगे लेकिन उसका जवाब राज्य सरकार जानबूझकर नहीं दे रही है । सदन के सारे फैक्ट्स छिपाना चाहती है । बहस के पहले उसके बारे में मुझे दिशा-निर्देश दीजिये । राज्य सरकार को आदेश दीजिये कि मेरे को जवाब दे ।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी बता...(व्यवधान) चैंबर में बात कर लेंगे । आप मुझे मिल लेना बाद में ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मेरा 295 बचा हुआ है उसके बारे में क्या आदेश है ? मेरा 295 बचा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : तो वह परसों लगा देंगे ।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपको दिया हुआ है । चूंकि यह सेशन 16 तारीख को समाप्त होने जा रहा है उसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : जरूर दूंगा व्यवस्था ।

श्री भीमराज भाटी : फिर वह लैप्स हो जायेगा । (व्यवधान) फिर आप कह देंगे कि वह लैप्स हो गया ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, व्यवस्था दूंगा । विराजिये आप ।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्लिप आपको दे रखी है । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : नहीं, उसके बारे में क्या व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष : मैं देखने के बाद व्यवस्था दूंगा ।

श्री भीमराज भाटी : अब तो लैप्स तो नहीं होगा । इस सदन के बाद लैप्स तो नहीं हो जायेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दूंगा, विराजिये आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दैनिक राष्ट्रदूत में....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है, सर । (व्यवधान) एक सैकण्ड का ही है, ज्यादा नहीं है ।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्लिप दे रखी है आपको । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सर, आज के दैनिक राष्ट्रदूत में यह खबर छपी है कि आपने पिछले सदन में मुझे शांतिकुमारी धारीवाल कहा । मुझे इसमें कोई एतराज नहीं हुआ और न मेरी जानकारी में आया लेकिन आज के अखबार में पढ़ने से यह पता लगा कि वाकई आपने मुझे शांतिकुमारी धारीवाल कहा । तो चिकित्सा मन्त्रीजी को आप इस बात पर तैनात करें कि मेरा मेडिकल मुआयना.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । मैंने शांतिकुमारीजी नहीं कहा, मैंने कहा शांतिकुमारजी विराजिये आप ।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्लिप दे रखी है । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह रहा हूं कि शांतिकुमारजी धारीवाल के लिए चिकित्सा मन्त्री की क्या जरूरत है । आपका नाम भी शांति, उनका नाम भी शांति, आप दोनों ही परीक्षण कर लें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और रैफरी यह हो जायेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनको कोई एतराज नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे रैफरी बनने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, देई में हत्या काण्ड हुआ उसके गुप्तांग काट कर बालक गोपाल को ले गये । मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया । राज्य सरकार जानबूझकर तफतीश नहीं करना चाहती है क्योंकि इसमें बी जे. पी. के कार्यकर्ता इन्वाल्व हैं, जो थाने में रिश्वत देने गये हैं । माननीय गृह मन्त्रीजी विराजमान हैं, बड़ी मस्ती से विराजमान हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । अभी चैम्बर में बात कर लेंगे, आप क्या बात करना चाहते हो । आप विराजिये अब ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उनके पुलिस के कुछ अधिकारियों ने वहां पैसे खा लिए बीस हजार रुपये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । आप बहुत विजिलेंट हैं ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उसमें बहस होनी चाहिये 16 तारीख से पहले । माननीय अध्यक्ष महोदय, जघन्य हत्याकाण्ड हुआ है ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आफिस आफ दी स्पीकर ...

श्री रामनारायण (नैनवां) : उसका स्टेटमेंट दिलवाइये। (व्यवधान) गुप्तांग काट कर ले गये। उसको मिट्टी में दबा दिया और वहां पर कुछ लोग रिश्वत देने गये। कुछ अधिकारियों ने रिश्वत ली.... (व्यवधान) आप स्टेटमेंट दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, माननीय सदस्य, चौधरीजी कुछ फरमा रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक अर्ज कर रखी है आपसे।

श्री अध्यक्ष : चौधरीजी कोई बात फरमा रहे हैं उन्हें सुनें आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण (नैनवां) : देई थाने में गोपाल का गुप्तांग काट कर ले गये और पुलिस की उसमें शह है। (व्यवधान) ... सही ढंग से तफतीश नहीं की जा रही, अध्यक्ष महोदय, आप स्टेटमेंट के लिए निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, अभी चैंबर में बात कर लेना।

श्री रामनारायण (नैनवां) : हमें शैल्टर दीजिये और सरकार को प्रताड़ित कीजिये। (व्यवधान) कुछ बोलिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, आप नाम तो पुकारें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने विश्वास दिलाया था कि जुगताराम के बाद यह घटना कभी नहीं होगी, फिर कैसे हो गयी?

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, आपको स्लिप दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : वह मैं कर रहा हूं। आप कुछ फरमा रहे थे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के फर्स्ट स्पीकर दी ग्रेट मावलंकर जी का एक आब्जर्वेशन आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और मैं यह महसूस करता हूं और यह देख कर मुझे तकलीफ होती है, 1967 से लेकर 1972 तक ऐसा नहीं होता था उसके बाद में यह डवलपमेंट इस हाउस के अन्दर प्रारम्भ हुआ। मान्यवर, सुनिये, 'No one Minister or other Member, could walk upto the Speaker's Chair to have word with him or the like. They could meet him only in his Chamber In the House, if they had something to say, they had to do so through officers at the Table to whom they could talk or send chits. No Member could be seen walking between the Chair and a Member speaking at the time No shouting, no yelling, no reading of newspapers and no Member, no Minister was allowed to speak and walk on to the Chair."

श्री अध्यक्ष : आप फरमा रहे थे और बीच में ही इन्दिराजी पधार गयीं।

श्री रामनारायण चौधरी : 1967 से 1972 तक It was a complete observation. उसके बाद इनमें इरोजन हुआ। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा, for decorum of this House and for the decorum of the Chair, आप व्यवस्था दें कि माननीय मावलंकर के इन आब्जर्वेशन से, इस रूलिंग से आपके खिलाफ तो कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर एक नयी व्यवस्था दें ताकि इस हाउस के अन्दर एक डेकोरम कायम हो। मैं बोल रहा हूं और आप बैठे हैं, वाट इज दिस, यह हो क्या रहा है ? सीनियर आदमी, वरिष्ठ आदमी, कोई नया आदमी हो, मिनिस्टर आपके पास आ रहे हैं, मैम्बर्स आपके पास आ रहे हैं आपसे लिस्ट छीन कर ला रहे हैं, यह क्या है ? ऐसा तो पंचायत की मीटिंग में होता है। This is the August House.

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो कोई मिनिस्टर यहां पधारे नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : रिप्रजेंटेटिव हैं, दो-दो, तीन-तीन साल से चुन कर आये हैं और लोग हमें देखते हैं। आपके हाथ से मैंने लिस्ट छीनते हुए देखा है कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं।

मान्यवर, जो अथारिटी आफ दी चेयर है इसकी अथारिटी के अन्दर इरोजन नहीं होना चाहिए। यही सही है कि This Chair is guided by the different parties in the House. आप हमारे चीफ व्हिप से, उधर के चीफ व्हिप से, अदर चीफ व्हिप से आप गाइडेंस लेते हैं, इनसे आप सूचियां भी लेते हैं वह आपके पर्सनल परपज के लिए हैं। आप उनको आउट कर देते हैं कि मैं तो चिट में जो नाम हैं उनको पुकारूंगा। क्यों ? कि मैं उनका कहना मानूंगा। This is the authority of the Chair. 1977 तक यह मालूम नहीं होता था कि चीफ व्हिप ने किसका नाम दिया है। डिसप्लेजर माननीय सदस्यों का होता था वह आप देखते थे, चीफ व्हिप नहीं देखते थे। They are supposed to Cooperate with you और आप उनके कोआपरेशन को आउट कर देते हो इसलिए उनकी हालत खराब हो जाती है। This authority of the Speaker, this authority of the Chair should not be eroded Sir. I want a clear-cut rulling on this point. मैं समझता हूं इससे स्पीकर महोदय और इस आसन को ताकत मिलेगी और हमें एक रास्ता मिलेगा और इस हाउस का डेकोरम बना रहेगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने जो फरमाया है, आप पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कई दफा गलती से ऐसा हो जाता है कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बीच में कोई निकलता है, तो नियमों में प्रावधान है कि आसन और वक्ता के बीच से कोई नहीं निकलना चाहिए।

जहां तक प्रश्न है कि किसका नाम दिया है, सीधा जाकर माननीय सदस्यों को अध्यक्ष से बात नहीं करनी चाहिए। आप अपने गाइडेंस के लिए किसी से सलाह ले सकते हैं, चीफ व्हिप से ले सकते हैं और किसी से ले सकते हैं लेकिन वह आप तक ही सीमित रहना चाहिए और यदि कोई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

माननीय सदस्य इन्फार्मेशन चाहता है तो सैक्रेटरी या टेबल आफिस से ले। आपकी यह जो बात है वह बिलकुल सही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक निवेदन करना है।

पहले जैसा रामनारायणजी ने फरमाया ही है, वाकई में चीफ व्हिप की हालत बहुत खराब हो जाती है जबकि उनको लिस्ट का मालूम हो जाता है। वह तो हम अपने यहां बरदाश्त कर रहे हैं और चला रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोजाना 31 क्वेश्चन प्रिंट होकर आते हैं और क्वेश्चन आवर चार–पांच से ज्यादा क्वेश्चन सदन में एक दिन भी आगे नहीं बढ़े। अध्यक्ष महोदय, आप सात मिनट से ज्यादा समय किसी क्वेश्चन पर मत दीजिये तब तो जाकर क्वेश्चन आयेंगे और क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब भी होगा। एक क्वेश्चन में आधा घण्टा लग जाए तो फिर क्वेश्चन का का मतलब ही क्या ? फिर इतनी लिस्ट क्यों छापते हैं ? 10 ही क्वेश्चन छाप कर भेजिये कि 10 क्वेश्चन ही होंगे, बाकी मत लीजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मन्त्री) : यह तो आपके हाथ में ही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे हाथ में क्या है, यह तो स्पीकर के हाथ में है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह दुरुस्त है। हमें सरकार से बात कहने के कुछ मौके मिलते हैं—नियम 29 जिसमें तीन प्रकार के प्रश्न, नियम 119, नियम 131, नियम 132, नियम 132 "ए" नियम 106 और नियम 295, नियम 14, नियम 15, नियम 49 और नियम 50। यह नियम आपकी नियमावली के अन्दर हैं और यह हमारे लिए बने हैं, विशेष तौर से अपोजिशन के लिए। सत्ता पक्ष तो राज कर रहा है, इनको तो कुछ करना नहीं है। यह तो उनसे घर में भी जाकर मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते है। यह जो नियम बने हैं, मान्यवर, यह अपोजिशन के माननीय सदस्यों को सरकार से जानकारी लेने के लिए, सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, जनता की ग्रिवान्सेज को हाउस के सामने लाने के लिए, वेंटिलेट करने के लिए बने हुए हैं और यह हमारी सुविधा है।

मान्यवर, जीरो आवर था। मैं कल टी वी. पर सुन रहा था जब लोक सभा के जीरो आवर के प्रश्न बी. बी. सी विश्लेषण कर रही थी। यहां भी जीरो आवर था। माननीय शेखावत जी जब इधर लीडर आफ अपोजिशन के रूप में बैठते थे तो जीरो आवर के अन्दर वह बोलते थे। जीरो आवर को आपने रेगूलेट कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोक सभा के हिसाब से आपने यह किया, हमें खुशी है। लेकिन आप 295 के तहत विशेष उल्लेख यहां हम से पढ़ाते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी मेरे ख्याल से आपकी वेदना को समझते होंगे, आप तो बड़े हैं और उस गरिमा के साथ उस वेदना को पी जाते हैं लेकिन हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, 295 के उल्लेख की रीडिंग जिस तरह से टीचर स्कूल के अन्दर बच्चों से माहरणी पढ़वाता

(श्री रामनारायण चौधरी)

है उस तरह से आप हमारे से माहरणी बुलाते हैं हम बोल देते हैं, खुश हो जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं देती है। कल मैं चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा था He was kind enough वह मेरे से भी पहले एक्टिव थे। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। वह एकाध मिनिस्टर को पूछ रहे थे कि वह हैं कि नहीं। उनको यह रिएक्शन देना चाहिए था। हम भी मिनिस्टर थे, हमें चीफ मिनिस्टर कहते थे कि अपोजिशन की कोई भी बात जब आप मौजूद हों, मौजूद रहना चाहिए जीरो आवर में, कोई भी चीज गवर्नमेंट की तरफ से अननोटिस्ड और अनरिप्लाइड नहीं जानी चाहिए, गवर्नमेंट का रिएक्शन आनरिकार्ड आना चाहिए। यह हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थे। वह इंस्ट्रक्शंस मिनिस्टर्स के पास भी हैं। क्यों? क्योंकि कल मैंने चीफ मिनिस्टर का रिएक्शन देखा था, सुना था।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप 295 में रिएक्शन नहीं दे पायेंगे तो हमारे पढ़ने का क्या औचित्य है?

आज प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया है। मीडिया का यह दस्तूर है कि आप पढ़वा देंगे और गवर्नमेंट रिएक्शन नहीं देगी तो मीडिया भी उस पर नोटिस नहीं लेता है। लेना नहीं चाहिए क्योंकि जब गवर्नमेंट ही नोटिस नहीं लेगी तो मीडिया भी क्यों लेगा। अगर मीडिया नोटिस नहीं लेगा तो वह चीज जनता तक तो पहुंचेगी नहीं, कोई फायदा नहीं है यहां उसको उठाने का। मैं नहीं कहता कि मीडिया हर चीज कवर करे लेकिन जिस पर गवर्नमेंट रिएक्शन करे उस पर तो कवर करेगा। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि 295 के जो विशेष उल्लेख हैं और जो मैंने आपको नियम बताये हैं उन पर अगर गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं करती है, मैं थोड़े ही कहता हूं कि वह मान लो, आपका जैसा भी रिएक्शन है वह रिएक्शन दे दो, यह रिएक्शन आप दिलवाइये चाहे संक्षेप में ही सही। आप कह देंगे कि वह बहुत लम्बा हो जाता है। बहुत लम्बा क्यों यह दो वाक्यों? में भी हो सकता है। यह मेरा सब्मिशन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ...

श्री अध्यक्ष : वैसे 295 के जवाब तो आते ही हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां आता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिटन रिप्लाई आता है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसका क्या फायदा हुआ? उससे कोई मतलब नहीं निकलता (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : क्या मतलब निकला उससे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायणजी की बात से सहमत होते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हाउस की बहुत श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय परम्पराएं अपन ने कायम की हैं। यह जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, जो निर्णय हैं उसमें से आपने मावलंकर जी का जो पढ़ कर सुनाया

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

है, इस सब में सारी व्यवस्थाएं हैं कि कौन सदस्य किस प्रकार जायेगा, वैल में नहीं आयेंगे और अगर कोई बोलता है तो उसके सामने से नहीं आयेंगे, जब आसन खड़ा है उस समय कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बावजूद भी इस सारी परम्परा को निभाने का काम आपका और हम सब का है। आसन की पीड़ा इस प्रकार की मुझे लगती है कि कई बार क्वेश्चन आवर 12 बजे तक हो जाना चाहिये लेकिन 12 बजे के बाद बढ़ाया जाता है। एक क्वेश्चन में माननीय सदस्य केवल प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन उसके बाद भी मैकेनिज्म के आधार पर यहां भाषण शुरू कर देते हैं। ऐसे अवसर पर 10 सवाल, 12 सवाल, कई महत्वपूर्ण सवाल इसमें रह जाते हैं, वे नहीं आते। नियमों में यह भी प्रावधान है कि हम किसी पर अनर्गल आरोप नहीं लगायेंगे। कभी भी किसी मानहानिकारक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी के ऊपर यदि हम आरोप लगायेंगे तो प्रक्रिया के तहत उसको नोटिस देंगे, माननीय अध्यक्ष को नोटिस देंगे, सम्बन्धित सदस्य को नोटिस देंगे। जो इस हाउस का सदस्य नहीं है और बोल नहीं सकता, उसके बारे में हम इस प्रकार के अनर्गल गम्भीर आरोप लगा देते हैं क्योंकि हमको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यहां पर कही हुई बात का कोई न्यायालय प्रसंज्ञान नहीं ले सकता केवल यह हाउस ही ले सकता है, केवल इस हाउस में ही इसकी चर्चा हो सकती है। संविधान में संविधान के निर्माताओं ने अपेक्षा माननीय सदस्यों से की है, उनको विशेषाधिकार दिये गये हैं, प्रिविलेज दिये गये हैं कि यहां पर किसी प्रकार का आरोप लगायें, कोई बात कहें, तो कोई बाहर का व्यक्ति उस पर एक्शन नहीं ले सकता, ऐसे समय में हमारे ऊपर विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस हाउस की विशेष परम्पराओं को बनायें। पंचायतों में आज जिस प्रकार की हालत हो गयी है– केवल मावलंकर जी ने क्या कहा, केवल हमारी अध्यक्षीय व्यवस्थाएं क्या हुई, अब एक दिन अखबारों में आया कि एक माननीय सदस्य सो रहे थे। उनको झिंझोड़ा और उनकी नींद ही नहीं खुली। यहां तो खर्राटे लेना भी मना है। यहां पर कोई भी माननीय सदस्य खर्राटे नहीं ले सकता। इस प्रकार की उच्च परम्पराएं कायम की हैं मेरा यह निवेदन है कि जैसे पूर्व माननीय अध्यक्ष मामड़ा साहब ने ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि मैं उस रोज का दोषी हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और किसके लिये कह रहे हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कई माननीय सदस्य सोते रहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उधर के।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इधर के, उधर के, कई माननीय सदस्य हैं, सोते रहते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मेरा यह निवेदन है कि यहां पर माननीय विधायकों के लिये एक व्यवस्था होनी चाहिये कि हम इस प्रकार की परम्परा कायम करें। नियमों में क्या प्रावधान है, उसकी जानकारी हो, इसका प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जाए।

श्रीमती बीना काक : आप विराजें।

श्री अध्यक्ष : विराजें। माननीय श्री उगमराज जी।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, होली का त्यौहार हिन्दुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और महत्वपूर्ण त्यौहार है। ब्यावर में सेंटपोल स्कूल, ईसाइयों की स्कूल है। वहां पर होली के त्यौहार के बाद जो बच्चे स्कूल गये उनके रंग देखकर और बच्चों के हाथ में मेंहदी देखकर वहां के अध्यापक ने उनकी बुरी तरह से पिटाई की कि तुमने होली के त्यौहार पर होली का रंग क्यों खेला। उस अध्यापक के बच्चों-बच्चों की पिटाई करने के बाद वहां के अभिभावक और जन प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि वहां पहुंचे और उन्होंने प्रिंसिपल से मांग की कि इस प्रकार अध्यापक ने यह क्या कार्यवाही की। वह अध्यापक वहां मिला नहीं। उसके बाद प्रिंसिपल का घेराव किया गया। उस अध्यापक का नाम ग्रेज गोन्सालिज है। इस तरह से जो वह कार्यवाही की गई है, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे स्कूल की मान्यता के बारे में विचार करें और सख्त कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री पराक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वही स्कूल है जिसके बारे में माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में पूरी जांच करने के बाद ही इस पर आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर में जे. सी. टी. मिल के श्रमिकों के लिये क्वार्टर्स बनाये गये थे और मिल में मजदूरों को किराये पर दिये गये थे। इन पर मिल के मजदूरों से किराया कटता रहा। सारे राजस्थान में 6 लेबर कॉलोनियां थीं पर केवल मात्र गंगानगर की लेबर कॉलोनी का किराया देने के बाद जो उनका रिकार्ड होना चाहिये था वह उनको अभी तक नहीं मिला। सारे राजस्थान की 6 जगह ऐसी हैं, 5 जगह पर मिल गया। मालिक कोर्ट में चले गये। कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला हो गया। उसके बाद कोर्ट में चले गये। कोर्ट में पैनल्टी लगाकर उनके खिलाफ फैसला कर दिया गया। 200 दिन से श्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं गवर्नमेंट के विचाराधीन उस फाइल को पता नहीं किस कारण से रोक रखा है, क्या उस पर दबाव है? मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि सरकार इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीना जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : और अभी इसका जवाब दें कि मिल के जो श्रमिक हैं

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

उनको वे क्वार्टर्स पूरी तरह अलॉट होकर कब उनको कब्जा मिल जायेगा और उनके नाम पट्टे दिये जायेंगे ।

श्री हीरालाल इन्दोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब दूसरी कॉलोनियों को मालिकाना हक दे दिया गया है तो गंगानगर की कॉलोनी को हक क्यों नहीं दिया गया, यह माननीय मन्त्री बतायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : विराजें ।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यह आर. टी. डी सी. ने एक डायरी छापी है, बहुत खूबसूरत डायरी है । मेरे ख्याल से एम. एल. एज. को तो नहीं दी गयी लेकिन बाकी जगह कई बंटी हैं । इसमें नवम्बर महीने के अंक में किसी तालाब में पवित्र स्नान करते हुए महिलाओं की तस्वीर दिखाई गयी है । राधेश्याम जी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें आप ।

श्री हीरालाल इन्दोरा : (व्यवधान) 8 कॉलोनियों को रैगूलराइज कर दिया, दो-दो बार लोग कोर्ट में जीत गये लेकिन........ (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : 200 दिन से हड़ताल पर हैं और कोई कारण नहीं है । कोर्ट का फैसला है । इसमें मैं निवेदन कर रहा था .. (व्यवधान) मेरा सवाल तो अभी आया ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । आप का काम आपने कर दिया है अब सरकार का काम है उस पर ध्यान देंगे । आप विराजें कृपया ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि 200 दिन हो गये बैठे हुए .. ।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन ली गयी है, अब आप विराजें । नहीं, इस तरह से तो कैसे काम चलेगा ? 5 माननीय सदस्य तो रह जाते हैं, फिर आप कहते हो कि आप सख्ती कर रहे हो । अब मैं क्या करूं, आप बताओ ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा निवेदन है कि कोर्ट ने आदेश दे दिये हैं कि तुरन्त इनके नाम कर दिये जाएं । एक मालिक के कहने से ...

श्री हीरालाल इन्दोरा : कोर्ट में जीत चुकी है । जे. सी. टी. मिल के मालिकों के द्वारा अपील करने के बाद भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सम्बन्धित विभाग के सम्बन्धित मन्त्रियों से बात करें ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो नियम 295 के सम्बन्ध में अभी एक अस्पष्ट–सी व्यवस्था दी है, मैं उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । 295 का हैडिंग है कि जो पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं आता हो उसको सदन के ध्यान में लाया जा सकता है । अब अगर आप यह करेंगे कि इसमें सरकार का उत्तर आये और आने के लिये हो तब तो एक चर्चा के लिये नये दरवाजे खुल जायेंगे, पर इतने छोटे समय के अन्दर हो ही नहीं सकेगा । अगर कोई माननीय सदस्य उत्तर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चाहता है तो उस स्थिति में 119 है, 127 है, 131 है ...

श्री अध्यक्ष : 131 में दिये हैं मैं उनको कह रहा हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 50 है, प्रश्न हैं उसके हिसाब से 295 वाला आपने सिलसिला शुरू कर दिया तो कौनसा तो दिया? या तो फिर सरकार के पास वह भेजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 295 नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो तत्काल आता है 295। आपको नोटिस देते हैं, यहां पढ़ लेते हैं। अगर आवश्यक है और मंत्री उपस्थित हैं और मामला गम्भीर है तो वह तत्काल जवाब दे सकते हैं अन्यथा मैं समझता हूं कि यह बहुत ही कठिन काम आपके लिये हो जायेगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 295 नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : लेबर मंत्री जवाब भेज दें, मैं तो यह चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम) : यह पत्रावली गंगानगर में जो श्रमिकों के क्वार्टर्स बने हुए हैं उनके नियमन सम्बन्धी है। भूमि की कीमत, निर्माण में लगा पैसा इन सबकी समीक्षा करनी होगी और मैं समझता हूं 31 मार्च के पहले-पहले इसका हम सारा निर्णय कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ठीक है।

श्रीमती बीना काक : जैसा कि मैं कह रही थी, यह राजस्थान पर्यटन विकास निगम की तरफ से एक डायरी सबको बांटी गयी है और बहुत खूबसूरत डायरी है। एम. एल. एज. को तो मेरे ख्याल से नहीं मिली है लेकिन इसमें नवम्बर महीने के अन्दर....

अनेक माननीय सदस्य : क्यों नहीं मिली? मिली है, मिली है।

श्रीमती बीना काक : अगर आपको मिली है, पराक्रम जी, तो नवम्बर के महीने की तस्वीर देखिये और फिर आपको बोलना चाहिये था जो मैं बोल रही हूं। मिली है, मिली है नवम्बर महीने के अन्दर यह तस्वीर छापी गयी है। पवित्र स्नान तालाबों में, बेणेश्वर में और पुष्कर के अन्दर होते हैं जिसमें महिलाएं स्नान करती हैं और महिलाओं की तालाबों में स्नान करते हुए तस्वीरें हैं जिसमें एक निर्वस्त्र महिला को दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन सब मेलों में तस्वीरें लेना सैलानियों को बेंड है। अगर यह तस्वीर किसी प्राइवेट किताब में छपी होती तो कोई बात नहीं, और बात थी, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह से अगर निर्वस्त्र महिला को दिखाया गया है, बहुत शर्म की बात है। अगर इस महिला को पता चले कि इस पन्ने पर मेरी निर्वस्त्र तस्वीर छापी गयी है, उस महिला के परिवार वालों पर, उस महिला के समाज में, और उस महिला के स्वयं के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? क्या इस तस्वीर को अवोइड नहीं किया जा सकता था? क्या इस तस्वीर के बिना राजस्थान पर्यटन

(श्रीमती बीना काक)

निगम को पैसा नहीं मिलता, बढ़ावा नहीं मिलता ? शेखावाटी के ऊपर लगाइये। शेखावाटी, अध्यक्ष महोदय, भरा पड़ा है, पेंटिंग्स से भरी पड़ी हैं हवेलियां। कोई भी तस्वीर वहां छापी जा सकती थी। क्या इस चीज को यहां अवोइड नहीं किया जा सकता था ? माननीय मन्त्री महोदया, मेरा आपके खिलाफ कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है लेकिन आप एक महिला मन्त्री हैं, बाल विकास और महिला विकास भी आपके पास हैं, अगर महिला की इस तरह से तौहीन होती है, मैं तो आपसे यह उम्मीद करूंगी कि तुरन्त आप एक्शन लें कि किस अधिकारी की डेस्क के ऊपर से इस तस्वीर को अप्रूव किया गया, क्यों यह तस्वीर छापी गयी और किन्होंने यह तस्वीर छापी है। मैं तो कहती हूं कि अगर विथड्रा कर सकें तो इस डायरी को कीजिये। और भी तरीके हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के, पर्यटन को बेचने के। महिलाओं को मत बेचिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : भारतीयता की दुहाई देते हैं। इस तरह से पाश्चात्य सभ्यता में भी नहीं होता होगा कि इस प्रकार की फोटो छापें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। हो गयी बात एक बार। विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं इसलिये कह रही हूं कि मेरे पास भी एक अखबार है मां को जिसमें बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है और वह भी यहां के विज्ञापन विभाग से दी गयी है, इस प्रकार की दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री आंजना जी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छपी है, हमारे में नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मन्त्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, इस डायरी का जो जिक्र किया गया है और इस पर ध्यान आकर्षित किया गया है, मैंने अभी यह डायरी देखी है और जो आपने फरमाया है इसकी जांच करवा लेंगे और आइन्दा ऐसा नहीं होगा। (व्यवधान) आप सुनिये, पूरी बात सुनिये। ऐसा है एक पानी का गिलास है, आधा भरा हुआ है, उसको आप किस नजरिये से देखते हैं। आधा भरा है यह भी बोल सकते हैं और आधा खाली है यह भी बोल सकते हैं।

श्रीमती बीना काक : मन्त्री महोदया, इस मामले में तो हम आधा खाली देखेंगे।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप पहले पूरी बात सुन लें।

श्रीमती बीना काक : मेरी एक मिनट सुन लें कि आपको जानकारी क्या लेनी है,

(श्रीमती बीना काक)

आप तो एक्शन लें, कि मैं यह एक्शन लेती हूं। इसमें जानकारी क्या लेनी है।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनिये। विराजें, आप बात सुनें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : पूरी बात तो सुनिये। यह अपना-अपना नजरिया है, आप किस तरह से देखते हैं। यह वृद्ध औरत की तस्वीर है। इसमें आइन्दा ऐसा नहीं होगा। आइन्दा ऐसी कभी नहीं छपेगी। वह एक स्नान करते हुए भगवान से आराधना करते हुए है, इसका परिवार सम्पन्न रहे, प्रभु से यह आशीर्वाद मांगती हूं। अब आप इसे गलत नजर से देखते है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गलत नजर से नहीं, महिला को नग्न दिखाना ही गलत नजर से करना है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान) यह क्या डिबेट है ?

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर हमारा एक धार्मिक स्थान है और सरकार की तरफ से प्रतिबन्ध है वहां किसी प्रकार के स्नान करते हुए फोटो लेने पर।

श्रीमती बीना काक : बाकी मेलों पर आपने बेन क्यों कर रखा है तस्वीरें लेना ? सैलाणियों को आप तस्वीर लेने ..... (व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा : आप भविष्य में पुष्कर पर फोटो लेना रोकेंगे कि नहीं ? (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आइन्दा मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसी तस्वीरें न हों।

श्रीमती बीना काक : इस डायरी का क्या करेंगे ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अगर आपका यह नजरिया है तो आइन्दा ऐसी तस्वीरें नहीं छपें, इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

श्रीमती बीना काक : यह जो डायरी छपी है उसको क्या वितड़ा करवायेंगे आप, जहां डेस्क पर पड़ी है ? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, खुजराहो वगैरह जो पर्यटन के मुख्य स्थल बने हुए हैं उनके मन्दिरों के बाहर क्या बना हुआ है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, अभी श्रीमती बीना काक ने जो यहां चर्चा की है, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगी यह सर्वमान्य सत्य है कि मातृत्व के सम्बन्ध में एक आदरणीय विचार रखने चाहिये और किसी प्रकार के कहीं भी इस प्रकार के अश्लील चित्र देखे जायें तो उसके सम्बन्ध में, विभाग ने छापी है कि नहीं छापी है, अगर छापी है तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गलती की है लेकिन कहीं भी इस प्रकार के चित्र हों, हम सबको ही इस सम्बन्ध में एक निश्चय करना चाहिये कि ऐसे प्रकाशन न हों तो यह उचित रहेगा।

श्री सुखलाल सेणचा : पुष्कर में फोटो उतारने के लिये प्रतिबन्ध है फिर यह फोटो कैसे उतारे गये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : खजुराहों में लाखों पर्यटक आते हैं वहां पर सारे चित्र ही इसी प्रकार के लगे हुए हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री आंजना जी।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशिष्ट योजना मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अप्रेल, 1993 में कनेराघाटा में, निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ावली लिफ्ट योजना मन्जूर हुई थी जिसकी लागत करीब एक करोड़ रुपये थी और उसमें काम भी शीघ्र शुरू हो गया था और काश्तकारों ने 20 पर्सेंट अंश राशि जमा भी करा दी थी। उसके बाद न जाने किन राजनैतिक कारणों से उस योजना को बन्द कर दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्रीजी से भी मिला, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से भी मिला, सचिव महोदय से भी मिला लेकिन उसके बाद भी उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। कनेराघाटा क्षेत्र से, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उस क्षेत्र की स्थिति क्या है, वहां पानी की कितनी कमी है। केवल राजनैतिक कारण से उसको बन्द किया गया है और जोशी, जो अपने आपको दत्तक पुत्र कहता है मुख्य मन्त्रीजी का, उस योजना को बन्द कर रखा है स्वीकृति के बावजूद भी। अगर मेरा जीतना इतना दुश्वार हो तो मैं विधान सभा से ही इस्तीफा दे सकता हूं लेकिन काश्तकारों के हित में इस लिफ्ट योजना को पुनः चालू कर देना चाहिये। काश्तकारों ने पैसा जमा करा रखा है उसको विथड्रा किया गया है। मैं जवाब चाहता हूं, मन्त्रीजी मौजूद हैं, मुख्य मन्त्रीजी भी विराजमान हैं। इनकी जानकारी में पूरी बात है अगर यह बता दें तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चोरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय 11 फरवरी को हमारे जिला डूंगरपुर के जिला उप प्रमुख, श्री महेन्द्र कुमार का देहावसान हो गया। जिला उप प्रमुख का जो पद है वह एक बहुत बड़ा पद है....

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री शंकरलाल अहारी : और सुरक्षित सीट है, इस नाते मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिक्त पद हुआ है उसका चुनाव करवायें। सरकार यह भी कह सकती है कि 6 महीने बाद करा देंगे परन्तु इस समय अकाल का समय है और समय और परिस्थिति के अनुसार जिला उप प्रमुख का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह चुनाव जल्दी से जल्दी करावें।

श्री अध्यक्ष : विराजें। कोगटा जी।

श्री उदयलाल आंजना : मुख्य मन्त्री महोदय विराजमान हैं, मैंने निवेदन भी किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा। (अनुपस्थित)

श्री भरत सिंह जी।

श्री शंकरलाल अहारी : कब तक चुनाव करवा देंगे, यह मैं आश्वासन चाहता था।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोटा जिले में कैथून के पास परसों एक दुर्घटना हुई जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनको सहायता राशि प्रदान की जाये। साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रदेश में स्थान-स्थान पर होती रहती हैं मगर जो सहायता राशि प्रदान की जाती है मुख्य मन्त्री कोष से, उसका कोई निश्चित मापदण्ड नहीं होता है। अगर कहीं कोई मन्त्री के क्षेत्र में दुर्घटना होती है तो दस हजार रुपया आप दे देते हैं, कहीं पांच हजार रुपया देते हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से जो पीड़ित परिवार हैं उनको तत्काल सहायता राशि एक निश्चित समय में दी जाये और समूचे राजस्थान में एक समान मापदण्ड हो। ऐसा नहीं हो कि किसी के यहां ज्यादा हो, किसी के कम।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है। मैं भी बोलूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, हम दोनों बोलेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले के थाना निवाई के अन्तर्गत एक गांव डांगरथल है। वहां पर अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग आठ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की घटना घटी जिसका मुकदमा नम्बर निवाई थाने में 42/96 दर्ज हुआ है। एक महीने से भी अधिक समय गृह मन्त्रीजी, हो चुका है। उस गांव में मीणों के एक-दो घर हैं। आठ वर्षीय बालिका जो अपने खेत में बकरियां चरा रही थी, उसके साथ यह कुकृत्य करने के बाद आज तक एक महीने में भी उस अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। वह अपनी अग्रिम जमानत के लिए इधर-उधर फिर रहा है। पुलिस उससे मिली हुई है। पुलिस के राजनैतिक दबाव में आने के कारण इसमें गिरफ्तारी सम्भव नहीं हो पा रही है। अदालत से उसकी जमानत खारिज हो चुकी है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा गृह मन्त्री जी से अनुरोध है कि उस अनुसूचित जनजाति की आठ वर्षीय बालिका के साथ जो हुआ, मैं इस घटना को ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना।

श्री परसादीलाल मीणा : परन्तु इस तरह का कलंकित इतिहास जो बनाया गया है आठ वर्षीय बालिका के साथ, न्यायाधीश

(श्री परसादीलाल मीणा)

ने यह लिखा है कि यह आजीवन कारावास का मामला है इसलिए इसमें जमानत नहीं ली जा सकती है। परन्तु हमारी पुलिस, हमारे शासन की जो गति है आज एक महीने में उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको तुरन्त गिरफ्तार करें। नाबालिग बालिका के साथ जो इस तरह की घटना घटी है उसके लिए आप तुरन्त कार्यवाही करें। उन अपराधियों को आप निर्धारित समय में, एक–दो दिन में गिरफ्तार करायें।

(12 53)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इसी घटना पर एक भिन्न सामाजिक पहलू पर निवेदन करना चाहता हूं। पहलू यह है कि गांवों की एक सामाजिक व्यवस्था है। यहां सभी जाति–बिरादियों के लोग एक साथ रहते हैं और उनके बहुत ही नाजुक नजदीकी सम्बन्ध भाईचारे के हैं। उपाध्यक्ष जी, गांव में रहने वाले हरिजन भाई, ब्राह्मण, राजपूत, चाहे कोई काश्तकार कौम हो सबकी बहन बेटियां एक दूसरे की या तो बुआ है, भतीजी है, बहन है, बेटी है, सब कुछ है। मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि कोई अनुसूचित जनजाति की एक अबोध बालिका के साथ किसी ब्राह्मण के लड़के ने बलात्कार कर दिया। मैं यहां दूसरे शब्दों में आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि एक भाई ने एक बहन के साथ बलात्कार किया है जो हमारे कानून में और सामाजिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। अगर गांवों की यह व्यवस्था टूटी, परस्पर भाईचारे के बन्धन टूटे तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशंका है कि जिन बिरादरियों के एक-एक घर हैं उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रह पायेगी। इसलिए, मुख्य मन्त्रीजी, इस तरह के जो वहशी अपराधी हैं, निश्चित रूप से कानून को तुरन्त अपना काम करना चाहिये और उनको बिलकुल बचाउ नहीं करना चाहिये कि ऐसे लोगों को अग्रिम जमानत के लिए मौका दिया जाय या इजाजत दी जाय। आपको स्वयं जानकारी है, आप होकर आये हैं कसाना के अन्दर क्या हुआ। अगर यह सामाजिक व्यवस्था टूट गयी तो यह गांव बरबाद होकर रह जायेंगे। इसलिए कानून सख्त कार्यवाही करे। मैं, यही मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी, आप दोनों से अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस घटना की शिकायत मेरे पास आ चुकी है और मैंने सम्बन्धित डी. आई. जी. और एस. पी., दोनों को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि तत्काल वांछित कार्यवाही कर अपराधी को गिरफ्तार किया जाय। आज सवेरे मैं इस बात का इन्तजार कर रहा था कि क्या कार्यवाही हुई और क्या नहीं ताकि अगर आज यह मसला उठता तो मैं उसकी सूचना दे देता। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो माननीय परसादीलाल जी ने कहा है कि राजनीतिक प्रभाव या दबाव है, ऐसी इसमें कतई किसी तरह की गुंजाइश नहीं है,

(श्री कैलाश मेघवाल)

न ऐसा होगा। अपराधी को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जायेगा। हो सकता है मैं कल या परसों तक आपको इस बारे में सूचित कर दूं कि क्या कार्यवाही हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक जिले की घटना है। माननीय परसादी लाल जी ने कहा है कि इसमें कोई राजनीतिक बात है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो उस गांव में कोई राजनीतिक बात है ...... (व्यवधान) जहां तक कार्यवाही का सवाल है, वहां प्रशासन, कलक्टर, एस. पी. खुद गये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। हम बात कर रहे हैं सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के लिए। सामाजिक व्यवस्था नहीं टूटे, यह हम अनुरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आरोप नहीं लगाये हैं हमने किसी पर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अगर यह सामाजिक व्यवस्था टूटी तो अल्पसंख्यक घरों की लड़कियां गांव के बाजार में.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहांजपुर) : अब स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही नहीं है। गृह मन्त्री जी ने साफ जवाब दे दिया उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। उन्होंने खुद मान लिया है इस बात को। + + + की बात कर रहे हो ... (व्यवधान) ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या + + + की बात है इसमें। कोई भी घटना हो गयी, आपकी बस की दुर्घटना हो गयी, केवल यह कहने के लिए कि राजनीतिक बात है, न तो उस डांगरथल गांव में सामाजिक कोई बात है, न राजनीतिक कोई बात है, न किसी समाज का किसी को प्रोटक्शन है।

श्री रतनलाल ताम्बी : सरकार के उत्तर के बाद जरूरी नहीं रहा। आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है और की भी जा रही है।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हिण्डौन की एक घटना की तरफ गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री मल्लाराम गुर्जर, निवासी सालमपुर, मनीराम मुनीम के साथ हिण्डौन के एक ठेके पर एक हजार रुपये प्रतिमाह वेतन के हिसाब से रखा गया था। कुछ महीने बाद जब वह वापस घर नहीं आया तो उसकी पत्नी ठेके पर पहुंची। ठेकेदार ने एक हजार रुपये का वेतन देकर पत्नी को वापस भेज दिया कि हमारे कई ठेके हैं, वह दूसरे ठेकों पर काम

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

कर रहा है इसलिए आप उसका वेतन ले जाओ वह एकाध महीने बाद आयेगा। दो तीन महीने जब लगातार इसी तरह से उस महिला को ठेकेदार लौटाते रहे तो उसके बाद वह प्रशासन के पास धक्के खाने गयी, एस.पी. के पास गयी, कलक्टर के पास गयी। आज दिन तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं की गयी। एस.पी. के पास गयी, सात दिन के अन्दर उन्होंने रिपोर्ट मांगी, वह रिपोर्ट आज तक नहीं पहुंची। कलक्टर के पास गयी, वह भी आज दिन तक नहीं पहुंची। माननीय गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मोटी रकम ठेकेदारों से खाकर वहां की पुलिस ने उस मर्डर को खोला नहीं है। कुछ दिन बाद टोडाभीम में रेड पार्टी में किसी की मृत्यु हुई उसके बाद इस पर कार्यवाही करने की बात सामने आयी। यह बहुत गम्भीर मामला है और 302 की घटना बनती है। इस पर कार्यवाही की जाय और उस विधवा को न्याय दिलाया जाय।

दूसरा, मैं एक और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि होली के अवसर पर सिकरोदा मीणा के अन्दर सुरेश हत्याकांड हुआ है। होली के दूसरे दिन जघन्य तरीके से उस सुरेश शर्मा को मारा गया। प्रशासन को जानकारी दी गयी, पुलिस घण्टों तक वहां नहीं पहुची और पहुचने के बाद अपराधी पुलिस के सामने थे, अपराधी की रिपोर्ट दर्ज कराने गये, रिपोर्ट दर्ज कर ली उसके बावजूद भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया और सुरेश हत्याकांड के ऊपर मात्र दस हजार रुपये दिये गये। कसाना गांव में बुरा हुआ इस बात को मैं भी मानता हूं। उनको एक लाख रुपया दिया गया कोई दिक्कत नहीं लेकिन कानून के अन्दर कौम का सवाल पैदा नहीं होता। कानून में अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई कौम नहीं होती। यदि कसाना के अन्दर एक लाख रुपया दिया गया है तो सिकरोदा मीणा के अन्दर सुरेश हत्याकांड में भी वही राशि मिलनी चाहिये और उन अपराधियों को, उसमें महिला भी अपराधी हैं, केवल जाति के नाम पर छूट नहीं दी जानी चाहिये और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। ऐसा ताण्डव नृत्य यदि होता रहा तो कौन व्यक्ति सुरक्षित रह पायेगा। अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : बिना सूचना के अगर इस तरह के प्रकरण आयेंगे तो उनका यथोचित जवाब देना सम्भव नहीं होगा। मैं जब हिण्डौन गया था तो जो पहली घटना का वर्णन किया है वह महिला मेरे से मिली थी और मैंने डी. आई. जी. और एस. पी. को स्पष्ट कहा था कि इसमें पुख्ता कार्यवाही कीजिये और वह कार्यवाही हो रही है। अब यहां एटरेन्डम इस तरह के सवाल उठा दिये जायेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो दिन में भी और महीने में भी कई तरह की जानकारियां, कई तरह के आदेश दिये जाते हैं. जांच के,

(13.00)

उनको यथोचित जवाब देना सम्भव नहीं होगा। एक घटना मुझे मालूम है, क्योंकि हिण्डौन में वह महिला मुझसे मिली थी। डी. आई. जी. भी वहीं थे, एस. पी. भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

वहीं थे, मैंने पुख्ता कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। अब इसमें क्या कार्यवाही हुई वह भी मैं मंगवा लूंगा।

जहां तक कसाना के हरिजनों को एक लाख रुपये देने का जिक्र किया है, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का निर्णय है कि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, निहत्थों को मारेंगे तो राज्य सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करेगी और वह 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति देने का निर्णय लिया हुआ है। जो दो निहत्थे बैरवाओं की एक स्त्री और पुरुष को मार डाला गया, मैंने मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से उनको एक लाख रुपये सरकार की नीति के अनुसार देने की घोषणा की थी। इसमें कोई दूसरा विरोध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि लाखेरी थानेदार ने लतूर मीणा को पीटा, पुलिस कस्टडी में मारा। उसकी विधवा माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास आयी। गृह मंत्रीजी, आपको जब हमने दरख्वास्त दी, उस आदमी को आपने दो पैसा नहीं दिया और 50 हजार और 1 लाख की बात करते हो। इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति है। पार्टी कार्यकर्ताओं को देने की बात करें, आप अपनी पार्टी वालों को देने की बात करें, आम गरीब को ... (व्यवधान) दोहरी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी, कृपया सुनिये। आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री रामनारायण मीणा : मैं मेरे पाइण्ट पर आ रहा हूं लेकिन यह बहुत निन्दनीय बात है कि इस तरह सरकार द्वारा किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहां एक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय है, आप उसके मंत्री हैं उसमें दो ऑफसेट मशीनें 1978 की हैं बाकी 32 पेडस्टल मशीनें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपने जो दिया है, बूंदी जिले के ग्राम जावरा, भीमगंज, हरिपुरा वगैरह–वगैरह। यह है इसमें।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा जीरो आवर का जो पाइण्ट था उसकी बात कर रहा हूं मैं तो। मुद्रणालय की हालत खराब है। मैं उस पाइण्ट पर आ रहा हूं। आप स्लिप की बात कर रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव।

श्री रामनारायण मीणा : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इसका बजट लैप्स होता है हर साल, आप कृपया इसको देखें। उसको माडर्नाइज करने की कृपा करें।

मेरे बूंदी जिले के जावरा, भीमगंज और गुलखेड़ी गांव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामनारायण मीणा)

सरकार उसके बारे में चिन्तित क्यों नहीं है ? मुझे बहुत खेद है, ऐसा इण्टीरियर इलाका है, आज की तारीख में आदमी सिर पर बोझा लेकर अपनी कृषि उपज लेकर निकलते हैं, मैंने अपने अधिकार क्षेत्र से कुछ छोटी पुलियाएं बनवाई हैं, आज की तारीख में कोई रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आपको चिट्ठी लिखी है, हो सकता है आप उस पर कार्यवाही कर रहे हों । जो खटगढ़ से बारमाता तक की सड़क का सवाल है, आप कृपया उसको देखें । वहां एक उप स्वास्थ्य केन्द्र है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गर्भवती औरत आ नहीं सकतीं, कोई बीमार हो जाय आ नहीं सकता । बरसात में, 8 महीने निकलने का है नहीं वहां । उस उप स्वास्थ्य केन्द्र का इन्होंने निर्माण करवाया, अधूरा उप स्वास्थ्य केन्द्र 5 साल से पड़ा है । मैंने विजिलेंन्स कमेटी को इसके बारे में निवेदन किया, यहां क्वेश्चन्स किये, जिला प्रशासन को कहा लेकिन सरकार इतनी सुस्त है जहां तक मेरा ख्याल है कुम्भकर्णी निद्रा में सो रही है । ऐसा इण्टीरियर इलाका है जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है । उसको पूरा नहीं करवा रही उसका एक महज कारण यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि शासकीय दल का एक ठेकेदार है जिसने पूरा पेमेण्ट उठा लिया, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है और उससे कोई वसूली नहीं की जा रही है । हमें इससे कोई लेना–देना नहीं है । कृपा करके आप उस उप–स्वास्थ्य केन्द्र को पूरा करवायें ताकि वहां ए. एन. एम. रह सके । मैं आशा करूंगा . (व्यवधान) आप इस बात पर.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 295 में पढ़ करके अपनी बात कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : 295 नहीं है । श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था । झुन्झुनूं जिले में बिजली की कटौती इस बेरहमी के साथ की गयी है कि पूरा जिला उससे प्रभावित हुआ है । शाम को 10 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बिजली नहीं दी जाती है । उसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लड़के जो स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई समाप्त हो गयी । परीक्षाएं आ गयीं । सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की परीक्षाएं आ गयीं होम एक्जामिनेशन्स आ रहे हैं उनमें बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी । पिछली सतर्कता समिति के अन्दर जिले के अधिकारी थे उन्होंने कलक्टर के सामने इस बात की व्यवस्था के लिए हां की थी कि हम लड़कों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे । इस तरफ मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

दूसरा अलसीसर पंचायत समिति के दो ए ईएन. हैडक्वार्टर को अबोलिश कर कर दिया, तोड़ दिया । तोड़ करके एक को मण्डावा के साथ लगा दिया और बाकी को लगा दिया झुन्झुनूं के साथ । तीन सौ ग्राम और मजरे जो पहले वहां लाभान्वित होते थे उस सर्कल से उनके सबके कागजात मण्डावा

(श्री रामनारायण चौधरी)

और झुन्झुनूं आ गये। ढाई सौ, तीन सौ आदमी हैं गांवों के, उन लोगों को रोज झुन्झुनूं और मण्डावा आना पड़ेगा। मैंने माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया कि मण्डावा तो है, बिसाऊ और मलसीसर दोनों जगह बिजली के उप केन्द्र स्थापित किये जाए। जो कटौती की है, बच्चों के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए बिजली की व्यवस्था सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक गांव के अन्दर की जानी चाहिए यह मेरा आग्रह है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : शून्यकाल की पर्ची क्यों नहीं बोलने दी गयी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर ऐसी इम्पार्टेण्ट .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा मैंने समाप्त कर दी।

श्री रामस्वरूप मीणा : शून्यकाल में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने औरों को दी तो हमारी क्यों रोकी गयी? हमारे को बोलने का मौका क्यों नहीं? हमारी पर्ची है वहां पर। (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहती हूं... (व्यवधान).. कि जबकि यहां जयपुर में इतनी आबादी बढ़ रही है (व्यवधान) मेहरबानी करके, उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का समय दिया जाय। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय शून्यकाल में मेरा नाम दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों को जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है इसके लिए मैंने समय मांगा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमारे बारे में नहीं हुई है। हमारा विषय है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। (व्यवधान) आप किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, यह तय करना आपके हाथ में है (व्यवधान) आप निर्णय तो करेंगे ना। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 20 आदमी मरे वह प्रस्ताव मैंने ... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमें बोलने का 2 मिनट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये एक मिनट। श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कक्षा 8 की हिन्दी की किताब है जिसको राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की ओर से छापा गया है, इसमें पेज नम्बर 28 है उसका शीर्षक है "निर्मल हृदय और निराश्रितों को घर", और उसको लिखने वाले हैं विदेशी लेखक "डोमिनित नाबियर," वह लिखते हैं हिन्दुस्तानियों के लिए। मैं तीन लाइन पढ़ कर सुना रहा हूं, "उसके ऊपर क्रास का चिन्ह बनाया और प्रार्थना करने लगी। उठ कर वापस जाते हुए यह सोच रही थी कि इस देश में इन्सानों से ज्यादा अच्छा सलूक तो कुत्तों के साथ होता है।" इसी प्रकार एक लाइन और है, "शर्म की बात है कि इस शहर में इन्सानों को सड़क पर कुत्तों की मौत मारने दिया जाता है।"

श्री उपाध्यक्ष : यह म्राप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री म्रोमप्रकाश शर्मा : मैं कक्षा 8 की पुस्तक जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है वह निवेदन कर रहा हूं। दो लाइन और पढ़ूंगा, श्रीमान्, "तीस साल से मैंने पत्थर की काली की उपासना की है। सच्ची काली तो यह है जीती जागती काली। उसके बाद सफेद साड़ी पहने ननों पर पत्थर फिर कभी नहीं फेंके गये।" इसका मतलब क्या है ? इस पुस्तक को पढ़ने का लाभ क्या है ? शीर्षक जो है "निर्मल हृदय और निराश्रितों को घर," इस चैप्टर को पढ़ाने का म्रर्थ क्या है, यह मैं पूछना चाहता हूं म्रौर किन अधिकारियों ने यह किताब छपवाई है। यह देखा भी कि नहीं देखा ? इसमें यह लिखा है पीछे शीर्षक में गांधीजी के बारे में, "गांधीजी का जन्तर" यह क्या होता है जन्तर ? एक तरफ तो हम हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं म्रौर दूसरी ओर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाय, बड़े शर्म की बात है। मैं चाहूंगा, जिन अधिकारियों ने यह पुस्तक छापी है, बिना देखे छपायी है उनको दण्डित किया जाय और इस चैप्टर को इस किताब से निकाला जाय। इसके स्थान पर रानी पद्मिनी का नाम होता, दुर्गावती का नाम होता, हाड़ी रानी, वीर दुर्गादास, राणा हमीर, जयमल पत्ता, राणा सांगा, राणा प्रताप के चरित्र का म्रगर विवरण किया जाता तो अच्छा रहता। मैं यह निवेदन करूंगा पुनः... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री म्रोमप्रकाश शर्मा : इस चैप्टर को इसी पुस्तक में जोड़ा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार को जानकारी हो गयी है, अब म्राप समाप्त करें। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जयपुर में जिस तरह से म्राबादी का भार बढ़ रहा है, पूर्व में यहां पर एक नया जयपुर बनाने की योजना बनी, इतने लम्बे समय तक चर्चा करके वो योजना बनी लेकिन एक दिन बैठ करके उस योजना को समाप्त कर दिया गया। किन माफिया के दबाव में म्राकर यह योजना समाप्त की गयी, क्यों की गयी, क्या ऐसा प्रेशर म्रा गया था जो इतने लम्बे समय तक बनाने के बाद उसको स्थगित कर दिया गया, मैं यही सरकार से जानना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा शार्ट में कहें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना शार्ट नहीं है, घटना बड़ी है। मेरा विनम्र निवेदन है कि नेशनल हाई-वे-11 जो है कभी-कभी आप भी उधर से पधारते हैं, उसके रूट पर हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। शायद राजस्थान का पहला एक्सीडेंट है इतना भयंकर जो अभी हुम्रा है। एक जीप वहां से आ रही थी, जिसके म्रन्दर 4 आदमी मुसलमान हमारे टोडाभीम के भी थे, 20 म्रादमी उसके अन्दर मर गये। इतना भयंकर एक्सीडेंट शायद इतने कम समय में नहीं हुम्रा। मैं म्रापसे निवेदन करूंगा कि 20 म्रादमी मर गये, म्रधिकारी म्रापके लेट

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पहुंचे। वहां पर चक्का जाम रहा, 8 घण्टे तक चक्का जाम हुआ था। उस दिन चक्का जाम में हमारे मंत्रीजी भी फंस गये थे। बड़े दुःख की बात है, माननीय होम मिनिस्टर साहब, रोजाना घटना होती है नेशनल हाई-वे-11 पर, मेंहदीपुर बालाजी से लेकर के दौसा के बीच में, इस प्रकार की ये लगातार 3 महीनों के अन्दर 30 घटनाएं हुई हैं। 3 महीने के अन्दर 30 घटनाएं हुई हैं इससे बड़ी बात क्या होगी? मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे टोडाभीम के जो 4 आदमी मरे उसके अन्दर, उनको एक साथ दफनाया गया था, उनको एक साथ रखा गया था। बड़े दुःख की बात है, मातम छा गया था सारे शहर के अन्दर। बाजार तक हमारे बन्द रहे। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय होम मिनिस्टर साहब, आप विराजमान हैं, इस प्रकार रोजाना जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, अवैध वाहन जो चल रहे हैं, ऊपर-नीचे जो सवारियां चल रही हैं इनके कारण ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्या इसके बारे में कोई विशेष अभियान चला रहे हैं या कोई कार्यवाही कर रहे हैं ताकि वो 20 आदमी जो मरे हैं उनके परिवारों को सांत्वना मिल सके? दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके लिए सहायता दी जाय। एक-एक लाख रुपये जो मरे हैं उनके परिवारों को दिये जायें। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अनेक परिवार मार दिये, आपने एक लाख उनके लिए दे दिया लेकिन उन हत्यारों, जिन्होंने अवैध जीप चला रखी थी और अवैध जीप में उन लोगों को बैठा लिया था जिसमें 20 आदमी मर गये, के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब। मेरा विनम्र निवेदन है

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, 20 आदमी मरे हैं, सदन को भी इस बात पर खेद व्यक्त करना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब विराजमान हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं आप? इन घटनाओं को रोकने के लिए, माननीय होम मिनिस्टर साहब, मेरा विनम्र निवेदन है कि विशेष व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाइये, माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इन एक्सीडेंटों को रोकने के लिए होम मिनिस्टर साहब ने क्या विशेष व्यवस्था की है? मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला था, आपसे कई बार निवेदन भी किया है, आपने कहा–कार्यवाही करेंगे। क्या कार्यवाही की? मेरा विनम्र निवेदन है, 20 आदमी मर गये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या माननीय होम मिनिस्टर साहब कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिये। आप मेरी बात सुनिये, कभी-कभी तो आप शालीनता का परिचय दीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : 3 महीने में यह लगातार इस प्रकार की तीसरी घटना हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : 20-20 आदमी जिसके अन्दर मरे और उसमें शालीनता? मौत झेल रहे हों, सड़कों के ऊपर 20-20 आदमी मर रहे हों और जिला प्रशासन सुस्ताता रहा। प्रशासन कार्यवाही नहीं करे ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

श्री रामस्वरूप मीणा : 20 आदमी मरे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 20 आदमियों के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, क्या सरकार इसके बारे में कार्यवाही करेगी? मेरा विनम्र निवेदन है कि नेशनल हाई-वे-11 पर ....(व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

आमेर महलों में पर्यटक-सुविधाएं बढ़ाना व अनियमितताओं की जांच

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पर्यटन राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आमेर महलों में पर्यटकों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने व महलों में अधीक्षक के सान्निध्य में पनप रहे अनैतिक कृत्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आमेर महलों में दर्शक टिकिटों का दुबारा बेचान, वाहन का टिकिट एक दिन का कटने पर उसी टिकिट से बार-बार प्रवेश की अनुमति, पान की दुकान पर ज्यूस व हस्तकला के विक्रय की छूट, कर्मचारियों द्वारा गाइड का काम कराकर पारितोषिक प्राप्त करने जैसी गम्भीर अनियमितताओं की छूट अधीक्षक ने देकर भ्रष्टाचार पनपा रखा है और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अवैध धन्धों के कारण सरकारी शोरूम, सरकारी जलपान गृह को भी हानि पहुंचायी जा रही है। यह कहना भी निरसार है कि पिछले 3 सालों में आय बढ़ी है। आय बढ़ने का मुख्य कारण बार-बार रेट्स का बढ़ना व दर्शकों की संख्या बढ़ना रहा है। इस अधीक्षक की अनेक शिकायतें हुई हैं उसमें शिकायतकर्ताओं को न बुलाकर अधीक्षक से टिप्पणी लेकर जांच समाप्त करने से अब अधीक्षक को खुली छूट मिली हुई है। सरकार भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है तो किसी उच्च स्तरीय अधिकारी से शिकायतकर्ताओं व आम दर्शकों व जनता के सामने जांच करायें।

साथ ही विदेशी व देशी पर्यटकों को सुविधा व महलों की सुन्दरता बढ़ायी जावे और जलेबी चौक के अलावा महलों में भी आवश्यक मरम्मत करायी जाकर प्राचीनता को बनाये रखा जाये। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार को मिटाने व निष्पक्ष जांच के अलावा महलों का आकर्षण बढ़ाने की भी व्यवस्था कराये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल (अनुपस्थित) श्री शंकर भानूदा।

राजस्थान जल विकास निगम, जयपुर में राजकोष का दुरुपयोग व अनियमितताएं

डा. शंकर मानुवा (कपासन) : मैं राजस्थान जल विकास निगम जयपुर में अधिशासी निदेशक श्री एस एम. कंवर के खिलाफ अवधि दिनांक 26-7-1991 से 6-11-1992 तक की गयी गम्भीर अनियमितताएं अपनाकर राजकोष का अत्यधिक मात्रा में दुरुपयोग करने एवं भ्रष्ट आचरण से कार्य करके अपने चहेतों को अधिकतम लाभ पहुंचाने पर माननीय भू-जल मंत्री का इस गम्भीर मामले में निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :—

श्री पी. सी. जैन, एम. डी. एवं मुख्य अभियन्ता भू–जल विभाग, जोधपुर एवं श्री एम. एस. कंवर, अधिशासी निदेशक जल विकास निगम, जयपुर की मिलीभगत द्वारा केन्द्रीय भण्डार भू–जल विभाग में किसी खण्ड से (अकार्यशील कण्डम परक्यूशन रिग को) श्री एस. एम. कंवर द्वारा राजस्थान जल विकास विभाग में कार्य करने हेतु लेना एवं श्री पी. सी. जैन, मुख्य अभियन्ता भू–जल विकास, जोधपुर एवं एम. डी. जल विकास निगम जयपुर द्वारा कण्डम परक्यूशन को इश्यू कर देना एक गम्भीर अनियमितता का जीता-जागता उदाहरण है।

इस कण्डम मशीन को जोधपुर से इश्यू कराकर क्या राजस्थान जल विकास निगम की बोर्ड की मीटिंग में यह तय किया गया था ? क्या बोर्ड से यह भी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी कि इस कण्डम मशीन को श्री कंवर द्वारा जोधपुर से लेकर इसकी सम्पूर्ण मरम्मत राजस्थान जल विकास निगम, जयपुर कार्यालय में भारी कीमती सामान को टुकड़ों में सीमित निविदाओं के आधार पर क्रय कर अविलम्ब मरम्मत करायी जावे।

इस कण्डम मशीन की मेजर ओवर हालिंग करने के पश्चात् क्या यह आशा की गयी थी कि यह मशीन कार्य करने में सफल हो जायेगी एवं इसकी मेजर ओवर हालिंग कराने में अनुमानित राशि कितनी होगी ? इन आवश्यक वर्णित बिन्दुओं पर मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अभियन्ताओं एवं वरिष्ठ मैकेनिकों से इश्यू करने एवं लेने हेतु निर्णय लिया गया कोई कमेटी चयनित कर आपसी सुझावों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् ही श्री कंवर को निगम के लिए इस मशीन को लेना एवं श्री पी. सी जैन को इश्यू करनी चाहिये थी। इस मशीन को श्री पी. सी. जैन एवं श्री एस. एम. कंवर की मिलीभगत से लेकर जयपुर के लोकल मार्केट से उसकी मरम्मत कराकर लाखों रुपये का खर्चा करने के पश्चात् भी मशीन भेदन कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। इसकी मरम्मत कराने में लाखों रुपयों का खर्चा कर साइड पर कार्य करने हेतु भेजा गया। वह मशीन कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करने के कारण आज भी वह ज्यों की त्यों ही विभाग में पड़ी हुई है।

भू–जल विभाग, जोधपुर से इस मशीन को इश्यू कराकर जयपुर निगम के अन्तिम समय तक किये गये खर्चों एवं कराये गये कार्य में श्री एस. एम. कंवर द्वारा अपनी चालाकी से विभाग के उच्च अधिकारियों को गुमराह करने, यह मशीन लेने का षड्यन्त्र रचा गया जिसमें उन्होंने 5.61

(डा. शंकर मानुदा)

लाख रुपये का राज्य कोष का दुरुपयोग कर समिति निविदाओं के आधार पर टुकड़ों में डुप्लीकेट क्वालिटी में सामान की खरीद की गयी तथा मशीन पार्ट्स को तो बिना खरीदे ही केवल श्री कवर के हितैषी लोगों (पार्टियों को) निविदा के आधार पर बिल बनवाकर भुगतान किया गया जिससे आज तक मशीन रिपेयर कराने के पश्चात् निगम के लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः राजकोष को नुकसान पहुंचाने वाले निगम के इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये ताकि इस निगम में जो भ्रष्टाचार का गन्दा वातावरण फैल रहा है उस पर भी अंकुश लग सके तथा निगम के अन्य कर्मचारी/अधिकारियों को भी यह महसूस हो सके।

अतः मैं माननीय भू-जल मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में अनुमति प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल ।

ग्राम पंचायत तेरहहिया, (रूपवास), जिला-भरतपुर में शिल्पी योजना व इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताएं

श्री मोतीलाल (रूपवास) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के माध्यम से प्रार्थी अमर सिंह सन आफ श्री बादाम सिंह, जाति जाटव, बुरेला ग्राम पंचायत तेरहहिया, रूपवास, जिला-भरतपुर का मूल निवासी है। प्रार्थी अमर सिंह को शिल्पी योजना में 6000 रुपये मंजूर हुए थे लेकिन किसी दूसरे से 1500 रुपये सोनपाल बी. डी. ओ. और कुछ पैसा उपसरपच ने लेकर पैसे दूसरे को दिला दिये। जिसकी रिपोर्ट अतिरिक्त कलेक्टर, भरतपुर को की गयी। कलेक्टर ने रिपोर्ट की जांच करके सात दिन में अपनी रिपोर्ट दी लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। जब मेरे पास अमर सिंह सन आफ बादाम सिंह आये और उन्होंने मुझे सारी कहानी बतायी तो कलेक्टर की रिपोर्ट को देख करके मैंने एस. एच. ओ. को रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसकी कापी मेरे पास में मौजूद है। लेकिन बी. डी. ओ. सोनपाल ने पुलिस से मिलकर उस गरीब को कोई भी पैसा नहीं दिया।

क्या सरकार इसकी जांच एस. डी. ओ., बयाना से करवायेगी और दोषी आदमियों को सस्पेंड करके जेल भिजवायेगी? जिससे भविष्य में कोई कर्मचारी पंचायत समिति में ऐसा घोटाला नहीं करे। इस साल की कम से कम 15–20 रिपोर्ट मेरे पास हैं जिनमें बी डी. ओ. और सेक्रेटरी इन्दिरा आवास योजना में गरीब लोगों से 1,500, 2,000 तथा 2,500 रुपये तक रिश्वत लेता है, अन्यथा उनको पैसे नहीं देता। इसलिए ऐसे कर्मचारी को सस्पेंड करके जेल भेजें जिससे आगे कोई कर्मचारी ऐसा न करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर पंचायत समिति रूपवास में खुले आम रिश्वत हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

भरतपुर-मथुरा बाई पास निर्माण में किसानों की अवाप्तभूमि का मुआवजा

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं :—

"भरतपुर शहर के पास मथुरा जाने हेतु एक बाई पास बनाने की सरकार की योजना है। बाई पास बनना तो लाभप्रद है क्योंकि यातायात में सुविधा होगी और जो वाहन शहर में अन्दर आते हैं वह अन्दर शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। किन्तु बाई पास का निर्माण इस प्रकार से होना आवश्यक है कि किसानों की कृषि योग्य भूमि खराब न हो और यदि आवश्यक ही हो तो कम से कम भूमि बाई पास निर्माण कार्य में आवे। इस दृष्टि से यह मुनासिब होगा कि अजान नहर के किनारे-किनारे, उस नहर की पटरी का प्रयोग करते हुए इस बाई पास का निर्माण किया जाये। इस निर्माण में किसानों की जो भूमि आवे उसका मुआवजा सरकार को बाजार मूल्य से देना चाहिये। शहर के नजदीक किसानों के पास कम भूमि है और कीमती है, इस कारण उन्हें इस भूमि का समुचित मुआवजा देना चाहिये।"

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम ।

सांगानेर में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में पेयजल की गहन समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस क्षेत्र में 15 पानी की टंकियां बनी हुई होने के बावजूद गांव वालों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन टंकियों में पानी कभी चार दिन पहुंचता है, कभी दो माह में केवल छह दिन पहुंचता है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार–बार निवेदन करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इसी प्रकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत अजराजपुरा, भापुरा, देवली आदि गांवों में जमीन के नीचे पत्थर आने के कारण हैण्ड पम्प कार्य नहीं कर रहे हैं। इस बारे में भी मैंने जिला अधिकारियों एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार–बार सूचित किया है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान कुओं में बोरिंग करने से ही हो सकता है।

अतः इस क्षेत्र में कुओं में बोरिंग कराने का प्रावधान करके पेयजल समस्या का समाधान करने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि अब ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ होने वाली है और पेयजल के बिना गांवों में त्राहि-त्राहि मच जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

बालोतरा से जोधपुर वाया ग्राम आड़ियावास, कूड़ी, पटाऊ, सरवड़ी, खारलाई, कल्याणपुर, अराबा और डोली में बस सुविधा

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बालोतरा से जोधपुर के

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

स्टेट हाइवे पर बसे ग्राम भाड़ियावास, कूडी, पटाऊ, सरवडी, चारलाई, कल्याणपुर, अराबा और डोली आदि ग्रामों में राज्य परिवहन की बसों के अभाव में जनता के आवागमन में असुविधा के विषय बाबत प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बालोतरा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। यहां जिला न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, आर.एफ.सी. कार्यालय, मुंसिफ कोर्ट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट है। पंचायत समिति पटाऊ, भाड़ियावास, सरवड़ी, चारलाई, कल्याणपुरा, अराबा और डोली व इन ग्रामों के आस–पास के ग्रामों से हजारों लोग बालोतरा शहर में अपनी मजदूरी करने, चिकित्सा करवाने, सामान खरीदने, विद्यार्थी पढ़ने, फरियादी न्यायालय में फरियाद करने हेतु हमेशा आते–जाते रहते हैं। इन छोटे–छोटे गांवों से जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा भी हमेशा आना–जाना पड़ता है लेकिन अति खेद की बात है कि पिछले दो वर्ष से इन ग्रामों में सिर्फ एक–दो बस ही पूरे दिन में रूकती है बल्कि सारी बसें बाड़मेर, जोधपुर के बीच नॉन स्टापेज चलती हैं।

राजस्थान रोडवेज द्वारा इन उक्त ग्रामों में बसों को नहीं रोकने से यात्रियों को कई घण्टे बसों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो लोग बीमार होते हैं उनके हालात बसें नहीं मिलने के कारण अत्यन्त गम्भीर हो जाते हैं और कभी–कभी तो संकटकाल की स्थिति में उनको विवश होकर अपने प्राण भी छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि बसों के अभाव में गरीब व्यक्ति चिकित्सालयों में समय पर नहीं पहुंच पाते।

राजस्थान रोडवेज ने आर्थिक दृष्टि से काफी प्रगति जरूर की है लेकिन इन गांवों को तो अभी तक राजस्थान रोडवेज का कोई लाभ नहीं मिला है। राजस्थान रोडवेज की बसें उक्त गांवों में नहीं रूकने के कारण उन्हें विवश होकर प्राइवेट बसों में बैठना पड़ता है जिनका कोई भी निश्चित समय नहीं होता। नॉन स्टापेज बसें जिसको देखकर यात्री बैठने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जब बसें नहीं रुकती हैं तो सरकार को न मालूम क्या–क्या गालियां देते हैं, जिसको कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं सुन सकता लेकिन यात्रियों द्वारा गालियां देना भी उनकी मजबूरी है।

उक्त ग्रामों में बसें नहीं रुकने बाबत मैंने कई बार स्थानीय अधिकारियों व रोडवेज अधिकारियों से भी निवेदन किया लेकिन उनके + + +। न मालूम उनकी प्राइवेट बस वालों से क्या सांठ–गांठ है ?

अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपया शीघ्र ही उक्त ग्रामों में एक दिन में कम से कम 2 घण्टों के अन्तराल से 5 बसें जोधपुर से बालोतरा और बालोतरा से जोधपुर चलायी जावें तथा जो नॉन स्टापेज बसें बाड़मेर से

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम चौधरी)

जोधपुर के बीच वाया पचपदरा चल रही हैं, उन बसों को बालोतरा होती हुयी चलायी जाने के आदेश कृपया सम्बन्धित विभाग को शीघ्र दिये जाने की कृपा करें।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन रूट्स के बारे में, वहां रहने वाले मजदूर वर्ग और दूसरे वर्ग के लोगों के आवागमन के बारे में चिन्ता व्यक्त की है इसकी उन्होंने मुझसे कुछ दिन पूर्व मिलकर चर्चा की थी। मैंने इसकी जांच करायी है। प्रोब्लम यह है कि कुछ रूट्स तो राष्ट्रीयकृत हैं और कुछ रूट्स अराष्ट्रीयकृत हैं। ऐसी स्थिति में अगर नेशनलाइज्ड रूट्स होता तो मैं उस पर तुरन्त प्रभाव से बस चलवा देता। इनकी जो डिमाण्ड है वह वाजिब है। मैंने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से कहा है कि इसकी अपीलान्ट अथोरिटी में दरख्वास्त लगायें और शीघ्र परमिट जारी करा करके माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, उसके अनुसार पथ परिवहन निगम की बसें शीघ्र चालू करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नेशनलाइज्ड रूट्स हैं, कोई ऐसा रूट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुनिये, माननीय सदस्य, वाद-विवाद नहीं।

श्री रोहिताश्व कुमार : 54 किलोमीटर..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसमें वाद-विवाद नहीं। आप विराज जायें। श्री नाथूराम अहारी।

उदयपुर डिविजन के प्रशिक्षित अध्यापक, आयुर्वेद, कम्पाउण्डर, पुस्तकालयाध्यक्षों को रोजगार

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन में प्रशिक्षित अध्यापक, प्रशिक्षित कम्पाउण्डर, प्रशिक्षित पशुधन सहायक, नर्सें, पुस्तकालयाध्यक्ष आदि हजारों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। श्रीमान्, अगर आपके पास नौकरी में रखने की मंशा नहीं थी तो आप उनको ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं? श्रीमान्, सरकार की ओर से जोर-जोर से कहा जाता है कि 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिये रिजर्वेशन किया है। लेकिन मस्टररोल पर नहीं रखा जा रहा है और हजारों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर कहीं लिया भी जाता है तो उनसे हजारों रुपया वसूला जाता है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितने भी प्रशिक्षित युवक हैं उन्हें अतिशीघ्र रोजगार दिलावें। अनट्रेण्ड शिक्षित बेरोजगार जो हजारों की संख्या में हैं, उन्हें भी चतुर्थ श्रेणी आदि पोस्टें जो खाली पड़ी हैं, उन्हें

(श्री नाथूराम अहारी)

भरवाकर रोजगार दिलाने की व्यवस्था करावें। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

बांसवाड़ा में सिंचाई हेतु जल न मिलने से व्याप्त असन्तोष

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिले में माही परियोजना के अधिकारियों/अभियन्ताओं तथा आम किसानों के बीच दूरियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। इसका दुष्परिणाम यह सामने आ रहा है कि यहां की उन्नत भूमि एवं विपुल जल के बावजूद कृषि क्षेत्र का कोई अधिक उपयोग नहीं ले पा रहा है। योजनाबद्ध प्रक्रिया के अभाव में किसानों के खेतों तक समय पर पानी नहीं पहुंचना, टेल क्षेत्र के खेत सदैव सूखे रहना आम बात हो गयी है। इसका मुख्य कारण कैनालों की मरम्मत नहीं होना एवं सफाई न होना ही है व पानी नहीं पहुचने के बावजूद टेल क्षेत्र के किसानों से पैसा वसूल करना एव इतने वर्षों के बाद भी उन क्षेत्रों को कमाण्ड क्षेत्र में रखना है। जबकि जिन क्षेत्रों में विभाग पानी नहीं पहुंचा रहा है उनको नो कमाण्ड क्षेत्र घोषित करना चाहिये, पर विभाग नहीं कर रहा है। जिससे उन क्षेत्रों को असिंचित क्षेत्र का लाभ नहीं मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष, से निवेदन है कि किसानों, कृषि विशेषज्ञों और माही के अधिकारियों के बीच कोई तालमेल नहीं हो पाने से, माही के अधिकारियों की मनमानी तथा अकर्मण्यता से जिले के हजारों किसान त्रस्त हैं और कड़ी मेहनत के बाद भी किसानों के भाग्य में दरिद्रता का अभिशाप लगा हुआ है। जबकि इस जिले में भरपूर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं।

इस जिले में कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र आदि हैं लेकिन इनके कृषि वैज्ञानिकों तथा किसानों की राय नहीं ली जाती है जिससे हजारों बीघा जमीन सीपेज की वजह से उसर होती जा रही है। जिससे माही को वरदान की जगह अब अभिशाप समझा जा रहा है। नहरों में भारी मात्रा में सीपेज की वजह से खेतों में बड़ी संख्या में ऐरे नामक अनुपयोगी घास उग आयी है। जिसे पशु भी नहीं खाते हैं। इस बार माही परियोजना प्रशासन की लापरवाही ने सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं। पिछले दस वर्ष से जिन खेतों की सिंचाई माही के जल से होती थी उनमें भी इस साल पानी नहीं पहुंच सका है। माही प्रशासन द्वारा बाढ़ लगभग 25 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं जिन पर कार्य करने वाले अधिकांश कर्मचारी वनवासी एवं स्थानीय हैं। उक्त कार्य परियोजना की समाप्ति के पश्चात भी स्थाई रूप से रहने वाला है। इस स्थिति को मध्य नजर रखते हुए बाढ़ नियन्त्रण कक्ष का पृथक से खण्ड आवंटित किया जावे।

उपरोक्त समस्याओं का सर्वे कराकर जिले के किसानों को राहत दिलायी जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल वर्मा।

बारां शहर के पेट्रोल पम्प एवं डीजल में मिलावट

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत 9 मार्च, 1996 को बारां शहर में वहां के तथाकथित समाजसेवी श्री रमेश अघलक्खा व उसके पुत्र विनोद अघलक्खा द्वारा संचालित सेठी पेट्रोल पम्प पर लगभग 5 हजार लीटर पेट्रोल में लगभग 3 हजार लीटर केरोसीन या डीजल की मिलावट की गयी। जिसके कारण जितने उपभोक्ताओं द्वारा उक्त पेट्रोल पम्प से पेट्रोल खरीदा गया, उनके वाहन अत्यधिक धूआं देने लगे एवं खराब हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण की जांच बारां जिले के डी.एस.ओ. तथा खाद्य विभाग द्वारा भेजी गयी टीम ने की है। मेरी जानकारी में आया है कि इस पेट्रोल पम्प के मालिक को बचाने के लिए बारां नगर के प्रभावशाली लोग लगे हुए हैं जबकि जानकारी में यह भी आया है कि जांच अधिकारियों ने पेट्रोल पम्प के मालिक को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ पुलिस में एफ आई. आर. दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। दोषी व्यक्तियों द्वारा जिला कलक्टर के चैम्बर में उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके कारण कलक्टर महोदय को पुलिस को बुलाना पड़ा। इस सब के बावजूद भी अभी तक पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवायी गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का एक प्रकरण पूर्व में भी प्रकाश में आया था। जिसमें श्री रामस्वरूप गालव, निवासी बारां द्वारा उक्त पेट्रोल पम्प मालिक के खिलाफ डीजल में पानी मिलाने की शिकायत की गयी थी। उस समय भी तत्कालीन जिला कलक्टर एवं एस.डी.एम. को अवगत कराया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना से स्पष्ट हो गया है कि उक्त पेट्रोल पम्प के मालिक आदतन मिलावटी हैं एवं उन्हें किसी न किसी प्रकार प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। अभी तक इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण पूरे बारां जिले में जनता में जबर्दस्त रोष व्याप्त है। पिछली बार जब इस प्रकार की घटना हाड़ौती क्षेत्र में हुई थी तो उस समय बड़े-बड़े अधिकारियों को जेल भेजा गया था। यदि मिलावट के ऐसे प्रकरणों में किसी सामान्य व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही होती है। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही न होना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। यह मामला बारां जिले के स्थानीय समाचार पत्रों में जोर-शोर से छापा गया है। इस प्रकार के मामलों में देरी होने से मिलावट करने वालों के हौंसले बुलन्द हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त पेट्रोल पम्प मालिक श्री रमेश अघलक्खा द्वारा

(श्री बाबूलाल वर्मा)

यह पेट्रोल में मिलावट करने का ही मामला नहीं बल्कि इनके द्वारा पूर्व में कई प्रकार के आपराधिक प्रकरण भी विचाराधीन हैं। पिछली विधान सभा के सत्र में सदन में एक माननीय सदस्य ने भूमि हड़पने का एक मामला उठाया था। जिसकी विधान सभा के निर्देश के अनुसार जांच होने के बाद उस भूमि को निरस्त किया गया था। इस प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार श्री ताराचन्द बगड़ा भी निलम्बित हुए थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रमेश अघलक्खा को गलत तरीके से भूमि आबंटन कमेटी का मेम्बर बनाया गया था। इस व्यक्ति द्वारा आबटन कमेटी का फर्जी मेम्बर बनकर अपने दो बेटों क्रमश: विनोद अघलक्खा एवं देवेन्द्र अघलक्खा के नाम से जमीन आबंटित करवायी गयी। देवेन्द्र अघलक्खा तो उस समय नाबालिग था एवं उस पर उसके पिता के हस्ताक्षर थे। इसके बाद भी इन्हें जितनी जमीन आबंटित हुई उससे अधिक जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यह व्यक्ति उस भूखण्ड को आवासीय भूखण्ड के लिए बेचना चाहता है, परन्तु विधान सभा में यह मामला उठने के बाद ये इसमें सफल नहीं हो पाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी बारां में पचास लाख से अधिक की सम्पत्ति इन लोगों द्वारा बेनामी नाम से खरीदी हुयी है, जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की है। जिला कलक्टर एवं प्रशासन द्वारा इन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न किया जाना आश्चर्य का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सब कुछ होने के बावजूद आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि रमेश अघलक्खा द्वारा जिला कलक्टर महोदय को धोखे में रखकर लोकप्रिय समाजसेवी के रूप में पिछले गणतन्त्र दिवस पर सम्मानित होने का प्रयास किया गया। परन्तु बारां की जागरूक जनता द्वारा विरोध करने पर समारोह स्थल पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रमेश अघलक्खा एवं श्री विनोद अघलक्खा द्वारा लोगों को सब तरह से डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहे हैं, ये लोग उनको प्रलोभन देकर रोक रहे हैं।

अत: अविलम्ब रमेश अघलक्खा व विनोद अघलक्खा के खिलाफ पुलिस में प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाकर मिलावटियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

मढाढ़र (सीकर) उच्च प्राथमिक शाला, के भवन के गिरने का खतरा

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन नियम 295 के तहत उच्च प्राथमिक शाला, मढाढ़र सीकर के भवन निर्माण में सरपंच द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग के कारण भवन

(श्री ग्रमराराम)

गिरने की सम्भावनाग्रों से दुर्घटनाएं घटने के सम्बन्ध में पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, ग्राम पंचायत भढ़ाढर के सरपंच ने उच्च प्राथमिक शाला भढ़ाढर में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत वर्ष 1995–96 में दो कमरे व बरामदे का निर्माण किया गया है। जिसमें नींव 3.5 फीट की जगह मात्र 1.5 फीट भरी गयी है तथा जहां नियमानुसार चूना एवं पत्थर से नींव भरी जानी चाहिये उसकी जगह ग्राम पंचायत ने यह कार्य श्री कजोड़ हरिजन को चुनाई 25 हजार रुपये में ठेके में दे दी ग्रौर उसने नींव चूने के बजाय मिट्टी ग्रौर पत्थर से भरी है। ग्रामवासियों द्वारा पंचायत समिति, जिला कलक्टर जिला परिषद सभी जगह शिकायत की गयी लेकिन ग्राज तक कोई भी कार्यवाही नहीं होने से ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत समिति घोद की भी इस घटिया निर्माण करवाने में भागीदारी है। इस घटिया निर्माण से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुग्रा है तथा यह ग्राशंका ग्रामवासियों ने व्यक्त की है कि उक्त स्कूल भवन ग्राने वाली बरसात में कभी भी गिर सकता है ग्रौर जिससे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

ग्रत: सरकार का ध्यान मैं इस घटिया निर्माण ग्रौर घोटाले की ग्रोर दिलाना चाहता हूं तथा आशा करता हूं कि इन ग्रनियमितताओं की जांच कर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें तथा उच्च स्तरीय जांच करवायी जाय। धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक (1994-95) प्रतिवेदन संख्या-1 (राजस्व प्राप्तियां) एवं प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यिक)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां) एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए संख्या–2 (वाणिज्यिक) सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापकी ग्रनुमति से मैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां) एवं

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए संख्या–2 (वाणिज्यिक)।

जनमत जानने हेतु परिचालित किये गये राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 पर प्राप्त सुझाव एवं अभिमत

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मन्त्री दिनांक 3 नवम्बर, 1995 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार जनमत जानने हेतु परिचालित राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 पर विभिन्न जिलाधीशों के माध्यम से प्राप्त सुझाव एवं अभिमत सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 3 नवम्बर, 1995 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार जनमत जानने हेतु परिचालित राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 पर विभिन्न जिलाधीशों के माध्यम से प्राप्त सुझाव एवं अभिमत, सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का वार्षिक (1994-95) प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, पर्यावरण मंत्री, जल अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (पर्यावरण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 19·4-95 सदन की मेज पर रखता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर। आदरणीय श्री वी. पी. सिंहजी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मुझे पूरा कहने का अवसर नहीं मिला था. मेरा बीच में ही रह गया था।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा नाम आपने पुकारा और समय बख्शा है।

श्री उपाध्यक्ष : सबसे पहले।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सर्वप्रथम कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : आपके गले में जब तक यह पट्टा है तब तक आपके सुर में निखार नहीं आ पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो हमारी तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां अभिभाषण पढ़ा और उस पर वाद–विवाद चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1977 से मैं भी देख रहा हूं, इस हाउस के अन्दर जब-जब भी अभिभाषण पर बहस होती है, सत्ता पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे उसकी तारीफ करते हैं और प्रतिपक्ष में बिराजें जितने भी माननीय सदस्य हैं वे उसकी तारीफ थोड़ी बहुत करते हैं और उनको यह बात पसन्द नहीं आती है। कांस्टीट्यूशन के अन्दर प्रावधान है कि बजट के पहले माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ते हैं और आप भी जानते हैं कि जो बजट पेश होता है, अभिभाषण के अन्दर जो पालिसी डिसीजन होता है उसी का आगे विस्तृत, जितना भी फण्ड का एलोकेशन होता है वह उसी अनुरूप होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर साल भर का लेखाजोखा, पुरानी पालिसीज हैं उन सबकी प्रायोरिटीज तय की जाती हैं और जिस पर प्रायोरिटी रखी जाती है उसी अनुरूप कितना पैसा किस विभाग को दिया जाय उसकी इसके अन्दर थोड़ी सी जानकारी भी आती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य धनखड़ साहब एवं कमलाजी ने कहा कि जब जब भी सत्ता पक्ष से यह बात रखी जाती है कि 50 वर्ष के अन्दर जितना भी राज हुआ हम लोगों ने 6–7–8 साल किया बाकी राज कांग्रेस के सदस्यों ने किया, कांग्रेस की केबिनेट ने किया तो उनको थोड़ी-सी चिढ़ हो जाती है कि हमने इतना किया और फिर आप इसको नगण्य मानकर चलते हैं। मैं यह बात यहां नहीं रखना चाहता हूं और यह सही है कि विकास के अन्दर जो भी सरकार आयेगी विकास का कार्य करेगी पर शिकायत कहां रह जाती है कि प्रायोरिटीज तय करने में गलती रह जाती है और कमलाजी सही कह रही थीं कि इतनी सड़कें हमने बनायीं, इतने हमने भवन खड़े किये, इतना हमने यह दिया और आज वही जो मूलभूत सुविधाएं या इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने डवलप किया था उससे आगे आप विकास की गति चला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कोई मापदण्ड तो होना चाहिए। धनखड़ साहब ने भी यह बात रखी और उन्होंने हमारे सामने पेश किया कि हिमाचल के अन्दर परकेपिटा इनकम इतनी है, जी. एन. पी. इतना है और राजस्थान पिछड़ गया है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनसे भी सरकार की नीतियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं, हमारे जितने भी कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं वह इतने दबंग और ऐसे नहीं थे कि सरकार से जाकर एलोकेशन ला सकें, जैसे कि हमारे भैरोंसिंह जी हैं। बावजूद इसके कि केन्द्र के अन्दर सरकार कांग्रेस की रही है, लेकर आये हैं। मैं उस पर विस्तार में नहीं जाकर दूसरी बात आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि 1947 के अन्दर हमें स्वतन्त्रता मिली, कमला जी सही कह रही थीं, जितना कांग्रेस का योगदान था उसमें दूसरी किसी पार्टी का नहीं था। अब आज जो स्थिति है, मैंने आपको मापदण्ड की बात कही है और दूसरों ने जो बात रखी है, हिमाचल का, महाराष्ट्र का और गुजरात का जो लेखा–

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जोखा रखा है उसके विपरीत आज मैं खाली राजस्थान की बात नहीं करके पूरे हिन्दुस्तान की बात सामने रखता हूं क्योंकि जितना भी एलोकेशन आता है और जितनी भी नीतियां बनती हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा रि-इंटरेट उसी से सम्बन्ध रखती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी जानते हैं कि करीब-करीब जब हमें आजादी मिली और हमारी जो आजादी थी वह करीब-करीब ब्लडलैस कूंप या ब्लडलैस रिवोल्यूशन से हमें महात्मा गांधीजी की देन से मिली। हमारे को यहां पर कोई ऐसा रिवोल्यूशन नहीं था और उसी वक्त वर्ल्ड वार टू खतम हुआ, 1945 के अन्दर और आप भी जानते हैं, जर्मनी नष्ट हो गया, जापान के अन्दर हिरोशिमा, नागासाकी पर जो बम पड़े वह भी नष्ट हो गये और बिल्कुल बरबाद हो गये। हम लोगों ने जो विकास शुरू किया वह भी करीब-करीब साथ में ही शुरू किया था। वह कहां निकल गये और हम कहां रह गये ? तो प्रायोरिटीज में कोई डिफरेंस होगा। जितना फण्ड जिस जगह लगना चाहिए था वह नहीं लगा इसी कारण वह आगे निकल गये और हम पीछे रह गये। इस मापदण्ड से अपन जब देखते हैं तो राजस्थान और हिन्दुस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है। यह मापदण्ड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी बात पर मैं ... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आबादी नहीं बढ़ती तो अपन भी जन्म नहीं लेते। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी खेतसिंह जी ने जो बात कही है वह बिलकुल सही कही है पर वह एक मुद्दा है, दूसरे भी मुद्दे हो सकते हैं लेकिन एक ही मुद्दे से अपन यह नहीं कह सकते कि जितना भी विकास हुआ है वह खा गये।

एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका क्या कारण है उस कारण में मैं जाना चाहता हूं। आप विचार करें, एक लड़का है या दो भाई ले लें अपन। दो भाई के परिवार ले लें। एक भाई के परिवार ने तो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया-लिखाया और उनकी जो नींव है, बहुत जबरदस्त रखी और दूसरे भाई ने सीधा उसको किसान बनाया, अच्छी बात है, किसान बनाया पर पढ़ाया-लिखाया नहीं। एक परिवार तो बहुत आगे निकल गया, दूसरा परिवार बहुत पीछे रह गया क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं थी। यही कारण है, अगर हमारी प्रायोरिटीज उस टाइम आपकी सरकार ने सही रखी होती, जिसे हमारी भैरोंसिंहजी की सरकार सही करने जा रही है और जो हमने शिक्षा पर एलोकेशन दिया और बजट को डेडिकेट किया और दूसरा हमने हैल्थ पर किया, ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको विस्तार से कहने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। चूंकि आपने पापूलेशन की बात रखी है इसलिए मैं रखना चाह रहा हूं। चाइना की पापूलेशन हमारे से ज्यादा है, उन लोगों ने करीब पन्द्रह साल पहले ई एफ ए. एज्यूकेशन फार आल शुरू किया यह बात मैंने दो साल पहले भी रखी थी। हम आज शुरू कर रहे हैं। भैरोंसिंह जी की सरकार के अन्दर काफी डिस्ट्रिक्स ले लिए। हमें सेन्ट्रल की सरकार से पैसा नहीं मिलता है वरना हम

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

भी एजूकेशन फार ग्राल राजस्थान में शुरू कर दें। पर इसलिए वह कहां निकल गये, करीब-करीब 35 पर्सेण्ट पर हम लोग थे। 15 साल पहले वह 28 पर्सेण्ट पर थे, वह 80 पर्सेण्ट लिटरेसी पर पहुंच गये। हम ग्रभी 43 पर्सेण्ट पर पहुचे हैं ग्रौर इसीलिए वह आगे निकल गये।

मैं दूसरी बात ग्रापके सामने रखना चाहता हूं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट में भी जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट होना था वह नहीं हुग्रा ग्रौर अगर वह हो जाता तो हम बहुत ग्रागे बढ़ जाते ग्रौर ग्राज भी यह स्थिति है। मैं कहना तो नहीं चाहता था क्योंकि माननीय सदस्य ने एक बात रखी जो नेहरूवीयन मॉडल हमारे सामने रखा गया ग्रौर जो हम लोगों ने एक पालिसी बनायी ग्रौर रशियन मॉडल पर हम लोग चले उसी के कारण जितना पैसा हम लोगों ने प्राइवेट सैक्टर को दिया, और बहुत सारी चीजें दे सकते थे। जैसे हवाई जहाज हमारी सरकार को चलाने की क्या जरूरत थी और टूरिज्म के ग्रन्दर हमारे को होटल चलाने की क्या जरूरत थी। यह सब पैसा हम एजूकेशन पर लगाते। यह नीति की बात मैं रखना चाहता हूं। यह अगर ग्रपन कर लेते, यह प्रायोरिटीज ग्रपन सही कर लेते तो ग्राज हम बहुत ग्रागे निकल जाते। अगर यह सही नहीं होता तो ग्राज ग्रापका एक ही तो आदमी काम कर रहा है, उसी का तो नाम चल रहा है—मनमोहनॉमिक्स। मनमोहन सिंहजी का जो एक इकानामिक प्रोग्राम है, उसकी जो ग्राप तारीफ करते हैं, जो विपरीत है, जो पहले चलता था, उसके बिलकुल विपरीत। ग्राप लोगों ने जो कुछ किया है मैं भी उसकी प्रशंसा तो करता हूं। मैं ग्रभी विस्तृत चर्चा पर नहीं जाना चाहता हूं, स्वदेशी प्रोग्राम के बारे में जो हम लोगों ने रखा है। अगर ग्राप उस टाइम भी देखें, महात्मा गांधी जी के समय, जो आप लोग कहते हैं कि साहब, वह हमारे ही थे ग्रौर किसी के नहीं थे। हम तो उन्हीं के ग्रनुरूप शिक्षा उनसे लेकर जो वह कहते थे कि ग्राज ग्राप एक प्रारूप बनाओ, डवलपमेंट का प्रोग्राम बनाओ, गांव से बनाग्रो। नेहरूजी कहते थे, नहीं। यह बड़े-बड़े कारखाने लगाकर ग्रौर आगे जो बनाना चाहते थे, मैं उस पर इतनी लंबी चर्चा नहीं करके इतना ही निवेदन करूंगा कि ग्राज जो हमने प्रायोरिटीज सेट राइट करने की जो कोशिश की है उसी का एक काम हमने लिया है, बिजली की समस्या का। बिजली की समस्या पर पूरा हाउस चिंतित है। मैं भी जानता हूं कि हमारा डिमाण्ड ग्रौर सप्लाई के ग्रन्दर बहुत बड़ा गैप है। बिजली को प्राइवेट सैक्टर को देने के लिए हमने जितने ग्राशय-पत्र ग्रौर लैटर ग्राफ इन्टेन्ट दिये हैं, एक साल के ग्रन्दर, कोई भी साल उठाकर देख लो ग्राप, कभी नहीं दिये। इसमें जो अड़चन ग्रा रही है, लोग कहते हैं कि आज बिजली तो हमें चाहिए ग्रौर ग्राप कह रहे हैं कि बिजली कब ग्रायेगी, सही बात है, बटन दबाने से बिजली ग्रा जाती है परन्तु पैदा करने के लिए खाली बटन ही नहीं दबाना पड़ता।

(14.00)

उसका बहुत लम्बा प्रोसिजर है। यह प्रोसिजर ग्रापकी सरकार द्वारा बनाये गये। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 में है और उसमें ग्राप लोगों ने ही रोड़े ग्रटका रखे हैं, सेण्ट्रल

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

गवर्नमेंट ने ग्रटका रखे हैं। ग्राज भी 18 क्लियरेंसेज सी. ई. ए. ग्रौर सेण्ट्रल गवर्नमेंट से करवानी पड़ती हैं। ग्राज भी 7 क्लियरेंसेज स्टेट गवर्नमेंट से करवानी पड़ती हैं ग्रौर उसमें कितना टाइम लग जाता है।

दो साल पहले भी मैंने बात की थी कि हमारे पास लिग्नाइट का भण्डार पड़ा है। पर चूंकि यह पिट हैड पर लग जाता है ग्रौर बिहार ग्रौर उड़ीसा से लाना पड़ता है उसमें भी व्यवधान हो सकता है। टाइम पर नहीं ग्राया तो यह पिट हैड पर लगेगा ग्रौर कास्ट भी कम पड़ेगी। ग्रब हमारे सामने जो प्राब्लम आयेगी वह सी. ई. ए. ग्रौर एम. ग्रो. ई. एस. से 18 क्लियरेंसेज की ग्रायेगी।

मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम पावर को प्राइवेट सैक्टर को दे रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि वे कौनसा बायलर लगा रहे हैं, कौनसा पावर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। हमें तो यह बात करनी है कि आप संयंत्र लगा रहे हैं, लगाग्रो, ग्राप तो हमें यह बता दें कि डेढ़ रुपये, दो रुपये, दो रुपये पांच पैसे पर यूनिट, किस दर से आप हमें बिजली देंगे। ग्रगर वह बिजली नहीं बनायेगा, खराब बायलर या मशीन लगायेगा तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। जो बात धारीवाल साहब ने रखी, वह सही है। उस पर मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। उस समय भी मैंने निवेदन किया था और आज भी कर रहा हूं कि एक तो शोर्ट टाइम प्रोग्राम और एक लोंग जेस्टेशन प्रोग्राम होता है। थर्मल पावर स्टेशन्स लगाते हैं, लिग्नाइट के लगा रहे हैं और जल्दी पूर्ति के लिये डीजल जेनरेटिंग सैट लगा रहे हैं। जिस डीजल से डीजल जेनरेटिंग सैट चलता है वह डीजल जीप ग्रौर ट्रक चलाने वाला नहीं होता है। यह एल. एस. एच. एस. या नेफ्था, लिक्विड फ्यूअल की जो नयी पॉलिसी ग्रायी है उसमें है। उसमें जेस्टेशन पीरियड कम लगता है और दो साल में यह तैयार हो जाता है। 10 मेगावाट ग्रौर 20 मेगावाट के कुल 13 सौ मेगावाट के डीजल जेनरेटिंग सैट के हमने ग्राशय पत्र दिये है। इस बारे में बात हो रही थी पर ग्रापने उसको एनरॉन से कम्पेयर कर लिया जो महाराष्ट्र में लग रहा है। ग्रापको कहा कि वे 2.40 से 1.80 पर ग्रा गये ग्रौर आप 2.10 पर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जेस्टेशन पीरियड कम होने, दो साल में लग जाने के कारण डीजल जेनरेटिंग सैट लगाने की ग्राज सब स्टेट्स में होड़ लगी हुई है, सब इसे लगाना चाहते हैं। केवल हमारे पास 2.10 की रेट ग्रायी थी। ग्राप हरियाणा, उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य को देख लें, किसी की भी रेट 2.10 से कम नहीं है।

मैं ए. टी. पी. ग्राई. कांफ्रेंस में दिल्ली गया था। उसमें जब मैं बोल रहा था तो वहां 2–3 पुराने चीफ इंजीनियर्स ने मुझसे प्रश्न किया कि ग्रापके यहां 2 रुपये 10 पैसे में यह वायबिलिटी कैसे आयी? यह वायबिलिटी डीजल जेनरेटिंग सैट में आ ही नहीं सकती, लिक्विड फ्यूग्रल, एल. एस. एच. एस. में नहीं ग्रा सकती। मैंने कहा, यह प्रश्न ग्राप उन्हीं से करें जिन्होंने लोएस्ट बिड पर टेण्डर दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : दिल्ली में लोगों ने इनको कहा कि 2.10 में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजली नहीं आयेगी और इन्होंने मेरे 2 घण्टे इस बात के लिये खराब किये कि 2.10 में बिजली कैसे आयेगी। (व्यवधान) अब भी नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या करूं ? (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि 2 रुपये 10 पैसे में कैसे बिजली आयेगी, यह ऑल इण्डिया की एक समस्या है। यह वहां से समझ कर मेरे पास आये और कहा कि आप यह एग्रीमेंट तो कर रहे हैं पर यह वायबल नहीं है इसलिए इसका फाइनेंशियल क्लोजिंग नहीं होगा। मैंने कहा यह जिम्मेदारी उनकी है। जब उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो निश्चित रूप से वे यह काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आप माननीय वी.पी. सिंहजी और भारत सरकार को कोट करके 2 रुपये 10 पैसे की रेट को जस्टीफाई कराना चाह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, मत करो आप। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : इस सदन का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार ने एम ओ यू. किये। आप बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं और इस सदन में डिस्कस तक नहीं किया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ? आपने 2 रुपये 10 पैसे पर यूनिट का एग्रीमेंट किया है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया द्वारा पावर को प्राइवेट सैक्टर में लेने पर जो नार्म्स बनाये थे कि 16 प्रतिशत इक्विटी से ज्यादा रिटर्न नहीं होगा, मेरा दावा है कि राज्य सरकार ने पावर लिबरलाइजेशन के बेसिक मोटिव के साथ फ्राड किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बतायें कि कौनसे एम. ओ. यू. किये ? —

श्री विष्णु मोदी : मुझे मालूम नहीं है। आपके ही माननीय सदस्य बोल रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आप क्यों बोल रहे हो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : आपने अपने भाषण में मुझे कोट किया। मेरा उस दिन निवेदन था कि डीजल जेनरेटिंग....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह डिबेट ऐसे हो रही है क्या ? जब ये बोल रहे थे तब तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विंस्टन चर्चिल बहुत सीरियस डिस्कशन में पार्लियामेंट में बोल रहे थे। वर्ल्ड वार पर डिस्कशन हो रहा था। ऐसे में ही जब लोगों ने उनको परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, "Crackling of the thorn underneath the pot does not disturb me." You are all crackling under the pot. वैद सहाब कह रहे थे कि यह एक पैसा, दो पैसा और कम कर 2 रुपये 10 पैसे से भी कम पर ले आते तो राजस्थान सरकार को 4 हजार करोड़ रुपये का फायदा हो

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जाता। अगर बैंद साहब का कहना हम मान लें तो हमें 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान कैसे होगा, यह मैं बताना चाहता हूं।

आप सोचे कि यही जेनरेटर सैंट जेस्टेशन पीरियड के बाद, दो साल बाद आते हैं तो इस दर पर जितना डवलपमेंट हो सकता है, जितनी इण्डस्ट्रीज लग सकती हैं, उनके न लगने से 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा, यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि हम हर वक्त बात करते हैं कि हाइडल पावर बहुत सस्ता है। लेकिन हमारे यहां नदियां नहीं हैं। राजस्थान में न नदियां हैं, न कोल है। कोल की जगह तो हमें लिगनाइट मिल गया है, उसमें तो हम प्रगति कर रहे हैं। सोलर एनर्जी की बात आयी। विष्णुजी मोदी और मैंने एक कांफ्रेंस अटेण्ड की जो एनर्जिन वालों ने की थी। ये भी कंविंस हो गये और मैं भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो बाहर हर काम में कंविंस हो जाते हैं लेकिन इन्होंने तरीका बना रखा है कि बाहर तो मैं कंविंस होऊंगा और अन्दर विरोध करूंगा। ठीक है, यह स्वस्थ परम्परा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि आज दुनिया में डेजर्ट के अन्दर सोलर एनर्जी बनाने की बात हो रही है। इसमें चिमनी और फोटो वोलटेक से जितने संयंत्र लग रहे हैं और इससे जो बिजली का उत्पादन होगा उससे थार डेजर्ट हरा भरा हो जायेगा। कैसे होगा, मैं यह बताता हूं। जब भी यह बनेगा तो इसमें चिमनी का प्रयोग होगा, उसमें कांच लगेगा। इस पर इजरायल में एक्सपेरीमेंट किये गये हैं वहां इतनी ज्यादा हीट नहीं रहती। वहां पर खेती होती है। यह नहीं कि वे जमीन को दबाकर खाली बिजली उत्पादन करते हैं। कांच के इस्तेमाल से हीट ट्रांसफर होकर, क्योंकि आप जानते हैं कि हवा गर्म होने पर सीधी ऊपर जाती है, और उसी से वह चिमनी में जाकर बिजली का उत्पादन होगा और जो कांच लगायेंगे पर किलोमीटर पर कांच लगेगा उसके नीचे, क्योंकि वहां पर जमीन का उपयोग भी हो सकता और पानी की भी काफी व्यवस्था होगी। यह ग्रीन-हाउस टैक्नालाजी है उनकी और विष्णुजी भी कंविंस हुए और मैं भी हुआ।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी जो समस्या है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका कहां मुकाबला? आपकी स्टडी बहुत भारी है। आप तो राठौड़ हैं, आपका मुकाबला ही कौन कर सकता है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक दिन मैं चर्चा कर रहा था श्री शांतिकुमार जी धारीवाल से और वह कह रहे थे, और यह सही है, आज सबसे बड़ी जो समस्या कोटा के अन्दर है, वहां पर थर्मल पावर स्टेशन हमने लगा दिया, हम रात को ऊपर नहीं सो सकते। पूरा दिन जहां भी जाते हैं तो काले होकर शाम को पहुंचते हैं। इतनी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

उन्होंने गड़बड़ की, जब लग रहा था उस समय वहां के एम. पी. थे श्री बृजराजसिंह जी, उन्होंने रोकने की भी कोशिश की कि आपने यह विन्डो डायरेक्शन ही गलत रखी है। राजस्थान में वेस्टर्नली विण्ड चलती है और आपने लगा दिया ईस्टर्न पर। तो हमारे पूरे कोटा में यह हो गया। बात समझ में नहीं आयी। आज वह रो रहे हैं। आज वह कहते है कि अगर उसका डायरेक्शन चेन्ज हो जाता, अगर वह थोड़ा सा दूर हो जाता तो आज कोटा जो रहने लायक नहीं है, वह रहने काबिल हो जाता। मैं श्री शांतिकुमारजी धारीवाल साहब को कोट कर रहा हूं। आज सोलर से जो ग्रीन हाउस टेक्नालाजी है और उसमें न तो धुआं होता है और उससे जितनी बिजली उत्पादित होगी तो उसका मुकाबला नहीं। हमारे पास जमीन बहुत सारी पड़ी हुई है और एक के बाद एक लगाते रहो। आप दस बीस हजार मेगावाट ले सकते है। कौन रोकता है? We will start exporting power.

श्री विष्णु मोदी : जब दस बीस हजार मेगावाट की आपने बात कही, जितनी कम्पनियों से उनका लेटर आफ इन्टेंट हुआ है वह कुल मिलाकर पूरे विश्व में कितनी मेगावाट पावर सोलर से पैदा कर रहे हैं, वह भी आपको जानकारी है? अब तक विश्व में कितनी सोलर एनर्जी बना रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजस्थान के अलावा कोई जगह ही नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुझे जवाब देने दो।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चर्चा को इतनी विद्वता की इतनी ऊंचाई पर ले रहे हैं कि इसके लिए तो अलग से कोई समय निश्चित करके या नतीजे से हमें अवगत करा दो, ज्यादा उचित रहेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने बताया वह बात आती है समझ में।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह जी, आपका समय जा रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने डीजल के बारे में जो ज्ञान दिया वह भी समझ में आता है लेकिन महावीरप्रसाद जी तो गोबर गैस में एक्सपर्ट हैं इनका क्या + + + है इसमें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं कोट कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो किसी में भी नहीं हैं। केवल एक ही बात में एक्सपर्ट हैं जो 63 में हुई थी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं एक ही बात कोट करके बताता हूं :

"But the Scientists say, the Thar bursting at the seams with more rich sun-shine than any other region on Earth which will be the world's largest solar energy power house in less than 15 years."

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

15 साल के अन्दर। एक चीज और कहता हूं मैं। यह तो एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर है। यह विष्णु मोदी जी ने कहा है। इसका भी जवाब देना चाहता हूं मैं।

"354 megawatt capacity solar power project in the Southern California comprising 8 plants is currently the world's largest project, providing 90% of the world's solar energy."

आप जानते मैं अमेरिका के अन्दर तो सरप्लस पावर है। उनको जरूरत ही नहीं है तो भी एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर उन्होंने कर रखा है 354 मेगावाट। इसलिए आप इसमें स्केप्टिकल रहेंगे, क्रिटिसिज्म फार दी सेक आफ क्रिटिसिज्म करोगे तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता।

धन्यवाद, जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपा करके जो इस सदन के समक्ष भाषण दिया और थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने उनको धन्यवाद हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका मैं विरोध करता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : बुजुर्गों को शोभा नहीं देता।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसलिए करता हूं विरोध कि मेरा भी इस सदन में काफी लम्बा अनुभव है और मैंने इस तरह का निराशाजनक, सारहीन और +++ अगर कह दूं तो बड़ा कठोर शब्द होगा, मैं नहीं कहूंगा लेकिन इस तरह का भाषण हमारे सामने दिलाया है और इस भाषण में हमको ऐसा समझा गया है कि हम कोई अबोध बालक हैं और उनको कुछ आंकड़ों के जाल में फंसा करके यह दिखा देना चाहते हैं कि बड़ी भारी तरक्की हो गयी, यह हो गया और वह हो गया। आपको बहुत कम अवसर मिला शासन चलाने का, यह हमारा दुर्भाग्य समझ लो या आपका दुर्भाग्य समझ लो क्योंकि सत्ता की दृष्टि से आप एक तरह से ज्यादातर अज्ञातवास में राबिनसन क्रूसो की तरह ही रहे। उस समय का यदि आप केवल उपयोग हमारी आलोचना करने के बजाय उस समय जो हमारी खामियां थीं उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है उसमें किया होता तो आज यह भाषण दूसरे रूप में होता।

जब कभी भी राज्यपाल महोदय इस सदन के समक्ष भाषण देते हैं तो जो ज्वलन्त समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल हमारे जो साधन हैं उनका किस तरह से सदुपयोग करके हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, यह उद्देश्य रहता है उस भाषण का। इस भाषण को आप पूरा पढ़ लीजिए। जो बजट के आंकड़े हैं या जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं का भी आप क्या करते हैं कि केन्द्र की योजना है उसको कोई स्थानीय अच्छा सा नाम दे देते हैं। आपके अच्छे

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

गढ़ने वाले हैं या स्लोगन लिखने वाले हैं कि यह फलां योजना आ रही है, यह फलां योजना आ रही है और यह योजनायें जो केन्द्र की बनती हैं उनको नया रूप देकर बजट के अन्दर प्रावधान आयेंगे और वह भी प्रावधान आते हैं। तो हमारा देश है, इस महान देश की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। बंगाल की समस्या और तरह की है, राजस्थान की समस्या और तरह की है। आपके पास काबिल प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बैठाकर जैसी जरूरत है उस हिसाब से योजनाएं बनाकर आप कोई कार्यक्रम हमारे सामने रखते तो हम समझते कि एक अच्छा सारवान भाषण दिया है और इससे हमारा उद्देश्य पूरा होगा। आप कई दफा कह देते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। हमने किया। कोई आदमी जो खुद गलती करता है वह उसको नहीं पकड़ सकता। मैं जब कभी पत्र लिखता हूं या किसी का प्रस्ताव पढ़ता हूं या फार्म भरता हूं तो मैं कहता हूं कि मुझे वापस मत बताना। इसके पश्चात् दूसरे आदमी को बताओ ताकि वह उसकी गलती निकाल सके। वरना जो स्वयं लिखता है उसको वह गलती ध्यान में नहीं आती है। तो आप कहें कि आप इस रास्ते चल रहे थे— मारवाड़ी में कहावत है, अच्छी तरह से आप समझते हैं :

'लीक लीक इतरावे, कायर कूर सपूत,
बिना लीक इतरावे, शायर सूर सुपूत।'

शूरवीर, समझदार और सपूत बुजुर्गों के रास्ते से हटकर नये रास्ते चलते हैं। लीक लीक इतरावे कायर... एक आदमी कायर है कि जाने क्या पता वहां भेड़िया होगा, शेर मिल जायेगा, डाकू मिल जायेंगे, तो वह उस रास्ते नहीं जाता है, लीक-लीक जाता है। एक श्वान है जो लीक-लीक जाता है और एक कपूत जो कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा था, इस तरह का कहा था उस रास्ते वह जाता है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि आज हमारी समस्याएं क्या हैं ? हमारी समस्याएं जो हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़े वर्ग किसान की लेते हैं। इस देश की जलवायु जैसा कि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है 'गुमान विहीन रचा विधि ने' वह भारत है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जितने भी दुनिया के देश हैं उन सब की जलवायु किसी एक देश में है तो वह भारत में है। षष्ठ ऋतु यहां छायी रहती हैं। इसका यह मतलब है कि 6 प्रकार की फसलें, 6 प्रकार की सब्जियां, 6 प्रकार के मिर्च मसाले और चीजें पैदा हो सकती हैं। सजल है. खूब यहां पर पानी है, सब कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसान की जब बात आती है तो किसान का दुर्भाग्य यह है कि पिछले साल तो लहसुन 85 रुपये किलो था और इस साल अभी बिका था जबकि बुआई में किसान आम तौर से ठहरते हैं कि जब बुवाई का टाइम आयेगा तब बीज के लिए लहसुन को या किसी भी चीज को, अनाज को खरीदेंगे तो उस वक्त भाव बढ़ेंगे, अब लहसुन जब बोया जा रहा था उस वक्त 5 रुपये किलो था और उससे पहले 85 रुपये किलो था। इसलिए सब ने लहसुन बोया, बरबाद हो गये। घर की कहानी सुनियेगा, मेरे पास काफी जमीन है, मुख्य पेशा मेरा खेती है। टमाटर पिछले साल हुए, जो 2-2, 3-3 बीघा में बोये

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उनके 3-3 लाख रुपये के हुए तो हमने भी इस साल टमाटर बोये। 23 हजार रुपये किलो के भाव का बीज लेकर आये, 25-30 हजार की तो देशी खाद डाल दी फिर डी. ए. पी, यूरिया और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया और यह किया वह किया। कुल 50 हजार रुपये लगे और 10 हजार रुपये वापस आये। सरसों की बात कर रहे हैं, पिछले साल अच्छा भाव आ गया इसलिए सरसों ही सरसों बो दी। आप जानते हैं कि पहले गेहूं बोते थे। आप अभी श्रेय ले रहे थे कि तिलहन में हम प्रथम आ गये हैं, प्रथम राज्य है, सही बात है आप जानते हो कि आज से 15 साल पहले जयपुर से जाते तो गेहूं ही गेहूं होते थे और अब सब जगह रायड़ा ही रायड़ा होता है। क्यों होता है ? क्योंकि गेहूं के लिए यहां की जलवायु उपयुक्त नहीं है। पंजाब में है इसलिए वहां यहां से तीन गुणा होता है उसी क्षेत्रफल के अन्दर। इसलिए इस पर आ गये। तो यह तो फायदे की चीजें हैं। आपने उठाकर कह दिया कि यूरिया, मेडिकल फर्टिलाइजर्स इतना बिक गया और फव्वारे इतने बिक गये। फव्वारा वाला काम तो आपने अच्छा किया है, इसके लिए आप अगर अनुदान देते हैं तो अपने बहुत फायदे की चीज है। बूंद-बूंद सिंचाई भी अच्छी चीज है। लेकिन इसमें आपका क्या है ? 1958 में जब यह छोटे वाला ट्रांजिस्टर आया, मैंने देखा नहीं था, आपने भी किसी ने नहीं देखा था और उसके पांच साल के अन्दर अगर कोई मजदूरी कर रहा था, भेड़ चरा रहा था उसके पास भी ट्रांजिस्टर हो गया। आपने भेजा क्या वहां पर ? आपने फिर यह क्यों नहीं लिख दिया कि 1990 के अन्दर यहां पर मारुति गाड़ियां पांच हजार थीं और आज इस साल एक लाख हो गयीं या पांच लाख हो गयी होंगी। वह आपके कारण हो गयीं क्या ?

1954 के अन्दर जब मैं पहले पहल ट्रैक्टर अपने गांव में ले गया तो भीड़ हो गयी और लोग कहने लगे कि बिना बैल का हल आ गया। जब मैं छोटा सा था तब कहते थे कि बिना बैल का हल निकल गया दुनिया में लेकिन अभी तक वह वापस नहीं मुड़ता। बात सही थी, उस वक्त लिफ्ट नहीं बनी थी, यह बाद में मालूम किया था। तो वह इतना लम्बा घेरा करना पड़ता था। उपाध्यक्ष महोदय, इन उपलब्धियों को, जो विज्ञान की देन है, आप कहो या नहीं कहो, जनता अपनाती है, तो उसका श्रेय आपने इस भाषण में लिया है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यों तो हीरो होण्डा ही गिना दो जो बहुत कम थीं। स्कूटर मैंने पहले पहल 1955 में देखा था, अब स्कूटर से दुनिया भरी हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका यह जो भाषण है उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। न तो हमारी कोई ज्वलंत समस्या के बारे में कहा गया है। अब यह करोड़ों और यह, आश्चर्य-चकित हो जायं, पहले तो इतना सा था वह अब इतना हो गया।

पहला जब बजट पेश हुआ उस वक्त आप यहां विद्यमान थे, इस सदन के सदस्य थे। पूरे राजस्थान का बजट कितना था ? पूरे राजस्थान का बजट 16 करोड़ था। इस साल का बजट 10 हजार 432 करोड़ रुपये है और एडिशनल और सप्लीमेंट्री

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ग्रांट्स और ले रहे हैं। तो कहां तो 16 करोड़ श्रौर कहां यह बजट हो गया। तो यह तो होगा ही। फिर कहां, 1985 और 90 में तो इतना खर्चा हुआ श्रौर उसमें श्रौर उसमें इतना खर्चा किया। उस वक्त की जो योजना थी, शुरू की पंचवर्षीय योजना, वह पूरे भारत की 1960 करोड़ की थी श्रौर यह जो योजना है वह 4 लाख 34 हजार करोड़ रुपये की है। यानि मैं भी थोड़ा आपको अनपढ़ ही समझ लूं, एक-एक करोड़ की श्रगर ढेरियां अलग-श्रलग रखें तो 4 लाख श्रौर 34 हजार गड्डियां रखनी पड़ेंगी। उतना व्यय हो रहा है केन्द्र की तरफ से पंचवर्षीय योजना में श्रौर उसमें श्रापको ज्यादा पांती आ गया, वह ज्यादा पांती आना ही था, थोड़ी आपने मेहनत की होगी तो श्रापका मेहनत करने का फर्ज है। लेकिन पर्सेण्टेज श्राप देखें, पहली पंचवर्षीय योजना में जब केवल 1960 करोड़ रुपये की पूरे देश की योजना थी उस वक्त पर्सेण्टेज 2.76 का श्राया था श्रौर इस साल का श्रापको तो मालूम है कि 2.64 है। उल्टा कम हुआ है। लेकिन यह बीच में बढ़ता रहा है, कम होता रहा है। भाखड़ा डैम बन रहा है, राजस्थान नहर बन रही है या कोई फौलाद का कारखाना कहीं पूरा होना है तो उस साल खर्चा ज्यादा हो जायेगा, कभी कम हो जायेगा।

महावीर जी परसों, परले रोज यहां कह रहे थे कि राजस्थान कैनाल का क्या हुश्रा, 68 करोड़ 12 लाख में पूरी होनी थी। लो आपका राज है, मैं श्रापको ठेका देता हूं कि हजार करोड़ के श्रन्दर बची हुई पूरी कर दो। कर दो न पूरी राजस्थान कैनाल को। तो उस वक्त इन चीजों की कल्पना ही नहीं थी कि कितना होता है। रुपये का श्रवमूल्यन हुश्रा उस वक्त 40 रुपये या 35 रुपये में सोने की मोहर मिलती थी, श्राज मोहर का भाव 5600 या 5700 रुपये है। तो बात यह है कि आंकड़ों के इस मायाजाल में श्राप मत जाइयेगा। श्राज राजस्थान की जो मुख्य समस्या है इसकी श्रोर श्रापको जाना चाहिए। तो उस सम्बन्ध में मैं कुछ श्रापको सुझाव दूंगा।

सबसे पहले मैं हल्का विषय लेता हूं, टाउन प्लानर का। बड़े-बड़े भारी टाउन प्लानर हैं, विदेशों से ट्रेनिंग पाये हुए हैं लेकिन मेरी उनकी मुख्य श्रालोचना यह है कि यह कितनी दूसरों की नकल करते हैं। यहां की जलवायु भिन्न है यहां का सोशल सिस्टम है उसका श्रगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो उसके श्रागे चलकर कई तरह के दोष श्रायेंगे। जैसे जयपुर को बहुत सुन्दर शहर कहा जाता है। सीधी सड़कें हैं, सीधी सड़कों का मतलब यह हुआ कि मान लीजिये मेरी उम्र का या मेरे से बूढ़ा श्रादमी है तो क्या वह दिन भर घर में पड़ा रहे? पड़ौसी के यहां जाय तो क्यों जाय? बच्चे हैं तो दिन भर घर में रहो। श्रौरतें, लड़कियां हैं तो दिन भर घर के अन्दर बैठी रहो। दूसरों के यहां जायें तो क्यों जायें। जब सोशल सिस्टम में श्रपन एक दूसरे से इतने करीब रहते हैं तो आप सीधी सड़कों पर क्यों बसाते हो। एक चौक छोटा सा रखो बीच में, दो–चार दरख्त लगाओ, उसमें वहां पर चबूतरा बनाओ जहां पर बूढ़े सुबह आकर बैठ जायेंगे। पोता आकर कह देगा कि बाबाजी, 11 बज गये हैं, रोटी बन गयी है, घर चले जाश्रो। वापस श्रा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

गये, शाम को हथाई करेंगे। यह हंसने की बात नहीं है। मैं बिलकुल हकीकत कह रहा हूं। लड़कियां हैं जो सामने खेल रही हैं, बैठकर गीत गा रही हैं, नाच रही हैं कूद रही हैं। किसके घर जाकर के, सीधी सड़क पर जाकर? बच्चे एक-दूसरे को जानते नहीं, नहीं तो बीच में बच्चे खेलते। सड़क पर जाओ तो एक्सीडेंट का डर रहता है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि ऐसी टाउन प्लानिंग हो। यह सिर्फ कोई एक सीधी सड़क खींच दी और एक रंग रंग दिया, उससे कोई समाज व्यवस्था अच्छी नहीं बन सकती। जोधपुर के लोगों को ज्यादा सहृदय मानते हैं, ज्यादा सोशल मानते हैं। एक दूसरे से प्रेम ज्यादा रखते हैं। तो वह क्यों? क्योंकि यह हमारे मोहल्ले का है, रात-दिन साथ उठते हैं, रात-दिन साथ बैठते हैं, साथ में व्यवहार, सुख में, दुःख में, मरण-परण में, सब में शामिल रहते हैं। तो यह मैंने आपको एक उदाहरण दिया है।

दूसरी बड़ी समस्या जो ज्वलंत है, जितने लोग हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में दो या तीन या चार युद्ध में मरे हैं, युद्ध तो चल रहे हैं, उनमें जितने लोग मरे हैं, चीन के युद्ध में जितने मरे हैं, साइचीन में जितने मरे हैं, बाहर अगर अपने सैनिक ड्यूटी पर गये हैं, उसमें जितने मरे हैं, उनसे अकेले राजस्थान में एक्सीडेंट में चार, पांच या दस गुणे लोग मरे होंगे। इसका आपने क्या सोचा? चार दिन से बातें चल रही हैं। आपने भी इसमें रेफरेंस दिया है लेकिन आपके पास इसका इलाज क्या है कि हम पुलिस को यह अख्तियार देंगे? पुलिस के अख्तियारों से नहीं होगा। सबसे ऊंची प्रायोरिटी पर लेकर कि कहां एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, जैसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यहां और दिल्ली के बीच में, यहां और किशनगढ़ के बीच में, आज कोई भी ऐसी ज्यादा ट्रैफिक की सड़कें हैं, उनको हाइएस्ट प्रायोरिटी देकर डबल लेन बनाओ और इसमें तीन-तीन लेन बनाओ एक-एक में, आने की और जाने की। यह करोड़ों-अरबों रुपये यूं ही खराब करने की बजाय आपको उस तरह के काम हाथ में लेने चाहिए।

मैंने कहा, टमाटर वाली बात, सब्जी वाली बात, अनाप-शनाप कर सकते हैं, आज अगर सही मायने में देखा जाय, ठीक है, अब तो हम उजले पहनते हैं और चौधरीजी गांव के कहलाते हैं लेकिन सबसे खराब हालत काश्तकार की है। मेरे ही घर का मैं उदाहरण दूं। एक दिन हमारे बड़े अधिकारी 1964 को वे ले करके बता रहे थे कि 1964 में बिजली का मूल्य 12 पैसे था और अब हमने चार गुणा किया है, कृषि उत्पाद की कीमत आठ गुणा बढ़ी है। मैंने उनको जवाब दिया कि 1964 में मेरे पिताजी की औलाद हैं उनके मर्दों के तीन चूल्हे जलते थे, लड़कियां परण कर चली गयीं, उनको मैं नहीं मानता, तीन चूल्हे जलते थे, आज 19 चूल्हे जल रहे हैं और मेरे पोतों के भी बेटे हो गये हैं, जमीन वह की वह है, आगे भविष्य क्या होने वाला है। आज आप देखते हैं अखबारों के अन्दर, बड़ा दुःख होता है कि एक दम्पति ने दूसरे, तीसरे दिन आत्महत्या कर ली। किसलिए आत्महत्या कर ली? वे अनएम्प्लायड थे, भूखे मरते, शर्म से मर रहे थे इसलिए

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आत्महत्या कर ली। आज गांव का लड़का है, आप पढ़ाई पर तो जोर दे रहे हो, अगर मैं यह कहूं क्योंकि मैं तो एक साधारण काश्तकार के घर में जन्म लेकर और कुछ पदों पर भी रहा तो पढ़ाई के कारण रहा, पढ़ाई का विरोध किसी हालत में नहीं कर सकता लेकिन सब यहां गांव वाले बैठे हैं, गांव वाले जितने भी लड़के हैं, उन पढ़े-लिखों की हालत क्या है ? नौकरी तो आप सबको दे नहीं सकते। खेत में काम करे तो घर वाले करने नहीं दें कि तुम्हारे पर पैसा खर्च किया है, तू फालतू का आदमी है ! मैं आपको कहता हूं 10 साल के अन्दर इतना भयंकर खून-खराबा होगा, यह जो पढ़ी-लिखी पीढ़ी है, आप समझते हैं कि बंगाल में सड़कों पर 1943 में भूखों मरते मर गये थे, ये भूख मरकर मरने वाले नहीं हैं। टमाटर का भाव मैंने कहा, टमाटर का मैंने उदाहरण दिया है तो सबसे हाई प्रायोरिटी दूसरी इण्डस्ट्री पर देओ क्योंकि कृषि से अपने को लोगों को हटाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा इसमें। टमाटर का पाउडर बनाया जाता है, इसकी चटनी बनायी जा सकती है। इतनी सब्जी होती है, आम होते हैं, फल होते हैं तो उसके ऊपर आधारित जब तक आप नहीं करोगे तब तब बढ़ेंगे नहीं। मेरा मतलब यह है कि मेरे दाम मैं क्यों कह दूं लेकिन कह दूं, हुआ यह कि पहले दिन टमाटर छह रुपये किलो, दूसरे दिन चार, तीसरे दिन तीन, अगले दिन दो रुपये और फिर तुड़ाई का और ट्रांसपोर्ट का लगे डेढ़ रुपये तो सड़ने दिया। खेत सड़ने लग गया तो तुड़ा-कर बाहर फेंका। दो दिन में गायों की दाढ़े खटाई में खराब हो गयी, उन्होंने भी छोड़ दिया और हजारों टन टमाटर इस तरह से बाहर हुआ। तो यह समस्या है किसान वाली।

फिर सवाल है रिजर्वेशन का। वोटों के लिए कई तरह से रिजर्वेशन हो रहा है और रिजर्वेशन से खून-खराबा देखो। अनु-सूचित जाति और जनजाति, के साथ में जैसा अपने ने व्यवहार किया है, सात पीढ़ी तक उनका रिजर्वेशन रखना अपना परम कर्त्तव्य है और अपन को रखना चाहिए लेकिन बिना सामाजिक परिवर्तन के, 40-45 साल से आज सबसे ज्यादा जिनको आप ज्यादा कोसते हैं, सामंतों को ही ले लो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक्स्ट्रीम केस है कि यह ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कृपया....

(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सामंतों को ही ले लीजिये। इनकी जागीरें चली गयीं। इनका सामाजिक सिस्टम और तरह का था और औरतें परदा रखती हैं। मेरे मोहल्ले के अन्दर ठाकुर ही रहते हैं। हम तो काम कर लेते हैं, हमारी औरतें काम कर लेती हैं। ठाकुर साहब फेमिन पर तो जा नहीं सकते क्योंकि ठाकुर हैं। इसलिए आम तौर पर फेमिन का काम हमारे टाइम में काफी चलता था तो कहते थे, ठाकुर यूं ही अपना नाम लिखाओ। मैंने कहा कि अपनी पीढ़ी में तो लिखा दो, इनके माथे पर तगारी कहां डालोगे। खेत जाते हैं, शाम को बलीता नहीं है इसलिए माथे पर बलीता। घर आवे तब ठकुरानी तो परदे में हैं कि

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जाकर पानी लेकर आओ। और यह आपमें हो जाती, अगर आप पढ़े नहीं होते तो आज दिन यह हालत होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे में हो नहीं जाती, हुई–हुई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां–हां, यह हंसने की बात नहीं है। खैर, हुई–हुई तो नहीं है, अभी तो ठीक है लेकिन मैं आम आदमी की कह रहा हूं। सामंत थे इसलिए नाम बड़ा था। कुछ नोकरी में भी थे। अब नोकरियां भी इतने लोगों के लिए नहीं रहीं। पहले तो पेशे के अनुसार जातियां थीं। अब जैसे कायस्थों को ही लो। आप कहोगे कि मैं कायस्थों की पैरवी कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह कम्युनिटी ऐसी है, खाली लिखा–पढ़ी का ही काम करती है, मुंशीगिरी इनका काम था। पूंजी इनके पास नहीं, बिजनेस का अनुभव नहीं, खेती इनके पास नहीं। 50 कम्पीटिटर आकर बंट गये। ये ज्यादातर मरने वाले ये ही हैं इस तरह के लोग। तो यह रिजर्वेशन वाला प्रश्न है, इसको भी आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा क्योंकि बड़ा भारी परिवर्तन आया है। आज सुनार रोज के 500 रुपये कमाता है, लुहार 500 रुपये रोज कमाता है। सुनार की तो बात यह है कि मेरे गांव में तीन तिणणियां थीं, एक मेरी दादी की, एक चोधरी की और 2–2, 3–3 मोहर की। आजकल सोने से लदे हुए हैं। लुहारों का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दर्जी 2000–3000 रुपये सूट की सिलाई के लेते हैं। छोरी को परणाओ, शृंगार करें तो ब्यूटीशियन लेता है चार हजार रुपये। तो उनको तो आकर्षण है। किसान इससे वंचित है। काम्पीटिशन होने दो और शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लिए मैंने कह दिया कि सात पीढ़ी तक रिजर्वेशन देओ तो भी कम है, यह मैं आपको बता देता हूं। इसलिए इस बहाव में, वोटों के लालच मे अपन को इस बहाव में नहीं आना है और इस समस्या पर आप गहराई से विचार करो और यह आंकड़ों का मायाजाल है इसको आप छोड़िए। एक–दो बात कह कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : धन्यवाद, घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चोमूं) : पूनमचन्दजी के भाषण का सार यह है कि ओ. बी. सी. का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां, मैं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिये। लो चलिये। मैं हमारा केस बता दूं। चलिये, लीजिये विश्नोई। मैंने पिछले साल प्रश्न पूछा कि राजस्थान सचिवालय के अन्दर क्लास फोर्थ से लेकर क्लास वन तक कितने विश्नोई हैं? कहा कि जातिवार नहीं रखते। मैं कहता हूं कि एक ही नहीं है क्लास फोर्थ से लेकर वन तक। और हमारी हालत क्या है? हमारी हालत यह है कि हम भेड़ रख नहीं सकते, बकरी हम रख नहीं सकते, मुर्गी रख नहीं सकते, शूकर पालन कर नहीं सकते, मत्स्य पालन कर नहीं सकते क्योंकि यह सब कटने को जाते हैं। आपके जितने वनों में पशु अभयारण्य हैं, पूरे हिन्दुस्तान के

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

85–90 प्रतिशत काले हरिण और चिंकारा हरिण हमारे खेतों में रहते हैं। वहीं चरते हैं, वहीं ब्याते हैं। टूरिस्ट डवलपमेंट कारपोरेशन बहुत अच्छा किया है हैरिटेज होटल वाला, लेकिन यह नमूना कहां मिलेगा ? टूरिज्म में आपने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वन्य प्राणी और मनुष्य साथ रह सकते हैं। यह नजारा संसार में कहीं नहीं मिल सकता सिवाय विश्नोइयों के एक हजार गांवों के अन्दर। एक–एक में आप ले जाकर जीप खड़ी करो, उसके पास हरिण खड़े हैं। तो यह चीज वह विदेशी देखना चाहते हैं। वेजेटेरियनिज्म बढ़ रहा है। हमारे से कट्टर वेजेटेरियन कोई नहीं, क्योंकि चाहे कोई शूरवीर जाति हमारे गांव में बसती हो, हम उनको मांस नहीं खाने देते और न किसी जानवर की हत्या करने देते। तो टूरिज्म में आप इसे क्यों नहीं बढ़ाते ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब भी ऐसा ही है क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसी तरह से राजस्थान की कशीदाकारी है। बहुत भद्दी कशीदाकारी और भद्दा प्रिंटिंग है, वह सामने आया है। असली जो प्रिंटिंग है वह आया नहीं है। तो उसको आप बढ़ावा दो ताकि गांव के अन्दर औरतें हैं, किसान औरतें हैं वह ज्यादा काम के अन्दर लग सकेंगी।

आखिर में आपका जो पेटेन्ट विषय है भ्रष्टाचार, है तो लम्बा–चौड़ा, लेकिन वह है। भ्रष्टाचार हमारे टाइम में भी था, मैं मना नहीं करता। आपके टाइम में भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात आपने यह की, उसमें एक सेठ की कहानी सुना देता हूं। एक सेठ का लड़का मांस खाना सीख गया। तो गांव वालों ने कहा कि तेरा लड़का मांस खाता है। उसने कहा कि मेरा लड़का मांस नहीं खाता है। तो एक दिन बाड़े के अन्दर पका रहा था मांस, ले जाकर बताया कि यह पका रहा है। उसने कहा कि नहीं, यह तो गट्टे बना रहा है। वापस आये तो पूछा कि सेठजी–हमने बता दिया तो भी आपने माना नहीं। तो कहा कि अभी तक इतनी शर्म तो है कि बाड़े में बना रहा है मांस, जिस दिन मैंने यह कह दिया कि यह मांस खाता है, घर में आकर हांडी चढ़ायेगा। तो आपने क्या किया है, अब हालत यह है, ईमानदारी सरकारी अधिकारियों में नहीं है, यह मैं नहीं कहता, बहुत अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, राजनीतिज्ञों में ही घणे ही, ज्यादातर ईमानदार हैं लेकिन अब ईमानदार का मतलब समाज की दृष्टि में और घर वालों की दृष्टि में बेवकूफ है। पूछ लो कहीं पर भी। और कई चुनाव हारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, एक व्यक्ति इसलिए हारा चुनाव कि इसने अपने घर का मकान ही नहीं बनाया। तीन चुनाव जीता था वह, फिर मिनिस्टर था। कहा कि यह कितना निकम्मा है, मकान इसने बनाया नहीं, किसी की कोई मदद की नहीं, घर वालों की की नहीं, यह दूसरों का क्या भला करेगा, इसलिए चुनाव हारा। तो अब ईमानदार होना बेवकूफ हो गया क्योंकि आपने भ्रष्टाचार–भ्रष्टाचार चालू कर दिया। तो बनिये के बेटे को सामने लाकर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मांस खिलाना, अब भ्रष्टाचारी होना कोई अपराधी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शिष्टाचार हो गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह शिष्टाचार हो गया आपके प्रति प्रचार की वजह से। इस बात का मैं आपको दोषी ठहराता हूं। और फिर निकला भ्रष्टाचार, फिर डायरियां निकल गयीं। अब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हम मुद्दा बना रहे हैं। वह तो वही बात हो गयी, गांव में कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, गांव वाले कह रहे हैं कि चोर-चोर, तो चोर भी कहने लग जाता है चोर-चोर। यह ईश्वर की माया ऐसी है कि पुरूलिया काण्ड बनाया जितने अपने यहां विस्फोट हो गया। स्टेडियम की ही रखवाली नहीं होती तो पुरूलिया तो क्या है। देश में क्या पता, पांच सौ हवाई जहाज ऊपर से रोजाना निकलते हैं, कोई खटका दबाओ तो दस टन माल पड़ जायेगा अंधेरे में। लेकिन उनको पकड़ लिया, शस्त्र पकड़ लिए, आदमी पकड़ लिए। तो यह है कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप बहुत जिम्मेदारी के पद पर हैं, बहुत बड़े हमारे साधन हैं, बहुत सी हमारी समस्याएं हैं, इसलिए आप कृपा करके गाड़ी को, सुबह डाक्टर साहब कह रहे थे, स्ट्रिक्ट करो इस मामले को। मुझे पचास साल गाड़ी में बैठते और चलाते हो गये हैं। मेरे बैठे किसी कुत्ते के कभी मैंने टक्कर नहीं लगने दी। अगर सावधानी से चलेंगे तो एक्सीडेंट से बचा भी जा सकता है। तो वह टाइटन-अप करिये किसी भी कीमत पर, सड़कों के चौड़े रास्ते का और यह करो।

एक छोटा सा सवाल है, यह जो फव्वारा पद्धति है, इसको एग्रीकल्चर में मानें या नहीं मानें। एक जल स्तर नीचे जा रहा है, अलवर के अन्दर साबी नदी को सोडावास या कहीं पर बांधने का सवाल है, अगर बांधते हैं

(14.45)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तो वहां कुओं का पानी ऊपर हो जायेगा, वह आपको करना चाहिए और यहां पर आई हुई है अपने, अलवर के अन्दर ही डेढ़ किलोमीटर के ऊपर हरियाणा की नहर आई हुई है, वह कहते हैं कि डेढ़ किलोमीटर आप अपनी हरियणा में बना दो और पानी ले जाओ। अगर पानी किसी कीमत पर मिल सकता है तो लें।

अन्त में है फेमिन। सभी तरह से भूखा है, वही कहे भूखा हूं और धापेड़ा है वह भी भूखा। लेकिन आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे कम बरसात औसत की तीस प्रतिशत फलौदी एक तहसील है उसमें हुई है और उससे थोड़ी अधिक हुई है खेतसिंहजी के। सबसे कम तीस प्रतिशत। काम खुले हैं, सात-आठ हजार मजदूर मेरे लगे हैं, पांच-छह हजार मजदूर इनके। तालाब प्राचीन खुदवाये हुए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कन्जर्वेशन, सोइल कन्जर्वेशन हो। तालाब प्राचीन बुजुर्गों ने बना दिये और आपने बड़े-बड़े तालाब देखे हुए हैं उनकी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

खूब खुदाई करेंगे न तो नाम अमर हो जायेगा, यह मैं आपको बताता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके नाम पर ही रख देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके नाम पर ही रख देंगे, कोई आपत्ति नहीं है। मैरू सागर या मैरू योजना भले ही बना दो। जो तालाब हैं इनको फेमिन के अन्दर खुदवाइये। आपने टैंकर्स अभी चालू किये नहीं, चारे का अनुदान चालू किया नहीं, मजदूरी पर्याप्त आपने खोली नहीं। फेमिन वाला मामला बहुत गम्भीर है। और भी जगह है फेमिन, लेकिन हमारे बहुत गम्भीर है, तीस प्रतिशत ही बरसात हुई है और पशुधन का इलाका है इसलिए पशुपालन और इसके ऊपर आधारित जो कोई भी योजनाएं अधिक से अधिक बन सकती हैं, बनायें।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं अध्यक्षजी, कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता बोलें उसके पहले मैं आपसे एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। हमने अमेण्डमेंट मूव किया था राज्यपाल के अभिभाषण पर। मैंने, माननीय रामनारायणजी ने और माननीय शिवनाथ सिंहजी ने। अभी तक आसन से उस अमेण्डमेंट की कोई बात नहीं हुई और अब आप अभिभाषण पर जवाब दिला रहे हैं उसके पहले अमेण्डमेंट का आपने डिस्पोजल किया नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, अभिभाषण के बाद में होगा डिस्पोजल।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, उस पर व्यवस्था भी आपने दे दी थी कि आपका जिनका अमेण्डमेंट है उनको बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कल शिवनाथसिंह जी साहब बोले थे और रामनारायणजी साहब पधार गये थे।

श्री विष्णु मोदी : तो कल मैं बिराजमान था, साहब, यहां पर दिन भर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह जरूरी नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : अच्छा, और वह अमेण्डमेंट तो एक बार में मूव किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर गहरा अफसोस है कि न तो सदन की बैठकें होती हैं, न उनको नियमानुसार चलाया जाता है और अब जबकि अमेण्डमेंट एक प्रक्रिया है उसका भी पालन नहीं होगा तो कैसे व्यवस्था बैठेगी।

श्री किशनगोपाल कोगटा : विराजिये।

श्री विष्णु मोदी : कैसे बिराजूं ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने फरमाया था कि आप हमें दस मिनट बोलने का टाइम देंगे जवाब से पहले।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक सैकण्ड।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बताता हूं। आप बोल रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक सैकण्ड, मैं कह रहा हूं। वह यह है कि पूरे भारत में....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा तब कल आप भी नहीं थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सबसे सुन्दर नीम के वृक्ष यहां और किशनगढ़ के बीच में थे। मैं चार दफा इस प्रश्न को उठा चुका हूं। एक–एक पेड़ एक–एक लाख का है। आधे इन्होंने खतम कर दिये छाल उतार–उतार कर, जला कर और अभी भी कर रहे हैं। तीन साल बाद में आप एक वृक्ष नहीं देखेंगे। चतुर्वेदीजी के सामने भी मैंने रखा था। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैंने जब आपसे समय के लिए कहा था तो आपने कहा था कि मैं दस मिनट का समय आपको दूंगा। इसलिए अभिभाषण पर जब आप उत्तर दिलवा रहे हैं तो उससे पूर्व आपने जो आश्वासन दिया था, दस मिनट का समय मुझे बोलने का दिया जाय।

श्री विष्णु मोदी : अमेण्डमेंट दिया हुआ है, अध्यक्ष महोदय, मेरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं होगा, विपक्ष के नेता के स्थान पर श्री पूनमचन्दजी विश्नोई ने यहां भाषण दिया है....

श्री विष्णु मोदी : उनके स्थान पर नहीं दिया है, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, तो बाद का सवाल नहीं करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर ऐसी परम्परा नहीं होगी कि विपक्ष के नेता के बाद में फिर डिबेट शुरू हो जाय और मैं बोलूं, उसके बाद में फिर हमारे यहां से बोलने लग जाय। इस सदन की कुछ परम्पराएं हैं....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, यह हमको मालूम नहीं था। अगर यह मालूम होता तो हमें पहले समय दिया जाता। हमको यह नहीं बताया गया कि विपक्ष के नेता पहले बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : मैं परम्पराएं तोड़ने की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो पूनमचन्दजी साहब विपक्ष के नेता के स्थान पर नहीं बोले हैं। श्री पूनमचन्दजी हमारी पार्टी के पहले वक्ता थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे स्पीकर साहब ने दिया है। आप बैठिये दो मिनट। मुझे बोलने दीजिए, आप क्यों बीच में बोलते हैं।

श्री विष्णु मोदी : हम कोई परम्परा नहीं तोड़ना चाहते लेकिन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, परम्परा ही तोड़....

श्री विष्णु मोदी : परम्परा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्थाओं से आनी चाहिए। परम्परा आपको निभानी है, हम परम्परा निभाने को तैयार हैं। लेकिन मेरा अमेण्डमेंट दिया हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि मुझे अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप, अध्यक्ष महोदय, +++ अगर हाउस को चलाना चाहते हैं तो हम चले जाते हैं यहां से। कोई प्रक्रिया के तहत इसको आप नहीं चलायेंगे तो कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदी साहब, कल नाम पुकारा गया था, आप भी नहीं विराज रहे थे और माननीय रामनारायणजी साहब भी नहीं थे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल भी पूछ चुका था यहां, टेबल आफिस से पूछ चुका था, आपके यहां से जानकारी कर चुका था, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गयी; न ही आपकी जो बिजनेस लिस्ट थी उसमें अमेण्डमेंट का कोई जिक्र था। लेकिन अगर आप परम्पराओं को तोड़ना चाहते हैं और यही परम्पराएं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने आश्वासन दिया था कि 10 मिनट का समय आपको बोलने का दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कल आपका नाम पुकारा गया था अमेण्डमेंट के हिसाब से ही। आपका और रामनारायण जी साहब का नाम कल पुकारा था मैंने स्वयं ने।

श्री रामनारायण चौधरी : आप +++ कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। समय भी नहीं दे रहे हैं और +++। ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। (व्यवधान) मैंने कल आपका नाम पुकारा था।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, कल तो हाउस ही बन्द था।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहा कि 14 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : मैंने कल आपका नाम पुकारा था और नहीं है तो प्रोसिडिंग्स देख लें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहा है कि 14 तारीख को आप कैसे टाइम देंगे,

---

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण चौधरी)

चीफ मिनिस्टर, लीडर आफ अपोजिशन बोलेंगे, देरी से बोलेंगे और लोग भी बोलेंगे। आपने मुझे खुद को कहा है कि मुझे आप 14 को देंगे। मेरे पीछे से आपने नाम पुकार दिया। यह कोई बात थोड़े ही हुई। मैं यहां बैठा रहा। मेरा तो नाम नहीं पुकारा और दूसरे सदस्यों का नाम पुकारा लिया गया।

श्री विष्णु मोदी : आपने मुझे कहा है मगर कल तो हाउस ही बन्द था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आप कहां से पुकार चुके ? कल तो हाउस की छुट्टी थी।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे विपक्ष के लोगों को भी नहीं बुलाया।

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी साहब के.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहा, मैंने आपका नाम पुकार दिया। ठीक है, टाइम मत दो वह बात समझ में आती है लेकिन यह खानापूर्ति क्यों करते हो कि नाम पुकारा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप कल नहीं बिराज रहे थे।

श्री विष्णु मोदी : कल तो सदन ही नहीं था।

श्री रामनारायण चौधरी : शिवनाथसिंह जी बोले थे, निर्दलीयों के लोग बोले उनमें से।

श्री अध्यक्ष : परसों का मतलब ही है।

श्री रामनारायण चौधरी : शिवनाथसिंह जी निर्दलियों की पार्टी के लीडर हैं उस हैसियत से बोले थे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे आश्वासन दिया है। 10 मिनट बोलने का समय दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : अब उनके अमेण्डमेंट को भी आप उधर जोड़ रहे हो। मेरा आपने नाम पुकार दिया बताते हैं, मोदी जी का आपने नाम पुकारा बताते हैं। समय आपको नहीं देना हो तो आपके अधिकार की बात है। नहीं देना हो तो....

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं तो आपको परसों ही देना चाहता था। मैंने आपका नाम पुकारा था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नाम तो पुकार देंगे और इधर-उधर नाम पुकार देंगे, नाम काट देंगे।

श्री अध्यक्ष : जिस क्रम में नाम दिये हुए थे उसी हिसाब से मैंने बुलाया था।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, अमेण्डमेंट थोड़े ही क्रम से आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेण्डमेंट का तो एक अपना तरीका है। क्रम तो पार्टी का है लेकिन जो अमेण्डमेंट दिया वह तो आपकी प्रक्रिया का पार्ट है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो कोई बात हुई नहीं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप 10 मिनट का समय मुझे बोलने के लिए देंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो मैं प्रोसिडिंग्स दिखा सकता हूं । जब आपका नाम पुकारा गया था उस समय आप विराजमान नहीं थे ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बात कह रहे हैं कि इनका नाम पुकारा गया । मैं पूरे वक्त हाउस में था । आपने परसों मेरा कब नाम पुकारा, मुझे जानकारी ही नहीं है और इसके अलावा जब आपसे....

श्री अध्यक्ष : आप प्रोसिडिंग्स देख लें ।

श्री विष्णु मोदी : रामनारायण जी, मैं और शिवनाथसिंह जी तीनों आपसे मिले थे तब आपने यह कहा था कि आपका अमेण्डमेंट है आपको बोलने का समय दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । प्रोसिडिंग्स देख लें आप ।

श्री विष्णु मोदी : 14 तारीख को समय देंगे । अगर आप वहां कुछ कहते हैं, यहां आकर कुछ बोलना चाहते हैं और आगे कुछ करते हैं और नयी परम्पराएं डालना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मर्जी । हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए लेकिन आप उसे जो नियमानुसार है और आप कहते हैं जिस क्रम में है उसी क्रम में बुला रहा हूं, क्रम में नहीं है, साहब, हमने तो अमेण्डमेंट दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसीलिए प्रोसिडिंग्स दिखा सकता हूं और मैंने नाम पुकारा था ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है । माननीय सदस्यों को यहां बैठे रहना चाहिए था ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था ।

श्री अध्यक्ष : वैसे ही काफी बोल चुकी हैं आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था चेम्बर में और आपने मुझे 10 मिनट बोलने का समय दिया था ।

श्री विष्णु मोदी : बोलने के लिए तो 10 दिन से यह तैयारी कर रहा हूं और जिसमें आप यह बात करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब दें । आपने मुझे 10 मिनट बोलने के लिए आश्वासन दिया था । इसका मतलब आप नहीं बोलने देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं थीं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने समय देने का चेम्बर में मुझे आश्वासन दिया था ।

श्री अध्यक्ष : परसों के रोज आप नहीं थीं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी ?

श्री अध्यक्ष : आप नहीं विराज रही थीं परसों।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं तो यहां ही हूं, साहब, मैं कहीं नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष : परसों के रोज की कह रहा हूं मैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : परसों तो मैंने नाम ही नहीं दिया। आपको परसों ही मैंने कहा था। आपने कहा, आज देंगे। साहब, आपने चेम्बर में कहा अभी एक घण्टा पहले कि मैं 10 मिनट का समय दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आज कैसे देंगे ? विराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने कहा था न एक घण्टे पहले।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसी दिन के लिए कहा था, परसों के लिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं आज के लिए, अभी आपने समय मुझे दिया है। आपने मुझे कहा, 10 मिनट का समय आपको दिया जायेगा बोलने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, बैठो आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अगर आप यह कह दें कि नहीं कहा है तो मैं मानने को तैयार हूं। आज आपने कहा या नहीं, बस, मुझे इतना बता दें। जो आप कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं पर मुझे आपने यह कहा था कि 10 मिनट का समय आपको हम देंगे बोलने का अभिभाषण पर।

श्री अध्यक्ष : आज आप आयी थीं और उसके लिए जीरो ऑवर में बोलूंगी और 295 पर बोलूंगी, यह कहा था।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इस अभिभाषण पर लिखा हुआ है। आपने कहा था, मैं अभी जा रहा हूं, बोलने का आपको जाते ही समय दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको जीरो ऑवर के लिए कहा था। आप विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब, देखिये, पांच मिनट का समय मुझे बोलने के लिए दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : परसों के रोज नाम पुकारा है न।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी लेकिन आपने मुझे आश्वासन दिया था कि बोलने का समय दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अब।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं मुख्य मन्त्रीजी से आग्रह करूंगी कि मेरी बात सुन लें उसके बाद में जवाब देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है। विश्नोई साहब यहां बैठे हैं, इनका बड़ा पुराना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय के अभिभाषण में सिवाय आंकड़ों के कुछ नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने भाषण सुना भी है और पढ़ा भी होगा, आंकड़ों के अतिरिक्त राजस्थान में विकास किस प्रकार से होगा उसकी भी उसमें तस्वीर है लेकिन, विश्नोई साहब, एक बात को आप स्वीकार करेंगे कि 1952 से लेकर आज तक विपक्ष की ओर से जिस प्रकार की नीरस बहस इस बार हुई है, पहले कभी नहीं हुई और इसलिए मेरे सामने समस्या खड़ी हो गयी कि मैं जवाब किस बात का दूं। (व्यवधान) नहीं है, बिलकुल नहीं है। कोई बात हो तो जवाब दूं। अब आपके वाले कहानी किस्से तो मुझे याद हैं नहीं। न मुझे डोकरी का किस्सा याद है, न और किसी बनिये के लड़के का किस्सा याद है, न किसी की कहानी याद है। आप इस मामले में महारथ हासिल किये हुए हैं। मौका जिस समय मिला वह डोकरी का किस्सा, कहीं मौका मिला तो लड़के का किस्सा, कहीं मांस खाने वाले का किस्सा, कहीं ठाकुर का किस्सा। ये किस्से आपको बहुत याद हैं पर आपने अपने भाषण में किस्से सुनाकर जो सदन का मनोरंजन किया है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है, राजस्थान की जिस प्रकार की प्राकृतिक स्थिति है वह स्थिति इस सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारा स्टेट लैण्ड लाक्ड स्टेट है। कोई समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती, न हमारे यहां बनास के अलावा ऐसी कोई नदी है, जैसे दूसरे राज्यों में से न आती हो और दूसरे राज्यों में न जाती हो। हमारे यहां पर दुर्भाग्य से कहिये कि पिछले 50 वर्षों में हम किसी प्रकार का मार्केटिंग सेण्टर डवलप नहीं कर पाये। वही समस्या यू. पी. की भी है, वह समस्या हरियाणा की भी है और वह समस्या पंजाब की भी है। हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली बीच में होने के कारण उसका मार्केट डवलप हो रहा है और हमारे राज्यों का माल एक विक्रय केन्द्र के रूप में आज दिल्ली में जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं कि प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति ने हमको पानी नहीं दिया समझ में आता है, प्रकृति ने हमको समुद्र के किनारे पर नहीं बसाया यह समझ में आता है लेकिन प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। अभी आप जिस मौसम की बात कह रहे थे उस बात के साथ-साथ प्रकृति ने हमको बहुत दिया है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि प्रकृति ने जो दिया है उसकी खोज करें और खोज करने के पश्चात् उस आधार पर राजस्थान का विकास किस प्रकार से करें।

(15.00)

अब मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी सौर ऊर्जा की चर्चा हुई। सूर्य कोई अभी हम तो लाये नहीं, रेगिस्तान कोई हम लाये नहीं लेकिन सूरज की किरणों से बिजली पैदा हो सकती है, इस बात का ज्ञान होते हुए भी हम इस सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन करने के सम्बन्ध में सक्रिय क्यों नहीं हुए? यह कह सकते हैं कि टेक्नोलाजी डवलप नहीं हुई थी और इस कारण से हम उसका लाभ नहीं उठा सके। लेकिन आप यह भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जानकारी रखते होंगे कि बीकानेर स्टेट में पलाना में लिग्नाइट का बिजली उत्पादन करने का कारखाना था। उसमें ढाई मेगा-वाट बिजली पैदा होती थी। वह लिग्नाइट हमारे पास था। उस लिग्नाइट की खोज हुयी, खोज होने के बाद में राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग में यह लिग्नाइट मिला। तो मैं यह नहीं मानता कि प्रकृति ने केवल हमको अकाल ही दिया है लेकिन अकाल का समाधान भी हम प्राप्त कर सकते हैं, उस समाधान की व्यवस्थाएं भी की हैं। अब यह सही है कि वे व्यवस्थाएं आज देरी से हम प्रकट कर पा रहे हैं और उसके कारण से जितना लाभ हमें नहीं मिला। राजस्थान में अकाल पड़ते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं। जैसे पूनमचन्दजी किस्से बताते हैं, वैसे ही मैं भी एक छोटा सा किस्सा बता दूं, राजस्थानी में एक कहावत है, एक वर्ष, दो वर्ष बहुत बढ़िया कमाई हो, बहुत बढ़िया फसल हो और उसके बाद में एक बार अकाल पड़ जाय तो सारी कमाई चौपट हो जाती है, वह कहावत इस तरह से है कि "मियां जोड़े तार–तार और बीबी ले जाय पागड़ी उतार।"

जिस तरह से प्रकृति के साथ हम चलते हैं, इस प्रकृति के साथ ही हमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने देखा होगा कि हम प्रकृति के आधार पर निर्भर रहेंगे तो कभी राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन प्रकृति ने जो हमको दिया है, यदि हमने उसका एक्सप्लायटेशन ढंग से किया है तो निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं कर सकता है।

अब यहां चर्चा की गयी करप्शन की, भ्रष्टाचार की। मैं माननीय सदस्यों को इतना ही कह सकता हूं कि अभी देश के अन्दर भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा है। (व्यवधान) केवल 65 करोड़ रुपये के अन्दर सारे हिन्दुस्तान की राजनैतिक व्यवस्था को चुनौती दी गयी है। केवल 65 करोड़। यह कोई बड़ा अमाउण्ट नहीं है। यह कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं कि हिन्दुस्तान में 65 करोड़ रुपये लोगों के पास न हों। केवल 65 करोड़ के नाम पर हिन्दुस्तान की राजनैतिक व्यवस्था पर जिस प्रकार से कलंक लगा है उसके लिये मैं नहीं कहता कि मैं जिम्मेदार हूं और आपको भी मैं जिम्मेदार नहीं मानता। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उस प्रसंग को हम चलाये रखेंगे तो आज जनता में आपको भी जाना है और जनता में हमको भी जाना है, कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो जाय कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में लोगों में अनास्था और अविश्वास पैदा हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जिन्दगी में पहले कभी भ्रष्टाचार के लिए यहां सवाल नहीं उठाया है। आप ही भ्रष्टाचार का सवाल उठाते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये आप।

श्री विष्णु मोदी : आपको 65 करोड़ रुपये कम लगे क्या पूरी व्यवस्था को कलंकित करने के लिए ? आपके विचार में 65 करोड़ रुपये बहुत छोटी रकम है, मतलब बड़ी रकम होती तो शायद आप.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुनिये। यह गड़बड़ है, अध्यक्ष महोदय। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मन्त्रीजी, आपको याद होगा कि शिवचरणजी पर 2 बीघा जमीन का आरोप लगाया गया था, सिर्फ 2 बीघा जिस वक्त उसकी कीमत मुश्किल से 5 या 6 हजार रुपये होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप विराजिये। मेरी समझ में नहीं आता, माननीय सदस्य, यह कोई प्रश्नोत्तर थोड़े ही है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको गम्भीरता से सोचें। आरोप चाहे किसी ने लगाये हों, किसी ने नहीं लगाये हों। मान लीजिये मैंने 52 से लेकर अब तक आप पर आरोप लगाये और आपने 77 से 80 तक और 90 से 95 तक आरोप लगाये, उसका टोटल इम्पेक्ट क्या हुआ? क्या इम्पेक्ट हुआ? उसका इम्पेक्ट यह हुआ कि 65 करोड़ की पूंजी ने सारे हिन्दुस्तान की राजनैतिक व्यवस्था को चुनौती दे दी, उसको कलंकित कर दिया और कलंकित करने के साथ-साथ सारे विश्व में हम एक ध्वस्त देश के रूप जाने जाने लगे, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए कई बार चर्चा करने के पहले हमें भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ेगा। (व्यवधान) आप जो शिवचरणजी का नाम ले रहे हैं, नाम लेकर मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की चर्चा करने से पहले आज हाइएस्ट टेक्नॉलाजी का युग है, कोई इस प्रकार का कांच बन जाय कि जिस कांच में बोलने वाले अपनी शकल देख लें और कम्प्यूटर की तरह से वह बता दें कि आपके ये ये कारनामे हैं और आप भ्रष्टाचार की चर्चा मत करो। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कभी चर्चा मत करें।

श्री विष्णु मोदी : आप और आपकी पार्टी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आप फिर आपको कहता हूं, पूनमचन्दजी बिश्नोई, मेरे और मेरी पार्टी के लिए आप कह रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने किया है उसमें आपको सन्देह है तो आप जांच करके मुझे कह दें, मै आज विधान सभा से निकल जाऊंगा। आज ही निकल जाऊंगा, एक दिन नहीं रहूंगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप पर सन्देह नहीं, आपने पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा और नाक में से निकाल लूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, यह कहा है। उसका जवाब दिया है मैंने। जिन्दगी में मैंने किसी के ऊपर इस सदन से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। मैंने नाक से निकालने की बात कही है, भ्रष्टाचार बहुत कुछ नाक से निकाला है लेकिन नाक में कुछ रह गया है, वह मैंने आपके लिए छोड़ दिया है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बहुत आपत्तिजनक बात कही है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करना बन्द करिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बन्द नहीं करना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : वरना ऐसा नहीं हो जाय कि जनता प्रजातन्त्र में आस्था रखना बन्द कर दे। आप उलटा इसको यह कहिये कि अगर डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार आ रहा है तो उसको निकालने के लिए कोई प्रक्रिया अपनायी गयी है तो प्रजातन्त्र को और मजबूती मिलेगी। इससे देश की बदनामी नहीं शाबाशी हो रही है कि नजदीक से नजदीक आदमी भी भ्रष्ट था तो उसको भी नहीं छोड़ा। आप उसको उलटा इण्टरप्रेट कर रहे हैं कि आप बात करना बन्द कर दीजिये। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही कह रही हैं आप। (व्यवधान) मैं विस्तृत रूप से बात करूंगा। (व्यवधान) बार–बार चर्चा में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया विराज जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बार–बार इस प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैं तो यह कह रहा हूं कि इस प्रकार की चर्चा मैं भी नहीं उठा रहा था। विश्नोईजी ने यह बात उठायी इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने उठाया कि भ्रष्टाचार–भ्रष्टाचार, तो मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यदि हम इसी प्रकार का वातावरण बनाते रहे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। भ्रष्टाचार का मामला हो, प्रामाणिक रूप से उसको रखें और रखने के बाद में उसकी व्यवस्था हो कि भविष्य में कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, यह बात तो मेरी समझ में आती है लेकिन एक आदत बना लें कि चार्ज लगाओ, उस पर चार्ज लगाओ; अब वह जमाना नहीं है। मान लीजिये, 40 वर्षों में इस प्रकार की व्यवस्था बनी है, लेकिन आज जिस प्रकार के हालात इस देश में हुए हैं उस प्रकार के हालात में सुधार करने की की आवश्यकता है, हालात को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे पूनमचन्दजी ने कहा कि आपने आंकड़े दिये और आंकड़ों की तुलना में सारा इस तरह का एक जाल फैला दिया, जिस जाल में इस बात का पता नहीं लगता कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं, यह बात सही है कि रुपये का अवमूल्यन हुआ, यह बात सही है कि कीमतें बढ़ी हैं लेकिन कीमतें बढ़ने के साथ–साथ कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है। केवल दो बातों के आधार पर हम उसको निरस्त नहीं कर सकते हैं कि कीमतें बढ़ी हैं और रुपये का अवमूल्यन हुआ है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब आप इसको किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 7,186 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। केवल 7,186 करोड़ रुपये। और आठवीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

योजना में, इन पिछले चार वर्षों में, मैं 1952 से लेकर उस समय तक की योजनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं, उन सारी योजनाओं में 7,186 करोड़ का खर्चा हुआ और इन 4 वर्षों में, जिसका उल्लेख मैं कह रहा हूं, 8,780 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। अब इससे एक अन्दाज लगा लें कि किस प्रकार से राजस्थान का विकास करना है।

श्री रामनारायण चौधरी : आठवीं पंचवर्षीय योजना कितने करोड़ की है, आप तो यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वह खर्चा सब बता दूंगा। योजना में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, खर्चे में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अब 11,500 करोड़ रुपये की योजना मन्जूर हुई और वार्षिक योजना 300 करोड़ रुपये की मन्जूर हुई। सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में प्रतिशत वृद्धि यदि योजना के आकार में हुई है तो राजस्थान में हुई है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं आज भी मानकर चलता हूं कि राजस्थान की योजना के आकार के कारण गांवों में चाहे स्कूल खोलने की बात हो, जिनके आंकड़ों से आपको नाराजगी है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे और कोई बात हो, यह अगर रुपये नहीं होते तो आज जो कुछ हमने किया है, वह भी नहीं कर पाते। इसलिए योजना का आकार बढ़ा है यह उसी का नतीजा है।

अब प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन, नेशनल एवरेज 71 प्रतिशत है और राजस्थान का प्रतिशत है 174। अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि राजस्थान में नेशनल एवरेज से ज्यादा योजनागत व्यय हुआ है और इस योजनागत व्यय में भी मैं यह बता देऊ कि कुछ स्टेट्स बची हैं, केवल पांच स्टेट्स बची हैं जो योजना की स्वीकृत राशि में वह उसी सीमा तक या उस सीमा से थोड़ी बहुत आगे वह खर्च कर पायी हैं। बाकी कई राज्यों में मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2300 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना मन्जूर हुई तो अन्त में 900 करोड़ रुपये पर आकर रह गयी। कईयों में 2400 करोड़ रुपये की योजना मन्जूर हुई, 1100 करोड़ तक खर्च हुआ। कइयों में 2700 करोड़ रुपये की योजना मन्जूर हुई और 1400 करोड़ रुपये पर सारा व्यय समाप्त हो गया। लेकिन चारों वार्षिक योजनाओं में जो कुछ योजना मन्जूर हुई थी, उस योजना के बराबर हमने खर्च किया और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 11,500 करोड़ रुपये की योजना में वार्षिक योजनाओं के रूप में राजस्थान में 11,500 करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा, कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर इस बात को भी कोई झुठलाना चाहे तो मैं इसको झुठलाना स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री विष्णु मोदी : योजनागत विनियोजन तो बता रहे हैं, एक्चुअल आउटपुट क्या है?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय मोदी साहब, विराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खेतसिंहजी और पूनमचन्दजी से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन करना चाहूंगा कि यह परम्परा नहीं डालें, यह बार-बार बीच-बीच में क्वेश्चन पूछना, मैं समझता हूं कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, किताबों से आंकड़े आपने ले रखे हैं, मुझे आपकी बुद्धि पर कोई नाराजगी नहीं है लेकिन इस बात की नाराजगी है कि जब भी कोई बोलने के लिये तैयार होता है, आप बीच में कोई-न-कोई क्वेश्चन खड़ा करते हैं, यह उचित नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, अब आप अन्दाजा लगायें कि ग्रामीण विद्युतीकरण में 1990 में राजस्थान का 9वां नम्बर था, 9वां नम्बर, आज 1995 में 5वां नम्बर आया। 9 से ऊपर बढ़े हैं। अगर इस योजना के कारण से हम आगे बढ़े हैं तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिये, खुशी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सेवन्थ फाइव ईयर प्लान के समय हम ग्यारहवें नम्बर पर थे और इस समय आठवें प्लान के अन्दर, सारे हिन्दुस्तान में हमारा पांचवां नम्बर है। परकेपिटा रेवेन्यू में राजस्थान का 15 वां नम्बर था, आज हमारा नम्बर 8 वां आ गया। करों में राज्य का हिस्सा 9 वां स्थान पर था, उसमें बढ़कर छठे स्थान पर हम आये हैं। खाद्य की खपत की वृद्धि में आठवां हमारा स्थान था, आज राजस्थान का पहला स्थान है। अब ऐसी स्थिति में 1987-88 में तिलहन के उत्पादन में हम छठे स्थान पर थे, आज हम दूसरे स्थान पर हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट के मामले में, जो माननीय विश्नोई साहब कई बार जिक्र कर चुके हैं, पिछले तीन वर्षों में नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल ने हमें लगातार तीन बार पुरस्कार दिया। अब यह पुरस्कार कोई मेरे कहने से नहीं दिया। उन्होंने पैसा दिया, सहयोग दिया, टेक्नालाजी दी और उस समय राजस्थान की सरकार ने पैसा दिया, उनके आफिसर्स ने उसकी जांच की और यह सब प्रकार की बात हुई।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का ऋण जो है इस वर्ष हम चार सौ करोड़ दे रहे हैं, चार सौ करोड़। इस वर्ष 1995-96 में चार सौ करोड़ दे रहे हैं और पहले 1985-90 में केवल 49 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। अब यह आंकड़े इस बात को झुठला नहीं सकते कि हमने कोई व्यवस्थाएं नहीं कीं। अब आप यह समझो कि जो कुछ हमने किया है उसके बारे में जिक्र नहीं करें तो आप कहेंगे कि आपने जो कुछ किया है उसका तो बताया ही नहीं। आप यहां सिद्धान्तों की बात करने लग गये इसलिए मैं सिद्धान्तों की बात के साथ-साथ जो किया है वह भी आपको बता देऊं तो आपको उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसी दृष्टि से यह सारे आंकड़े या कुछ बातें, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, मैंने आपके सामने रखीं।

अध्यक्ष महोदय, कई बार इस सदन के माननीय सदस्य किसानों की चर्चा करते हैं। किसानों की जब चर्चा करते हैं तो तब आप ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि किसानों के लिए जो कुछ किया है, वह आपने किया है, और किसानों के लिए हमने कुछ नहीं किया है। यह मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि आपने, आपके प्रशासन में आरम्भ में

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बना, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट बना, किसानों को खातेदारी के अधिकार दिये गये, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कानून उस समय का बना हुआ है, मैं आज उसको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन किसान किस प्रकार से आगे बढ़े इसकी व्यवस्था के लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले चालीस वर्षों में इस कानून के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी। यह 1990 से शुरूआत हुई, जिसमें किसान को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवायी गयीं।

श्रीमती कमला : बिजली, पानी, खाद, कारखाने-यह सब कहां से आये ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा का सदस्य मैं भी रहा हूं और सदस्य रहते केवल कानूनी अधिकार जो 1955 में दिये थे, उस अधिकार को देने के अतिरिक्त यदि कांग्रेस पार्टी कह दे कि हमने राजस्थान के किसान को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अमुक प्रकार का कदम उठाया तो इतिहास और आपकी किताबें अपने आप बता देंगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से निकाला, कांग्रेस पार्टी का उसमें योगदान था, इसमें कोई सन्देह नहीं है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : योगदान ही नहीं था, सारा क्रेडिट था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सारा क्रेडिट, खेतसिंहजी, आपको ही था। आप जेल गये, आपने लाठियां खायीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। न तो जेल में आप गये और न मैं गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने लाठियां खायीं, गोलियां खायीं और उसके कारण देश आजाद हुआ, हम आपके व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हैं। लेकिन आजादी–आजादी, इस प्रकार की बात करने से....

डा हरिसिंह (फुलेरा) : साथ ही यह कहेंगे कि आपने लाठियां पटकवायीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, पटकवायीं। आप आ गये थे मेरे हाथ में। मैं निवेदन कर रहा हूं कि....

श्रीमती कमला : समृद्धि कौन लाया ? केवल आजादी ही लाये क्या ? न बिजली की बात कर रहे हो, न पानी की बात कर रहे हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब आप थोड़ा बैठ नहीं सकतीं क्या ?

श्रीमती कमला : मैं तो बैठी ही हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चुपचाप बैठी रहो न थोड़ा-सा।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चार दिन से मैं सुन रहा हूं, मैंने किसी माननीय सदस्य को टोका नहीं। अब तक जो सुनाया उनको सुनने की क्षमता तो चाहिये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं, अब आप कोई भी देख लें, जिस समय 1990 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था, उस समय एक मांग थी कि बैंकों से किसानों को कर्जा नहीं मिलता। बैंक से कर्जा इसलिए नहीं मिलता था कि बैंक ज्यादा डिफाल्टर थे और किसान डिफाल्टर थे इसलिए बैंक से पैसे नहीं मिलते थे। अगर उस समय किसानों को राहत नहीं देते तो किसानों को कर्ज नहीं मिलता और कर्ज नहीं मिलता तो खेती में विनियोजन नहीं होता तो आज जो खेती की पैदावार बढ़ी है, जिसके आंकड़े राज्यपाल महोदय ने दिये हैं, वे आंकड़े बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि 326 करोड़ रुपये का कर्जा माफ कर लगभग 14-15 लाख काश्तकारों को आराम पहुंचाया। अब आप बता दें, आप सोच लें कि आपने कभी कोई कर्जा माफ किया हो।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगातार अकाल पड़ रहे हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जब अकाल पड़ता है उस समय हम कानून बनाते हैं कि किसानों से लगान वसूल नहीं किया जाय, वसूली स्थगित की जाय। आज तक व्यवस्था में यह था और तीन वर्ष अगर लगातार अकाल पड़ जाय तो वहां पर वह स्थगित लगान एक वर्ष का माफ किया जाता था। आज मैंने इस समस्या का पूर्णतः समाधान कर दिया कि राजस्थान में बारानी जमीन का लगान माफ नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में जब हमने देखा कि केवल बारानी जमीन से काम नहीं चलता, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और सीमान्त कृषक, यह पूंजी लगवाकर कुआं खुदवाते हैं और उस कुएं में बिजली ले जाते हैं, उस कुएं में बैल-चरस डालकर उससे सिंचाई करते हैं, इनसे अगर लगान वसूल नहीं किया जाय तो उचित होगा। मैं समझता हूं कि इस कारण से हमने इनका भी, कुओं का लगान माफ कर दिया। अभी फव्वारा सैट की बात हो रही थी। यह बात सब जानते हैं कि जो कुछ भी वाटर अवेलेबल है उसमें मैक्सीमम यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाय, कम पानी में ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से सिंचाई हो इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। हमने फव्वारा सैट के लिए बिक्री कर माफ किया और अनुदान दिया। यह किसानों के हित में दिया है। न तो मैंने अपने घर में कोई फव्वारा सैट. (व्यवधान) ... डाक्टर साहब, माफ करो। वह आप वाली बात कल होगी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : नहीं, आपसे बात हो तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं समझ गया। अब आप इसमें ज्यादा बोलो ही मत।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मैं इन्टरवीन नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करता हूं, इतना ही नहीं, किसानों के ऊपर बैटरमेंट लेवी लग रही थी, बैटरमेंट लेवी से किसान परेशान थे, हमने सारी बैटरमेंट लेवी माफ की और, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पक्ष और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विपक्ष के सारे सदस्यों ने मांग की थी कि खालों की कीमत माफ की जाय, वाटर कोर्सेज की कीमत माफ की जाय, मैंने वाटर कोर्सेज की कीमत पहले स्थगित की, भारत सरकार से निवेदन किया, आप लोगों से भी निवेदन किया कि आप भारत सरकार के ऊपर दबाव डालो कि जिस तरह से और कर्जे माफ करने में उन्होंने हमारा सहयोग किया है उस स्कीम के अन्दर खालों की कीमत भी शामिल कर लें लेकिन भारत सरकार ने स्वीकार नहीं की और हमने बैंक से समझौता कर खालों की कीमत किस प्रकार चुकाई जाय, इसकी व्यवस्था की और किसानों से हमने वसूल नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति आती है कोटा के कैचमेंट एरिया की। कोटा के कैचमेंट एरिया का भी हमने पूरा हिसाब लगाया और उस हिसाब लगाने के बाद में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। मैं समझता हूं उसमें थोड़ी सी अध्ययन करने की आवश्यकता है उसके बाद में उस सम्बन्ध में भी कुछ कहूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पांच साल तक अध्ययन ही चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चिन्ता मत करो।

अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 201 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1260 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आज इसको भी कोई असत्य नहीं बता सकता। किसानों को पास बुक दी है। हम चाहते हैं कि किसानों का सम्बन्ध इस रोज-मर्रा के काम से, खेती के रिकार्ड मेन्टेन करने या इसके लिए नहीं लगा रहे, इसलिए एक तरफ तो हमने लैण्ड रिकार्ड का कम्प्यूटराइजेशन का काम शुरू कराया दूसरी तरफ उसको पास बुक दी है, पास बुक की कमियों को दुरुस्त किया है ताकि किसान बार-बार न पटवारी के पास जाय, न तहसीलदार के पास जाय, न उप-तहसील में जाय। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं उसकी जेब में पास बुक रहेगी तो बैंक में जायेगा, बैंक से कर्जा मिलेगा, खाद वाले के पास जायेगा, खाद वाला उसको अगर उधार देना चाहे दे सकता है और भी किसी प्रकार के उपकरण खरीदना चाहे तो किसान को सर्टिफिकेट लाने की आवश्यकता नहीं, वो किसान का सर्टिफिकेट उस पास बुक के रूप में चला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, कल माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कुओं के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में। 1990 से 1995, पिछले पांच वर्षों में जो विद्युतीकरण किया है उसका एवरेज आता है 26734 और 1985 से 1990 में एवरेज आता है 15765। अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि कृषि क्षेत्र की कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसमें हमने किसानों को सीधी मदद देने के लिए कुछ कार्यवाही नहीं की हो। निश्चित रूप से कार्यवाही की है। अब आप चाहे मना करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमने अपनी तरफ से किसानों की जो भी मदद हो सकती थी, वह मदद करने की पूरी कोशिश की है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भावों की बात आ रही है। पूनमचन्दजी विश्नोई और बाकी के कई माननीय सदस्य बोले हैं कि भावों में लगातार गिरावट आ रही है और उसके कारण से कई प्रकार की स्थिति खराब होती है। बिलकुल सही है, मैं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, हमने ग्लोबल मार्केट तो खोल दिया, राजस्थान में या हिन्दुस्तान में कभी चाहे टमाटर का सवाल हो, चाहे लहसुन का सवाल हो और और किसी चीज का सवाल हो, यह कृषि जिंस के भाव क्यों गिरते हैं? एक तो स्वभाव है कि जिस समय पैदावार होगी उस समय चीजों के भाव गिरते हैं। उसके तो कुछ प्रतिशत यदि स्वाभाविक मान लें, नेचुरल मान लें कि प्रोड्यूस मार्केट में आयेगी तो मार्केट में ज्यादा प्रोड्यूस आने के कारण से भाव गिरेंगे। अपने यहां चाहे मानें या नहीं मानें, अभी तक हिन्दुस्तान में कहीं भी किसी भी राज्य में सेल को रोकने की कोई पूरी समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी। जिस समय काश्तकार को आवश्यकता है वह किसी से कर्जा लेगा और जिस समय उसकी फसल पकेगी कर्जदार उसके सामने खड़ा हो जायेगा, बैंक वाला उसके सामने खड़ा हो जायेगा और बाकी घरेलू चीजों को लेकर यदि किसी ने कर्जा ले लिया, वह खड़ा हो जायेगा। उस प्रकार की व्यवस्था हिन्दुस्तान की आज तक हो नहीं पायी है। उस व्यवस्था में एक सहारा था कि जिन चीजों का एक्सपोर्ट अलाउड हो जाता है उन चीजों के भाव काफी ऊंचे चढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट नहीं होता तो भाव बिलकुल गिर जाते हैं और इस गिरने और भाव बढ़ने का नुकसान किसान को होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आज कपास की स्थिति खराब है, सरसों की स्थिति खराब है, बाकी की और जिंसों की स्थिति खराब है। आप लहसुन की बात कह रहे हैं, मैंने लहसुन की बात इसी हाउस में कही है। मैं जब निम्बाहेड़ा का विधायक था और जिस समय चुनाव लड़ रहा था उस समय निम्बाहेड़ा से एक ट्रैक्टर ट्राली में लहसुन भर कर लोग नीमच ले जाते तो उसकी कीमत से लोग दूसरा ट्रैक्टर खरीद कर लाते थे। एक बार निम्बाहेड़ा में सारे किसानों ने और किसी प्रकार की खेती नहीं की केवल लहसुन बोया, उधर एक्सपोर्ट बन्द कर दिया, सारे काश्तकार तबाह हो गये।

अब आपने टमाटर की बात कही। आपने अब के टमाटर बोये और बो कर अपने जानवरों को खिला कर उनके दांत खट्टे करने की आवश्यकता नहीं थी। आप में हिम्मत यह होनी चाहिए थी कि भारत सरकार पर दबाव डालते कि इस प्रकार की जिंसों के व्यापार के मामले में भारत सरकार काश्तकारों को पहले बता दे कि हम इस साल एक्सपोर्ट करेंगे, इस साल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कितना एक्सपोर्ट करेंगे और कितना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उसके आधार पर यदि भारत सरकार की ओर से यह सूचनाएं हमको इस प्रकार से मिलती रहतीं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसानों को इस प्रकार की तबाही का सामना नहीं करना पड़ता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नरसिम्हा रावजी तो आपके दोस्त हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके दुश्मन हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दुश्मन तो नहीं हैं लेकिन हमारी कहां चलती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों को भावों के कारण कई बार समस्याएं खड़ी होती हैं लेकिन कहीं न कहीं हमें इसका मैकेनिज्म डवलप करना पड़ेगा । काश्तकारों को एक वर्ष पहले या बुवाई के पहले इस बात की पूरी जानकारी मिल जाय कि किस चीज का मार्केट वर्ल्ड मार्केट बन सकता है, कुछ का हिन्दुस्तान के अन्दर का मार्केट बन सकता है और कुछ चीजों का मार्केट बिलकुल बनेगा ही नहीं तो काश्तकार सारी पूंजी लगाकर मेहनत करके इस प्रकार की फसलों को बोये नहीं । इस प्रकार की सावधानी करने का यन्त्र आज राजस्थान में नहीं है, और भी किसी राज्य में नहीं है । मैं समझता हूं, केन्द्रीय सरकार इसको डवलप करे तो वही सबसे बढ़िया होगा ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई बार बिजली की चर्चा हुई । बिजली की चर्चा खूब आयी । मैं इतना कह सकता हूं राजस्थान के औद्योगीकरण के सम्बन्ध में, इसी में मैं बिजली का प्रसंग लूंगा, औद्योगीकरण के सम्बन्ध में, पहले मैं 1977 से 80 में था, हमने एक औद्योगिक नीति बनायी । 1994 में जब आया तो औद्योगिक नीति बनायी और मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्लान के पीरियड में इन सारी नीतियों के कारण लगभग राजस्थान में 50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा । 20 हजार करोड़ तो बिजली के अन्दर होंगे, लगभग पांच हजार करोड़ रुपये सीमेंट के कारखानों में होंगे और बाकी का बचा हुआ विनियोजन अन्य उद्योगों में होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह राजस्थान सरकार के बजट से होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं ।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारा आपके अभिभाषण में यही विरोध है कि जिनकी वजह से हो रहा है उनके लिए इतनी कंजूसी की है कि आपने एक शब्द का उल्लेख नहीं किया । जिस सेवन्थ फाइव ईयर प्लान में ग्रामीण विकास के लिए 11 हजार करोड़ का प्रोविजन था और अबकी बार प्रधान मन्त्रीजी ने संशोधित करके 33,400 करोड़ का उसमें प्रोविजन कर दिया, तीन गुना से ज्यादा, तो आप जो गैप बता रहे हो न 1985 और 1990, और उसके बाद 1990 और 95 का और आप दिखा रहे हो, तो तीन गुना तो केन्द्रीय प्लान के हिसाब से ही हो गया इसलिए आप में कोई खास विशेषता नहीं रही ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही बता देऊं कि अब बढ़ाया है उन्होंने, मैं पीछे की बता रहा हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, यह तो पहले से ही है 33,400 करोड़ एट्थ प्लान के अन्दर और पहले था 11,000 करोड़ । तीन गुना से ज्यादा ग्रामीण विकास के अन्दर भारत सरकार ने अपने प्लान में

(श्री रामनारायण चौधरी)

कर दिया उसके परिणामस्वरूप आपके यहां भी उसका फर्क पड़ा है। तो वह तो आप मेन्शन करते नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, आप इस सारे काम का क्रेडिट भारत सरकार को देना चाहें, मेरी सुन लो, बैठ जाइये....

श्री रामनारायण चौधरी : आपको भी कह रहा हूं कि आपने भारत सरकार के प्रधान मन्त्री की उदारीकरण नीति का फायदा उठाया। आपने उठाया और बंगाल ने उठाया। दो चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने उदारीकरण की जो नीति प्रधान मन्त्री की है, सबसे ज्यादा तो बंगाल ने उठाया और उसके बाद में आप आते हैं। आप और आपकी पार्टी चाहे कुछ भी कहती रही हो लेकिन प्रधान मन्त्री की उदारीकरण नीति का अक्षरशः और दिल से समर्थन करके राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को अट्रेक्ट किया है वह तो आप मेंशन नहीं करते और आप ऐसा आभास देते हैं, मान्यवर, जैसे कि जो राजस्थान का बजट है उसमें से ही आप सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरा विरोध है। आप देखिये, छोटी–सी बात थी, कितना बड़ा प्रोग्राम है बच्चों के दोपहर के भोजन का, एक लड़के पर 180 रुपया पर ईयर बेनिफिट हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक ही जवाब दे दूं कि भारत सरकार की जो स्पेशल स्कीम्स हैं, उसका पैसा इस योजनागत धनराशि के बाहर है, योजना में शामिल नहीं है। सन्देह हो गया आपको, निकल गया। जो भारत सरकार की स्पेशल स्कीम्स हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वह स्पेशल स्कीम्स का धन इस राजस्थान की 11,500 करोड़ रुपये की योजना में शामिल नहीं है, वह बाहर है। ठीक है, आप प्रधान मन्त्रीजी की तारीफ करें, इस समय लोक सभा के चुनाव भी हैं, तारीफ करने से कहीं टिकट मिल जाय, वह और भी ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : टिकट तो वैसे ही मिला हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं। पिछले दिनों से आपने टोपी लगाना शुरू किया है मुझे उससे भी सन्देह हो रहा है कि आप लोक सभा में जाना चाहते हैं। प्रधान मन्त्रीजी ने पिछले दो-तीन महीने से टोपी लगाना शुरू किया है, उसकी देखा-देख आप भी टोपी लगा रहे हैं तो टोपी लगाने वाले सब लोक सभा में चले जायं, अच्छी बात है लेकिन, आपका सन्देह है, मैं दूर कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे यहां टोपियों की संख्या कम हो रही है इसलिये मैंने यह टोपी लगायी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह ठीक है। लेकिन इसकी भी तो चिन्ता नहीं होती कि टोपियों की संख्या कम क्यों हो रही है। आज इस सारे सदन में दो ही टोपियां दिखती हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : और हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और कहां हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : तीन बाहर गयीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, खैर, यह टोपी का विवाद छोड़िये । यह सही है टोपियां कम हो रही हैं आज । यह तो बोलते हैं टोपियां उड़ गयीं, वह भाषा तो मैं बोलता नहीं । लेकिन टोपियां कम हो रही हैं, निश्चित रूप से कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, नई औद्योगिक नीति में इण्डस्ट्रियल एण्टरप्रिन्योर मीमो मेमोरेण्डम के आधार पर अक्टूबर, 1994 से लेकर 1995 तक राजस्थान का नम्बर गुजरात और तमिलनाडू के बाद में आता है । कभी भी हम इण्डस्ट्रियल सैक्टर में इतने आगे नहीं बढ़े । उसी के आधार पर मैं कह सकता हूं इण्डस्ट्रियल एण्टरप्रिन्योर मीमो के अनुसार 21,781.33 करोड़ रुपये का विनियोजन राजस्थान में होगा । मैंने उस समय आपको सीमेन्ट को छोड़कर इस तरह के फिगर्स दिये थे, 20,000 करोड़ बिजली में, 25,000 करोड़ उद्योगों में और 5,000 सीमेन्ट का, मैं आपको जिक्र कर चुका हूं ।

अखिल भारतीय संस्थानों को जो कुछ मंजूरियां दी हैं राजस्थान में विनियोजन करने के लिए अप्रेल, 1995 से दिसम्बर तक 1332, जो पहले इसी पीरियड में थी उसके मुकाबले में 1713 करोड़ रुपये की मंजूरी दी । मैं समझता हूं, मोदी जी, और कोई किताबें तो पढ़ते होंगे जिसमें हमारी आलोचना हो लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है कि सारी मैगजीन्स वगैरह खरीदें और उन मैगजीन्स में राजस्थान की तारीफ आ जाय तो उससे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, अण्डरलाइन करके उसमें आप और किसी को जानकारी दें या नहीं दें, मुझे अगर जानकारी दे देंगे तो निश्चित रूप से उसका हमको कई प्रकार से लाभ होगा ।

अध्यक्ष महोदय, निर्यात राजस्थान में 1990-91 में 421 करोड़ रुपये का हुआ । केवल 421 करोड़ रुपये का । अब 2,822 करोड़ रुपये का निर्यात होता है और उसी के आधार पर 1995-96 के लिए मैं कहता हूं लगभग 4,000 करोड़ रुपये का निर्यात होगा ।

मैं इस सारी इण्डस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान के बारे में एक चर्चा थी कि राजस्थान में टीलें हैं, राजस्थान में धूप पड़ती हैं, राजस्थान में धूप पड़ती है, राजस्थान में सड़कें नहीं हैं, राजस्थान में पीने का पानी नहीं है तो उद्योगपति यहां राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आते ही नहीं । इसके लिए आवश्यकता है कि इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करें और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें, सड़कों का निर्माण करें, यहां बिजली उत्पन्न करें, पीने के पानी की हम व्यवस्था करें, सिंचाई के लिए जो कुछ भी पानी उपलब्ध है, उसका मैक्सीमम यूटिलाइजेशन हो इस प्रकार की व्यवस्था करें और खास तौर से जगह-जगह इण्डिस्ट्रियल एस्टेट्स बनायें और बनी हुई हैं तो और इम्प्रूवमेंट करें तो लोग निश्चित रूप से यहां उद्योग लगायेंगे ।

मैं विश्नोई साहब, आपने जो चिन्ता जाहिर की है कि शिक्षा के बाद में बेकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगी और बेकारी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसके कारण अनर्थ होगा, आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान में जितना इन्वेसमेंट होगा उससे राजस्थान का जितना रॉ-मैटीरियल है उस रॉ-मैटीरियल का एण्ड प्रोडेक्ट राजस्थान में ही बनेगा। राजस्थान के रॉ-मैटीरियल के आधार पर छोटे-छोटे उद्यमी पैदा होंगे। घर घर में रोजगार उपलब्ध कराने के साधन सरकार से और बैंकों से लेकर जब तक साधनों का उपयोग नही करेंगे, हिन्दुस्तान में ही नहीं, संसार का कोई मुल्क ऐसा नही है जो इस प्रकार नौकरियों से बेकारी की समस्या का समाधान कर पाया हो। समाधान करने का तरीका मात्र एक है कि राजस्थान में औद्योगीकरण हो, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग ज्यादा से ज्यादा पनपें और पनपने के साथ कृषकों को भी उसका आराम मिले और औद्योगीकरण के कारण राजस्थान की इकानामी भी प्रास्पैरस हो। इस नाते से मैंने आपको यह सारी स्थिति बतायी है, मैं समझता हूं इसमें आपको खुशी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यहां बिजली का जिक्र किया गया है। बिजली के मामले में आज माननीय सदस्य मेरे ऊपर तो आरोप लगाते हैं कि आपने यह बिजली के क्या समझौते किये हैं और क्या समझौते किये हैं। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में जिस समय सबसे पहले भारत सरकार ने प्राइवेट सैक्टर में पावर जनरेट करने के बारे में निर्णय लिया है उस समय भारत सरकार ने एक बात कही कि हम 8 फास्ट ट्रेक प्रोजेक्ट लेंगे देंगे और उन फास्ट ट्रेक प्रोजेक्ट्स में सरकार की तरफ से काउण्टर गारंटी दी जायेगी। मुझे अब बता दीजिये कि एक फास्ट ट्रेक प्रोजेक्ट आज हिन्दुस्तान में काम कर रहा है क्या? काउण्टर गारंटी देने के बाद में भी आज जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स लिये थे वह आज हिन्दुस्तान में पूंजी लगाने में कतरा रहे हैं और कतराने का कारण मैं नहीं हूं, बिश्नोई जी, कतराने का कारण, मोदीजी, आप भी नहीं हैं लेकिन जो रुपये की कीमत डालर के एक्सचेंज में गिरती जा रही है, इस फारेन एक्सचेंज के कारण से आज चाहे मनमोहन सिंहजी कितनी ही तारीफ करवा लें अपने आप की कि जिस समय प्रधान मन्त्री बने थे नरसिम्हारावजी और उस समय वित्त मन्त्री मैं बना था, उस समय बैलेंस आफ पेमेंट की स्थिति बहुत चिन्ताजनक थी, आज हमारी बैलेंस आफ पेमेंट की स्थिति ठीक है, आज हमारा प्राइम इन्डेक्स ठीक चल रहा है, आज हमारी इन्फ्लुएशन की रेट डाउन हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं अर्थशास्त्रियों से कि इन सबके उपरांत भी आज रुपये की कीमत क्यों घट रही है और डालर की कीमत क्यों बढ़ रही है? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 34 रुपये आ गयी है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : वह स्टेबल हो गयी है, पावर नहीं आ रही है इसके लिये बी. जे. पी. रेस्पांसिबल है। एनरान का आपने रद्द किया उसके कारण सारे बिजली के इन्वेस्टमेंट रुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल उनका स्टेटमेंट टी. वी. पर सुना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था कि हिन्दुस्तान से निर्यात नहीं बढ़ रहा है। निर्यात नहीं बढ़ रहा है तो हिन्दुस्तान में फारेन एक्सचेंज की समस्या आयेगी। निर्यात नहीं बढ़ रहा है क्या मोदीजी के कारण से ? या निर्यात नहीं बढ़ रहा है क्या मेरे कारण से ? या निर्यात नहीं बढ़ रहा है राजस्थान या यू.पी. की सरकार के कारण से निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा है ? इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? अगर निर्यात नहीं बढ़ने के कारण रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और डालर की कीमत बढ़ रही है, यह हिन्दुस्तान की पूरी इकानामी के लिए श्राप है। आज आप चाहे नोट कर लीजिये कि आज जो रुपये की कीमत आप कह रहे हैं कि 31 हो गयी, 32 हो गयी, 33 हो गयी या 34 हो गयी, मैं आज विवाद नहीं करना चाहता लेकिन आप 15 दिन के बाद में इस रुपये की कीमत का अन्दाज लगा लेना, यह 34 नहीं, 39 और 40 के बीच में चलेगी। (व्यवधान) अभी तो मैनेज किया है, अच्छी तरह से मैनेज किया है.... (व्यवधान) इकानामी नहीं, यह जो फारेन एक्सचेंज का मामला आ रहा है, यह डालर का और रुपये के जो एक्सचेंज का मामला है इसको अभी तो मैनेज किया है और मैनेज किया है आर.बी.आई. के थ्रू। आर. बी. आई. के थ्रू मैनेजमेंट किया हुआ काम ज्यादा चलने वाला नहीं है। कुछ दिनों में ही यह सामने आ जायेगा कि आज 34 रुपये की रेट का डालर 15-20 दिनों में यह कहां पहुंच जाता है। मुझे तो खुशी होगी कि यह 34 ही रहे लेकिन 34 के ऊपर बढ़ गया तो, आज मैं फिर कहता हूं हिन्दुस्तान में जिन विदेशी कम्पनियों को आपने आमन्त्रित किया है वह आज पूंजी का विनियोजन नहीं कर रही हैं, उसका कारण यह विनियोजन करने वाले मोदीजी जानते होंगे, उसका मूल कारण यह है कि फारेन एक्सचेंज अनिश्चित हो गया और उस अनिश्चितता की स्थिति में कोई पूंजी लगाना नहीं चाहता। कोई लगायेगा तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी।

मैं अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर बिजली योजनाओं के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। राजस्थान में बिजली की कितनी कमी है, बार-बार इस सदन में चर्चा हो चुकी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको कहा कि राजस्थान नदी नहीं है जिससे हम हाइडल पावर पैदा कर सकें, राजस्थान में कोयला नहीं है जिसके आधार पर हम थर्मल पावर पैदा कर सकें, राजस्थान में इतनी गैस नहीं है कि हम गैस के आधार पर बिजली पैदा कर सकें। या तो एक है तरीका कि हम गैस, बाकी की चीजें उपलब्ध न होने के कारण बिजली पैदा करने की बात ही छोड़ दें और बिजली पैदा करने की बात करते हैं तो हमें व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। अब बिजली पैदा करने के लिए लिग्नाइट है। उस लिग्नाइट के आधार पर हम बिजली पैदा कर रहे हैं। लिग्नाइट के आधार पर बिजली पैदा करने के लिए हमने इण्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया है कोई एम.ओ.यू. नहीं है। उस एम.ओ.यू. को नहीं करने के कारण हमारी जिस प्रकार की रेट्स आयी हैं उन रेट्स के बारे में, अभी तक वह फाइनल नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई है, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सोलर एनर्जी के लिए कोई आदमी प्रस्ताव लेकर आये। हमने सोलर एनर्जी का भी कोई एम. ओ. यू. के रूट के थ्रू नहीं किया। फिर आप अपनी तारीफ समझेंगे, राजस्थान की तारीफ हुई है, जिस समय मैंने इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया है उस समय भारत सरकार एम. ओ. यू. के रूट पर चल रही थी लेकिन ज्यों ही हमने इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया, भारत सरकार ने सारे राज्यों को निर्देश दिया है कि राजस्थान ने जो इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग के आधार पर काम किया है उसी आधार पर काम किया जाय और यह फास्ट ट्रेक प्रोजेक्ट, यह सारे प्रोजेक्ट्स एम. ओ. यू. के रूट के थ्रू आये थे, आज वह लटक रहे हैं। वह न तो बिजली पैदा कर पा रहे हैं और न ही बिजली पैदा करने का नाम छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया है।

सोलर एनर्जी के मामले में भी इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया है और अभी सोलर एनर्जी का एक बार पचास मेगावाट और फिर दूसरी बार पचास मेगावाट का उन्होंने काम शुरू किया है। इसमें तीन कम्पनियां आयी हैं। कुछ ने जमीनें खरीद लीं, कुछ ने सरकार को रुपये जमा करा दिये। मैं अभी जैसलमेर जिले में गया था। अध्यक्ष महोदय, आप में से बहुत टेक्निकल नालेज वाले व्यक्ति बैठे होंगे। लेकिन मेरी नालेज तो नहीं थी। जब उद्घाटन किया उस समय मैं खड़ा था और जो डायरेक्टर हैं, टेली, वह मुझे कहने लगे, खड़े रहकर यह पंखा है इस पंखे को देखते रहो। वहां कोई बिजली नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं जिस जगह यह उद्घाटन किया। उसने कहा, इसको देखते रहो। मैं देखता रहा। वह पंखा चलने लगा। तो मुझे वहम हुआ कि हवा से चल रहा होगा। पंखा हवा से भी चल सकता है। फिर वह तेज चला। तो मैंने कहा कि तेज पंखा कहां से चला? तो कहा, इसमें बिजली पैदा हो गयी। अब वह बिजली पैदा होने के फोटोवाल्टिक सिस्टम और उस पर कोई मिट्टी डालकर ज्योंही उसने वह काम किया, करने के साथ ही उसमें से बिजली पैदा हुई? तो मैंने कहा, कितनी बिजली पैदा हुई? उन्होंने कहा कि इसमें 23 किलोवाट बिजली पैदा हुई है। अब उस समय He was also thrilled और हम भी जितने आदमी थे वह सारे के सारे We were all thrilled कि यह पूंजी पड़ी थी, इस पूंजी का आज हम उपयोग करना चाहते हैं। उस समय वहां कई कम्पनियों के लोग थे उनमें से एक ने भाषण दिया और भाषण देकर कहने लगा कि इस एरिया का पांचवा हिस्सा अगर हमारी कम्पनियों को, सोलर एनर्जी में जो इन्टर स्टेट कम्पनीज हैं उनको दे दिया जाय तो हिन्दुस्तान में बिजली की समस्या का समाधान यह जैसलमेर और बाड़मेर का रेगिस्तान का एरिया कर सकता है। अब यह बात मैं नहीं समझता, आप यह कहें कि 2 रुपये 24 पैसे में आपने समझौता करके बड़ा अन्याय किया है, मैं आज आपका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समय नहीं लेना चाहता लेकिन कोई माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख लें। यहां मथानिया में....

श्री विष्णु मोदी : आप डिबेट कराओ हाउस में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर लेंगे। डिबेट क्यों, आप सारे कागज देख लो, मैं आपको सब दिखा दूंगा। आपको हाउस में डिबेट से मतलब है या असलियत पर पहुंचने से मतलब है? आज सदन का कोई भी माननीय सदस्य जो भी पावर प्रोजेक्ट हमने लिये हैं, जिसके सम्बन्ध में कोई जानकारी करना चाहे, मैं समझता हूं, जानकारी देने को मैं तैयार हूं। मेरी एक मान्यता है कि मैं एक वर्ष रहूं, दो वर्ष रहूं, दस वर्ष रहूं लेकिन मैं कोई ऐसा कमिटमेंट करके नहीं जाना चाहता जिससे राजस्थान की जनता को वर्षों तक भोगना पड़े। इसलिए यदि सदन के विपक्ष के नेता और सब, आज दोनों ही नहीं है, परसराम जी और चन्दनमल जी, मैंने दोनों से ही कहा था कि यह सारे पावर प्रोजेक्ट आप देख लीजिये। आप हो सकता है कि हमसे होशियार हों। हमारे दो-तीन आफिसर्स चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन हो, चाहे एनर्जी सैक्रेटरी हो, चाहे चीफ सैक्रेटरी हो, इन्होंने जितनी भी टेक्निकल लोगों से और वायबिलिटी के हिसाब से जो भी इकानामिक एक्सपर्ट थे, उन सबसे राय ली है और राय लेने के बाद में सबने कहा, यह प्रोजेक्ट्स यदि मन्जूर हो जाते हैं तो यह सबसे बढ़िया हैं। उस प्रकार की स्थिति में भी आज अगर कोई प्रोजेक्ट के बारे में यह कहे, चाहे मोदीजी कहें, कोई भी कहें कि इस प्रोजेक्ट के अन्दर राजस्थान की जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो आप देख लीजिये मैं उसमें सुधार करने को तैयार हूं। ऐसी स्थिति में हम केवल एक प्रचार कर दें कि हमने इतना ज्यादा पैसा दे दिया, हमने इतना ज्यादा पैसा दे दिया, मतलब यह कि आप एक इन्स्टेबिलिटी क्रियेट करना चाहते हैं पावर के सैक्टर में, सबसे ज्यादा जिसकी आज आवश्यकता है उसमें आप असन्तोष पैदा करना चाहते हैं, उसमें अस्थायित्व पैदा करना चाहते हैं, जो पूंजी का निवेश करना चाहते हैं उनको आप डराना चाहते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसने कहा? हमने तो एक शब्द ही नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छा, मैं गलत समझ गया।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र में डरा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गलत समझ गया। मैं आपको बता दूं, डरा हमने नहीं दिया। अभी कल माननीय सदस्य, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अन्दर 1.85 पैसे में डाभोल का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, आप 2.10 पैसे देना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं कि आज की इकानामिक्स कोई समझता हो और डाभोल में जिस प्रकार का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, जो फारेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, हमारा रुपये का है मामला, वहां फोरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि डामोल कोस्टल एरिया पर है। वहां पर नेफ्था का इम्पोर्ट होगा। वह इम्पोर्ट वहां मुफ्त में होगा। वहां से यदि मैं इम्पोर्ट करूंगा तो 23 पर्सेण्ट मुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। नेफ्था कोई मेरे यहां तो पैदा होता नहीं है। मुझे विदेश से लाना पड़ेगा और विदेश से लाकर बम्बई से मैं उसको ट्रांसपोर्ट करता हूं तो उसकी कीमत निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो जो आज बम्बई की रेट है उस बम्बई की रेट के आधार पर मैं यहां बिजली पैदा नहीं कर सकता इस प्रकार के इम्पोर्टेड रा-मैटीरियल के आधार पर।

मैं इसी दृष्टि से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हांगकांग की एक कम्पनी के साथ मैंने ही नहीं, केन्द्रीय सरकार के सान्निध्य में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा इन चार राज्यों ने मिलकर समझौता किया है। वहां पर उड़ीसा में जो कोल पिट्स हैं और जहां-जहां भी कोल के डिपोजिट्स हैं उन डिपोजिट्स को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर बिजली पैदा की जाय और वह हांगकांग की कम्पनी वहीं पैदा करेगी, 1200 मेगावाट का राजस्थान का हिस्सा उसमें हमने तय कराया है। इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। वह हमने अचीवमेंट किया। लेकिन आज कोई मुकाबला करे कि उड़ीसा में जिस भाव से बिजली मिल रही है उसी हिसाब से राजस्थान को मिले, तो राजस्थान को पूरा लम्बा चौड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, उस ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर बहुत खर्चा होगा और उस खर्चे का भुगतान हमें यहां करना पड़ेगा। तो हम बिजली उड़ीसा से यहां लायेंगे। लायेंगे तो लाने में कितना खर्चा होता है इसका आप अन्दाज अपने आप ही लगा लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शक तो हमारा अब भी है। आपकी सफाई के बावजूद भी हमारा शक बरकरार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है आप रखिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बरकरार यूं है कि आप ही के द्वारा पावर के बाबत एक कमेटी बनायी गयी, उस कमेटी की बैठक में यह सब चीजें क्यों नहीं रखी गयीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई कमेटी की जरूरत नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने कमेटी खुद ने बनायी है जिस कमेटी में विष्णु मोदी और चन्दनमल बैद को हमारी तरफ से आपने रखा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रखा। यह गलत कह रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर पारदर्शिता की बात करते हैं आप यह सारे के सारे समझौते आपको उस बैठक में रखने चाहिये थे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धारीवालजी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप अपनी समझ से बोलें तो बहुत अच्छा है, मैं स्वागत करूंगा। लेकिन पड़ोसी के धोखे में न आयें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी जैसे अकेला नहीं चलता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पड़ोसी के धोखे में नहीं आयें। आज यह पड़ोसी यह कह नहीं सकते कि किसी भी पावर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मैंने इनको जानकारी नहीं दी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह इनकी जानकारी में मैं बता दूं, यह पत्र लिखा है दिसम्बर में ... (व्यवधान) यह आपमें कला है। अब यह पत्र पढ़ने से रोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल जी, विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने जानकारी दिसम्बर में चाही तो आज जनवरी तक नहीं मिली जानकारी इनको।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक बात सुन लो। यह इस तरह के कागज पत्र हाउस में नहीं रखे जाते और अगर विश्वास से कोई लिखा हुआ कागज हाउस में रखेंगे तो आपका विश्वास कौन करेगा? इसलिए कोई न कोई परम्परा तो इस प्रकार की रखें। और मैं फिर आपको कहता हूं कि आप पड़ोसी से सावधान रहें, बाकी आप भी कोई कागज देखना चाहें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह बिलकुल खुली किताब है और उसी खुली किताब के आधार पर आप चलें।

अध्यक्ष महोदय, अब राजस्थान में गैस के आधार पर 35 मेगावाट बिजली हमने पिछले दिनों तक पैदा की। मैंने भारत सरकार से कहा गैस हमको देओ, 135 मेगावाट पावर जनरेट होने की यहां क्षमता है, हमें किसी प्रकार से आप गैस उपलब्ध कराओ। साढ़े तीन मेगावाट से हमने शुरू किया और मैं आज फिर कहता हूं, मोदीजी, आंकड़े निकाल लेना कि इस गैस की खोज करने के लिए, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसलमेर जिले के रेगिस्तानी इलाके में कितने हैं उसके लिए मैं 1965 से एक्टिविटी देखता आ रहा हूं। 1965 में जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई हुई थी, मैं उस साहगढ़ बल्द में गया था, वहां पर उस समय फ्रेंच कम्पनी काम कर रही थी, उस फ्रेंच कम्पनी ने जितना ड्रिलिंग का काम किया उसको मैंने देखा है। फिर उसी कम्पनी ने पाकिस्तान में जो सूई नाम का स्थान है वहां सूई गैस निकालने का काम किया था। हमारी भारत सरकार को सन्देह हुआ कि यह पाकिस्तान से मिलकर कोई हिन्दुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा दे। उनका कान्ट्रेक्ट खतम किया और कान्ट्रेक्ट खतम करने के बाद में हिन्दुस्तान की कम्पनियों को दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अरबों रुपये हिन्दुस्तान की जनता का खर्च हुआ। एक हजार करोड़ से ज्यादा हिन्दुस्तान की जनता का इन ड्रिलिंग्स में और ड्रिंगिंग में खर्च हुआ है और हमको बिजली कितनी दी? साढ़े तीन मेगावाट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर रहे हो। यहां पर खेतसिंह जी बैठे हैं, मथानिया में कितने बरसों से काम चल रहा है ? मथानिया की रेट 6 रुपये से कम नहीं आयेगी। अभी हमने काम हाथ में लिया है। भारत सरकार ने और एक कम्पनी ने हमको ग्राण्ट इन एड दी है कि हम ग्राण्ट इन एड देकर इसकी रेट को किस प्रकार से कम कर सकें। ऐसी हालत में यह चर्चा करना कि 2 रुपये 24 पैसे देकर राजस्थान को लुटवा दिया, मैं ऐसा समझता हूं, ईमानदारी से कोई सोचे 2 रुपये 24 पैसे में यदि उस जगह से जितनी सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं वह सोलर एनर्जी पैदा हो जाय तो राजस्थान का नहीं हिन्दुस्तान का भाग्य खुलेगा, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं इतना ही कहूंगा कि बिजली का संकट था। यह मैं मानता हूं, बिजली का संकट था। मुझे मालूम है पिछले विधान सभा के सैशन में कितना माननीय सदस्यों ने जोर-जोर से बिजली-बिजली, आठ घण्टे, आठ घण्टे, आठ घण्टे, एक रट लगा ली थी। इस सैशन में शांत हैं। यह आपकी कृपा नहीं है। हमने बिजली उपलब्ध करायी है, यह एक तथ्य है। इसलिए जब बिजली पैदा की और लाये, बिजली चाहे हमने कहीं से खरीदी हो, कहीं से भी बिजली हम लाये हों लेकिन हमने काश्तकारों को बिजली दी। आपको तो मैंने पिछले सत्र में एक बात कही थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी, पूनमचन्दजी, आप सब लोगों से कि हमारे यहां 300 मेगावाट पावर एटामिक पावर प्राजेक्टस से जनरेट होती है। 300 मेगावाट पावर। आप चाहे फ्रांस चले जाओ, चाहे जर्मनी चले जाओ वहां हाइडल पावर और थर्मल पावर पैदा नहीं होती है, वहां एटामिक पावर पैदा होती है। एटामिक पावर सस्ती है, रिलायबल है, कभी उसमें इन्टरप्शन नहीं आते और उसकी कॉस्ट बढ़ने के भी बहुत कम चान्सेज रहते हैं। हमारे यहां 300 मेगावाट पावर, आर. ए. पी. पी. में 200 मेगावाट पहले और 100 मेगावाट दूसरा यूनिट का कारखाना बन्द पड़ा है। यह कारखाना मेरे हाथ में नहीं है। यह कारखाना भारत सरकार के हाथ में है और भारत सरकार के हाथ में हैं तो भारत सरकार का जो एटामिक पावर प्रोजेक्ट का मन्त्रालय है वह मन्त्रालय किनके अधिकार में है, आप जानते हैं। इसलिए मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अगर सारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य जोर लगाते और प्रधान मन्त्री जी के पास जाते कि इनमें आपको इन्वेस्टमेन्ट करना चाहिये, लेकिन 5–6 दिन पहले मैं केन्द्रीय बजट की समीक्षा पढ़ रहा था उस समीक्षा में यह पढ़कर, देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एटामिक पावर एनर्जी डिपार्टमेन्ट के अन्दर 467 करोड़ रुपये का अमाउण्ट लैप्स हो गया, अगर यह 467 करोड़ रुपये राजस्थान में खर्च हो जाते तो यह 300 मेगावाट बिजली हमें निश्चित रूप से सस्ती मिलती।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिजली के कारण से हमको लगभग 148 करोड़ रुपये का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पैदा करने वाली गैस । साढ़े तीन मेगावाट । आज उस बात को लेकर मैंने पिछले दिनों में केन्द्रीय सरकार से कहा, हमारे पास गैस पड़ी है, हमको 35 दे दो । 35 मेगावाट के लिए उन्होंने कह दिया और कहने के साथ ही कहा कि हम गैस दे देंगे और गैस नहीं देंगे तो आपको लिक्विड फ्यूअल देंगे । अब लिक्विड फ्यूअल की तो कॉस्ट ज्यादा आती है, गैस की कॉस्ट कम आती है । अभी यहां हमारे मंत्री जी आये थे सतीश शर्मा साहब, मैंने उनसे कहा कि गैस पड़ी-पड़ी का क्या होगा, इस गैस को हमको दे दो । लिक्विड फ्यूअल जब तक हम यूज करें उस समय तक लिक्विड फ्यूअल हमको मिलता रहना चाहिये और गैस यूज करे तो गैस मिलती रहनी चाहिये । आज 135 मेगावाट पावर जनरेट हो सकती है वहां हम केवल 35 मेगावाट जनरेट कर पा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप यह मत कहें कि मेरी प्रधान मन्त्रीजी से मित्रता है । मैं आपको नहीं कहता कि आपकी दुश्मनी है । मैं कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती रखता हूं कि आप 135 मेगावाट के लिए गैस वहां से ले आएं, मैं ऐसा समझता हूं कि आपके यहां की पार्टी और प्रधान मंत्री के बीच रिश्ते अच्छे हैं वरना तो आप अन्दाज लगा लें कि प्रधान मन्त्री आपके बारे में क्या अनुमान लगा कर बैठे हैं, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बार-बार कई चीजों का जिक्र किया जाता है, मैं एक ही बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज हमने लगभग 4280 मेगावाट की निविदाएं मांगी हैं । 4280 मेगावाट की निविदाएं मांगी हैं और इसके साथ ही सोलर एनर्जी का जो अभी एक्सपेरीमेन्ट हुआ और अभी रयूटर में कुछ समाचार छप कर सारे संसार में गया है और वहां यह कहा है कि हिन्दुस्तान में सोलर एनर्जी के लिए कोई सबसे बढ़िया उपयुक्त स्थान है तो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है । उसमें अब कम्पनियां और आने लगी हैं कि इन्हीं शर्तों के ऊपर हमको सोलर एनर्जी पैदा करने की अनुमति दी जाए । लेकिन यहां चर्चा की गयी कि 2 रुपये 24 पैसे बहुत ज्यादा है । मोदी जी, आप तो जानते हैं कि इसी सोलर एनर्जी के सम्बन्ध में आपके यहां मन्त्री थे श्री कृष्ण कुमार जी, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, एक कम्पनी का नाम लिखा, उस कम्पनी से आप 2 रुपये 25 पैसे में समझौता कर लीजिये । मैंने कहा कि मैं 2 रुपये 25 पैसे में समझौता नहीं करूंगा । इतना ही नहीं, हर साल 5 पैसे की उसकी कीमत बढ़ती जायेगी । मैंने कहा कि मैं इसको मंजूर नहीं करूंगा । मेरे से बहुत नाराज हुए कि नान कन्वेन्शनल एनर्जी के फील्ड में इससे बड़ा कोई समाधान नहीं हो सकता, आपको यह मंजूर करना पड़ेगा । मैंने उस समय लैटर लिखा कि मैं आर्बीट्रेरिली 2 रुपये 25 पैसे नहीं मानूंगा, मैं इसके लिए इण्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग करूंगा । इण्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया, 2 रुपये 24 पैसे की रेट आयी और उस रेट के आधार पर आज सारे संसार में सोलर एनर्जी के जितने भी लोगों ने इक्विमेन्ट बनाये हैं वो राजस्थान में इन्वेस्टमेन्ट करना चाहते हैं, बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं । यहां 2 रुपये 24 पैसे की बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नुकसान हुआ है। उस नुकसान के बारे में आप बोलेंगे नहीं। वह नुकसान यदि मेरे या राजस्थान के कारखानों से हो जाता तो आप निश्चित रूप से नाराज हो जाते। सूरतगढ़ में हम काम कर रहे हैं। मार्च, 1997 तक सूरतगढ़ में निश्चित रूप से ढाई सौ मेगावाट पावर जनरेट कर लेंगे; दूसरे यूनिट के लिए हमने टेण्डर्स इन्वाइट किये हैं। इसी प्रकार से जहां-जहां पर भी राजस्थान में ऐसी चीजें मिलती हैं, हम बिजली का प्रबन्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो मोदी जी से और बाकी के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि आप कागज आराम से देख लें, विश्नोईजी देख लें, खेतसिंहजी देख लें, डाक्टर हरिसिंहजी देख लें, कोई जो चाहे कागज देख लें लेकिन इस प्रकार का कुप्रचार नहीं करें कि राजस्थान में बिजली का उद्योग स्थापित करने के लिए लोग यहां से डर कर राजस्थान में पूंजी का विनियोजन नहीं करें। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जो कुछ भी व्यवस्था बिजली की हुई है, उद्योग की हुई है उसी के साथ में यह कहना चाहूंगा कि यहां लोग कहने लगे कि यहां एम्प्लायमेंट जनरेट कितना हुआ, आपने अकाल में कितना काम किया? विश्नोई साहब, आप जानते हैं मैं उधर बैठता था जिधर आप बैठते हैं। इसमें कई हैं, कमला जी इधर बैठती थीं, रामनारायण जी इधर बैठते थे। अकाल अब की बार वैसा नहीं है जिस अकाल को हमने पहले देखा है, भुगता है। अकाल वो नहीं है जिस अकाल के अन्दर बाड़मेर, जैसलमेर में लगभग 40-45 हजार आदमी गेस्ट्रोएन्ट्राइटिस से मर गये। यह वह अकाल नहीं है जिस अकाल के कारण से भारी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। यह अकाल है, मैं मानता हूं। अकाल के नार्म्स हैं, उन नार्म्स के कारण हमने अकाल घोषित किया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकाल तो आपके दिनों में भी पड़ता था, आपने 14 रुपये की मजदूरी रखी थी। 14 रुपये की मजदूरी भी मैंने बढ़ायी। 14 के बाद में 22 रुपये मैंने किये। 22 के बाद 35 रुपये मैंने किये। मजदूरी बढ़ायी है और मजदूरी बढ़ा कर आज मैं कहता हूं, लगभग साढ़े 6 लाख मजदूर आज के दिन काम कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी पार्टी के एरिया में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, खेतसिंह जी, आप यह मत कहो। आप कई बार तो यह कहते हो कि स्कूल खोलने में इस सरकार ने व्यवस्था बिलकुल ठीक ढंग से बरती। कई बार आप कहते हो कि सड़कें खोलने में कोई राजनीतिक भेद-भाव नहीं किया। कई बार आप कहते हो कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने में कोई राजनीतिक भेद-भाव नहीं किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कब कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार कह चुके हैं। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में 1995-96

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में 16.6 करोड़ मैनडेज तैयार किये हैं, और आज इस समय खर्चा लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपये का है, आगे बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि 10 लाख मजदूरों को हम काम पर इस अकाल के अन्तिम श्रेणी में ले जायं, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

(16.00)

श्री रामनारायण चौधरी : प्रधान मन्त्री की योजनाओं का कोई योगदान नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, इनकी बीमारी समझ गया। अभी इनको प्रधान मन्त्री ही प्रधान मन्त्री दिख रहे हैं कि टिकट वह देंगे लेकिन आज के अखबार को अगर आप पढ़ लोगे तो आप प्रधान मन्त्री पर ज्यादा नजर नहीं डालोगे। उन्होंने कहा कि जवानों को टिकट देऊंगा।. आपका तो नम्बर कट गया।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो टिकट का उम्मीदवार नहीं हूं। मैं तो जो उम्मीदवार हूं उसमें बैठा हूं और आगे देखी जायेगी। लेकिन आप जो बता रहे हो उसमें प्रधान मन्त्री का जो सुनिश्चित रोजगार प्रोग्राम है, सारा योगदान उसका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मैं बता दूं, रामनारायणजी, आप इसको बुरा मत मानना। मैं भी कई बार कह चुका हूं और मुझे याद है, श्री हरिदेव जोशी ने भी मेरे कहने पर इस बात को स्वीकार किया था। बात यह है कि आज कोई योजना बने और राज्यों के लिए योजना बने उसमें राज्यों की सलाह होनी चाहिए। राज्यों की सलाह तो कोई ले नहीं और बिना सलाह आप कितनी बड़ी योजना रखते हैं उस योजना का लाभ नहीं होगा। एक बार मैंने एन डी सी. की मीटिंग में कहा था कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जिले में सोइल कंजर्वेशन या प्लान्टेशन के लिए हम पैसा देते हैं, आपने कितना प्लान्टेशन किया, कितना सोइल कंजर्वेशन किया। मैंने उनसे पूछा, अगर आपमें से कोई बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर को जानता तो सोइल कंजर्वेशन की कण्डीशन ही यह है, थोड़ी नमी नहीं होगी तो सोइल कंजर्वेशन काहे का होगा। थोड़ी नमी नहीं होगी और पानी नहीं हो तो पेड़ पौधे काहे को लगेंगे। यह लगेंगे नहीं। इसलिए दिल्ली के वहां सैक्रेटेरिएट में बैठे हुए लोगों द्वारा अलग-अलग राज्यों से बात करके यदि स्कीम्स बनाई जाय तो निश्चित रूप से उस राज्य की जलवायु, उस राज्य का भूगोल, उस राज्य की धरती, उस राज्य के लोगों की मानसिकता के आधार पर हम योजना बना सकते हैं। लेकिन वह योजना इस प्रकार से बनती है....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें शेखावाटी, सीकर, झुन्झुनूं, चूरू नहीं आते क्या ? वहां गर्मी नहीं पड़ती ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या वहां सूरज उगता नहीं या डूबता नहीं ? हाइएस्ट टेम्प्रेचर झुन्झुनूं, चूरू में रहता है और आप

(श्री रामनारायण चौधरी)

रट मार रहे हो बाड़मेर, जोधपुर। उनका भी नाम तो लिखो कहीं।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम है। कागज पर लिखने की जरूरत नहीं है। सीकर, झुन्झुनूं का नाम मेरे कलेजे में है। आप कागज पर लिखने की बात कर रहे हो।

श्री रामनारायण चौधरी : देखा नहीं जायेगा। आपको दिखने से क्या है, हमें भी तो दिखना चाहिए ना। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सीकर, झुन्झुनूं में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, यह तो आप मानते हो। सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। 1954 से यमुना का युद्ध चल रहा था और आपके नेता बार-बार भाषण देते थे। मैंने झुन्झुनूं में बहुत बड़े नेता का भाषण सुना कि अब झुन्झुनूं के अन्दर वहां से नहर चली हुई आयेगी राजगढ़ से होती हुई, झुन्झुनूं में सिंचाई हो जायेगी और पानी की कमी नहीं रहेगी। रात को हम सर्किट हाउस में थे। मैंने कहा, पानी कहां से आयेगा? बोले, यमुना से। मैंने कहा, यमुना का समझौता हो गया कि नहीं। अब वह 40 वर्ष तक चलता रहा यमुना–यमुना। यमुना के आधार पर भाषण लगातार 40 वर्ष तक चलते रहे। तो यमुना का समझौता किया है। मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि साधन उपलब्ध होने के साथ ही झुन्झुनूं जिले में किस प्रकार से पानी को ले जाऊं, चूरू जिले में किस प्रकार से ले जाऊं और उसका बचा खुचा हिस्सा यदि सीकर में ले जा सकूं तो उसकी भी व्यवस्था करूं। व्यवस्था कर रहा हूं। अभी जो बिजली पैदा करने की बातें कर रहे थे, मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान में अगर सब जगह बिजली पैदा होने लग जाय, यह तो स्थिति होगी नहीं। लेकिन सारे राजस्थान में बिजली की कमी पूरी हो तो पूरे राजस्थान के किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, उन सबको बिजली मिलेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी शंका दूर कर दें आप तो। सन सोर्स में तो आपने 2 रुपये 24 पैसे पर सहमति करी लेकिन पावर परचेज एग्रीमेन्ट बोर्ड से 46 पैसे में क्यों किया? दूसरी बात, 15 मेगावाट तक 2 रुपये 46 पैसे पर आपने पी. पी. ए. किया लेकिन 15 मेगावाट के बाद में वह बैठेगी रकम 3 रुपये 85 पैसे। जो आपको धोखा दे करके, आपने खुद ने धोखा खा करके 10 करोड़ मेगावाट का खर्चा बताया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोले ही मत जाओ। मेरी सुनो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप ट्रान्सपरेंसी की बात करते हो तो ट्रान्सपरेंसी कराइये ना आप। आप सन्तुष्ट कर दीजिये हमें। हम आपकी तारीफ करना चालू कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्राइस में कास्ट प्राइस और लेबलाइज्ड प्राइस, कास्ट के केलकुलेशन का यह फार्मूला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भारत सरकार का दिया हुआ है। उस फार्मूले के आधार पर हमने सारी व्यवस्था... (व्यवधान) मेरी सुन लीजिये। मेरी सुन लो। एक्सपर्ट्स मेरे पास तो हैं नहीं। आप जैसा एक्सपर्ट उधर जाकर बैठ गया, नहीं तो मैं आपका उपयोग कर लेता। (व्यवधान) मेरी सुनिये। आप इतने नाराज मत होओ। मैंने आपको एक बार कह दिया। दुबारा आप चाहो तो और कहने को तैयार हूं। जितने भी पावर प्रोजेक्ट के एग्रीमेन्ट हो रहे हैं, एग्रीमेन्ट हुए हैं उनको आपमें से कोई भी देखना चाहे तो देख लें। आपकी सदन के पटल पर रखने की मंशा यह है कि चर्चा करें और ये बिजली के उद्योग राजस्थान में नहीं लगें और राजस्थान अन्धेरे में डूब जाय। आपकी चर्चा का मतलब यह है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका मतलब यह हुआ कि जिन विषयों पर चर्चा होती है वह काम होते ही नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ..(व्यवधान)... न राजस्थान जायेगा और न राजस्थान से मैं जाऊंगा। आप बेफिक्र रहो। कोई मौत ही आ जाय तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन मौत नहीं आयेगी तब तक तो इधर शक्ल ही नहीं देखने देऊंगा। आप चिन्ता ही मत करो।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था यहां पर जिक्र किया गया....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको तो हम ही नहीं जाने दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मत जाने दो। बहुत खुशी है।

मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बात का जिक्र किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में यह लिखा हुआ था और मेनीफेस्टो में जो लिखा हुआ था उसका पालन नहीं किया गया। मुझे इस बात की तो खुशी हुई कि आपने भारतीय जनता पार्टी का मेनीफेस्टो पढ़ा है। मुझे इस बात की भी खुशी हुई है कि मेनीफेस्टो का आपके ऊपर असर भी हुआ है और मुझे इस बात की भी खुशी होगी कि उस मेनीफेस्टो के आधार पर अगले चुनाव के अन्दर आपका आचरण उसी के अनुकूल बन जाय। लेकिन आपके मेनीफेस्टो का क्या हाल है ? आपने 1990 में क्या भाषण दिया था ? आपके मेनीफेस्टो में लिखा हुआ है कि 100 दिन में हम प्रमुक चीजों का भाव जुलाई के स्तर पर ले आयेंगे। मैं आपके घोषणा पत्र में जो लिखा है उसकी कीमतें भी बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके जमाने में महंगाई कितनी बढ़ी है। (व्यवधान) आप ताज्जुब करेंगे कि 1991-96 में डीजल की कीमत में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, चीनी में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राशन की चीनी जो पी.डी.एस. की दुकानों पर जाती है, जो गरीबों को बांटने के लिए आप भेजते हैं उसमें 72 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। चाय पत्ती जो गरीबों को आप देते हैं उसमें 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पी.डी.एस. में जो गेहूं का वितरण आप करते हैं गरीबों को, हमारे प्रधान मंत्रीजी भी बोलते हैं कि मैंने पी.डी.एस. के लिए यह व्यवस्था कर दी, यह व्यवस्था कर दी उस गेहूं के भाव में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर काश्तकारों की चिन्ता कर रहे थे, उनको भी कहना चाहता हूं, डी. ए. पी. का खाद का थैला 234 रुपये का आता था वह 500 रुपये का थैला आता है और सुपर फास्फेट का थैला 72 रुपये का आता था वह 140–150 रुपये में आता है। तो आप किसके ऊपर महंगाई का चार्ज लगा रहे हैं? किसके ऊपर आप किसान विरोधी होने का चार्ज लगा रहे हैं? किस पर आप गरीब विरोधी होने का चार्ज लगा रहे हैं? गरीब का गेहूं महंगा कर दिया, गरीब का तेल महंगा कर दिया, गरीब की चीनी महंगी कर दी, गरीब के लिये चाय महंगी और फिर यहां गरीबों की दुहाई दें। गरीब समझ गया है और समझ गया उसी का नतीजा है, अध्यक्ष महोदय, मैं जब विधान सभा में आया था तो हम 6 सदस्य थे, दूसरी बार आया तो हम 12 हो गये, 12 से बढ़ते-बढ़ते हम 38 हुए, 38 से बढ़ कर हम 54 हुए, 54 से बढ़ कर हम 95 पर पहुंच गये और कांग्रेस की 138 मैक्सीमम सीट आयी थीं, 138 से घटते-घटते 76 के ऊपर आकर खड़ी हो गयी। आपके हाथ में तो राज था, आपने बहुत बड़ा विकास किया था, कहां 138 से आप 76 पर आये हैं और कहां हम 6 से 96 पर पहुचे हैं, इसका अन्दाज लगा लें कि ग्राफ किस तरफ बढ़ता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां जिक्र किये बिना भी नहीं रह सकता कि राजस्थान के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है कि आज के दिन कोई विधान सभा की सीट खाली नहीं, आज के दिन कोई लोक सभा की सीट खाली नहीं, आज के दिन कोई राज्य सभा की सीट खाली नहीं, आज कोई म्यूनिसिपैलिटी की सीट खाली नहीं, आज कोई पंचायत की सीट खाली नहीं; पंचायत समितियों और जिला परिषद की सीटें खाली नहीं है। यह एक ऐतिहासिक बात है। सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव आज के दिन हुए, हुए हैं और इससे बड़ी लोकतन्त्र की विजय नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, जब 1960 से पंचायतों के चुनाव शुरू हुए थे तो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं लेना देना नहीं था। हमने ज्यादा से ज्यादा 12 पंचायत समितियों पर कब्जा किया 237 में से। (व्यवधान) और आज, मोदी जी, क्या है? 237 पंचायत समितियों में से 156 पंचायत समितियों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 31 जिला परिषद हैं, पचास वर्ष पहले हम एक जिला परिषद ला पाये थे और वह भी इसलिए कि कांग्रेस के दो लड़ पड़े थे उसमें हमको मौका मिल गया, आज 31 में से 17 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं। अध्यक्ष महोदय, लगभग 9 हजार ग्राम पंचायतों में से सवा पांच हजार ग्राम पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नगर पालिकाओं के बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मैं फिर आपको बता देता हूं कि जनता का मानस बदल गया है। आज तक आप प्रचार करते थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शहरों तक है। वह अब गांवों में पहुंच गयी है। गांवों से आपको निकालना शुरू कर दिया। लोकसभा के चुनाव में आपको विदा कर दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या और किस प्रकार से काम करने वाली है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : गांवों में घुसने नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गांवों में घुसने नहीं देंगे तो आपको पता है कि ओमप्रकाश जी ने किस प्रकार घुसाया था।

श्रीमती कमला : जैसे ही गांवों में पहुंचे, पूरी तरह पहचान गये। पहले अधूरे पहचानते थे आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक आधार पर आज कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि बूढ़ों को टिकट नहीं दूंगा। यह क्या कारण था ? क्या बूढ़े अपंग हो गये या अपाहिज हो गये या उनका मस्तिष्क खराब हो गया ? मैं समझता हूं कि विश्वसनीयता कम हो गयी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आप क्या गौशाला खोल रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गौशाला खोल रहा हूं। आप आ जाओ मुफ्त में चारा खिलाऊंगा। (व्यवधान) मेरी सुनिये, यदि आपको कांग्रेस धक्के दे तो मेरे सामने दो ही विकल्प हैं। एक तो हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं कि वृद्धों के लिए कोई आश्रम खोला जाय। यह जगह-जगह यूरोप में और यहां सभी जगह खोले हुए हैं। बेटे-पोते सब होने के बाद भी रोटी-पानी का प्रबन्ध नहीं हो तो उस क्लब में चले जाते हैं या उस आश्रम में चले जाते हैं। मैं आपको भी विश्वास देता हूं कि जिस समय भी आपकी रोटी-पानी का इन्तजाम नहीं हो मेरे पास आओ, मैं आपको उस आश्रम व्यवस्था के अन्दर शामिल कर लूंगा। चाहे प्रधान मंत्रीजी ने आपको निकाल दिया हो, भैरोंसिंह आपका स्वागत करेगा। आप निकलो और मेरे पास आओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : ये का ये आफर जो आज आप डाक्टर साहब को दे रहे हो, वही कल सनाढ्य साहब को दे रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा आफर ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यही कि आपको बना दूंगा.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सनाढ्य जी के बारे में आप समझते नहीं हो। कद के छोटे होंगे लेकिन दिमाग ऐसा काम करता है जैसे बिजली काम करती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगले भी रिनाउंड सर्जन हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में क्या होगा, इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, मोदीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि राज्यों का विकास .. (व्यवधान) मोदीजी स्वीकार करेंगे, मना नहीं कर सकते। (व्यवधान) यह चिढ़ तो धनखड़ जी को होनी चाहिये, आपको क्यों हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं उसको सुन लें, राजस्थान का और दूसरे राज्यों का विकास क्यों नहीं हुआ उसमें चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी हो, इसके पीछे जो कारण है वह कारण मैं पांच मिनट में बताकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे यहां समाजवादी व्यवस्था थी और उस समाजवादी व्यवस्था में एक सशक्त केन्द्र था और उस केन्द्र ने राज्यों को अपनी मर्जी से जितना योगदान देना था, उतना योगदान दिया। लेकिन शनैः-शनैः सारे पावर्स अपने हाथ में केन्द्रित कर लिये। उसी का नतीजा हुआ कि आज हमारे राज्य पीछे रह गये। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, आप सब स्वीकार करेंगे। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1989 में आयी। 1987 में कमीशन बना था। मेरी कहीं गलती हो तो मुझे क्षमा करेंगे। 1987 में कमीशन अपाइंट हुआ, 1989 में रिपोर्ट दी और आज 1996 चल रहा है, उस रिपोर्ट की जिन रिकमण्डेशन्स से राज्यों के आय के स्रोत बढ़ सकते थे वे रिकमण्डेशन्स स्वीकार नहीं की गयीं। वे स्वीकार होतीं तो तो राजस्थान में डवलपमेन्ट के लिए हमें और सहायता मिलती। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप लोगों ने कभी भी राजस्थान के हित में यह मांग नहीं की कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। यह तो हमारी हिम्मत है।

श्री विष्णु मोदी : मांग की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने की है इसलिए मैं आपका नाम पहले ही ले रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी हिम्मत है। आप चाहें प्रशंसा करें या नहीं करें, मैं प्रशंसा का भूखा नहीं हूं, राजस्थान राज्य की जनता इस बात को याद करेगी कि राजस्थान में साढ़े ग्यारह हजार की योजना और चार हजार का बजट ले जाते हुए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया और राज्य सरकार के सब स्रोतों से आमदनी बढ़ायी। अगर भारत सरकार इस सरकारिया कमीशन के आधार पर हमें सहायता देती तो एक एडीशनल और कोई एक्टिविटी चालू करके राजस्थान की समस्या का समाधान करते।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम बिजली पैदा कर रहे हैं, प्राइवेट कम्पनियों को यूज कर रहे हैं। बिजली का पैसा यहां कंजूमर देगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 के तहत पहले यह पाबन्दी लगा रखी थी कि कोयले और लिग्नाइट से बिजली पैदा करने का काम प्राइवेट सैक्टर को नहीं दिया जा सकता है। अब प्राइवेट सैक्टर में नहीं दी तो हमारे पास पैसा नहीं, भारत सरकार के पास पैसा नहीं तो पैसा कहां से आये? कानून की व्यवस्था में परिवर्तन वह अब कर रहे हैं। उस परिवर्तन में यह राजस्थान सरकार का प्रयास था कि

(156)

158

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमने उनसे कहा कि इसमें सी. ई. ए. से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने आप करेंगे, इसमें सी. ई. ए. कहां से आ गया। आप एक पैसे का पूंजी नियोजन करें तो भारत सरकार से पूछने जायं। इस बात को लेकर मैं पीछे पड़ा रहा उसका नतीजा यह हुआ कि 400 करोड़ रुपये तक के विनियोजन की भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज भी कहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप समर्थन दें....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री दिग्विजय सिंहजी के कहने से। आपके कहने से नहीं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। मान लिया कि दिग्विजय सिंहजी के कहने से किया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो सोते रहे। भारत सरकार ने सातवें महीने में 1994 में आदेश जारी कर दिया। 1995 में प्राइवेट सैक्टर लाये। आप 12 महीने सोते रहे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात सुन लीजिये। यह कानून की व्यवस्था मेरी लागू की हुई नहीं है। कानून की व्यवस्था तो 1948 से लागू हुई थी। 1948 के कानून की व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ उसके लिए मैंने साल्वे साहब को धन्यवाद दिया। साल्वे साहब को मैं लगातार पत्र लिखता रहा और पत्र लिखने के बाद उन्होंने मन्जूर किया। आप क्रेडिट चाहे दिग्विजय सिंहजी को दे दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यही क्रेडिट देने के पहले अगर चार वर्षों के पहले भारत सरकार कर देती उस समय डालर की कीमत कम थी, डालर की एक्सचेंज रेट कम थी, चार वर्ष पहले कर देती तो हिन्दुस्तान के अन्दर कई बिजली के कारखाने सस्ती दरों पर लगते। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्रेडिट चाहे दिग्विजय सिंहजी को दे दें, चाहे खेतसिंह जी और पूनमचन्दजी को दे दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सी. ई. ए. से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पैसे की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है।

मैंने भारत सरकार को कहा कि आप हिन्दुस्तान भर से नहीं बल्कि बाहर के भी कोई कसल्टेंट, कोई एडवाइजर के रूप में रख लें, किसी भी स्टेट गवर्नमेन्ट को एडवाइज लेने की आवश्यकता होती तो एडवाइज ले सकती है, यह आपने इस प्रकार का जाल क्यों फैला रखा है जिसमें कोई परमिशन ले ही नहीं सकता ?

इसी तरह से माइन्स का क्षेत्र है। माइन्स के मामले में मुझसे ज्यादा मोदीजी जानते हैं या कैलाशजी मेघवाल जानते हैं। माइन्स में मेजर मिनरल्स के मामले में हम भारत सरकार के पीछे पड़ें कि हमें सीमेन्ट की इंडस्ट्री लगानी है हमें परमिशन दो। हमें अमुक प्रकार का यहां उद्योग लगाना है, परमिशन दो। हमें अमुक प्रकार का प्रोस्पेक्टिव लाइसेन्स लेकर जियोलोजिकल सर्वे कराना है उसकी परमिशन दो। किस बात की परमिशन ? हम किस बात के लिए परमिशन ले रहे हैं ? मैं यह आलोचना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना नहीं चाहता कि कितने प्रोजेक्टस हैं जो भारत सरकार की क्लियरेन्स के लिए पड़े हैं। अगर वही प्रोजेक्ट्स दो वर्ष पहले लगते तो कम पूंजी में लगते। उसके माल के उत्पादन में कमी कम होती और लोगों को ज्यादा फायदा होता। लेकिन भारत सरकार इन अधिकारों पर सांप की तरह बैठी है।

मैं पहले भी निवेदन करना चाहता था और किया भी है कि फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के तहत भारत सरकार ने कई पाबंदियां लगा रखी हैं। आज मैं चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में 1980 के पहले जो लोग वहां आबाद हो गये, मकान बना लिये उनको रेगूलराइज किया जाय लेकिन बीच में वह एक्ट आ रहा है। उस एक्ट के कारण मैं आदिवासियों को जमीन नहीं दे पाता। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि उस एक्ट में इस प्रकार का संशोधन करा दें कि आदिवासियों ने जिस जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है उसको मैं रेगूलराइज करके उनको कब्जा दे देऊं ताकि उन गरीबों को बैंक से कर्जा मिल जाय, कुआं खोद सकें और सब प्रकार की व्यवस्था कर सकें।

इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस सारे गवर्नर के भाषण में जहां पिछले पांच वर्षों में हमने क्या किया उसका चित्र है, वहीं मैंने जैसे कहा, गवर्नर ने जिस प्रकार के निर्देश दिये उस आधार पर हम राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं उस प्रकार का सारा मार्गदर्शन है। ऐसी स्थिति में यह कहकर कि इसमें केवल आंकड़े ही आंकड़े दिये हैं तो आपने तो कभी आंकड़े दिये नहीं। मैंने आंकड़े देने के लिए आपको मना नहीं किया। आंकड़े देने के लिए भी क्षमता चाहिये। कोई काम किया हो तो आंकड़े देंगे। काम तो कुछ किया नहीं और आंकड़े ही आंकड़े आप देते जाओ उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो सारे राजस्थान की तस्वीर खींची है, राजस्थान में क्या होने वाला है उसका जो एक नक्शा आपके सामने रखा है, उस भाषण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री रामनारायण जी चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री शिवनाथ सिंहजी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री रामनारायण जी मीणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री रमाकान्त जी शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों 1995-96 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री वर्ष 1995-96 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) उपस्थापित करेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से वर्ष 1995-96 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) उपस्थापित करता हूं।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों 1995-96 (द्वितीय संकलन) का पारण

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1995-96 (द्वितीय संकलन) पर "मुखबन्द" का प्रयोग किया जाकर मतदान।

मांग संख्या—1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–1, राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,00,000/– (चवालीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–3, सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,82,000/– (एक करोड़ छत्तीस लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–4, जिला प्रशासन के सम्बन्ध

(श्री अध्यक्ष)

में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,28,96,000/- (ग्यारह करोड़ अट्ठाइस लाख छियानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या—5, प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,95,000/- (चौबीस लाख पिचानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,13,58,000/- (दो करोड़ तेरह लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या – 8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8, राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,83,86,000/- (चार करोड़ तिरासी लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,79,58,000/- (छप्पन करोड़ उनयासी लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10, विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,76,000/- (दो लाख छियत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या—11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11, विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,00,000/- (पचास लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12, अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,52,000/- (एक करोड़ सत्तरह लाख बावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14, वित्तीय कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,03,000/- (इकहत्तर लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,86,80,000/- (इक्कीस करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,45,01,000/- (इकत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17, कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को रुपये 1,07,74,000/– (एक करोड़ सात लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18, जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,77,000/- (बाइस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,40,02,000/– (तीन करोड़ चालीस लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,00,000/- (छब्बीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,09,00,000/– (चार करोड़ नौ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,43,03,000/– (चौबीस करोड़

(श्री अध्यक्ष)

तियालिस लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,08,25,000/- (साठ करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25, कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,93,000/- (तेरह लाख तिरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,61,38,000/- (उन्नीस करोड़ इकसठ लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान का जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27, पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,37,36,000/- (एक अरब सैंतीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,15,75,000/- (तीस करोड़ पन्द्रह लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,72,11,000/- (पन्द्रह करोड़ बहत्तर लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,50,000/- (पांच लाख पचास हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,21,71,000/- (दो करोड़ इक्कीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,03, 22,000/- (सत्तावन करोड़ तीन

(श्री अध्यक्ष)

लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35, विधि सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,47,78,80,000/- (तीन अरब सैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,08,64,000/- (छह करोड़ आठ लाख चौसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,35,11,000/- (चार करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,76,15,000/- (चौदह करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

59,00,000/– (उनसठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 91,42,000/- (इक्यानवें लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,95,02,000/– (बत्तीस करोड़ पिचयानवें लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,91,77,000/– (अड़तीस करोड़ इक्यानवें लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,86,49,000/- (पांच करोड़ छियासी लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या—46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46, सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,75,62,000/–

(श्री अध्यक्ष)

(अठाइस करोड़ पिचहत्तर लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या – 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/– (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–49, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,30,74,25,000/– (तीन अरब तीस करोड़ चौहत्तर लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–50, ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,44,19,000/- (सोलह करोड़ चवालीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1996

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण। माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को

(श्री अध्यक्ष)

पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को पुर:स्थापित करता हूं ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, जो पूरक मांगें इतनी ...

श्री हरिशंकर भामड़ा : बोलना है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, बोलना है ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : कल बोलियेगा । कल पूरी बहस होगी ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज की कार्यसूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो पूरक मांगें आपने....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) : कल कर लेना, साहब ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : पांच मिनट थोड़ा कह दूं । यह इतनी भारी मांगें हैं, पहली बात तो यह है कि शुरू में बजट बना था उसके बाद में इस तरीके के एस्टीमेट बनाये कि तीन-तीन अरब रुपये की पूरक मांगें आ रही हैं, कोई पाकिस्तान का हमला हो गया या कोई बड़ा भारी अरबों

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का खरीदना पड़ा ? आखिर में यह बजट मेकिंग का कौनसा तरीका है कि इस तरह से पूरक मांगों के रूप में इतनी भारी राशि की मांग की जा रही है ?

दूसरा, 500 एकड़ सिंचाई वाला कौनसा बांध आपने बनाया है ? कुल पांच साल तो इनको राज करते हो गये, अबकी हो गये, तीन साल पहले राज किया। खैर डिबेट का जवाब तो मुख्य मंत्रीजी ने दिया नहीं और वे जवाब दें तो यह बतायें कि 500 एकड़ सिंचाई का कोई बांध आपने बना कर पूरा किया हो तो कृपया बताने की कृपा करें। आपने किया क्या है ? जब राजस्थान बना था, जोधपुर से जयपुर आते थे तो डामर की सड़क जोधपुर से तीन किलोमीटर उरली तरफ समाप्त होती थी और वापस शुरू होती थी सोडाला के पास। तो यह सड़क तो हमारी बनायी हुई है। यहां से पाली और आबू और आबू से अहमदाबाद की तरफ जाने वाली सड़क हमारी बनायी हुई है। यहां से बीकानेर और उधर आगे जाने वाली हमारी बनायी हुई है। सांचौर से लगा करके बाड़मेर से जैसलमेर और जैसलमेर से पोकरण और पोकरण से बीकानेर, गंगानगर, और उधर आगे श्रीनगर तक की हमारे हाथ की बनायी हुई है। यहां से कोटा हमारी बनायी हुई है, भरतपुर वाली हमारी बनायी हुई है। चम्बल हमारा बनाया हुआ है, भांखड़ा हमारा बनाया हुआ है, राजस्थान कैनाल हमारी बनायी हुई है, माही सागर हमारा बनाया हुआ है। 12 मेगावाट बिजली पैदा होती थी जब राजस्थान बना था। 1800 मेगावाट में एक साढ़े तीन मेगावाट का इन्होंने कहीं जरूर बनाया है और क्या पता वह चलता है कि नहीं। अभी उद्घाटन करके आये थे। गैस तो इनको मिली नहीं, डीजल से स्टार्ट करके पधारे हैं।

एक शंख था। किसी भोले आदमी के पदम शंखणी हाथ आ गयी। तो जो कह दे रुपया दे तो वह रुपया देती थी। तो आपने सोचा कि वह तो दूसरे ने खरीद लिया और उसका बड़ा शंख दे दिया। तो कह दे कि एक रुपया दो तो ले दो रुपया। वह कह दे दो दे तो कहे ले चार। तो इस तरह के वार्तालाप हो रहे हैं कि यह कर देंगे, वह कर देंगे। अभी तक आपने किया क्या है, जवाब दें तब बतायें ? हमने तो क्या किया, क्या नहीं किया, यह पास में खेतसिंहजी बैठे हैं, परसरामजी अभी हैं नहीं, मैं यहां बैठा हूं और सैकण्ड में भर्ती होने के लिए मेरे को 80 मील जोधपुर में जाना पड़ा था। मेरे एरिया में लोहाट एक गांव है, खेतसिंह जी जानते हैं, जिसमें 30 तो प्राइमरी स्कूल, एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, एक सैकण्डरी स्कूल और एक मिडल स्कूल है। यह तो हम बना कर गये हैं। आपने क्या किया ? अरबों, खरबों रुपयों का आपने क्या किया ? हमारी योजना तो मुख्य मंत्रीजी ने बता दी कि कुल योजनाओं में इतना हुआ और मेरे अकेले इस काल में इतना हुआ है। काम कौनसा किया, यह तो बतायें आप हुआ क्या है ? ठीक है, एक बहुत बड़ी फौज आपने सरकारी अफसरों की तैयार कर दी और बंगले बन गये। वे बंगले भी हमारे बनाये हुए हैं। आपका बना हुआ एक भी बंगला, मकान भी पूरा किया हो तो आप हमको बता दो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मन्त्री) : आपके गांव में सड़क तो हम ही बना रहे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो हमने बहस की उसका उत्तर दिया नहीं और लम्बी चौड़ी मांगें। तो मांगें दो, तो कहे ले चार। यह बातें चल रही हैं। इन बातों में क्या पड़ा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपके गांव की सड़क तो हम ही बना रहे हैं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : एम. ओ. यू. की स्कीम्स हैं जिनकी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं। यह भारत सरकार की उदारीकरण की नीति के तहत ही बना रहे हैं। पहले क्यों नहीं बनायी, 1976-77 में, 1990-91-92 में क्यों नहीं बनायी ? अब कैसे बना रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : भारत सरकार ने रोक रखा था।

श्रीमती कमला : भारत सरकार की उदारीकरण की नीति के कारण ही यह आप बना रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पहले आपकी नीति से रुका हुआ था।

श्रीमती कमला : इस वक्त कहां से आ रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसलिए इस खर्चे के ऊपर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि रोक लगायें। अपन को ठगा जा रहा है, अपन को बिलकुल + + + बनाया जा रहा है। कोई काम किया हो तो बताओ ? कौनसी सड़क बनायी है ? यहां सब आप बिराज रहे हैं, आपने कौनसी बनायी ? कोई 100 मील लम्बी सड़क बनायी क्या ? एक ही 500 एकड़ सिंचाई के बांध की नींव देकर के उसका उद्घाटन किया हो तो वह आप हमको बता दो।

श्रीमती कमला : यह तो नहर की मरम्मत भी पब्लिक से करा रहे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो मेरा नम्र निवेदन है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और यह सब रिजेक्ट किया जाना चाहिए। इतना अरबों, खरबों रुपया खर्च हो रहा है, हमने थोड़े में बताया था परन्तु आपने इतना खर्चा तो कर दिया लेकिन क्या किया है ? किया तो हमने जो कुछ किया है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक कहावत है, + + + कोई फायदा कोनी। आंके आगे + + + पाप है।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : (व्यवधान) डूंगरपुर से भरतपुर की सड़क हमारी बनायी हुई है। एक किलोमीटर तक की सड़क आपने बनायी हो तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, कृपया सुनें।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भीखाभाई : मुझे एक भी बता दो, कोई सड़क बनायी हो तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनें आप।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जवाब दें तो बहस का जवाब देना, आंकड़े मत देना। बहस का ही जवाब देना।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : मैं आपका जवाब बड़ी संजीदगी से दूंगा। आपने जिस तरह से एक ब्लेंक बात कही है कि सब कुछ हमने किया, आपने कुछ नहीं किया, मैं वैसा ही जवाब नहीं दूंगा, मैं वैसा बिलकुल नहीं दूंगा। आपने किया है वह मानूंगा और हमने किया है वह मानूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी एक सराहना मैं करता हूं कि आपने अपनी उद्योग नीति के पृष्ठ–5 पर अन्तिम पैरा में यह स्वीकार कर लिया कि भारत सरकार ने जो नीति उदारीकरण बनायी है उससे प्राइवेट सैक्टर हमारे लिए खुल गये हैं और उसके कारण से हम विकास की ओर बढ़ेंगे। मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने स्वीकार किया।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : भारत सरकार ने 2 हजार किलोमीटर ब्रोडगेज रेल लाइनों का जाल बिछाया है। आपके यहां 50 हजार करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट हो रहा है, उद्योग आ रहे हैं, यह भारत सरकार की मेहरबानी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : आपने सवाल खड़ा किया है कि इतनी बड़ी संख्या में अनुपूरक मांगें कैसे मांगी गयी हैं और वजट बनाते समय इनका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कुल 2888 करोड़ रुपये की मांगें हैं। इनमें 16 सौ करोड़ रुपये वह हैं जो केवल राजकीय खर्चों को चलाने के लिए अस्थायी तौर पर रिजर्व बैंक से लेते हैं और दे देते हैं। यह केवल उसका एडजस्टमेंट है, हमारी कोई देनदारी बाकी नहीं है। हमने लिये हैं और दिये हैं परन्तु इसका बुक एडजस्टमेंट करना जरूरी है।

582 करोड़ रुपये हमारी योजना के हैं और उसका प्रावधान एक मद से दूसरे मद में जब करते हैं तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए यह भी ट्रांसफर आफ एन्ट्रीज है और कोई नयी बात नहीं है।

102.93 करोड़ रुपये केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के हैं, जो समय–समय पर केन्द्र से आते हैं और हमने हमारे हिस्से के खर्च किये हैं और उसको काम में लिया है।

21 करोड़ रुपये हमने प्राकृतिक आपदाओं के लिए लिये हैं जो हमने अपने पास से खर्च किये हैं। केन्द्र से हमने मांगे हैं जो आ जायेंगे। इसलिए इसको भी इंटरसिपेट करने का सवाल नहीं था।

332 करोड़ रुपये लाटरी की बिक्री का बुक एडजस्टमेंट है। क्योंकि जब हम एजेंट्स को लाटरी देते हैं तो उस समय उनसे नहीं लेते हैं, बैंक गारण्टी लेते हैं। एजेन्ट्स लाटरी बेचने के बाद कमीशन और राज्य सरकार द्वारा तय इनाम बांटने के बाद उस राशि का हिसाब देता है, तब एन्ट्री होती है।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

31 करोड़ रुपये हमने विद्युत मण्डल को अनुदान के रूप में बताये हैं। यह वह रुपया है जो विद्युत मण्डल का सरकार में बाकी है और लोन है। इसमें जो ब्याज होता है वह हमने नहीं लिया है। हमने उनके ब्याज का जमा कर उनको अनुदान दिया है। यह भी बुक एन्ट्री है।

187 करोड़ रुपये वह हैं जो संशोधित अनुमान 1995–96 में आलरेडी सम्मिलित किये जा चुके हैं।.

इस तरह से कुल मिलाकर 1257 करोड़ रुपये हैं। 16 सौ करोड़ रुपये वह हैं। गैप केवल 31 करोड़ रुपये का है, जो हमारे ऊपर है। अब हमारा जो आरिजिनल बजट बनेगा, उससे 21.82 प्रतिशत ज्यादा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपके राज में भी हुआ है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : हमारी तो छोड़ दें, आपकी बतायें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं-नहीं, यह पहली बार नहीं हुआ है। जो सवाल रोज उठता है उसी को बार बार उठाने में कोई फायदा नहीं है। सन् 1988-89 में शिवचरण माथुर साहब ने अनुपूरक अनुदान की जो मांगें पेश की थीं वह 26.7 प्रतिशत ज्यादा थीं। उससे पहले भी कभी 15 प्रतिशत, कभी 16 प्रतिशत, कभी 17 प्रतिशत ज्यादा हुई हैं। यह कोई नयी बात नहीं है। आपका यह कहना कि आपने इतना ज्यादा पैसा मांगा है तो हमें बताइये कि कौनसा बांध बनाया, कौनसी बड़ी सड़क बनायी। यह तो मैंने स्पष्ट कर दिया है। आप बार-बार कहते हैं कि केन्द्र पैसा देता है, केन्द्र पैसा देता है। केन्द्र पैसा कहां से देता है? (व्यवधान) इसलिए उस योजना को समझिये। राज्यों के सारे इनकम सोर्सेज पर केन्द्र का आधिपत्य है। यह आल ओवर इण्डिया है, केवल राजस्थान के सम्बन्ध में नहीं है। कोई भी राज्य अपने आप में आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नहीं है। इसीलिए मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में सरकारिया आयोग का हवाला दिया था कि उसकी रिपोर्ट अभी तक स्वीकार नहीं की गयी है। यदि वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती तो शायद प्रदेश उस आधार पर अपने स्रोत स्वतन्त्र रूप से विकसित कर सकते थे। उस समय केन्द्र हमारे ऊपर मेहरबानी करता तो निश्चित रूप से मानते कि केन्द्र की मेहरबानी है। लेकिन हमारा जो पैसा केन्द्र में बाकी है यदि वही पैसा केन्द्र हमको देता है तो उसमें अहसान की क्या बात है? वह हमारा पैसा है, हमको मिलता है। केन्द्र ने दिया, केन्द्र ने दिया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि केन्द्र जो पैसा राज्यों को देता है उसमें कितने राज्य ऐसे हैं जिसका पूरा उपयोग उन्होंने किया हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने यह पाइंट नहीं उठाया था।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपने नहीं उठाया होगा लेकिन जवाब तो सबका देना ही पड़ेगा। राजस्थान पर आप यह आरोप नहीं लगा सकते। हमको केन्द्र से जो भी पैसा मिला है उसके बराबर हमने मैचिंग ग्राण्ट देकर उसका पूरा का पूरा उपयोग

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

किया है और वह उपयोग जनता के हित में किया है, यह राजस्थान की विशेषता है।

इतना ही नहीं, राजस्थान की योजना का आकार बढ़ता है तो इसी आधार पर बढ़ता है कि उसने पैसे का बराबर उपयोग किया है। इसलिये ही इस बात से सन्तुष्ट होकर योजना आयोग और केन्द्र सरकार राजस्थान को पैसा देती है। इसके अतिरिक्त हम जो लेते हैं वह हमारा प्रयास है, हमारी जो वर्किंग है उसके आधार पर लेते हैं। आखिर केन्द्र में ऐसे लोग तो बैठे नहीं हैं जो आंख मींचकर पैसा देते हों जब पैसा देते हैं तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आप यह सही कहते हैं कि केन्द्र जो पैसा देता है वह अपना पैसा है। वह पैसा केन्द्र को जाता है किन्तु वह वापस देता है। उसके बाद में केन्द्र जो पैसा देता है राज्य सरकार का जो पैसा होता है उसको जिस रूप में आप खर्च करते हैं, चाहे स्कूल में खर्च करें, अस्पताल में करें सड़क में करें, जमीन में करें, इसमें आपके कम से कम यह ध्यान रखना चाहिए कि सदन के सारे मैम्बर्स की कांस्टट्यूएंसीज में बराबर–बराबर करें। हमारे वक्त में हमने कभी भेदभाव नहीं रखा। महावीरजी इसके गवाह हैं। हमने आपका हमेशा ध्यान रखा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : आपके और परसरामजी मदेरणा के क्षेत्र में सबसे अच्छी सड़कें बना रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मेरी पूरी बात तो सुनें। कहां खर्च किये ? कोरे यूं ही कह रहे है। कौनसी सड़क बनायी आपने ?

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : खेतसिंहजी कह रहे हैं, उसका मैं गवाह हूं। 1980 में जब हनुमानप्रसादजी और आप यहां पर मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में बैठते थे, आपने कहा कि हां-हां हम करेंगे + + + हम केवल कांग्रेस के क्षेत्र में करेंगे, इन + + + को बाहर निकाल देंगे। हम वह बिलकुल नहीं कर रहे हैं। हम आपको भी दे रहे हैं, आप सन्तुष्ट हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो इतनी ज्यादा + + + कर रहे हो जिसकी हद नहीं है। ढाई साल में पैसे खर्च कर जो स्कूल और अस्पताल खोले हैं वह आपने पूरे के पूरे अपनी कांस्टीट्यूएंसीज में खोले हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय खेतसिंहजी ने जो सवाल उठाया है, मैं समझता हूं उसमें बहस की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एप्रोप्रियेशन बिल पर तो विस्तृत चर्चा होती है। 7-8 साल आपने राज किया उसमें मैंने जो बातें बतायीं उनमें से कौनसा काम आपने किया, यह बता दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वही बात बता रहा हूं। पहली बात तो खेतसिंहजी ने कही

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इस सदन में और सदन के बाहर आपके बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर सरकार का आभार प्रदर्शित किया है कि उनके यहां सबसे ज्यादा स्कूलें खुली हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आपने पहले तो किया था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने नहीं किया होगा। जिनके खुली हैं, उन्होंने किया होगा। इसी तरह से सदन में कोई न कोई सदस्य किसी बांध को लेकर, किसी सड़क को लेकर, किसी स्कूल को लेकर रोज सरकार को धन्यवाद देता है कि मेरे क्षेत्र में यह किया। यह तो रिकार्ड में आया हुआ है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उम्र भर तो राज किया और अब आपसे मांगना पड़ता है इसलिए कहते हैं + + +

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उनकी बात को सही मानिये। वे जो आभार प्रकट करते हैं वह इस बात का द्योतक है कि चाहे कांग्रेस का एम. एल. ए. हो उसके क्षेत्र में भी सड़कें बन रही हैं, स्कूलें खुल रही हैं, बिजली लग रही है, पानी की रीजनल स्कीमें बन रही हैं, बांध बन रहे हैं, एनीकट बन रहे हैं (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपसे मैंने 2–3 सवाल किये थे कि आपने कोनसी 100 मील की सड़क बनायी है, पांच सो एकड़ में सिंचाई का कौनसा बांध बनाया है, कौनसा बिजलीघर बनाया है ? ये तीन बातें बता दें।

(17.00)

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : माननीय अध्यक्षजी, चार बांध तो अकेले मेरे क्षेत्र में बनाये गये हैं। छापी, बेरली और चौली। यह चार बांध तो मेरे अकेले झालावाड़ जिले में बने हैं जिनके ऊपर 1977 में काम शुरू हुआ, वह कम्प्लीट हुए। छापी पर काम शुरू हुआ, बेरली पर अभी काम शुरू हुआ पिछली साल और छोली पर पिछली साल काम शुरू हुआ। यह सब दस हजार हैक्टेयर के काम हैं.... (व्यवधान) ...

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, 1977 से पहले जितने सिंचाई के बांध थे वह सारे बन्द पड़े थे और जिनकी 8 लाख की कास्ट थी वह 8 करोड़ में भी पूरे नहीं हुए। सारे उदयपुर के और आदिवासी क्षेत्र के जितने बांध थे वह बन्द पड़े थे। मैं उस समय एस्टीमेट्स कमेटी के दौरे पर गया। सारे बांधों का काम 1977 में शुरू हुआ। 77 के पहले आप लोगों ने किये सारे काम बन्द कर दिये, ठप्प कर दिये चाहे सिंचाई के काम हों, चाहे सड़क के काम हों। यदि विकास के काम प्रारम्भ हुए तो 1977 के बाद शुरू हुए।

श्री अर्जुनसिंह (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हालांकि बीच में नहीं बोलना

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अर्जुनसिंह)

चाह रहा था लेकिन बार-बार विश्नोई साहब इस बात को उठा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1976 में राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जैतपुरा नदी पर एक फाउण्डेशन स्टोन रखा था पुल बनाने के लिए और वह पुल बना नहीं। इस साल हमने वहां पर कार्य शुरू किया। एक तो काम यह किया। दूसरा काम, जहां तक आपने बांध की बात बताई तो जैतपुरा नदी पर दो साल से बांध बन रहा है, अब करीब-करीब पूरा होने वाला है इसलिए एक काम यह भी हुआ। क्या आपको उसकी जानकारी है ? इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। मैं चुप बैठा था लेकिन आपने चाहा इसलिए मैंने कहना उचित समझा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपके गांव की सड़क भी तो हम ही बना रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, जवाई बांध जोधपुर हिज हाईनेस ने राजस्थान बनने से पहले बनाया। चम्बल के अलावा कोई बांध बनाने की गुंजाइश नहीं है। आप बता दें कौन सी नदी पर बड़ा बांध बनाया ? जवाई बांध हिज हाईनेस का बनाया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

एक माननीय सदस्य : यह तो हो गया।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह जी शेखावत, प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने पंचायती राज का इन्ट्रोडक्शन राजस्थान में किया और औरों के मुकाबले पहले यहां पंचायती राज लाये। अच्छा संविधान दिया, चुनाव कराये और ओ. बी. सी. वगैरह सब का प्रावधान किया....

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : आप पैसे की बात पूछ रहे हैं क्या ? मैं बता दूं। मैं भूल गया था। बता ही देता हूं। 42 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया है जो हम मार्च के पहले पहले पंचायतों, जिला परिषदों को और नगर-परिषदों को ट्रांसफर कर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट सुनिये। इसके बावजूद ग्राम पंचायत, जिनको आप प्रशासनिक इकाई बनाना चाहते हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

इन 12 महीने में बहुत कमजोर हुई हैं। क्यों कमजोर हुई हैं कि आपने ग्राम सचिवों की कोई व्यवस्था नहीं की। (व्यवधान) यह सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट है। विनियोग विधेयक में सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट है उसमें हमारी पंचायत की ग्रान्ट भी तो है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बता रहा हूं इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि वह रुपया इसी साल पंचायतों को, नगरपालिकाओं को और नगर परिषदों को ट्रांसफर कर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय....

एक माननीय सदस्य : पंचायतों से कौनसा अधिकार वापस ले लिया जिससे पंचायतें कमजोर हुईं, यह तो बताओ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये। मैं पंचायतों का हिमायती हूं, हितैषी हूं। मैं पंचायत में रहता हूं। पंचायतों की जो दुर्दशा है वह पहले कभी नहीं हुई। मैं आपके सामने प्रस्ताव करता हूं कि ग्राम पंचायतों को आप एक ग्रुप सचिव दीजिए और उनका अपाइन्टमेन्ट आप ग्राम पंचायतों के ऊपर छोड़िये। उसका कोष आप अपने एक्सचेकर से, आप अपने खजाने से दीजिए। यह व्यवस्था आप करवाइये। आप देखिये, मुख्य मंत्री महोदय, यदि आप अपनी पसन्द का चीफ सैक्रेटरी भारत सरकार से रिलीव कराकर राजस्थान का शासन चलाना चाहते हैं तो आप एक ग्राम पंचायत को सचिव भी उसकी मर्जी मुताबिक का नहीं देना चाहते हैं ? इनकवीनियेन्ट चीफ सैक्रेटरी रखकर अगर मुख्य मंत्री अपनी स्टेट नहीं चला सकते तो ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत का सरपंच इनकवीनियेन्ट सचिव रखकर नहीं चला सकता। गांव का प्रशासन बिगड़ जायेगा और गांव की जो व्यवस्था है वह खतम हो जायेगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप सरकार को कहिये कि एक अलग इण्डिपेंडेंट सचिव ग्राम पंचायत के अधिकार में उनके द्वारा अपाइन्टेड, उनके डायरेक्शन्स में चलने वाला रखिये। यह आप कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम सेवक और ग्राम के मास्टर को, सीनियर अध्यापक को और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को आप बनाना चाहते हैं इससे ग्राम पंचायत एक प्रशासनिक यूनिट नहीं बन सकेगी। यह मेरा प्रस्ताव है, मान्यवर, कि ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए उनका खुद का सचिव होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1996 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित) श्री रामनारायण जी मीणा अनुपस्थित हैं—श्री अनंगकुमार जैन प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक के अन्दर सरकार संशोधन लायी है। यह विधेयक गत वर्ष पास हुआ था। 1995 का विधेयक है। मैं समझता हूं कि कोई सत्र राजस्थान विधान सभा का गया नहीं है कि सरकार के लिए संशोधन लाने की नौबत आ गयी। यह क्यों होता है ? अगर एक साल के अन्दर ही सरकार को विधेयक में संशोधन लाने की नौबत पड़ती है तो इसका मतलब यह होता है कि राजस्थान के अन्दर जो विधेयक पास हुआ वह केवल हल्ले मात्र में पास होता है यहां। अगर विधेयक को सोच-समझकर पास किया जाय तो मैं समझता हूं कि इतनी जल्दी-जल्दी संशोधन लाने की आवश्यकता पेश नहीं हो सकती। विधेयक के लिए हमारी एक प्रक्रिया बनी हुई है। आप विधेयक की तीन रीडिंग करते हैं—प्रथम रीडिंग होती है, दूसरी रीडिंग होती है और तीसरी रीडिंग होती है। उसके बाद में विधेयक पास किये जाने की अपेक्षा की जाती है। अब इसके अन्दर जो संशोधन सरकार लाई है वह किस सम्बन्ध में लाई है ? वह कोई ऐसी बात नहीं है कि यह बातें उपस्थित नहीं हों, अप्रत्याशित हों। बल्कि कराधान अधिकरण की संरचना के अन्दर ही यह संशोधन लाया गया है कि संरचना क्या होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि बहुत ही हल्ले के अन्दर विधेयक पास किया जाता है, बिना सोचे-समझे विधेयक को पास किया जाता है। अभी यह संशोधन लाये हैं, मैं समझता हूं कि अगले सत्र में फिर इनको संशोधन लाना पड़ेगा।

पहला तो सरकार ने संशोधन रखा है धारा 3 में कि अधिकरण की स्थापना, उसकी संरचना और कृत्य—इसमें यह तीन बातों में संशोधन लाये हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो अधिकरण के अन्दर जो अकाउन्टिंग मैम्बर है उस मैम्बर को नियुक्त करने के लिए जो कमेटी बनायी जायेगी उसके अन्दर अमेंडमेंट लाये हैं।

दूसरा, अमेंडमेंट यह लाये हैं, किसी न्यायिक सदस्य को, अकाउन्टिंग सदस्य को उसमें से हटाने का क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए।

तीसरा, अमेंडमेंट यह जो लाये हैं वह इस प्रकार का लाये हैं कि यदि कोई अकाउन्टिंग मैम्बर नहीं है तो उस समय न्यायपीठ बनाने के लिए अधिकार देना चाहते हैं चेयरमैन के लिए कि वह बगैर अकाउन्टिंग मैम्बर के भी कोई न्यायपीठ बना सकें।

अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें कि इसके जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उसमें आपने स्वयं यह माना है कि यह अधिकरण उच्च न्यायालय का प्रतिष्ठानी है। It is substitute of High Court. हाई कोर्ट के सब्स्टीट्यूट किस स्तर का बनना चाहिए, कितना निष्पक्ष होना चाहिए, कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यह सदन के विचारणीय बात है। अब मैं

(श्री हरिसिंह)

आपको निवेदन करूं कि जो आर्टिकल 217 उसमें हाई कोर्ट के जजेज के अपाइंटमेंट की बात है। जो हाई कोर्ट के जजेज के अपाइंटमेंट की बात है वही हाई कोर्ट के प्रतिष्ठानी जो अधिकरण है उसके अपाइंटमेंट के बारे में विचार करना चाहिए। आर्टिकल 217 है :—

"Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court —(1) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court,...." अब इतनी इंडिपेंडिंग इस आर्टिकल के अन्दर एक हाई कोर्ट के जज के अपाइंटमेंट की बात रखी गयी है। अब अपाइंटिंग अथारिटी के अपाइंटमेंट के लिए आप बात सोचें। जज के अपाइंटमेंट के लिए इस समय जो मौजूदा प्रावधान था वह इस प्रकार से था, "कोई तकनीकी सदस्य राज्यपाल के द्वारा गठित तीन सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा जिसका अध्यक्ष मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस रूप में नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश होगा और जिसमें दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित होंगे।" अब इसके स्थान पर सरकार अमेंडमेंट यह करना चाहती है, "जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उसके अध्यक्ष के रूप में और अधिकरण का अध्यक्ष और राज्य सरकार का कोई नाम निर्देशिती उसके अन्य सदस्यों के रूप में होंगे।" अब तक तो था कि उसके अन्दर चीफ जस्टिस साहब एक आदमी का नाम निर्देशित करेंगे और राजस्थान सरकार के दो नाम निर्देशिती होंगे। अब उसकी जगह आप कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस स्वयं होंगे, ट्रिब्यूनल के चेयरमैन स्वयं होंगे और एक आदमी जिसको कि गवर्नमेंट नामिनेट करेगी वह उसके अन्दर होगा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकरण के समक्ष वो केसेज जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट पार्टी होती है। जिसमें सेल्स टैक्स और जितने भी टैक्सेज हैं वह सब मसले हैं जो इस ट्रिब्यूनल के सामने जायेंगे और इस ट्रिब्यूनल की न्यायपीठ उसका फैसला करेगी। गवर्नमेंट के इण्टरेस्ट के खिलाफ भी कर सकती है और गवर्नमेंट के पक्ष में भी कर सकती है। इसलिए जो कमेटी आप बनाने जा रहे हैं इसमें, उसमें नाम निर्देशिती गवर्नमेंट न करके गवर्नर को करना चाहिए। गवर्नर को क्यों करना चाहिए ? आपने इसमें रखा है यह कि समिति गठित करेगा गवर्नर। अब गवर्नर साहब समिति क्या गठित कर रहे हैं फिर ? उसमें एक तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक चेयरमैन साहब हैं और एक गवर्नमेंट का नामिनी है। फिर गवर्नर साहब का क्या डिस्क्रिशन है उसके अन्दर ? गवर्नर साहब उस कमेटी के गठन करने में कहां बीच में आ रहे हैं ? उनकी फिर किस प्रकार से काहे को इसमें छिछालेदार की जा रही है ? जब गवर्नर साहब को कमेटी के अन्दर नामिनेट करने का कोई अधिकार ही नहीं है तो गवर्नर क्या कमेटी का गठन कर रहा है ? इसलिए मैंने इसमें अपना एक

(श्री हरिसिंह)

अमेंडमेंट रखा है, श्रीमन्, कि "गवर्नमेंट" के स्थान पर नामिनेट करने का अधिकार राज्यपाल को होना चाहिए। "राज्य सरकार" के स्थान पर "राज्यपाल" शब्द का इसमें प्रयोग होना चाहिए। एक तो मेरा यह अमेंडमेंट है।

दूसरा, मैंने इसमें अमेंडमेंट रखा है इसके खण्ड 'ग' के अन्दर। "उप धारा (12) के अन्त में, आये विराम चिन्ह "1" के पश्चात् अभिव्यक्ति "यदि तकनीकी सदस्य किसी कारण से न्यायपीठ में अधिविष्ट होने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अपने और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ गठित कर सकेगा।

अब आप देखिये, आप एक्ट बनाने जा रहे हैं और उसमें आप भाषा का बिलकुल ही ख्याल नहीं रख रहे हो। यानी ग्रामर और व्याकरण को बिलकुल ताक पर उठाकर रख दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई पांचवीं दर्जा का विद्यार्थी भी अंग्रेजी जानने वाला है तो वह भी इस प्रकार की गलती नहीं करेगा जो इस एक्ट के अन्दर की जा रही है। आप कहेंगे कैसे ? देखिये, इसमें आप। इसमें जो अमेंडमेंट हो रहा है, आप कम से कम ऐसी गलती तो नहीं करें तो दर्जा पांच का विद्यार्थी भी नहीं करता है। आपने इसमें अमेंडमेंट में लिखा है–"(c) in sub-section (12), after the punctuation mark". "at the and, the expression "if the Technical member is unable to...." "....if the Technical member" इसको आप देखिये। "इफ शुरू होता है स्माल "आई" से। क्या फुल स्टाप के बाद कहीं किसी सेन्टेंस के अन्दर कोई भी शब्द स्माल लैटर से शुरू हो सकता है ? मैंने तो कहीं देखा नहीं आज तक। माननीय मंत्री महोदय, ऐसी कोई बात बता दें, कही किसी भी किताब में, किसी भी एक्ट में फुल स्टाप के बाद में स्माल लैटर "आई" से शुरू होता है तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा और इस पूरे सदन को मिठाई खिलाऊंगा। और अगर यह बात नहीं है तो फिर आप इसको शुद्ध करिये। आपने फुल स्टाप का जो इसमें रखा है–"....after the punctuation mark '.' ....", इसको आपको लोपित करना चाहिए। मैंने यही तो अमेंडमेंट मूव किया है कि फुल स्टाप को यहां से हटाकर के इसके बाद में जो लैंग्वेजेज है वह आपको लिखनी है। अब मैं इस बात को समझ नहीं सकता कि सरकार के जो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने वाले हैं वह किस प्रकार से इसको ड्राफ्ट कर रहे हैं। फुल स्टाप के बाद में आप इसमें लिख रहे हैं, "....if the Technical member is unable to sit on the Bench for any reason, the chairman may, for reasons to be recorded in writing..." मेरा इसमें पहला अमेंडमेंट तो यह है कि आप इस फुल स्टाप को लोपित करें। लोपित करने के बाद में, मैंने इसमें लिखा है, "(ग)" उप धारा (12) में अन्त में आये विराम चिन्ह "1" को लोपित कर अन्त में अभिव्यक्ति "किन्तु यदि तकनीकी सदस्य किन्हीं तर्क पूर्ण कारणों से न्यायपीठ में अधिविष्ठ होने में असमर्थ हो अथवा उसका पद रिक्त है...."

(श्री हरिसिंह)

इसमें जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं उसमें यह बात आपने लिखी है— The Technical member may be unable to sit in the Bench for any cogent reasons or his post may be lying vacant. दो परिस्थितियां होती हैं। एक तो टेक्निकल मैम्बर किसी कारण विशेष से उस न्यायपीठ में बैठने में असमर्थ हो और दूसरा यह कि वह टेक्निकल मैम्बर की पोस्ट ही वेकेंट हो। आपने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में तो दोनों बातों का प्रावधान किया है और जहां अमेंडमेंट ला रहे हैं वहां केवल यह लिख रहे हैं कि किन्हीं कारण विशेष से if the Technical member is unable to sit on the Bench. इसमें उस परिस्थिति का आपने प्रावधान नहीं किया है जिसमें अकाउंटिंग मैम्बर की पोस्ट वेकेंट हो। अगर अकाउंटिंग मैम्बर की पोस्ट वेकेंट होगी तो आपका जो चेयरमैन है, उसकी एबसेंस में उस न्यायपीठ को गठित नहीं कर सकेगा। जो दिक्कत इनके सामने आज आ रही है कि बगैर अकाउंटिंग मैम्बर के वह न्यायपीठ को गठित नहीं कर पायेंगे, इस अमेंडमेंट होने के बाद भी वही बात आयेगी। इसमें आपका केवल यह कहना– "....for reasons to be recorded in writing, constitute the Bench...." नहीं कर पायेगा क्योंकि इसका सेन्टेंस ओपन करता है—"if the Technical member is unable to sit...." "अनेबल टू सिट" का मतलब यह है कि टेक्निकल मैम्बर तो है लेकिन टेक्निकल मैम्बर किसी कारणवश उसमें बैठने में असमर्थ है। उसमें यह नहीं है कि टेक्निकल मैम्बर की पोस्ट वेकेंट है। इसलिए मैंने इसमें इस बात का प्रावधान किया है अपने अमेंडमेंट में कि उप धारा (12) में अन्त में आये विराम चिन्ह "I" को लोपित कर अन्त में अभिव्यक्ति "किन्तु यदि तकनीकी सदस्य किन्हीं तर्क पूर्ण कारणों से न्यायपीठ में अधिविष्ट होने में असमर्थ है अथवा उसका पद रिक्त है तो अध्यक्ष, कारण लेखबद्ध कर अपने और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ गठित कर सकेगा।"

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो भावना है, आप जिस लिए संशोधन लाये हैं, वह भावना पूर्ण करने के लिए इसमें यह संशोधन है। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो छह महीने बाद फिर आप इसे अमेंडमेंट के लिए लायेंगे। जज महोदय के सामने दिक्कत आयेगी। अगर अकाउंटिंग मैम्बर नहीं है तो कैसे वे गठित करेंगे। इसमें यह बात शामिल होगी कि जब तकनीकी सदस्य किन्हीं कारणों से बैठने में असमर्थ है। तकनीकी सदस्य है नहीं तो बैठने में क्या असमर्थ होगा? तो तकनीकी सदस्य का स्थान रिक्त है इसलिए भी वह कर सकेगा। यह मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं, एक तो राज्य सरकार की जगह पर राज्यपाल होना चाहिए, दूसरा, फुल स्टाप का चिन्ह लोपित करके इसमें ठीक किया जाय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री शिवनाथ सिंह, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री जुबेर खान, सदस्य विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित) नहीं हैं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। नहीं हैं। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

प्रभारी मंत्रीजी उत्तर दें। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं दे रहा हूं। राजस्थान कराधान अधिकरण की स्थापना ...

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, खण्ड में अमेंडमेंट मूव करता हूं मैं, इतना कर लीजिये, तब आप उसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : आपने अभी पूरा बोला था ना।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं बोला हूं ना। उसमें आफिशियली, इसको टेक्निकली मूव करने के लिए कहता हूं, मैं मूव करता हूं इसके लिए अमेंडमेंट्स।

(i) विधेयक के खण्ड 2 के भाग (क) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 के खण्ड (ख) में प्रतिस्थापित की जाने वाली अभिव्यक्ति में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "राज्यपाल" प्रतिस्थापित किये जाय।

(ii) मूल अधिनियम की धारा–3 की उप-धारा (12) में विधेयक के खण्ड–2 (ग) द्वारा प्रस्तावित संशोधन को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जावे :—

"(ग) उप-धारा (12) में अन्त में आये विराम चिन्ह "1" को लोपित कर अन्त में अभिव्यक्ति "किन्तु यदि तकनीकी सदस्य किन्हीं तर्क पूर्ण कारणों से न्यायपीठ में अधिविष्ठ होने में असमर्थ है अथवा उसका पद रिक्त है तो अध्यक्ष, कारण लेखबद्ध कर अपने और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ गठित कर सकेगा" जोड़ी जावेगी।

मैंने अपनी बात तो कह ही दी, जवाब दे दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिये। आप जवाब ले लें।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कराधान अधिकरण की स्थापना 16-9-95 को हुई। यह सच है कि इसकी स्थापना हाई कोर्ट के समकक्ष की गयी। चूंकि राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर टैक्सेज से सम्बन्धित, सैल्स टैक्स और विभिन्न टैक्स एक्ट के केसेज बहुत ज्यादा पैंडिंग थे और कई लोग जो व्यवहारी थे, हाई कोर्ट के अन्दर अपील करके या रिवीजन करके और स्टे प्राप्त करके लम्बे समय तक राज्य सरकार को राशि जमा नहीं कराते थे तो

(श्री अनंग कुमार जैन)

इस पर विचार करने के बाद इस प्रकार के एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। यह ट्रिब्यूनल का गठन 16-9-95 को हुआ और 16-10-95 से इसने कार्य प्रारम्भ कर दिया। अब इसके अन्दर जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, एक तो चयन समिति के बारे में और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में है। माननीय सदस्य ने संविधान आर्टिकल 217 के बारे में बताया कि इस प्रकार का हाई कोर्ट के समकक्ष कोई न्यायालय का गठन किया जाय तो वास्तव में उसके सदस्यों की चयन प्रक्रिया फुलप्रूफ होनी चाहिए, काफी ट्रांसपरेंट होनी चाहिए और चयन प्रक्रिया के अन्दर जो सदस्य रखे जायं, वे सदस्य भी उसी स्तर के होने चाहिए। हाई कोर्ट के जजेज के बारे में भी, जो नियुक्ति की जाती है चीफ जस्टिस आफ राजस्थान, गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर आफ राजस्थान, इन तीनों को आपस में विचार-विमर्श के बाद नाम रिकमण्ड किये जाते हैं। राज्य सरकार तो हर तरह से हर जगह पिक्चर में रहती है और राज्य सरकार की सलाह भी उसके अन्दर ली जाती है। पूर्व में जो प्रावधान किया गया था उसके अन्दर चीफ जस्टिस आफ राजस्थान द्वारा निर्देशित नाम और एक व्यक्ति हाई कोर्ट जज के समकक्ष था। चूंकि अब नया प्रावधान रखा गया कि उसके अन्दर स्वयं चीफ जस्टिस ही बैठें तो यह बेटर प्रावधान इनकोरपोरेट करने के लिए इन अमेंडमेंट्स को लाया गया है कि चीफ जस्टिस के द्वारा निर्देशित नाम नहीं, बल्कि उस चयन समिति के अन्दर स्वयं चीफ जस्टिस बैठें और जो अधिकरण का अध्यक्ष है वह पहले से चयन समिति में नहीं थे तो उनका भी नाम उसमें रखा गया। एक चीफ जस्टिस आफ राजस्थान, अधिकरण के अध्यक्ष और एक व्यक्ति दूसरा, इस प्रकार तीन व्यक्तियों की चयन समिति बनायी जाय। यह तीन व्यक्तियों की चयन समिति जिस व्यक्ति के नाम की भी सिफारिश करेगी, उसकी नियुक्ति तो आखिर में राज्यपाल द्वारा ही की जायेगी इसलिए माननीय सदस्य का कहना कि "राज्य सरकार" की जगह यहां "राज्यपाल" शब्द जोड़ दिया जाय तो राज्यपाल स्वयं कोई नाम नहीं सजेस्ट करते। सभी प्रकार की सर्विसेज में सरकार से ही चाहते हैं। इस प्रकार की इस स्तर की जो भी नियुक्तियां होती हैं, उनके अन्दर राज्य सरकार अपनी सिफारिश करती है और सिफारिश करके माननीय गवर्नर साहब को भेजती है उसके बाद माननीय गवर्नर साहब उसकी नियुक्ति के आदेश देते हैं। इसलिए यह कोई नया प्रोविजन इनकोरपोरेट नहीं किया गया है या कोई लीक से हटकर या नियमों से हटकर कोई प्रोविजन इनकोरपोरेट नहीं किया गया है बल्कि सरकार तो यह चाहती है कि सरकार स्पष्ट रूप से ऐसे प्रावधान रखे जिसके अन्दर सरकार ने अपने डिस्क्रिशन को और कम किया है। पहले दो सदस्य सरकार नामिनेट करने का अधिकार रखती थी। सरकार ने अपना वह अधिकार भी समाप्त कर दिया और सिर्फ एक सदस्य के बारे में अपना अधिकार रखा। बाई वरच्यु आफ आफिस, जो भी चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के होंगे वह उसके अध्यक्ष रहेंगे। जो भी अधिकरण के अध्यक्ष होंगे वे उसके सदस्य रहेंगे। तो राज्य सरकार तो यह चाहती है, अपने अधिकारों को उसने सीमित किया है वरना राज्य

(श्री अनंग कुमार जैन)

सरकार चाहती तो इन अधिकारों को सीमित नहीं करके पुराने प्रावधानों को ही रखती जिसके अन्दर राज्य सरकार को और ज्यादा अधिकार रहते कि राज्य सरकार अपनी इच्छा के अनुसार दो सदस्यों को मनोनीत करती। तो इसलिए यह जो प्रावधान लाया गया है, इसको अधिक शिथिलीकरण करने के लिए और अधिक ट्रांसपरेंसी के लिए लाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य को इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है और माननीय सदस्य द्वारा जो अमेंडमेंट मूव किया गया है, उसको निरस्त किया जाय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसका उत्तर आने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषायी दोष है। फुल स्टाप के बाद स्माल आई से सेन्टेन्स शुरू हो ही नहीं सकता। इसकी भाषा देखिये। इसको पढ़िये तो सही आप। (व्यवधान) अकाउंटिंग मैम्बर अगर एबसेंट हो तथा पोस्ट वेकेंट हो तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे अधिकृत प्रारूप हिन्दी का माना जाता है और यह सही है कि उसके अन्दर यदि आई स्माल लेटर से शुरू किया गया है तो उसको केपिटल लेटर से कर दिया जायगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हिन्दी में भी विराम के बाद आप रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : और अगर अकाउंटिंग मैम्बर की पोस्ट वेकेंट हैं तो उसके लिए क्या करेंगे ?

श्री अनंग कुमार जैन : उसके लिए तो प्रावधान कर देंगे ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या ?

श्री अनंग कुमार जैन : उसके लिए जो जुडिशियल मैम्बर है, एक चैयरमैन, एक जुडिशियल मैम्बर और एक अकाउंटिंग मैम्बर, लेकिन मूल एक्ट के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है कि हर हालत में बैंच के अन्दर एक जूडिशियल मैम्बर बैठेगा। अगर जुडिशियल मैम्बर नहीं है तो जुडिशियल मैम्बर की एबसेंस में वह बैंच नहीं चल सकती लेकिन चूंकि अभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि अकाउंटिंग मैम्बर नहीं हो, उसका समय भी पूरा हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, इस्तीफा दे सकता है, इनएबल हो सकता है तो इन सब परिस्थितियों में जो समय उसकी नियुक्ति में लगेगा, अधिकरण का काम रुके नहीं, अधिकरण का काम सुचारू रूप से चलता रहे इसलिए हमने अध्यक्ष को यह अधिकृत किया कि वह स्वयं जुडिशियल मैम्बर की बैंच बना कर अधिकरण के काम को सुचारू रूप से चलाये ताकि यह कार्य रुके नहीं और इसका कार्य अधिक गति से चलता रहे। अब इसके अन्दर राज्य सरकार ने यह रखा कि जुडिशियल मैम्बर को पावर रखा है, जुडिशियल मैम्बर की सुपिरियरिटी नहीं रखी है कि हर हालत में बैंच का गठन जुडिशियल मैम्बर के बगैर सम्भव नहीं होगा। तो यह प्रोविजनल भी राज्य सरकार

(श्री अनंगकुमार जैन)

ने अधिकरण का काम अच्छी तरीके से हो, उस दृष्टि से इनकोरपोरेट किया है। पब्लिक इण्टरेस्ट के अन्दर यह प्रोविजन इनकोरपोरेट किया है इसलिए आपका प्रस्ताव खारिज किया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इनको तो आपने उलझा दिया, एक्ट में अमेंडमेंट होगा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 से 5 तक कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 5 स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, नामादि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, नामादि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है कि हाई कोर्ट के समकक्ष कोई दूसरा न्यायाधिकरण नहीं बनाया जाय क्योंकि अगर हाई कोर्ट के बराबर का दूसरा न्यायाधिकरण बन जायेगा तो संविधान के अनुसार जिन लोगों को हाई कोर्ट में किसी मामले में जाने का राइट है वह खतम हो जायेगा, इसलिए आप कोई दूसरा कानून बनाकर संविधान के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इस बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है और जानकारी है तो बताइये कि क्या है ?

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें

(श्री अनंगकुमार जैन)

संविधान के प्रावधानों का कोई हनन नहीं हो रहा है। इस लिहाज से इसको देख लिया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, कोर्ट का फैसला है कि नहीं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जल्दी न्याय मिले, इसके लिए किया है।

श्री अनंगकुमार जैन : वेस्ट बंगाल के अन्दर इस प्रकार का अधिकरण पूर्व में बनाया जा चुका है। वहां पर इस प्रकार का ट्रिब्यूनल एक्ट कर रहा है और संविधान के प्रावधानों का कोई हनन नहीं हो रहा है। संविधान के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए ही इस अधिकरण का गठन किया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, हाई कोर्ट का फैसला हुआ कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 पारित किया गया।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

शासकीय संकल्प

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम, 42) को राजस्थान राज्य में अंगीकृत करने बाबत

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यतः राजस्थान राज्य का विधान मण्डल मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाले जाने, मण्डारण और प्रतिरोपण को विनियमित करने के लिए और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करने के लिए उपबंध करना समीचीन समझती है;

और यतः संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में उपबंधित के सिवाय पूर्वोक्त विषयों के सम्बन्ध में राज्यों के लिए विधियां बनाने की कोई शक्ति नहीं है;

और यतः इस विधान मण्डल की राय है कि उपर्युक्त विषय का राजस्थान राज्य में विनियमन मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) द्वारा किया जाये;

अतः राजस्थान राज्य का विधान मण्डल अब अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पारित करता है :—

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

"राजस्थान राज्य मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम, 42) को इस राज्य के लिये अंगीकार करता हूं।"

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे। संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं क्या ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऐसी अगर + + + होनी है तो करिये क्योंकि पहले में तो हुई है, निश्चित रूप से हुई है। यहां भाषा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : फरमायें, फरमायें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यहां कोई विचार नहीं किया जा रहा। कर दीजिये पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसके अन्दर कि संकल्प में.... (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : यह सेन्ट्रल वाला ही तो है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह तो सेन्ट्रल वाला है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सेन्ट्रल वाला है। सुन तो लीजिये। इसको एक बार पढ़िये तो सही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री महोदय इसको एक साल पूर्व ले आते तो बहुत से लोगों के घरों में दुर्भाग्य नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : गतासुस्त-गतासुस्त नाम सोचन्ति।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : अध्यक्षजी की जय हो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत लाया जा रहा है। और 252 जो अनुच्छेद है वह उस बात को प्रावधित करता है कि किसी स्टेट की लिस्ट के अन्दर कोई सब्जेक्ट है और उस पार्लियामेण्ट उस पर अपना एक्ट बनाना चाहती है तो इस बात की आवश्यकता होती है कि या तो यूनियन के दो स्टेट्स इस सम्बन्ध में अपने लेजिस्लेचर से कोई प्रस्ताव पास करके पार्लियामेण्ट को भेजे तब पार्लियामेण्ट उस पर अपना एक्ट बनाती है और जो एक्ट बन जाय उसकी कोई भी स्टेट एडाप्ट कर सकती है। तो हम इस दूसरे प्रावधान के अन्तर्गत, पार्लियामेण्ट के अन्दर एक एक्ट बना हुआ है और राजस्थान स्टेट उसको एडाप्ट करना चाहती है, यह शासकीय संकल्प आया है। इसके अन्दर मुझे कोई एतराज नहीं है। शासकीय संकल्प आये। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकल्प आज से एक वर्ष पूर्व आ जाना चाहिए था, अगर एक वर्ष पूर्व आ गया होता तो

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

राजस्थान के अन्दर गुर्दों के प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में जो बिजनेस हुआ है, सम्भवतः सरकार उस बिजनेस को स्ट्रांग हैण्ड से रोक सकती थी।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, इसके अन्दर मैंने संशोधन रखा है, यह संकल्प स्टेट्युट बुक में कौनसा रहेगा। आप इस भाषा को पढ़िये जो मुझसे कह रहे थे अभी, पढ़ने के लिए कष्ट करना चाहें तो पढ़िये इसको।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैंने तो पढ़ा है इसको खूब डिटेल के अन्दर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने पढ़ा है न, आप फिर पढ़िये इसको। संकल्प कहां से शुरू होता है यह मुझे बता दीजिये आप। किस शब्द से शुरू होता कृपा करके यह बता दीजिये।

"श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :— यतः राजस्थान राज्य का विधान मण्डल मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाले जाने...." से शुरू हो गया। आगे आता है फिर यह—"अतः राजस्थान राज्य का विधान मण्डल अब अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पारित करता है।" संकल्प कौनसा पारित किया जा रहा है, यह छोटे वाला नीचे जो लिखा जा रहा है या पूरी जो आपकी लैंग्वेज है, यह पारित की जा रही है? यह तो आप बतायेंगे कि कौनसा पारित किया जा रहा है? आगे वाला यह पारित किया जा रहा है—राजस्थान राज्य मानव अंग प्रतिरोपण या यह पूरा संकल्प पास किया जा रहा है? आप पहले तो कह रहे हैं कि....

श्री रोहिताश्व : यह तो चिट्ठी है, चिट्ठी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करेंगे तो पूरा संकल्प हुआ न यह। अगर यह पूरा संकल्प है तो फिर आपका यहां यह लिखना, कि अनुसरण में निम्नांकित संकल्प पारित करता है, यह गलत हुआ यहां पर। इसलिए मैंने इसका अमेण्डमेंट मूव किया है। यह पारित करता है, उसको हटाइये आप।

दूसरी बात यह लिखी है, आप इसको पढ़िये, "राजस्थान राज्य मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम" क्या होता है? राजस्थान राज्य मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम यह बिलकुल कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है। राजस्थान राज्य अलग है। आप जिसको अंगीकार करना चाहते हैं वह तो है मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम, 42) इसको आप एडाप्ट कर रहे हैं। न कि एडोप्ट कर रहे हैं आप, राजस्थान राज्य मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम। इसलिए मैंने इसको ठीक करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जो अमेण्डमेंट मूव किया है उसको आप पढ़ें। (व्यवधान) आप देख लीजिये, आप भाषाविदों से पूछ लीजिये। मैंने यह लिखा है इसमें, शासकीय संकल्प के पैरा 4

(श्री हरिसिंह)

की शब्दावली, यतः राजस्थान राज्य का विधान मण्डल अब अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में निम्नांकित संकल्प पारित करता है :—

"राजस्थान राज्य मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम, 42) को इस राज्य के लिये अंगीकार करता है" के स्थान पर "यतः राजस्थान राज्य का विधान मण्डल अब अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह संकल्प पारित कर मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम, 42) को राजस्थान राज्य के लिये अंगीकार करता है।" पर यह यदि पूरा संकल्प भाषा द्वारा लिपिबद्ध करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से इस भाषा में अमेण्डमेंट करना आवश्यक है और यदि नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी वाली बात है। स्टेट्युट बुक में आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, वह देखेगी, कौन सांसद थे, कौन पायलट कर रहे थे, क्या भाषा उसके अन्दर लिखी गई, क्या लिखा गया। करिये आप कोई दिक्कत नहीं है आपने लिए लेकिन अगर आप इसको ढंग से करना चाहते हैं, अगर आप इस पूरे संकल्प को लेखबद्ध करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं, मेरा जो अमेण्डमेंट है वह भावनाओं के अनुकूल है, मैटर के अनुकूल है, भाषा के अनुकूल है, उसे आप कृपया स्वीकार कीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा लाया गया है और इसको हमें अंगीकार करना है। माननीय सदस्य ने अभी बताया कि अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में हम इसको अंगीकार कर रहे हैं। मात्र शब्दों का हेरफेर है। आप जो संशोधन लेकर आये हैं, आपने लिखा है— "यतः राजस्थान राज्य का विधान मण्डल अब अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) ..." यही, अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने इस चीज को उनको कहा है। " अनुसरण में संकल्प पारित कर मानव अग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के केन्द्रीय अधिनियम, 42 को राजस्थान राज्य के लिए अंगीकार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने जो कहा है वह, "राजस्थान राज्य का विधान मण्डल अब अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में .." बात वह की वह है, अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके अन्दर. ..

श्री रोहिताश्व : बात वह की वह है, शब्दों का हेरफेर है, समझ का हेरफेर है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि संकल्प श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर) द्वारा प्रस्तुत संशोधन के अनुरूप स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर) द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 1996 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.40 बजे शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 98 का विवरण

गत पांच वर्षों में उदयपुर जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	जिले का नाम						नियुक्ति का विवरण
1	2	3						4
		बांसवाड़ा,	डूंगरपुर,	चित्तौड़गढ़,	सिरोही,	उदयपुर,	कोटा	
1.	90–91	16	6	—	—	3	—	17
2.	91–92	8	15	—	—	2	—	70
3.	92–93	28	19	1	—	6	4	5
4.	93–94	5	4	1	—	2	—	—
5.	94–95	15	14	—	—	3	—	20

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला सवाई माधोपुर में प्राथमिक विद्यालयों का सृजन

101. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर में और प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल 1127 प्राइमरी शालाएं हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीन प्राथमिक शालाएं खोली जाती हैं।

(2) वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर मुख्यत: विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में नवीन प्राथमिक शालाएं खोली जाती हैं। सामान्य क्षेत्र में ग्राम की जनसंख्या 250 से अधिक एवं मरुस्थलीय क्षेत्र/जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनसंख्या 150 से अधिक होने पर नवीन प्राथमिक शाला खोलने की नीति निर्धारित की हुई है।

झुन्झुनूं के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

102. श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की स्वीकृत योजनानुसार जिन ग्रामवासियों ने 2 लाख रुपये एकत्रित कर विभाग में जमा करा दिये वहां के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो राज्य में ऐसे कितने विद्यालयों को उक्त योजना के अन्तर्गत क्रमोन्नत किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसी प्रकार सैकण्डरी स्कूल का सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने के लिये 4 लाख रुपये जमा कराने पर उनको भी क्रमोन्नत करने की सरकार की योजना है यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत राज्य में कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना के पश्चात् यह महसूस करती है कि इससे राज्य में शिक्षा का सन्तुलन बिगड़ जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री शीशराम ओला)

(4) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं जिले के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु कुछ ग्रामवासियों द्वारा राशियां जमा करवायी गयी ? यदि हां, तो किस ग्राम द्वारा किस-किस विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब जमा करवाई गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों को सरकार द्वारा क्रमोन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय को कब-कब क्रमोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों व अब उन्हें कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु कुल प्राप्त 56 प्रस्तावों में से 38 विद्यालयों को इस सत्र से तथा 16 विद्यालयों को आगामी सत्र से इस प्रकार कुल 54 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। इस योजना अन्तर्गत सैकण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने हेतु प्राप्त कुल 22 प्रस्तावों में से 17 विद्यालयों को इस सत्र से तथा 5 विद्यालयों को आगामी सत्र से इस प्रकार सभी 22 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा चुका है। क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। लेकिन यह सत्य है कि यह योजना कुछ जिलों में अपेक्षाकृत अधिक कारगर साबित हुई है। जनसहयोग के माध्यम से विद्यालय क्रमोन्नत करने की योजना वर्ष 1995-96 में प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ की गयी है। योजना को लागू करने पर 16 जिलों से क्रमोन्नति के कुल 77 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से लगभग दो-तिहाई केवल झुन्झुनूं, सीकर तथा अलवर जिलों के थे। फिर भी जनसहयोग से एकत्रित राशि के उपयोग तथा जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राप्त 77 प्रस्तावों में से 76 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है।

(4) जी, हां। झुन्झुनूं जिले के 16 गांवों के ग्रामवासियों ने माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु 32 लाख एवं 8 गांव में सी. मा. विद्यालय में क्रमोन्नति हेतु 32 लाख रुपये कुल 64 लाख रुपये जनसहयोग से एकत्रित किये गये। ग्रामवार एकत्रित एवं बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि जमा कराने का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अजाडीकलां तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर (झुन्झुनूं) के अतिरिक्त शेष सभी विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा चुका है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अजाडीकलां वर्ष 1994-95 में उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुआ था जिसमें कक्षा 8 इस वर्ष

(शिक्षा मन्त्री)

संचालित नहीं होने के कारण क्रमोन्नत नहीं किया गया तथा जमा की गयी राशि लौटा दी गयी है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर (झुन्झुनूं) का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले के सड़क निर्माण कार्य

103. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 में उदयपुर जिले में सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क हेतु स्वीकृत की गयी? सड़क के नाम सहित तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन सा कार्य पूर्ण हुआ तथा कौन-कौन सा कार्य किस-किस कारण से अपूर्ण रहा? अपूर्ण रहे कार्य के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 में विभाग द्वारा उदयपुर जिले में सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गयी है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन हेतु लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं

104. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार विद्युत उत्पादन के लिए कपूरड़ी/जालीपा (बाड़मेर) और गुढ़ा, बिटनोक एवं बरसिंगसर (बीकानेर) में लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं स्थापित करने जा रही है? यदि हां तो परियोजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्णित स्थलों पर लिग्नाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है परन्तु परियोजना हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है? उक्त परियोजना स्थलों तक पानी पहुंचाने के लिए कितनी राशि व्यय करनी पड़ेगी तथा पानी पहुंचाने के लिए कितने मेगावाट बिजली की प्रतिदिन आवश्यकता होगी?

(3) क्या सरकार कपूरड़ी, जालिया और गुढ़ा, बिटनोक एवं बरसिंगसर परियोजनाओं पर पानी पहुंचाने में व्यय होने वाली राशि एवं विद्युत खर्च को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त मध्य स्थल पर एक मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन के लिये कपूरडी/जालीपा (बाड़मेर) और बरसिंगसर बीकानेर जिले में लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं निजी क्षेत्र में स्थापित करने जा रही है।

परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(अ) बरसिंगसर परियोजना (गुढा एवं बिटनोक खाने सहित) बीकानेर जिला	2 × 240 मे.वा.
(ब) जालीपा परियोजना (बाड़मेर जिला)	2 × 250 मे.वा. प्रथम चरण 2 × 250 मे.वा. द्वितीय चरण
(स) कपूरडी परियोजना (बाड़मेर जिला)	2 × 250 मे.वा.

बरसिंगसर परियोजना हेतु संशोधित निविदाएं ता. 11-3-1996 को प्राप्त हुई है। जालीपा एवं कपूरडी परियोजनाओं हेतु निविदाएं/प्रस्ताव तारीख 31-3-1996 तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

(2) जी, हां। उपरोक्त वर्णित स्थलों पर लिग्नाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है परन्तु परियोजना हेतु स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। परियोजनाओं हेतु इन्दिरा गांधी नहर से परियोजना स्थल तक पाइपों के जरिये पानी पहुंचाने की योजना है।

परियोजना स्थलों तक पानी पहुंचाने का कार्य भी निजी उद्यमी द्वारा ही किया जावेगा और इसका खर्चा परियोजना स्थापित करने वाला उद्यमी ही वहन करेगा।

उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं की निविदाएं स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निजी फर्म के परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली को तकनीकी वित्तीय स्वीकृति देने के लिये भेजने के पश्चात् पानी पहुंचाने सम्बन्धित खर्चा एवं इस कार्य के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता होगी पता लग पायेगी।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में तीनों परियोजनाएं अलग-अलग हैं और इनके लिये अलग से ही निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं और मध्य स्थल पर एक मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का विचार नहीं है। इसके निम्न कारण हैं :—

(अ) लिग्नाइट की ज्वलनशील प्रकृति के कारण लिग्नाइट का अधिक दूरी के लिये परिवहन उपयुक्त नहीं रहता।

(ब) यह खान सन्मुख (माइन माऊथ) परियोजनाएं हैं और सभी एक स्थान पर लगाने से लिग्नाइट परिवहन की लगातार अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।

(स) सभी परियोजनाओं के लिये पानी का स्रोत इन्दिरा गांधी नहर है। अतः व्यावहारिक रूप में सभी परियोजनाएं एक ही स्थान पर लगाने से कोई बचत नहीं होगी।

(ऊर्जा मन्त्री)

(द) सभी परियोजनाएं एक ही स्थल पर लगाना सामरिक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है।

(ध) सभी परियोजनाएं एक ही जगह लगाने पर लिग्नाइट परिवहन के लिये रेल लाइन डालने का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।

डेगाना (नागौर) के आयुर्वेदिक औषधालय

105. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील डेगाना (नागौर) में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 1995-96 के दौरान नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) नये आयुर्वेद औषधालय खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील डेगाना (नागौर) में 17 विभागीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत/संचालित हैं। औषधालयों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। वर्ष 1995-96 में राज्य में 20 नवीन औषधालय खोले जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

(3) जी, हां। राज्य में नवीन औषधालय खोलने हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, इसकी प्रति परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

तहसील डेगाना जिला नागौर में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची

1. डेगाना जक्शन
2. डेगाना
3. जाखेड़ा
4. जालसू खुर्द
5. पालड़ीकलां
6. खेड़ी चम्पा
7. राजलोता
8. किरोदा
9. हरसौर
10. सोजू
11. नीमड़ीकलां
12. आलनियावास
13. मैरून्दा
14. डोडियाना
15. सथानाकलां
16. टेहला
17. थावला

(राज्य मन्त्री, आयुर्वेद)

वर्ष 1995-96 में भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालय प्रारम्भ करने के लिए निम्न मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :—

1. भवन व्यवस्था उपलब्ध होना ।
2. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना ।
3. नवीन औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या लगभग 2000 होना ।
4. बजट प्रावधान उपलब्ध होना ।

डीग में नये बस स्टेण्ड का निर्माण

106. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार डीग में नये बस स्टेण्ड का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) डीग उपखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बस सेवा हेतु क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अलवर-भरतपुर मार्ग पर रात्रि बस सेवा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । डीग उपखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वर्तमान में निगम द्वारा साधारण बस सेवा के रूप में दैनिक 186 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं जिनको वर्तमान में 75% औसत यात्रीभार उपलब्ध हो रहा है । इसके अतिरिक्त निजी वाहन स्वामियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 6 मार्गों पर निजी बसों का अनुज्ञापत्रों पर संचालन किया जा रहा है । निगम द्वारा नई बस सेवा प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है । निजी क्षेत्र में नये अनुज्ञापत्रों/रूटों के लिए कोई आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन पर नियमानुसार विचार किया जाता है ।

(3) जी नहीं । अलवर से भरतपुर के बीच दूरी कम होने के कारण और यात्रा की अवधि 3 घण्टे के लगभग होने के कारण रात्रि सेवा चलाया जाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है ।

बून्दी-बारां जिलों में बासमती चावल की पैदावार

107. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी-बारां जिले में बासमती चावल बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है ? यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से वर्ष 1995 तक कितना-कितना धान

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

प्रतिवर्ष मण्डी में आया और बासमती चावल के क्या भाव रहे ?

(2) क्या यह सही है कि बून्दी जिले का धान (बासमती चावल) विदेशों में भी बिकता है और उससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है ? यदि हां, तो जनवरी, 1995 से जनवरी, 1996 तक कितना चावल (बासमती) विदेशों में बिका और कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ? वर्ष 1990-91 से प्रतिवर्ष कितना-कितना चावल बिका ?

(3) क्या यह सही है कि चावल धान की उपज में लगभग 3 वर्षों से गिरावट आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गिरावट को रोकने के लिए कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बून्दी-बारां जिले में बासमती चावल पैदा होता है। बून्दी तथा बारां मण्डी में सन् 1990-91 से 1994-95 तक आवक बासमती धान व औसत दर निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	आवक बासमती धान (क्विन्टल)		औसत दर (रु. में) प्रति क्विन्टल	
	बून्दी	बारां	बून्दी	बारां
90-91	175920	3483	675/-	489/-
91-92	148840	4180	1400/-	696/-
92-93	128310	570	760/-	585/-
93-94	160233	2900	650/-	450/-
94-95	250040	2077	620/-	710/-
95-96		3574		550/- (2/96 तक)

(राज्य मन्त्री, कृषि)

(2) राज्य सरकार मे सम्बन्धित किसी विभाग में यह सूचना संकलित नहीं की जाती है। भारत सरकार से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जावेगी।

(3) जी हां। उत्पादन में कमी आयी है। धान के उत्पादन की आयी इस कमी को रोकने व अधिक उपज प्राप्ति करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

धान के उत्पादन में गिरावट रोकने व उत्पादन वृद्धि हेतु किये गये उपाय :—

1. क्षेत्र की मिट्टी की विस्तृत जांच
2. अधिकाधिक तकनीकी हस्तानान्तरण
3. नयी किस्मों का प्रचार, प्रसार एवं मिनिकिट वितरण
4. उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों का वितरण
5. नाशजीवी प्रबन्ध स्कूल
6. एडेमिक क्षेत्र में व्हाइट बैक प्लांट हापर का प्रभावी नियंत्रण

पंचायत समिति मकराना में विकास अधिकारी का रिक्त पद

108. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मकराना में विकास अधिकारी का पद लम्बे समय से रिक्त है, यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार इस पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है ?. यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस बारे में बार-बार लिखे जाने के बावजूद भी रिक्त पद पर विकास अधिकारी का पदस्थापन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों में आने वाले व्यवधानों को दूर किये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो अब कब तक रिक्त पद भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पंचायत समिति, मकराना में विकास अधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के भाग संख्या 2 में समाहित है।

सैकण्डरी/सीनियर सैकण्ड्री विद्यालयों में हैडमास्टर/प्रधानाचार्य के रिक्त पद

109. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामनारायण चौधरी)

(1) राज्य में कितनी सैकण्ड्री/सीनियर सैकण्ड्री स्कूलों में हैड मास्टरों/प्रिन्सिपल आदि के स्थान कब से व क्यों रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) उपरोक्त प्रकार के विद्यालयों में अन्य श्रेणी के कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? इन्हें सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्कूलों में प्रधानाचार्य के 08 पद तथा उप प्रधानाचार्य के 163 पद रिक्त हैं । प्रधानाध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है । अधिकांश पद वर्तमान सत्र में ही रिक्त हुए हैं । यह पद पदोन्नति सेवानिवृत्ति एवं नव सृजन के कारणों से रिक्त रहे हैं । यह पद अगले वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों से भरे जायेंगे ।

(2) इन सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्कूलों में 955 व्याख्याताओं, 706 वरिष्ठ अध्यापक तथा 318 अध्यापक के पद रिक्त हैं । इनमें से अधिकांशतः वर्तमान सत्र में ही रिक्त हुए हैं । व्याख्याताओं के रिक्त पद अगले वर्ष विभागीय पदोन्नति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर भरे जायेंगे । वरिष्ठ अध्यापक तथा अध्यापकों के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी है ।

(3) उच्च प्राथमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों में शामिल करके प्रश्न के भाग 2 में उल्लेखित कर दी गई हैं । तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद 804 हैं ।

जयपुर शहर में वाहनों से प्रदूषण

110. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में वाहनों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया है ?

(2) क्या सरकार जयपुर शहर को प्रदूषण मुक्त करने की दशा में कोई कार्य करने की योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत प्रचुर मात्रा में धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण की समस्या है।

(2) जी हां। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने वायु प्रदूषण के स्तर का लगातार आंकलन हेतु वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र, जयपुर शहर में स्थापित कर रखें हैं जिससे जयपुर शहर में वायु प्रदूषण के स्तर का पता चलता रहता है। वायु मण्डल में सल्फरडाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही है, लेकिन एस. पी. एम. (सस्पेंडेड पार्टीक्यूलेट मैटर) की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है, जिसका प्रमुख कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं ही है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को मुक्त करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है जिसका विवरण प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में दिया गया है।

(3) परिवहन विभाग द्वारा वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने की दिशा में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के प्रावधानों को लागू किया गया है, इसके अन्तर्गत सभी वाहनों का प्रदूषण स्तर निर्धारित किया गया है। इस प्रावधान के तहत प्रत्येक वाहन स्वामी को अधिकतम 6 माह में अपने वाहन से निकलने वाले धुएँ की जांच करवाकर पोल्यूशन अण्डर कन्ट्रोल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट जारी करने के लिये जयपुर शहर में 25 पैट्रोल पम्पों पर अधिकृत जांच केन्द्र खोले गये हैं। नगर में बढ़ते हुये प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर नगर में टैम्पो एवं विक्रम की संख्या को यात्री वाहन हेतु निषिद्ध किये जाने से सम्बन्धित परिवहन विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और वैकल्पिक व्यवस्था सुझाने हेतु मन्त्रिमण्डलीय स्थाई समिति संख्या–1 (आधारिक संरचना एवं निवेशन से सम्बन्धित मंत्रिमण्डलीय समिति) में यह प्रकरण विचाराधीन है।

डूंगरपुर जिले के औषधालयों में रिक्त पद

111. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन औषधालयों में आवश्यक स्टाफ पदस्थापित है ? यदि हां, तो ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के औषधालयों में वैद्यों/उप वैद्यों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो औषधालयवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) इस वर्ष इन औषधालयों में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में कब आबंटित की गई तथा क्या बजट के अनुसार दवाइयां दे दी गई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में 113 आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत व संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) 25 औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक 1 औषधालय में नर्स/कम्पाउण्डर तथा 2 औषधालयों में परिचारक पदस्थापित नहीं है। शेष औषधालयों में स्वीकृत पदों के अनुरूप स्टाफ का पदस्थापन किया हुआ है।

(3) जी, हां। डूंगरपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सक के 25 पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर का 1 पद वर्तमान में रिक्त है जिसका औषधालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) वर्ष 1995–96 डूंगरपुर जिले के आयुर्वेद औषधालयों को औषधियों की प्रथम सप्लाई माह जुलाई व अगस्त, 1995 में तथा द्वितीय सप्लाई दिसम्बर, 1995 में की गई है। औषध सप्लाई हेतु निर्धारित सीमा के विरुद्ध 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच औषधियां सप्लाई की गयी हैं। औषधालयवार सप्लाई व सप्लाई सीमा का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास से मशीनों का हस्तानान्तरण

112. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से 1995 की अवधि में चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास से कितनी मशीनें अन्य स्थानों पर भेजी गई? सूची स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(2) इस समय कितनी मशीनें कार्यरत हैं तथा उनके लिये क्या–क्या स्टाफ पेटर्न निर्धारित है और उसमें से कितना कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्टाफ की कमी से मशीनों के संचालन में आ रही दिक्कतों एवं कार्य में आ रही शिथिलता के निराकरण हेतु पूरा स्टाफ लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या स्टाफ की कमी की पूर्ति की जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया से कब तक पूर्ति कर दी जावेगी।

(5) क्या विभाग के पास मिट्टी खुदाई एवं नहरों के रख–रखाव के लिये मशीनें पर्याप्त संख्या में हैं तथा उनका पूर्ण उपयोग

(श्री रामनारायण मीणा)

किया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1995 में किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से 1995 तक की अवधि में चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास से अन्य स्थानों पर भेजी गयी मशीनों की सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है ।

(2) इस समय कुल 93 मशीनें कार्यरत हैं । स्वीकृत स्टाफ पेटर्न व वर्तमान में कार्यरत स्टाफ की सूचना प्रपत्र "ब" पर संलग्न है ।

(3) जी, हां । प्रस्ताव की प्रति प्रपत्र "स" पर संलग्न है ।

(4) इन कार्यों को ठेके पर कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है ।

(5) विभाग में उपलब्ध मशीनें पुरानी होने के कारण उन्हें विभिन्न चरणों में बदलने की प्रक्रिया हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं ताकि मिट्टी खुदाई व नहरों के रख–रखाव के कार्य बन्द न हों । वर्ष 1995 में मशीनों से किये गये कार्यों का विवरण प्रपत्र "द" पर संलग्न है ।

(जानकारियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में प्राथमिक विद्यालयों का सृजन

113. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कितने ग्राम व ढाणियां ऐसे हैं जिनमें अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ?

(2) क्या सरकार इन सभी ग्रामों में इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में 55 ग्राम व ढाणियों में प्राथमिक शाला नहीं है, जो गैर राजस्व ग्राम व ढाणियां हैं ।

(2) जी, नहीं । विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में ही नवीन प्राथमिक शाला खोली जाती है ।

सीकर जिले के क्रमोन्नत विद्यालय

114. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नारायण सिंह)

(1) सीकर जिले में वर्ष 1995–96 में किन–किन स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन स्कूलों को क्रमोन्नत करने का क्या मानदण्ड था ?

(3) क्या यह सही है कि सभी पंचायत मुख्यालयों की प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने की सरकार की योजना थी ? यदि हां, तो कितने ऐसे पंचायत मुख्यालय सीकर जिले में हैं जिनमें उच्च प्राथमिक शालाऐं नहीं हैं ?

(4) क्या सरकार इन ग्रामों के विद्यालयों को इस वर्ष क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में वर्ष 1995–96 में 29 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में तथा 01 माध्यमिक विद्यालय को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है । क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड यथा ग्राम की जनसंख्या, कुल छात्र संख्या, अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या, फीडर विद्यालय, निकटतम उपलब्ध शिक्षण सुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में गुणावगुण के आधार पर इन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है । मानदण्ड की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(3) जी, नहीं । राज्य सरकार की मंशा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की है ।

(4) जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आगामी वर्षों में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत मानदण्डों की पूर्ति एवं गुणावगुण की स्थिति के आधार पर क्रमोन्नति हेतु समग्र विचार किया जा सकेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गुलाब बाग (उदयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण

115. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर स्थित देशी/विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र गुलाब बाग बढ़ते अतिक्रमणों और समुचित देखभाल के अभाव में दलदली पार्क का रूप लेता जा रहा है ?

(203)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(2) क्या यह सही है कि इस अनूठे बाग की सबसे बड़ी विशेषता चिड़िया घर रहा है, परन्तु उसमें वन्य जीवों की संख्या घटने लगी है तथा कर्मचारियों द्वारा खाली पिंजरों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आवास के रूप में काम में लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार गुलाब बाग को बढ़ते अतिक्रमण से मुक्त कराने, उसकी समुचित देखभाल, संरक्षण तथा ऐतिहासिक स्वरूप को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में एवं यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उदयपुर स्थित गुलाब बाग देशी/विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है एवं आज भी है जिसका उद्यान संधारण एवं समुचित देखभाल उद्यान विभाग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। गुलाब बाग में कोई अतिक्रमण नहीं हो रहे हैं। केवल एक फकीर रायण के पेड़ के नीचे तम्बू डेरे लगाकर सन् 1991 से बैठा हुआ है जिसे हटाने हेतु अधीक्षक उद्यान, उदयपुर अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं एवं इसके विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, उदयपुर में सिविल सूट दायर कर दिया है जिसकी आगामी तारीख पेशी 7-5-96 है। फकीर को हटाने हेतु जिला प्रशासन, उदयपुर एवं उच्चाधिकारियों द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। जन्तुआलय में वन्य जीवों की संख्या घटी नहीं है बल्कि बाघ, रीछ, मगरमच्छ, चितल, काले हिरण इत्यादि की संख्या में बढ़ोतरी होने से उन्हें रखने के लिये स्थान की कमी होने से असुविधा हो रही है। वर्तमान में खाली पिंजरों को कर्मचारियों द्वारा रहने के काम में नहीं लिया जा रहा है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार गुलाब बाग में काफी समय से एक फकीर रायण के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जिसे हटाने हेतु अधीक्षक उद्यान, उदयपुर द्वारा अपने स्तर पर प्रयास करके फकीर के विरुद्ध मुख्य अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 उदयपुर में सिविल सूट दायर कर दिया है जिसकी कार्यवाही जारी है एवं इस केस की आगामी तारीख पेशी दिनांक 7-5-96 को है। फकीर को हटाने हेतु जिला प्रशासन उदयपुर एवं उच्चाधिकारियों द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है।

गुलाब बाग उदयपुर की देखभाल एवं उद्यान संधारण अधीक्षक उद्यान, उदयपुर द्वारा नियमित रूप से की जा रही है जिसके इसका ऐतिहासिक स्वरूप बहाल है।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11 में हुई सड़क दुर्घटनाएं

116. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

(1) क्या यह सही है कि यातायात के मामले में हाइवे नं. 11 को जयपुर से महुवा तक आदर्श यातायात मार्ग बनाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो आदर्श मार्ग के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये थे ?

(2) विगत वर्ष में एवं चालू वर्ष में जयपुर से महुआ के मध्य कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई ? कितने व्यक्ति मारे गये, कितने घायल हुए एवं कितने स्थाई रूप से विकलांग हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर से महुआ तक के राष्ट्रीयकृत राजमार्ग को आदर्श यातायात मार्ग बनाने हेतु निम्न कदम उठाये जाने थे :—

(ए) सड़क सीमा से अतिक्रमणों को हटाना।

(बी) आबादी क्षेत्रों में बस रूकने की जगहों पर सड़क को चौड़ा करना।

(सी) चौराहों का सुधार करना।

(डी) उपलब्ध बजट के अनुसार सड़क की चौड़ाई बढ़ाना।

(ई) पटरियों का सुधार कार्य।

(एफ) सड़क पर आवश्यक यातायात चिन्ह, रोड पीलर इत्यादि लगाना।

(जी) आवश्यकतानुसार सड़क की मरम्मत।

(एच) सघन चैकिंग अभियान दल समय-समय पर चलाना।

(आई) अनधिकृत शराब की दुकानों को हटाना।

(जे) राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर चलने वाले बैलगाड़ियों, ऊंटगाड़ियों आदि के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना।

(2) वर्ष 1995 से फरवरी, 1996 तक जयपुर से महुआ के मध्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 पर कुल 503 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 194 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 834 व्यक्ति घायल तथा 20 व्यक्ति स्थाई रूप से विकलांग हुए। सूची परिशिष्ट (क) पर उपलब्ध है।

वर्ष 1995 से फरवरी, 1996 तक जयपुर से महुआ के मध्य राज मार्ग नं. 11 पर सड़क दुर्घटनाओं में मृतक, विकलांग व घायल हुए व्यक्तियों की थानेवार सूची

क्र. सं.	नाम थाना मय जिला	कुल मुकदमात की संख्या	मृतकों की संख्या	विकलांगों की संख्या	घायलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	जवाहर नगर जिला जयपुर शहर	20	1	—	18
2.	थाना बस्सी जयपुर ग्रामीण	177	67	18	308
3.	कोतवाली दौसा	105	65	—	252
4.	कोलवा दौसा	34	10	2	26
5.	बांदीकुई दौसा	28	11	—	34
6.	मानपुर दौसा	93	21	—	102
7.	महुआ दौसा	46	19	—	94
	योग	503	194	20	834

चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना, कोटा पर व्यय

117. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना कोटा के क्षेत्र में नहरों पर बाराबन्धी योजना कब शुरू की गयी ?

(2) इस योजना के मद में वर्ष वार कितनी राशि स्वीकृत होकर वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चार वर्षों के पूर्व कितना क्षेत्र बाराबन्धी के तहत लाभान्वित किया गया ?

(4) वर्ष 1992–93 से 1995–96 तक कितना क्षेत्र किन-किन नहरों/माइनरों पर बाराबन्धी के अन्तर्गत लिया गया ? नहर सहित क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल सिंचित क्षेत्र में बाराबन्दी वर्ष 1977 से लागू की गयी।

(2) इस योजना के मद में वर्ष 1992–93 से वर्ष 1995–96 तक स्वीकृत राशि व व्यय की गयी राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत की गई राशि लाख	व्यय की गई राशि लाख
1992-93	42.00	37.16
1993-94	42.50	41.42
1994-95	47.20	47.34
1995-96	58.60	41.78
		जनवरी, 96 तक

(3) वर्ष 1992 से पूर्व 94293 हैक्टेयर क्षेत्र में बाराबन्दी हेतु पर्चियां बांटी गयी है किन्तु किसान बाराबन्दी नहीं अपना रहे हैं जबकि उन्हें प्रेरित करने के प्रयास जारी हैं।

(4) वर्ष 1992–93 से 1995–96 तक किन–किन नहर/माइनर पर बाराबन्दी सम्बन्धी पर्चियां बांटी गयी उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है।

तालिका बाराबन्दी वर्ष 1992-93 से 1995-96

क्र. सं. 1	नाम नहर 2	क्षेत्र (हैक्टेयर) 3	वर्ष 4	योग (हैक्टेयर) 5
	दाईं नहर खण्ड प्रथम			
1.	अर्जुनपुरा माइनर	100 हैक्टेयर	1992-93	100 हैक्टेयर
2.	कंवरपुरा माइनर	255	1993-94	255
3.	अर्जुनपुरा माइनर	474	1994-95	
4.	हाथी खेड़ा	684	"	
5.	कंवरपुरा I	296	"	
6.	कंवरपुरा माइनर II	76	"	
7.	बमीरी माइनर	142	"	
8.	शाहपुरा माइनर	330	"	2002
9.	दीगोद माइनर	175	1995-96	
10.	पीपल्दा माइनर	210	"	
11.	किशनगंज डिस्ट्रीब्यूटरी	600	"	
12.	बीरखेडा माइनर	170	"	
13.	मानपुरा माइनर	215	"	
14.	हनुवन्तखेड़ा माइनर	82	"	
15.	रायपुरा माइनर	434	"	1886
	दाईं नहर खण्ड द्वितीय			
16.	निल	000	1992-93	निल
17.	निल	000	1993-94	निल
18.	राजगढ माइनर	590 एकड	1994-95	
19.	गुढला माइनर	300 "	"	
20.	खेडली गुडला	595 "	"	
21.	रामगढ़ माइनर	427 "	"	
22.	बमूलिया माइनर	382 "	"	
23.	मऊ डिस्ट्रीब्यूटरी	1890 "	"	
24.	खेडली बारेठ	285 "	"	
25.	खेरदा माइनर	287 "	"	
26.	इटावा कालोनी	507 "	"	
27.	हनुमान माइनर	122 "	"	
28.	अइटावा माइनर	322 "	"	6187 एकड़ (2475 हैक्टेयर)

1	2	3	4	5
29.	गुडला सब माइनर	297 एकड़	1995-96	
30.	गुलाबपुरा माइनर	315 "	"	
31.	पाकलखेड़ा माइनर I	638 "	"	
32.	पाकलखेड़ा II	197 "	"	
33.	पाकलखेड़ा सब माइनर	137 "	"	
34.	सीसवाली माइनर	278 "	"	
35.	सीसवाली लेफ्ट माइनर	333 "	"	
36.	सीसवाली राइट माइनर	131 "	"	
37.	अयाना माइनर	505 "	"	
38.	डोरली माइनर	576 "	"	
39.	दूधली माइनर	306 "	"	
40.	रामपुरा माइनर	376 "	"	
41.	बमोरी माइनर	296 "	"	
42.	काशीपुरा माइनर	679 "	"	5064 एकड़ (2026 हैक्टेयर)
	बाईं मुख्य नहर			
43.	निल	निल	1992-93	निल
44.	निल	निल	1993-94	निल
45.	बिनायका माइनर	172 हैक्टेयर	1994-95	
46.	देलून्दा माइनर	152 "	"	
47.	अल्फानगर	340 "	"	
48.	चितावा राजवहा	408 "	"	
49.	अरनेठा माइनर	329 "	"	
50.	हुतनापुर माइनर	535 "	"	1596 हैक्टेयर
51.	दगलावदा	220 "	"	
52.	भवानीपुरा	247 "	"	
53.	भिण्डी माइनर	705 "	"	
54.	रंगराजपुरा	199 "	"	
55.	हरिपुरा	261 "	"	
56.	गणेशपुरा	277 "	"	
57.	मादून्दा	198 "	"	2107 हैक्टेयर

जिला परिषदों में अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं का आरक्षण

118. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दे रही है ? यदि हां, तो किस–किस क्षेत्र में ? क्या सरकार ने जिला परिषद के अध्यापकों की नियुक्ति में भी महिलाओं का आरक्षण कर रखा है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत तथा कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में जिला परिषद में अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण था जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः महिलाओं को अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस हेतु सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला परिषद के अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं का आरक्षण नहीं रखा गया है।।

(2) जी, हां। पूर्व में अध्यापकों के 50 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की नियुक्ति/चयन में पुनः आरक्षण देने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। मा. सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतम कुल आरक्षण 49 प्रतिशत रखने के निर्देश दिये थे जिसमें अब 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 21 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों के लिए आरक्षित है। अतः अब यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना होगी।

रामरिख दास पोद्दार बालिका विद्या मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर (सीकर) के परीक्षा केन्द्र पर अनियमितताएं

119. श्री बनवारी लाल भिन्डा (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री रामरिख दास पोद्दार बालिका विद्या मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर (सीकर) के परीक्षा केन्द्र पर सीनियर सैकण्डरी परीक्षा, 1995 में विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत प्रविष्ट हुए परीक्षार्थियों का परिणाम अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण रोका गया था ?

(2) क्या जांच में उक्त संस्था की मिलीभगत पायी गयी थी ? यदि हां, तो संस्था के प्रबन्ध आदि के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या परीक्षा के नियमों के अनुसार जिन शिक्षकों के निकट सम्बन्धी परीक्षार्थी

(श्री बनवारीलाल भिन्डा)

हों, उन्हें वीक्षण कार्य नहीं सौंपा जा सकता ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में वर्ष 1995 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में ऐसे शिक्षकों को वीक्षक लगाये जाने के क्या कारण थे ? इसके लिये कौन दोषी है एवं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उक्त जांच रिपोर्ट में कौन दोषी पाया गया और क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

(5) क्या सरकार उक्त परीक्षा केन्द्र को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ परीक्षार्थियों का परिणाम रोका गया।

(2) इस प्रकरण में जांच बोर्ड द्वारा कराये जाने पर इस संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कोई स्पष्ट आधार नहीं मिला। विभाग द्वारा पुनः संस्था के विरुद्ध जांच करायी जायेगी।

(3) जिन शिक्षकों/कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं उन्हें उस सत्र में केन्द्र पर बोर्ड परीक्षा काल में ड्यूटी पर नहीं देने के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के केन्द्र अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिये हुये हैं। उक्त केन्द्र पर जिन शिक्षकों ने ड्यूटी दी है उनके पुत्र-पुत्री परीक्षा में नहीं बैठे हैं।

(4) बोर्ड द्वारा जांच करायी गयी। विभाग पुनः जांच करायेगा। यदि जांच में कोई अनियमितता पायी जायेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) पुनः जांच करायी जायेगी तथा जांच में कोई अनियमितता पायी गयी तो विचार किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के गांवों एवं ढाणियों का विद्युतीकरण

120. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के किन-किन ग्रामों एवं ढाणियों में विद्युत कनेक्शन के लिये कब-कब से आवेदन किया हुआ है ?

(2) किन-किन ग्रामों एवं ढाणियों में डिमाण्ड नोट जमा कराने के बाद भी अब तक कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं ?

(3) इस सम्बन्ध में किस-किस स्तर पर कौन-कौन दोषी हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में 36 ग्रामों एवं ढाणियों में 1693 घरेलू कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित हैं। ग्रामवार लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या तथा तिथि सहित विवरण प्रपत्र "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में 922 घरेलू कनेक्शन दिये जा चुके हैं। वर्तमान में उक्त 36 ग्रामों अथवा ढाणियों में से प्रपत्र "अ' में उल्लेखित 15 ग्रामों व ढाणियों के मांग पत्र जमा हुए हैं उनको भी वरीयता अनुसार प्राथमिकता से कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(3) उक्त क्षेत्र के चार गांवों को छोड़कर सभी घरेलू कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदन पत्रों के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात बजट व सामान की उपलब्धि के अनुरूप शीघ्र कनेक्शन जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बजट सामान व तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धि के अभाव में समय लगना स्वाभाविक है—विद्युत मण्डल प्रतिवर्ष इन सब बाधाओं के बावजूद भी करीब दो लाख कनेक्शन देता है—मौजूदा आर्थिक संकट को देखते हुए इसमें विशेष गति लाना कठिन है। इसके लिये व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी नहीं है।

परिशिष्ट "ब"

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के वे ग्राम एवं ढाणियों की सूची जिनमें डिमाण्ड नोटिस जमा कराने के बाद कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके एवं विद्युत कनेक्शन के लिए कब–कब से आवेदन किया है की सूची।

क्र. सं.	गांव का नाम	ढाणी का नाम	लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या व दिनांक से आखरी दिनांक तक	मांग पत्र जारी करने की संख्या व दिनांक	मांग पत्र जमा कराने की तिथि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	पिचामक	—	29 21-9-95	27-2-96	—	मांग पत्र जमा होने के समय अवधि (ग्रेस पीरियड) में है।
2.	जैलवा	—	3 12-4-95	27-2-96	—	मांग पत्र जमा होने के समय अवधि (ग्रेस पीरियड) में है।
3.	जैतीवास	—	3 7-12-95	27-2-96	—	मांग पत्र जमा होने के समय अवधि (ग्रेस पीरियड) में है।
4.	हर्ष	—	2 16-9-95	18-12-95	16-1-96	27-2-96 को विद्युत सम्बन्ध के आदेश जारी किये गये हैं।
5.	हरियाड़ा	—	13 17-10-95	10-11-95	14-11-95	27-2-96 को विद्युत सम्बन्ध के आदेश जारी किये गये हैं।
6.	वीरावास	—	13 4-3-95	25-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।

1	2	3	4	5	6	7
7.	घाणामगरा	—	9 29-1-96	—	—	तखमीना बनाना शेष है।
8.	बिजंवाड़िया	—	5 13-3-95	3-8-95	20-8-95	लाइन कार्य पूर्ण करा दिया, शीघ्र विद्युत कनेक्शन कर दिया जायेगा।
9.	कालाऊना	—	12 24-6-95	1-12-95	16-1-96	लाइन कार्य प्रगति पर है, शीघ्र विद्युत कनेक्शन कर दिया जायेगा।
10.	भाक	देवासियों की	17 29-3-95	14-8-95	31-8-95	26-2-96 को विद्युत कनेक्शन आदेश जारी कर दिये गये हैं।
11.	रावणियाना	क–कुम्हारों की ख–सोमणों की	77 15-11-90 से 2-7-94	27-9-93	18-10-93	11 केवी. लाइन व 40 केवीए. सबस्टेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है 24 पोल एलटी. के खड़े कर दिये हैं सम्भवत: इस माह में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
12.	खारियाखंगार	डकियों की	127 18-1-88 से 26-5-95	72 27-3-93	26-4-93	कार्य प्रगति पर है।
				55 8-3-96		ग्रेस पीरियड में।
13.	रतकुड़िया	सैवरों की	60 24-1-85 से 26-1-95	15-1-94	11-2-94	एलटी. लाइन के खम्भे खड़े कर दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4		5	6	7
14.	खेड़ीसालवा	क—पुनियों की ख—ग्रामलियों की ग—खेड़ी की	283	31-8-89 से 5-2-96	144 4–2–94	5-3-94	3 कि.मी. लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष कार्य प्रगति पर हैं।
15.	मुंडाना	—	36	28-11-91 से 21-3-92	21-10-92	11-11-92	उपभोक्ताओं की फिटिंग पूर्ण नहीं होने से एल फार्म रद्द किये गये।
16.	मलार	—	94	1-7-85 से 28-8-90	17-1-92	11-2-92	उपभोक्ताओं की फिटिंग पूर्ण नहीं होने से एल फार्म रद्द किये गये।
17.	आशापुर	—	51	9-4-91 से 21-7-93	29-9-93	21-10-93	सामान दे दिया गया है, कार्य प्रगति पर है।
18.	कोसाणा	क—जाखड़ों की ख—मालियों की	69	15-5-92 से 7-7-94	19-4-94	13-5-94	सामान दे दिया गया है, कार्य प्रगति पर है।
19.	लवारी	—	4	27-6-94 से 15-11-95	24-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।
20.	बुवकलां	—	4	2-1-96	—	—	तखमीना बनाना शेष है।
21.	मालावास	—	6	12-6-95	26-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।
22.	नानण	—	9	30-1-95 से 4-9-95	20-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।

1	2	3	4		5	6	7
23.	खुडेवा	—	4	16-10-95	26-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।
24.	जाटियावास	—	2	31-1-96	—	—	तखमीना बनाना शेष है।
25.	मादलिया	—	1	4-1-96	—	—	तखमीना बनाना शेष है।
26.	बगडकी	—	16	31-12-94 से 31-1-95	8-3-96	—	ग्रेस पीरियड में है।
27.	बोरून्दा	—	251	20-3-95	10-12-95	1-1-96	126 के पैसे जमा हैं, सामान दे दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।
28.	रंणसी	—	105	5 8-93 से 5-8-95	8-2-96	—	88 के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं, शेष का तखमीना बनाया जा रहा है।
29.	खेजड़ला	—	109	21-3-93 से 1-12-95	28-10-94 8-10-96 20-2-96	26-11-94	एल फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये।
30.	सम्माडिया	—	11	28-1-91	16-12-94	15-1-95	लाइन खेंचने में गांव वालों की तरफ से बाधा डाली जा रही है।
31.	हरियाढ़ाणा	—	167	21-9-93 से 15-11-95	29-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।

1	2	3	4		5	6	7
32.	मुरकासनी	—	28	15-1-93 से 9-5-94	29-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।
33.	पटेल नगर	—	40	29-6-93 से 2-12-95	29-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।
34.	चिरढ़ाणी	—	40	17-6-93 से 28-11-95	29-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।
35.	खासपुरा	—	61	16-1-93 से 16-12-95	29-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।
36.	चौकड़ीखुर्द	—	21	2-9-93 से 27-12-95	29-2-96	—	ग्रेस पीरियड में है।

राजस्थान वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के किराये की वसूली

121. श्री एमादुदीन अहमद खां (तिजारा) : क्या वक्फ राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अशोक दादाणी निवासी खैरथल (अलवर) नामक व्यक्ति को वक्फ सम्पत्ति किराये पर दी है ? यदि हां, तो कब और कुल कितनी सम्पत्ति, कितने रुपये मासिक पर कितनी अवधि के लिए ?

(2) क्या वक्फ बोर्ड ने उपरोक्त जायदाद 11 माह के लिए किराये पर दी है । यदि हां, तो अप्रेल, 2024 तक का किराया किस नियम के तहत वसूल किया गया है ? क्या वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 36 "ए" के तहत बोर्ड से मन्जूरी हासिल करना आवश्यक है ?

(3) यदि उक्त जायदाद लीज पर दी है तो लीजडीड की प्रति व किरायानामा की प्रति सदन की मेज पर मय बोर्ड की स्वीकृति रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 9-7-92 को वक्फ सम्पत्ति इ.पी. नं. 83, इमामबाड़ा, दमदमा रिसालदारान, खैरथल, 75/– रुपये माहवार पर 11 माह के लिए साधारण किराये पर दी है ।

(2) जी हां । किरायेदार से अप्रेल, सन् 2024 तक किराये की राशि अमानत के तौर पर इकरारनामे के तहत वसूल की गयी है । वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 36–'ए' के तहत बोर्ड से ऐसी किरायेदारी की मन्जूरी लेना आवश्यक नहीं है ।

(3) उक्त जायदाद लीज पर नहीं दी गयी है । किरायेनामे की प्रति सदन की पटल पर रख दी गयी है । (परिशिष्ट–"क")

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

"बून्द-बून्द" सिंचाई योजनान्तर्गत अनुदान

122. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट), **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 'बून्द-बून्द' सिंचाई फव्वारों, पाइपों के लिए कितने किसानों को अनुदान देने का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है ?

(2) राज्य में जिलेवार कितने किसानों की उक्त पद्धति के लिए अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है ? जिलेवार आवंटित लक्ष्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसी जिले में अधिक मांग होने पर लक्ष्य बढ़ाने का विचार रखती है ?

(4) वर्ष 1995–96 में अब तक सरकार को कितने आवेदन मिले ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 'बून्द-बून्द' सिंचाई योजना में किसानों को 1,870 हैक्टेयर क्षेत्र में अनुदान देने का लक्ष्य वर्ष 1995–96 में रखा

(कृषि राज्य मन्त्री)

गया है न कि किसानों की संख्यानुसार। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में अनुदान प्रति हैक्टेयर अनुसार निर्धारित हैं।

(2) राज्य में वर्ष 1995-96 में फव्वारा सैट वितरण के लिए 20,000 फव्वारा सैट का लक्ष्य रखा गया है तथा पाइप.लाइन में 23,000 कृषकों को प्रति कृषक 100 मीटर के हिसाब से 23 लाख मीटर पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 1995-96 में 'बून्द-बून्द' सिचाई, फव्वारा सिचाई पद्धति व पाइप लाइन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलेवार निर्धारित लक्ष्यों का विवरण अनुसूची संख्या 1, 2 पर उपलब्ध है। 'बून्द-बून्द' सिचाई के लक्ष्य **अनुसूची-1** पर संलग्न है तथा फव्वारा सिचाई का लक्ष्य **अनुसूची-2** पर उपलब्ध है।

(3) जी हां, राज्य के किसी जिले में 'बून्द-बून्द' सिचाई, फव्वारा सैट या पाइप लाइन कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट राशि की उपलब्धता को देखते हुए लक्ष्य बढ़ाये जा सकते हैं।

(4) 'बून्द-बून्द' सिचाई उपकरण में अब तक मिले आवेदन-पत्रों का जिलेवार विवरण **अनुसूची संख्या-3** पर उपलब्ध है तथा फव्वारा सैट व पाइप लाइन की **अनुसूची संख्या-4** पर उपलब्ध है।

(विस्तृत विवरण होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत मण्डावरी (दौसा) के निर्णय पर स्थगन

123. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) **एवं श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट): क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मण्डावरी (लालसोट) के खुर्री-माताजी सड़क पर नाला से अतिक्रमण हटाने के निर्णय को पंचायती राज निदेशालय ने स्थगन आदेश जारी करके रोक लगा दी है? यदि हां, तो क्या पंचायती राज निदेशालय की उक्त कार्यवाही विधि सम्मत है?

(2) क्या सरकार ने ग्राम पंचायत के निर्णय पर स्थगन आदेश देकर जिला कलक्टर दौसा से इसकी रिपोर्ट देने को निर्देशित किया था? यदि हां, तो क्या जिला कलक्टर दौसा ने इसकी रिपोर्ट भिजवा दी है?

(3) जिला कलक्टर, दौसा द्वारा उक्त सम्बन्ध में भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम मण्डावरी का बरसाती पानी एव गन्दा पानी इसी रास्ते से सदियों से निकलता है?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 1537, दिनांक 31.5.95 के द्वारा जांच के निष्कर्ष तक ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.5.95 स्थगित किया गया था। यह कार्यवाही पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत है।

(2) जी हां। जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट दिनांक 9.8.95 को प्राप्त होने पर विभाग द्वारा पत्र संख्या 3037 दिनांक 5.9.95 को जिला कलक्टर से यह जानकारी चाही गयी है कि खातेदार को ग्राम पंचायत द्वारा मुआवजा दिया जावेगा या नहीं।

(3) **रिपोर्ट की प्रति सदन** की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां।

प्रेषक :

उप जिला कलेक्टर, क्रमांक 1911/पीए
दौसा, जिला–दौसा। 28-7-95

प्रेषिति :

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
दौसा, जिला–दौसा।

विषय : ग्राम पंचायत मण्डावरी के निर्णय बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक/सतर्कता/95/1125 दिनांक 25-7-95, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक/पंचायत/95/53 दिनांक 23-6-95 व स्मरण पत्र दिनांक 27-5-95 के सन्दर्भ में।

महोदय,

प्रस्तुत विषयक प्रकरण में प्रासंगिक पत्र प्राप्त होने पर निवेदन है कि तहसील लालसोट के ग्राम मण्डावरी से खुर्दा, किशोरपुरा जाता है। इस रास्ते के दोनों तरफ ख. नं. 888 व 899 के खातेदारी के खेत हैं। ख. नं. 899 के खातेदार ने रास्ते पर खुलता हुआ पुख्ता मकान तामीर कर रखा है एवं ख. नं 888 के खातेदार ने अपनी भूमि के चारदीवारी लगा रखी है। ख नं. 888 के दोनों से रास्ते में आता हुआ एक शीतला माता का मन्दिर कदीमी बना हुआ है, साविक नक्शे में यह मन्दिर आधा खातेदारी में व आधा रास्ते में तरमीम शुदा है। वर्तमान भू. प्रबन्ध में इसका अंकन नहीं है। ख. नं. 888 के खातेदार ने चार दीवारी बनाने के पश्चात् व ख. नं. 898 के खातेदार के मकान निर्माण के पश्चात् जो रास्ता है, उससे आवागमन व पानी का बहाव होता है। इस रास्ते में पानी के बहाव का जोर रहा है, क्योंकि कस्बे का पानी इधर से जाता है। ख. नं. 888 के खातेदार की पुख्ता दीवार व शीतला माता के मन्दिर के बीच 1/1/2 फीट भूमि की गली बनी हुई थी। ग्राम पंचायत नाली निर्माण इसी पानी में से होकर करना चाहती है। जिस पर ख. नं. 888 के खातेदार ने पुख्ता दीवार बनाकर बन्द कर दिया, जिससे पानी अवरुद्ध हो गया। ग्राम पंचायत का इरादा इसी गली से पानी की नाली ख. नं. 888 की दीवार के सहारे-सहारे बनाने का है जबकि ख. नं. 888 का खातेदार इसमें आपत्तिकर्ता है, दोनों भू. प्रबन्ध के नक्शे के मिलान से यह गली ख. नं. 888 की खातेदारी में कायम होनी चाहिये, वैसे यह भूमि पुख्ता दीवार के बाहर है, इस वजह से खातेदार के लिए इस भूमि का उपयोग तो नहीं है, लेकिन खातेदार का इरादा यह है कि जो भूमि दीवार के बाहर उसी की छूट गयी है उस पर पुनः कब्जा कर लिया जावे। यदि इस गली में से पानी का निकास होता है तो मार्ग पूर्ण रूप से चौड़ा व साफ-सुथरा रहेगा। अन्य दीगर रास्ते से नाली बनाने से रास्ता कम होगा व गन्दगी फैलेगी। ख. नं. 888 पूर्व में एस.टी. के नाम थी जो एस.सी. को विक्रय हुई। एस.सी. की वर्तमान से खातेदारी में होते हुए भी कब्जा एस.टी. का है। रिपोर्ट तथ्यात्मक श्रीमान् की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह०/–
(उप जिला कलेक्टर)
दौसा, जिला–दौसा

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

124. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में किन-किन विद्यालयों को इस वर्ष क्रमोन्नति प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें । विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय मलपुरा एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय चतुर्भुज एवं ग्राम मोलाहेडा के विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में निम्नलिखित विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया है :—

1. **प्राथमिक से उच्च प्राथमिक**

   1. मनोहरपुरा
   2. फतेहपुरा कलां
   3. फतेहपुरा खुर्द
   4. बसई
   5. कुजोला

2. **उच्च प्राथमिक से माध्यमिक**

   1. शुक्लावास
   2. देवता

वर्ष 1996-97 के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मापदण्डों की प्रति संलग्न है ।

(2) जी नहीं । ग्राम मलपुरा की जनसंख्या 1015 तथा इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 85 तथा कक्षा 5 की छात्र संख्या 9 है । ग्राम चतुर्भुज की जनसंख्या 800 तथा यहां के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 200 तथा कक्षा 5 की छात्र संख्या 18 है । इसी प्रकार मोलाहेडा विद्यालय भी निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करता है । विद्यालयों क्रमोन्नति के समय मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों में से गुणावगुण के आधार पर उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं ।

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

(1) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1. ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा-5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3. कक्षा 1—5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5. 2 कि. मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथ. विद्यालय की सुविधा का नहीं होना		1

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

1. जनसंख्या (1991) छात्र विद्यालय	3000	2500
छात्रा विद्यालय	4000	3000
2. छात्र संख्या (कक्षा 8) छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	18
फीडर विद्यालय	2	2
3. दूरी (किलोमीटर)	10	10

(3) माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के मानदण्ड

1. जनसंख्या (1991)	5000	4000
2. छात्र/छात्रा संख्या कक्षा-10		
छात्र विद्यालय	50	40
छात्रा विद्यालय	40	30
3. फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
4. दूरी (किलोमीटर)	10	10

अन्य आधार बिन्दु —1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान
2. प्रशासनिक आधार
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं
4. भौगोलिक परिस्थितियां
5. माध्यमिक एवं सी. उ. मा. विद्यालयों का अनुपात

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

ग्राम बरखेड़ा एवं रोडी (चित्तौड़गढ़) का विद्युतीकरण

125. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ऊर्जा मन्त्री महोदय ने रावतभाटा प्रवास के दौरान दिनांक 14 जुलाई, 1994 को भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति को सम्पूर्ण विद्युतीकृत घोषित किया था ?

(2) क्या पंचायत मुख्यालय बरखेड़ा एवं ग्राम रोडी कोड न. क्रमशः 453 एवं 455 आज भी बिजली से वंचित हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब बरखेड़ा एवं रोडी ग्रामों में कब तक बिजली पहुंचा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में कुल 208 ग्राम हैं जिनमें से जनवरी, 1996 तक 149 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। शेष 59 ग्रामों में से 58 ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना डूब क्षेत्र में होने के कारण स्वीकृत नहीं है एवं एक ग्राम पारली खुर्द का कार्य प्रगति पर है। अतः स्वीकृत हो सकने वाले सभी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) पंचायत मुख्यालय बरखेड़ा एव गांव रोडी कोड नं. क्रमशः 453 एवं 455 इस क्षेत्र की चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत योजना में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित नहीं है। डूब में आने के कारण इनका विद्युतीकरण सम्भव नहीं है। वैसे चित्तौड़गढ़ जिले के 85.21% ग्राम विद्युतीकृत हैं जो राज्य के औसत विद्युतीकरण के मुकाबले अधिक है।

कुम्हेर–सिकरोरा सड़क निर्माण

126. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर तहसील में कुम्हेर नदबई सड़क से ग्राम सिकरौरा तक सड़क निर्माण किये जाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी है और इसका निर्माण कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण हेतु ठेका दिया जा चुका है और ठेका दिये हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य को ग्राम रास्ते में भी कुछ व्यक्तियों ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके रोक रखा है, और ठेकेदार को निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है ?

(श्री हरिसिंह)

(4) क्या सरकार राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि सड़क के निर्माण का ठेका दिया जा चुका है तथा ठेका दिये हुए एक वर्ष से अधिक का समय भी हो गया है। निर्माण कार्य के दौरान भूमि विवाद के कारण कार्य अधूरा है। विवाद तय होने पर ही निर्माण कार्य पूरा कराया जाना सम्भव है।

(3) जी हां।

(4) भूमि विवाद तय होने पर ही निर्माण कार्य पूरा कराया जाना सम्भव हो पायेगा।

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 129 का विवरण

आवंटित भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन तिथि
	औद्योगिक क्षेत्र धोईन्दा (कांकरोली)		
1.	मैसर्स विश्वकर्मा मोटर बॉडी रिपेयर्स	एफ 8 ए	23-1-93
2.	" बापू इंजीनियरिंग वर्क्स	एफ 1 ए	27-10-93
3.	" फेमस प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड	जी 1–149	30-6-94
4.	" रमेश चन्द्र मार्बल	जी 1–116, 117	19-9-94
5.	" सूर्या टायर रिट्रेडिंग	एच 1–140	28-3-95
6.	" शर्मा मोटर बॉडी रिपेयर्स	एच 1–142	27-5-95
7.	" लक्ष्मी मोटर बॉडी	एच 1–141	27-5-95
8.	" भारत स्टील	जी 1–127	13-9-95
9.	" भूमिका इंजीनियरिंग	जी 1–111	13-9-95
10.	" महालक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स	एच 1–143	8-1-96
11.	" विश्वकर्मा आयरन वर्क्स	एच 1–144	8-1-96
12.	" श्रीराम मार्बल इण्डस्ट्रीज	एच 1–176	8-1-96
13.	" एम. के. ग्रॉयल इण्डस्ट्रीज	एच 1–177	8-1-96
14.	" श्रीराम स्टोन इण्डस्ट्रीज	एच 1–178	8-1-96

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 132 की सूची

तहसील नांवा जिला नागौर के लवण भूखण्डों के नाम परिवर्तन (हस्तान्तरण) के लम्बित प्रकरण

क्र. सं.	इकाई/आवंटी का नाम	तह./जिला	भूखण्ड सं./ख. नं. (रूपान्तरित भूमि)	प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि	लम्बित रखने के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	मै. सुनिल नमक उद्योग, भागीदार श्री हेमाराम मेघवाल, एवं गोविन्दराम शर्मा तथा विमल कुमार शर्मा	नावां/नागौर	जाब्दीनगर 1 मिन	दि. 21-5-94	प्रकरण पर विवि विभाग की राय प्रतीक्षित है ।
2.	श्री सीताराम पुत्र हरक चन्द बेरीवाल	नावां/नागौर	नांवा 622/5	दि. 10-4-90	इकाई पर वित्त निगम का ऋण बकाया है । अतः वित्त निगम की सहमति अपेक्षित है ।
3.	श्री मवरू खां पुत्र अजीम खां	नावां/नागौर	जाब्दीनगर 18	दि. 4-1-94	पूर्व प्रस्ताव निरस्त करने का अनुरोध किया है तथा नये प्रस्ताव दि. 25-1-96 को निदेशालय को प्राप्त हुए हैं ।
4.	श्री नाथूराम पुत्र किशनाराम जाट	नावां/नागौर	जाब्दीनगर 16	दि. 20-10-93	राज्य सरकार की नीति दि. 23-7-93 के अन्तर्गत प्रकरण की जांच रिपोर्ट निदेशक उद्योग से दि. 25-1-94 से अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6
5.	श्री दुलाराम, पोकरराम, रत्ना पुत्र श्री लादूराम जाट	नावां/नागौर	जाब्दीनगर 121	दि. 7-12-95	निदेशालय से दिनांक 15-12-95 से सूचना अपेक्षित।
6.	श्री दुलाराम, रत्नाराम, पोकरराम पुत्र लादूराम जाट	नावां/नागौर	जाब्दीनगर 121/2	दि. 7-2-96	निदेशालय से दिनांक 6-3-96 से सूचना अपेक्षित।
7.	श्री गोरूराम पुत्र नाथूराम बलाई भागीदार श्री गोरूराम व भंवरलाल पुत्र गुलाब सिंह	नावां/नागौर	जाब्दीनगर 16	दि. 19-3-94	प्रकरण पर विधि विभाग की राय अपेक्षित है।
8.	श्री बंशीधर पुत्र नन्दलाल	कुचामन/नागौर	(राजकीय भूमि) भू. सं. 75	दि. 14-12-95	निदेशालय से दि. 22-12-95 से सूचना अपेक्षित।
9.	अशोक साल्ट इण्ड.	कुचामन/नागौर	(राजकीय भूमि) भू. सं. 44, 45, 753/24	दि. 21-5-94	उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अनियमित आबंटन होने से निर्णयाधीन है।
	तहसील तालछापर जिला चूरू के लवण भूखण्डों के नाम परिवर्तन (हस्तान्तरण) के लम्बित प्रकरण				
10.	श्री गणेशीलाल लखोटिया	सुजानगढ़/चूरू	(राजकीय भूमि) तालछापर 279–ए	दि 2-11-95	उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अनियमित आवंटन होने से निर्णयाधीन है।
11.	श्री भैरूदान कुण्डलिया	सुजानगढ़/चूरू	तालछापर भू. सं. 3	दि. 18-10-95	निदेशालय से दिनांक 18-11-95 एवं 30-12-95 से आवश्यक सूचना अपेक्षित है।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 133 की सूची

प्रधानमन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति बैंकवार सूचना

पंचायत समिति, बेगूं

क्र.सं.	बैंक का नाम	लक्ष्य	चयनित	स्वीकृत	वितरण	ऋण वितरण नहीं हुआ
1	2	3	4	5	6	7
1.	बैंक आफ बडौदा, बेगूं	6	10	6	4	2
2.	बैंक आफ बडौदा, पारसोली	4	6	3	1	2
3.	एस. बी. बी. जे., बेगूं	6	8	5	5	—
4.	पंजाब नेशनल बैंक, राजगढ	2	1	1	–	1
5.	बैंक आफ बडौदा, सामरिया–कलां	3	–	–	–	—
		21	25	15	10	5

पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ

क्र.सं.	बैंक का नाम	लक्ष्य	चयनित	स्वीकृत	वितरण	ऋण वितरण नहीं हुआ
1.	एस. बी. बी. जे. रावतभाटा	6	9	6	1	5
2.	बैंक आफ बडौदा भैंसरोड़गढ	8	17	8	2	6
3.	बैंक आफ बडौदा, रावतभाटा	10	13	9	5	4
4.	बैंक आफ बडौदा, झालर–बावड़ी	3	7	4	2	2
		27	46	27	10	17

नोट :— बैंक आफ बडौदा, सामरिया कलां में कार्य क्षेत्र में एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जबकि बैंक लक्ष्य 3 का है।

जिन युवाओं को ऋण वितरण नहीं किया गया उसका बैंकवार विवरण मय कारण

क्र.सं.	बैंक का नाम	स्वीकृत संख्या	वितरण संख्या	प्रशिक्षण-रत संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
	पंचायत समिति, बेगूं				
1.	बैंक आफ बड़ौदा, बेगूं	6	4	2	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
2.	बैंक आफ बडौदा, परसोली	3	1	2	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एक प्रशिक्षणार्थी को प्रमाण-पत्र दिनांक 1–3–96 को जारी किया गया है।
3.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांच बेगूं	5	5	–	—
4.	पंजाब नेशनल बैंक, राजगढ़	1	–	–	के.वी.आई.बी. का डिफाल्टर होने के कारण स्वीकृत नहीं की गयी है।
	पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ				
5.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांच	6	1	3	एक प्रशिक्षणार्थी को दिनांक 1–3–96 को प्रमाण–पत्र जारी किया गया। एक प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में नहीं आया।
6.	बैंक आफ बडौदा, भैंसरोड़गढ	8	2	2	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 3 को दिनांक 1-3-96 को प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र जारी किया। तथा 1 अभ्यार्थी का ऋण आवेदन-पत्र बैंक के पास प्रक्रिया

(229)

1	2	3	4	5	6
					(प्रोसेस) में है। अभ्यार्थी ने बैंक की औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु बैंक से सम्पर्क नहीं किया।
7.	बैंक आफ बडोदा, रावत भाटा	9	5	2	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 2 अभ्यार्थी का ऋण आवेदन पत्र बैंक के पास प्रक्रिया (प्रोसेस) में है। अभ्यार्थी ने बैंक की औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु बैंक से सम्पर्क नहीं किया।
8.	बैंक आफ बडोदा, झालरबावडी	4	2	2	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

नोट :— ऋण वितरण लाभार्थी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाता है।

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 136 की प्रति

बिन्दु संख्या-2 की सूचना :—

छात्रावासों में प्रवेश संबंधी नियम— निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्यमिक/ब/21230/स्पे/80 दिनांक 15-5-83 :—

बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत निर्मित छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश संबंधी नियम विभाग द्वारा बनाये गये हैं जो निम्नलिखित अनुसार हैं। कृपया नये सत्रारम्भ में छात्रों को प्रवेश देने तथा छात्रावास के सुचारू संचालन के लिये इन नियमों का पालन करें।

1. जिन विद्यालयों के परिसर में छात्रावासों का निर्माण हुआ है उन्हीं विद्यालयों के प्रधान उन छात्रावासों के नियंत्रण अधिकारी होंगे।

2. छात्रावास में प्रवेश देने के लिये प्रथम वरियता ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृति प्राप्त विद्यार्थियों को दी जायेगी। ऐसे विद्यार्थी यदि शहर के अन्य विद्यालयों में भी अध्ययन कर रहे हो तो उन्हें भी छात्रावास में प्रवेश दिया जाना चाहिये।

3. ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृति वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि स्थान रिक्त रहे तो उसी विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उनकी वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।

4. यदि उपर्युक्त दोनों नियमों के अनुसार प्रवेश देने पर भी स्थान रिक्त रह जाय तो स्थानीय अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

5. इस छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी के लिए आवास, रोशनी, पानी एवं अन्य व्यवस्थाएँ छात्रावास द्वारा की जायेगी।

6. छात्रावास में भोजन की व्यवस्था के लिये छात्रावास अधीक्षक और संस्था प्रधान एवं छात्रों में से चुने हुए तीन प्रतिनिधियों द्वारा की जायेगी। यह समिति भोजन की सारी व्यवस्था नियमानुसार स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्तर पर करेंगी। और संस्था प्रधान समय-समय पर उसकी देखरेख करते रहेंगे।

7. छात्रावास में विद्यार्थियों को एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी दी जायेगी अन्य सभी सामग्री विद्यार्थी अपने घर से लायेंगे ।

8. छात्रावास में खाना बनाने के लिये तथा खाना परोसने के लिये आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था राजकीय व्यय से की जायेगी ।

9. छात्रावास में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को विभागीय संदर्षिका के अनुसार निम्नलिखित शुल्क देना होगा :—

(क) एक कमरे में दो से अधिक छात्रों के निवास के कारण एक रुपया प्रति माह प्रति छात्र वसूल किया जायेगा । यह शुल्क केवल 10 माह का देय होगा ।

(ख) जल व प्रकाश 0.50 रुपये प्रतिमाह लिया जायेगा । (यदि इसकी व्यवस्था नहीं हुई तो यह नहीं लिया जायेगा) यह शुल्क भी 10 माह का ही लिया जायेगा ।

(ग) बर्तन शुल्क 1.60 रुपये प्रतिवर्ष ।

(घ) सामान्य कक्ष (कोमन रूम) शुल्क एक रुपया प्रति वर्ष ।

(ङ) कोमन मनी 5 रुपये प्रवेश के समय (छात्रावास छोड़ने पर यह शुल्क लौटा दिया जायेगा) ।

10. विद्यालय के वाचनालय एवं पुस्तकालय में आने वाली पत्र–पत्रिकाएँ छात्रवृति में भी उपयोग में ली जाय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ।

11. छात्रावास के अनुशासन के लिये सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा आचरण संहिता एवं नियम बना दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय का अधिकारी संस्था प्रधान को होगा ।

12. विभागीय नियमों में छात्रावास के अधीक्षक के लिये मासिक भत्ता अथवा निशुल्क आवास की व्यवस्था की जाती है । इन छात्रावासों के साथ अधीक्षक के निवास की व्यवस्था की गयी है अतः संस्था प्रधान द्वारा अधीक्षक को इन छात्रावासों में निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

13. छात्रावास अधीक्षक का स्थानान्तरण होने पर अथवा छात्रावास अधीक्षक न रहने पर तुरन्त उसे आवास को खाली करना पड़ेगा ताकि नया अधीक्षक उस सुविधा को ले सके ।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची

विभागीय धर्मशाला, सराय व विश्राम गृह की सूची

क्रम संख्या	नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	देवस्थान विश्रान्ति गृह (होटल देवदर्शन)	सूरजपोल	उदयपुर
2.	सराय फतह मेमोरियल	सूरजपोल	उदयपुर
3.	मांजी की सराय	स्टेशन रोड	उदयपुर
4.	धर्मशाला मन्दिर श्री ऋषभदेवजी	धूलेव	उदयपुर
5.	धर्मशाला मन्दिर श्री चारभुजाजी	गढ़बोर	राजसमन्द
6.	धर्मशाला जसवन्त सराय	स्टेशन रोड	जोधपुर
7.	विश्राम गृह मन्दिर श्री राजरतन बिहारीजी	रतनबिहारी पार्क	बीकानेर
8.	विश्राम गृह मन्दिर श्री लक्ष्मणजी	बड़ा बाजार	भरतपुर
9.	विश्राम गृह मन्दिर श्री चन्द्र बिहारीजी	माणक चौक बड़ी चौपड़	जयपुर
10.	विश्राम गृह मन्दिर श्री राधामाधवजी (जयपुर मन्दिर)	मथुरा रोड	वृन्दावन
11.	विश्राम गृह मन्दिर श्री कुशलबिहारीजी	बरसाना	मथुरा (उ.प्र.)
12.	धर्मशाला मन्दिर श्री गंगाजी	हरिद्वार	हरिद्वार (उ.प्र.)
13.	धर्मशाला मन्दिर श्री डूंगरेश्वरजी	वाराणसी	वाराणसी (उ.प्र.)

विभागीय धर्मशाला/सराय व विभाग स्थलों के आय-व्यय व नुकसान में रहने के कारण

वर्ष 1994–95

क्रम सं.	नाम विश्राम स्थल/धर्मशाला/सराय	श्रेणी	वर्ष 1994–95 आय	वर्ष 1994–95 व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	होटल देवदर्शन (देवस्थान विश्रान्ति गृह) उदयपुर	प्रत्यक्ष प्रभार	4,89,000	6,23,000	होटल देवदर्शन उदयपुर का घाटे में चलने का कारण शत-प्रतिशत कमरे किराये पर नहीं जाना, केन्टीन हॉल का ठेका नहीं होना तथा कमरों में ठहरने वाले यात्रियों की अटेण्ड करने वाले स्टाफ (वेटर, रूम बॉय) की कमी तथा कमरों की किराया दर कम होना प्रमुख है।
2.	विश्राम गृह मन्दिर श्री लक्ष्मणजी, भरतपुर	आत्म निर्भर	—	—	(क्रम सं. 2–6 हेतु) विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के यात्रा प्रवास के समय ठहरने हेतु विश्राम गृह के रूप में दो या तीन कमरे सुरक्षित हैं। इसके लिए कोई पृथक से कर्मचारी नियुक्त नहीं है व न ही यह विश्राम गृह व्यवसायिक है।
3.	विश्राम गृह मन्दिर श्री राधामाधवजी, वृन्दावन (जयपुर मन्दिर)	प्रत्यक्ष प्रभार	—	—	
4.	विश्राम गृह मन्दिर श्री कुशलबिहारी, बरसाना	प्रत्यक्ष प्रभार	—	—	
5.	विश्राम गृह मन्दिर श्री राजरतनबिहारीजी, बीकानेर	आत्म निर्भर	—	—	
6.	विश्राम गृह मन्दिर श्री चन्द्रबिहारीजी, माणक चौक, जयपुर	प्रत्यक्ष प्रभार	—	—	

1	2	3	4	5	6
7.	धर्मशाला मं. श्री चारभुजाजी, गढ़बोर	आत्म निर्भर	19581.00	6660.00	—
8.	धर्मशाला मं. श्री ऋषभदेवजी, धूलेव	आत्म निर्भर	413000.00	282000.00	—
9.	धर्मशाला जसवन्त सराय, जोधपुर	प्रत्यक्ष प्रभार	1,71,538	96,422	—
10.	धर्मशाला मं. श्री गंगाजी, हरिद्वार	प्रत्यक्ष प्रभार	9,394	—	धर्मशाला मन्दिर के साथ होने से इस पर अलग से कोई व्यय नहीं होता है।
11.	धर्मशाला मं. श्री डूंगरेश्वरजी, वाराणसी	आत्म निर्भर	—	—	खण्डहर स्थिति होने से यात्रियों को नहीं ठहराया जाता है।
12.	सराय फतेह मेमोरियल, उदयपुर	प्रत्यक्ष प्रभार	2,80,000	5,03,000	सराय के कमरों का शत प्रतिशत किराये पर नहीं उठना, बिजली, पानी का व्यय कर्मचारियों के वेतन व भत्ते में समय-समय पर वृद्धि सराय की सम्पदा पर्यटन विभाग को 13,800/- रु. प्रतिमाह पर किराये पर दिये जाने के पश्चात् किराया प्राप्त नहीं होना सम्मिलित है।
13.	सराय मांजी की सराय, उदयपुर	प्रत्यक्ष प्रभार	60,000	39,440	—

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 147 का विवरण

वर्ष 1995–96 में कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु प्राथमिकता में जारी किये गये मांग पत्रों का जिलेवार विवरण (नर्सरी, 1/2 पोल, सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति)

क्र. सं.	जिले का नाम	जारी किये गये मांग पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	542
2.	अलवर	1737
3.	बांसवाड़ा	110
4.	बारां	634
5.	बाडमेर	194
6.	भरतपुर	264
7.	भीलवाड़ा	1185
8.	बीकानेर	234
9.	बूंदी	497
10.	चित्तौड़गढ	2541
11.	चूरू	646
12.	दौसा	1520
13.	धौलपुर	26
14.	डूंगरपुर	162
15.	जयपुर	9436
16.	जैसलमेर	7
17.	जालौर	1023
18.	झालावाड़	531
19.	झुन्झूनूं	3439
20.	जोधपुर	1079

1	2	3
21.	कोटा	911
22.	नागौर	2326
23.	पाली	1307
24.	राजसमंद	233
25.	सवाई माधोपुर	757
26	सीकर	4062
27.	सिरोही	283
28.	श्रीगंगानगर	202
29.	टोंक	120
30.	उदयपुर	478
31.	हनुमानगढ़	319
		37,325

वर्ष 1995–96 में जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का जिलेवार विवरण

माह जनवरी, 96 तक

क्रमांक	जिले का नाम	1 व 2 पोल	नर्सरी	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	155	123	46	324
2.	अलवर	679	194	259	1132
3.	बांसवाड़ा	4	5	38	47
4.	बारां	61	249	60	370
5.	बाड़मेर	73	80	140	293
6.	भरतपुर	66	9	40	115
7.	भीलवाड़ा	295	331	293	919
8.	बीकानेर	15	86	209	310

1	2	3	4	5	6
9.	बून्दी	79	72	92	243
10.	चित्तौड़गढ़	328	737	331	1396
11.	चूरू	33	191	236	460
12.	दौसा	399	262	447	1108
13.	धौलपुर	3	1	11	15
14.	डूंगरपुर	5	8	65	78
15.	जयपुर	2052	740	706	3498
16.	जैसलमेर	—	6	17	23
17.	जालोर	108	540	254	902
18.	झालावाड़	30	115	98	243
19.	झुन्झुनूं	1169	812	143	2124
20.	जोधपुर	289	380	383	1052
21.	कोटा	55	296	168	519
22.	नागौर	493	1077	219	1789
23.	पाली	487	399	68	894
24.	राजसमन्द	73	17	116	206
25.	सवाईमाधोपुर	104	144	144	392
26.	सीकर	1370	1110	835	3315
27.	सिरोही	81	88	91	260
28.	श्रीगंगानगर	28	131	10	169
29.	टोंक	30	40	42	112
30.	उदयपुर	64	138	461	663
31.	हनुमानगढ़	83	114	32	229
	योग :—	8651	8495	6054	23200

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 148 का विवरण

माह दिसम्बर, 95 से जनवरी, 96 तक तुंगा फीडर पर की गयी विद्युत आपूर्ति का विवरण

दिनांक	माह दिसम्बर, 95	माह दिसम्बर, 94	जनवरी, 96	माह जनवरी, 95
		लाख (यूनिट)		
1	2	3	4	5
1.	.693	0.552	.927	0.755
2.	.610	0.447	.661	0.664
3.	.589	0.608	.764	0.713
4.	.688	0.658	.794	0.749
5.	.449	0.665	.647	0.704
6.	.620	0.512	.556	0.773
7.	.879	0.631	.696	0.755
8.	.774	0.717	.801	0.101
9.	.659	0.726	.753	0.256
10.	.869	0.561	.753	0.597
11.	.902	0.623	.657	0.511
12.	.764	0.456	.353	0.465
13.	.735	0.627	.668	0.459
14.	.841	0.731	.848	0.415
15.	.682	0.690	.702	0.253
16.	.760	0.702	.698	0.503
17.	.727	0.728	.552	0.528
18.	.881	0.689	.768	0.542
19.	.668	0.723	.734	0.557
20.	.726	0.754	.708	0.381

1	2	3	4	5
21.	.831	0.665	.742	0.545
22.	.850	0.629	.786	0.657
23.	.818	0.777	.852	0.561
24.	.744	0.714	.588	0.521
25.	.781	0.719	.722	0.593
26.	.736	0.730	.824	0.772
27.	.701	0.744	.584	0.649
28.	.409	0.759	.677	0.604
29.	.779	0.708	.866	0.544
30.	.827	0.764	.748	0.598
31.	.724	0.676	.652	0.511
योग :—	22.716	20.585	22.071	17.236

नोट :—जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होगा, तूंगा फीडर पर माह दिसम्बर, 1995 में माह दिसम्बर, 1994 के मुकाबले तथा माह जनवरी, 1996 में माह जनवरी, 1995 के मुकाबले अधिक बिजली उपलब्ध करायी गयी।

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची

तालाबों से पं. स. को होने वाली आय का विवरण पं. स. जहाजपुर

क्र. सं.	नाम तालाब	आय मद	93-94	94-95	95-96
1	2	3	4	5	6
1.	नरसिंहगढ़ तालाब	पिलाई	215.00	—	—
2.	ऊँचा छोटा तालाब	पिलाई	6101.00	20861.00	—
3.	रामपुरा तालाब	पिलाई	—	735.00	—
4.	कुराडिया नया तालाब	पिलाई	1151.00	—	—
		मछली ठेका	—	—	1200.00
5.	हथौडिया तालाब	पिलाई	1530 00	180.00	—
6.	सुवानिया नराणा बंधा	पिलाई	17713.00	551.00	—
		पेल काश्त	—	—	10000.00
7.	कावरी तालाब	पिलाई	7311.00	—	318.00
8.	इन्दाकिया तालाब	घास	—	550.00	—
9.	फूलेला ईनाडी	पिलाई	403.00	—	—
10.	वगरवाला तालाब	पिलाई	80.00	—	—
11.	रवातोलाई तालाब	पिलाई	—	330.00	—
12.	फूटाएण्डपन्डेर	पिलाई	205.00	—	—
13.	भीलडी नया तालाब	पिलाई	500.00	—	—
14.	अरबपुरा तालाब रोंपा	पिलाई	2540.00	—	—
15.	सिंहाणा तालाब	घास	—	450.00	—
16.	पन्डेर एनिकट	पिलाई	—	—	60.00
17.	फुटिया तालाब बावड़ी	पिलाई	—	—	800.00
18.	वैरी सूरजकुण्ड तालाब	पिलाई	—	—	400.00
	योग :—		37839.00	22847.00	12778.00

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूचना

क्र. सं.	नाम विद्यालय	विवरण
1.	खडीबारा (पं. सं. (तालेड़ा)	जी हां। वर्तमान में मापदण्ड अनुसार शाला भवन निर्मित नहीं है। मापदण्ड अनुसार नवीन शाला निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है तथा निर्माण कराये जाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को 30 हजार रुपये दिया जा चुका है। वर्ष 96-97 में पूरा निर्माण कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।
2.	खुरी (पं. सं. नैनवां)	वर्तमान में एक कमरा व बरामदा निर्मित है। अतिरिक्त कमरों की निर्माण के प्रस्ताव भेजे हुए हैं। राशि की उपलब्धता के अनुसार विकास अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा।
3.	शोदान पुरा (पं. सं. नैनवां)	वर्तमान में एक कमरा प्रधानाध्यापक व एक हाल दो एक बरामदा छत लेबल तक निर्मित है। वर्ष 96-97 की पंचायत जे. आर. वाई. की राशि से पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा।
4.	हीरापुर (पं. सं. नैनवां)	हीरापुर पर वर्ष 95-96 में ही स्वीकृत हुयी है जिसके भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव 28-2-96 से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भिजवा दिये हैं। स्वीकृति एवं राशि आबंटन पर निर्माण कार्य करा दिया जायेगा।
5.	बूढ करवर (पं. सं. नैनवां)	वर्तमान में निर्मित कमरों के अतिरिक्त एक हाल व बरामदा निर्माण की प्रति स्वीकृति पंचायत जे. आर. वाई. से 11195 में जारी की जा चुकी है। कार्य वर्तमान में छत लेबल तक पूर्ण हो चुका है। कार्य इस शिक्षा सत्र के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
6.	केदारा की झोपड़ियां	नवीन स्वीकृत विद्यालय निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्मित हो रहा है। कार्य लगभग समाप्ति पर है जो वर्ष 95-96 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 169 का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	निर्माण पर व्यय (लाखों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1993–94	नगला पखराम से सूती फुलवारा	10.50	1.86	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावितहै ।	
2.	,,	बघावी से नगला कसोंदा नगला हीरा वाया करताई	12.00	9.50	कार्य पूर्ण हो चुका है ।	
3.	,,	पिपला से मोहचोली	2.70	2.50	कार्य पूर्ण हो चुका है ।	
4.	,,	सेवर उच्चैन रोड से बन्जी	3.35	3.18	कार्य पूर्ण हो चुका है ।	
1.	1994–95	जाटोली रोड से बिलेसी	4.90	4.68	कार्य पूर्ण हो चुका है ।	
2.	,,	भरतपुर कुम्हेर रोड से बविज	29.40	0.21	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है ।	
3.	,,	बोरई से सह	14.70	—	अलाइन्मेन्ट विवाद	
4.	,,	नदबई कुम्हेर रोड से सिकरोरा	3.50	1.69	अलाइन्मेन्ट विवाद	
5.	,,	मुखारा से माण्डोती	12.41	0.21	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है ।	

1	2	3	4	5	6	7
6.	1994–95	ऊँचा गांव से वाया चएला	6.20	3.98	दिसम्बर, 96 तक पूर्ण होना सम्भावित है।	
7.	,,	सातरूक से नंगलाचौधरी	24.62	1.37	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है।	
8.	,,	लुघवारा से ऊबार	9.00	5.34	दिसम्बर, 96 तक पूर्ण होना सम्भावित है।	
9.	,,	पुरानी डीग से रीठोटी	23.13	5.90	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है।	
10.	,,	मोरोली खुर्द से मोरोली कलां	6.20	5.65	दिसम्बर, 96 तक पूर्ण होना सम्भावित है।	
11.	,,	ऊंचा गांव से कांकरोली	6.20	—	अलाइन्मेन्ट विवाद	
12.	,,	ऊँचा गांव से कपरोल	6.00	0.32	अलाइन्मेन्ट विवाद	
13.	,,	सेवर बाई पास से सह का नंगला	16.92	5.29	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है।	
14.	,,	चिकसाना से हतमपुर	13.54	4.41	,, ,,	,,
1.	1995–96	आजाऊ हेलक रोड से पाहुआ	3.90	0.01	,, ,,	,,
2.	,,	भरतपुर कुम्हेर रोड से बेलारा	1.70	—	,, ,,	,,
3.	,,	रीको औद्योगिक क्षेत्र से बराकुर	8.25	3.78	,, ,,	,,
4.	,,	गांवरी रोड से पीरनगर	2.75	2.54	,, ,,	,,
5.	,,	भरतपुर मथुरा रोड़ से बुंराबई	5.50	0.14	,, ,,	,,

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 172 का विवरण

कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर के पिछले तीन वर्षों का आय-व्यय का मदवार विवरण

क्र. सं.	नाम मद	वर्ष 92-93	वर्ष 93-94	वर्ष 94-95
1	2	3	4	5
	आय मद : —			
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क	8690.00	16681.00	8897.00
2.	मण्डी शुल्क	6411856.53	8030666.43	9252500.10
3.	भवन किराये से आय	1071188.00	1940906.00	2141081.00
4.	परि. ऋण से आय	4000000.00	—	—
5.	अन्य आय	1098244.99	821189.11	298003.25
	योग :—	12589979.52	10809442.54	11700481.35
	व्यय मद : —			
1.	संस्थापन व्यय	1507168.90	1708242.65	1888807.85
2.	कार्यालय व्यय	143135.35	282782.45	244208.75
3.	मण्डी सुविधा	999369.04	1325223.00	1398094.10
4.	बोर्ड अंशदान	573829.00	842293.00	939103.00
5.	निर्माण कार्यों पर	11903407.00	7000000.00	3259198.00
6.	परि. ऋण मूल	—	—	4000000.00
7.	परि. ऋण ब्याज	—	—	520915.00
8.	अन्य व्यय	517605.16	1137827.00	522598.49
	योग :—	15644514.45	12296368.10	12772924.69

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 173 का विवरण

कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी का गत दो वर्षों की मदवार आय व व्यय का विवरण वर्ष 1993–94 एवं 1994–95

(आय रुपयों में)

क्र.सं.	मद का नाम	1993–94	1994–95
1	2	3	4
	आय मद :—		
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क-नवीन	3320.00	1255.00
2.	अनुज्ञापत्र शुल्क—नवीनीकरण	6128.00	6547.00
3.	मण्डी शुल्क	3447487.13	4852564.11
4.	जमाधन पर ब्यात	17916.86	43967.88
5.	विलम्ब शुल्क	1940.97	633.39
6.	भवन किराये से आय	246516.25	3127797 00
7.	फार्म पर्ची विक्रय	4173.50	7653 00
8.	वाद शमन से आय	4806.40	4143.70
9.	विद्युत वसूली	30048.00	—
10.	ऋण व अग्रिम वसूली	115555.00	65572 00
11.	ऑडिट वसूली	6376.65	5688 37
12.	अमानत	324764.25	418110 69
13.	अन्य	2551.50	637.00
14.	धरोहर राशि	—	1900 00
15.	अनाज़ अग्रिम वसूली	—	40305.00
16.	आवास किराया	—	2228.00
17.	कार्यालय अग्रिम	—	9500.00
	योग :—	4211584.41	5773502.14

1	2	3	4
	व्यय मद :—		
1.	संस्थापन व्यय	1084965.70	1234206.50
2.	कार्यालय व्यय (आवर्तक)	144482.85	53109.40
3.	बोर्ड अंशदान	309428.00	509150.00
4.	भवन ऋण अग्रिम	100000.00	51000.00
5.	अनाज अग्रिम	33000.00	36000.00
6.	निर्माण कार्य पेट	713619.00	30000.00
7.	सुलभ कॉम्पलेक्स निर्माण पेट	—	641600.00
8.	बोर्ड ऋण वापसी	800000.00	470000.00
9.	मण्डी सुविधाओं पर व्यय	355787.65	409089.50
10.	अमानत	365969.25	444751.80
11.	कार्यालय अग्रिम	500.00	9500.00
12.	विद्युत मोटर क्रय (अनावर्तक)	17100.00	—
	योग :—	3924862.45	3888407.20